

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# राजस्व के सिद्धान्त एवं भारतीय वित्त-व्यवस्था

लेखक

रघुवीर सिंह जैन एम ए, एम. कॉम.

भू० पू० अध्येष, अर्थशास्त्र विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडोत (मेरठ)

पूर्णतया सशोधित संस्करण

प्रकाशक

रस्तोगी एण्ड कम्पनी

मुद्रक तथा प्रकाशक, मेरठ.

१९२६ ]

{ मूल्य तीन रुपये  
विद्युत्तर नये पैसे

## भूमिका



क समय या जबकि आर्थिक विषयो में राजकीय हस्तक्षेप को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। परन्तु धीरे धीरे समय ने पलटा साया और आर्थिक विषयो में राजकीय हस्तक्षेप बढ़ने लगा। १९४७ ई० की हस्त की क्रान्ति के पश्चात् तो यह बात सिद्ध हो गई कि राज्य अपनी कर आदि द्वारा आय प्राप्त करने तथा उसको जनता के लिए खर्च करने की नीति से सामाजिक हित पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण जन साधारण का ध्यान राजस्व के विषय की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में राजस्व को अध्ययन का एक विषय रखा गया है। इस विषय के ऊपर अंग्रेजी में तो बहुत सामग्री उपलब्ध है परन्तु हिन्दी में इस पर अभी बहुत कम लिखा गया है। हिन्दी के राष्ट्र भादा घोषित हो जाने के पश्चात् बहुत से विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को अपने उच्च हिन्दी में लिखने की सुविधा प्रदान की है। विद्यार्थी भी अधिकाधिक सह्या में इस अवसर से लाभ उठा रहे हैं और हिन्दी की पुस्तकों की अधिकाधिक मांग कर रहे हैं। मैंने इस पुस्तक को लिखकर विद्यार्थियों की इस मांग को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

इस पुस्तक को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। पहले खण्ड में राजस्व के सिद्धान्तों की समझाने का प्रयत्न किया है तथा दूसरे खण्ड में भारतीय राजस्व के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के लिखने में मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि विद्यार्थियों को अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक सामग्री मिल सके तथा उस सामग्री को इतनी सरल भाषा में रखने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक पढ़ने वाला उसको बिना कठिनाई के समझ सके। आशा है कि अपने प्रयत्न में सफल हो सकूँगा।

इस पुस्तक के लिखने में बहुत सी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि से सहायता ली गई है जिनका उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है। जहाँ तक हो सका है वर्तमान आँशु देने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु कई स्थानों पर और विशेषतः स्थानीय राजस्व में वर्तमान आँशुओं के अभाव में कुछ पुराने आँशु ही दिए गए हैं।

( व )

इस पुस्तक में जिन विशिष्ट शब्दों (Technical Terms) का प्रयोग किया गया है उनको मैंने डा० रघुवीर के हिन्दी-अंग्रेजी के कोष से लिया है। बहुत से स्थानों पर मैंने इस कोष के कठिन शब्दों के स्थान पर अपने सरल शब्दों का ही प्रयोग किया है।

इस पुस्तक के लिखने में मुझे अपने मित्र श्री भारतसिंह जी उपाध्याय एम० ए०, आशु हिन्दी विभाग, दिगम्बर जैन कालिज, वडोदा से बहुत सहायता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं उनका हृदय से प्राभारी हूँ।

दिगम्बर कालिज  
वडोदा  
१०-२-५५

रघुवीर सिंह जैन

# विषय-सूची

## प्रथम खण्ड

- अध्याय १—विषय प्रवेश १  
राजस्व क्या होता है ? राजकीय तथा व्यक्तिगत आय-व्यय का भेद, अधिकतम समाज-हित सिद्धान्त, राजस्व के विभाग ।
- अध्याय २—राजकीय व्यय १०  
राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण, राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय का भेद; राजकीय व्यय के सिद्धान्त, राजकीय व्यय का वर्गीकरण ।  
राजकीय व्यय के आर्थिक प्रभाव—उत्पत्ति पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव अन्य प्रभाव ।
- अध्याय ३—राजकीय आय २३  
राजकीय आय का वर्गीकरण ।  
राजकीय आय के विभिन्न साधन—कर, फीस मूल्य, विदेश कर अधिकार जमाया य दण्ड, भेंट, सरकारी सम्पत्ति, उपहार, कर शर्तों लगाया जाता है ?  
कर सिद्धान्त—समता सिद्धान्त; निश्चितता का सिद्धान्त, सुविधा का सिद्धान्त मितव्ययता का सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धान्त सुविधा का सिद्धान्त, सरलता का सिद्धान्त ।  
करों का वर्गीकरण—अनुपारिक, बड़ेमान, प्रतिगामी तथा अप्रयोगी, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, विविध तथा मूल्यानुसार ।  
एक अथवा अनेक कर-प्रणाली  
कर निर्धारण में न्याय की समस्या—वित्तीय सिद्धान्त, क्षतिपूर्ति तथा समाजवादी सिद्धान्त, 'जैसा तुम्हें मिले वैसा छोड़ दो' सिद्धान्त, 'प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सेवा करना चाहिए' सिद्धान्त; सेवा के मूल्य का सिद्धान्त, लाभ अथवा 'जैसी को तैसा' सिद्धान्त, 'अधी' करने की योग्यता अथवा क्षमता का सिद्धान्त  
एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषताएँ, कर देने की शक्ति ।
- अध्याय ४—कर भार ५२  
कर-दबाव, कर-भार, कर विवर्तन, कर विवर्तन की दशा कर विवर्तन के रूप, कर विवर्तन की माप, कर विवर्तन तथा कर से बचने का भेद; कर का द्रव्य-दबाव तथा वास्तविक दबाव, कर-भार के अध्ययन का महत्व ।

कर भार के सामान्य सिद्धान्त—(१) कर-भार वस्तु की मात्रा घोर प्रति पर लक्ष्य पर निर्भर होता है। (२) कर भार स्थानादेश वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है। (३) कर-भार उत्पत्ति के नियमों पर निर्भर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तगत कर-भार, एकाधिकार के अन्तगत कर का भार, भूमि पर लगाए गए कर का भार, इमारतों पर लगाए गए कर का भार; आयात और निर्यात करों का भार, घात कर का भार, कर का पूंजीकरण, कर का पूंजीकरण कब किया जाता है? कर का रूपान्तर।

कर विवर्तन के सिद्धान्त—फिजियोकेट्स का सिद्धान्त, आधुनिक सिद्धान्त। करों का प्रभाव—उत्पत्ति पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, प्रत्य प्रभाव।

### अध्याय ५—सार्वजनिक ऋण

७७

सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण की तुलना, सार्वजनिक ऋण का इतिहास, ऋण और कर का भेद, ऋण प्रथम कर। सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण—स्व-इच्छित तथा अन-इच्छित ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण उत्पादक या पुनरुत्पादक तथा अनुत्पादक या मृत ऋण मृत-भार वाला ऋण, सक्रिय ऋण तथा निष्क्रिय ऋण, अनिश्चित-कालीन तथा निश्चित-कालीन ऋण शोष्य तथा प्रशोष्य ऋण, सार्वजनिक ऋणों के प्रभाव—उपभोग तथा उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, व्यापारिक मदी में सार्वजनिक ऋण का महत्व, युद्ध कालीन ऋण व्यवस्था।

सार्वजनिक ऋणों के चुनाने के ढंग (१) ऋण वृद्धि, (२) ऋण-नियंत्रण, (३) वार्षिक वृत्ति, (४) ऋण रूपान्तरण, (५) ऋण-निरस्तोय ऋण। पूंजी कर विभिन्न ऋणों के साधनो ऋण।

### अध्याय ६—राजस्व का प्रवन्ध

१०४

वित्त नियन्त्रण करने वाली मन्थार्य—ध्यवस्थापक सभा, शासन विभाग, मित्त मन्त्री मण्डल, जय विभाग, आर्थिक निदेशक के सम्बन्ध में साधारण धारणाएँ।

वज्रट—वज्रट का अर्थ, वज्रट का महत्व वज्रट के सम्बन्ध में साधारण धारणा, वज्रट का तैयार करना—(१) वज्रट कौन तैयार करता है। (२) वज्रट कब तैयार किया जाता है। वज्रट कैसे तैयार किया जाता है, वज्रट का वास्तविक होना।

वित्तियोग विधेयक धारणाएँ व्यय, करों पर महत्व लेना—अर्थ वित्त तथा इन्धन वित्त, सार्वजनिक ऋण पर नियन्त्रण, अनुदानों का वटवारा; भारतीय संसद का अर्थ व्यवस्था पर नियन्त्रण।

## द्वितीय खण्ड

### भारतीय राजस्व

#### अध्याय ७—केन्द्रीय राजस्व

१२१

भारतीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाली बातें, एकात्मक तथा सघीय शासन पद्धति, सघीय शासन के सिद्धान्त—(१) एक रूपता, स्वतन्त्रता, पर्याप्तता, उचित प्रबंध

भारतवर्ष में सघीय अर्थ-व्यवस्था का विकास—एकात्मक शासन तथा उत्सव होय, विशेषीकरण की ओर पथ—पहला पथ (१८६० से १८७७) दूसरा पथ (१८७७-८२), तीसरा पथ (१८८२-१९२१), चौथा पथ (१९१९ ई० के सुधार), मेस्टन परिनिर्णय, पांचवा पथ (१९२५ का विधान तथा स्वतन्त्र भारत का विधान)—

(अ) सघीय स्रोत, (ब) संगामी, प्रांतीय, छोटी निमित्त रिपोर्ट, छोटी निमित्त रिपोर्ट पर एक दृष्टि, छोटी निमित्त परिनिर्णय में पहला सशोधन (१९२९-४१), दूसरा सशोधन (१९४८) सरकार समिति, तीसरा सशोधन (देशमुख परिनिर्णय), देशमुख परिनिर्णय की आलोचना, वित्तीय प्रायोग, नए विधान के अनुसार आय के स्रोतों का बटवारा

संघ सरकार की आय के मुख्य मुख्य स्रोत—भूमि-कर, कारपोरेशन कर, उत्तराधिकारी कर, सीमा कर, केन्द्रीय उत्पादन कर, सीमा पर उत्पादन कर, विमातलाई पर उत्पादन कर, चाय, केहवा तथा सुपारी पर कर, मोटर के तेल पर कर, तम्बाकू पर कर, नमक कर, अपीम कर, रेलों, डाक और तार, तिस्के और नोट

संघ सरकार का व्यय—रक्षा-व्यय, जन्म-व्यय, शरणाधिकियों को फिर से बसाने का खर्च, छात्र सामग्री पर अर्थ-सहायता, आय एक्य करने पर खर्च भारतीय पर पद्धति की कुछ विशेषताएँ, कर पद्धति में उन्नति करने के सुझाव

#### अध्याय ८—राज्य सरकारों की आय और व्यय

१७६

मातंगुजारी, मातंगुजारी कर है अथवा लगान, मातंगुजारी तथा कर सिद्धान्त, मातंगुजारी में उन्नति करने के सुझाव

कृषि-भाद-कर, उत्तर प्रदेश कृषि भाद-कर की कुछ विशेषताएँ प्रांतीय उत्पादन कर; मद्य-नियंत्रण की नीति

✓ विधी कर; विधी कर क्या होता है; विधी कर के प्रकार, विधी कर को

प्रकृति, बिजो कर वद्धमान कर ही होता, कर में छूट, कर की दर, बिजो कर का भार, सामान्य बिजो कर, बिजो कर के दोष, भारत में बिजो कर

मनोरजन तथा बाजो कर

मुद्राक वर इस वर की आलोचनाए, मुद्राक वर और कर सिद्धान्त, रजिस्ट्री फीस

मोटर गाडिया पर वर-वर का आधार, वर की दर, वर की भ्याय सगतता, वर भार, मोटर गाडियों के राष्ट्रीय करण का प्रदन रोजगार, पेशे तथा व्यापार का वर, सिचाई

राज्य सरकारों का व्यय—शासन का व्यय, देश में शान्ति और व्यवस्था रखने का व्यय, राष्ट्र निर्माण कार्यों पर व्यय,

अध्याय ६—स्थानीय राजस्व

२०२

✓नगर पालिकाओं की आय और व्यय

आय—

प्रत्यक्ष वर—व्यापार, पेशे, कार्यों आदि पर वर, व्याधितयों पर वर प्रथम हैसियत वर

दूसरे छोटे वर—सम्पत्ति के हस्तान्तरण का वर, बाजार वर, पशुओं की रजिस्ट्री कराने का वर, नोकरों तथा कुत्तों पर वर, घोड़ियों पर वर, इबको लागे, साइकिलों आदि पर वर, नए वरों के सुभाव

अप्रत्यक्ष वर—चुगो, सीमा वर, सीमा मार्ग शुल्क, व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय, पानी, बिजली, किराया, बसाईघर, आवागमन के साधन, सहायक प्रनुदान, स्थानीय ऋण

नगर पालिका के व्यय—सलवाहन, स्वास्थ्य सेवायें शिक्षा, विविध व्यय

जिला बोर्डों की आय और व्यय

आय—भूमि पर उषवर, सम्पत्ति तथा परिस्थिति पर वर, मगं शुल्क, कांजी होस, शुल्क, किराया, नेले, सहायक प्रनुदान,

व्यय—शिक्षा, सडकों तथा इमारतों पर खच, हस्पताल तथा सफाई

ग्राम पचायतों की आय और व्यय

आय, व्यय, स्थानीय समस्याओं की प्रायिक स्थिति पर एक दृष्टि

अध्याय १०—भारत का सार्वजनिक ऋण

२२७

द्वितीय महायुद्ध का भारत के सार्वजनिक ऋण पर प्रभाव, स्टॉलिन ऋण का चुकाया जाना, रपया ऋण, अल्पकाल ऋण, अल्प वस्तु



# राजस्व

## PUBLIC FINANCE

### अध्याय १

#### राजस्व क्या होता है ?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना दूसरे की सहायता लिए स्वयं अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए उसको दूसरों की सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है। इन आवश्यकताओं में से कुछ ऐसी हैं जिन की पूर्ति के लिए न तो कोई व्यक्ति स्वयं प्रयत्न हो करता है और न ही वह यदि वह प्रयत्न भी करे, उनकी पूर्ति कर सकता है। ऐसी आवश्यकताओं में से कुछ यह हैं— विदेशियों के अत्याचारों से अपने आपको बचाना, अपने जाने के लिए सबके तथा रेलें बनवाना, चिकित्सा के लिए हस्पताल बनवाना, राज के समय उन सब स्थानों पर जहाँ वह जाना चाहता है रोकने का प्रबन्ध करना, चोर, डाकुओं से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए पुलिस का प्रबन्ध करना आदि। परन्तु फौज, सड़क, रेल, हस्पताल, पुलिस आदि के बिना न तो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित ही समझ सकता है और न ही उसका उचित बज्ज का विकास ही हो पाता है। इसी कारण मनुष्यों ने मिल कर राज्य का निर्माण किया। प्रारम्भ में राज्य का मुख्य कार्य देश की बाह्य प्राथमताओं से रक्षा करना और देश में प्रातिरिक्त शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना था। परन्तु धीरे धीरे राज्य के कार्य का विस्तार होता गया और आजकल जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ कि राज्य का कुछ न कुछ हस्तक्षेप न हो।

राज्य के उचित कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विभिन्न विचार मिलते हैं। भ्रामकतावादी (Anarchist) विचार धारा के लोगों का विश्वास है कि एक ऐसी दशा आएगी जब मनुष्य नैतिकता के इनके ऊँचे स्तर पर पहुँच जाएगा कि शासन की कोई आवश्यकता ही न रहेगी। इसके विपरीत साम्यवादी (Communist) विचार धारा के लोगों का मत है कि देश के सब साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए और उसको ही सब प्रकार के प्राथिक कार्यों का निष्पन्न करना चाहिए। इन दोनों सोचों के बीच दो प्रकार की और विचार धाराएँ मिलती हैं। एक विचार धारा फ्रांस के फिजियोक्रैट (Physiocrats) तथा इंग्लैंड के मिल (Mill) तथा आदम स्मिथ

(Adam Smith) की है। इस विचार धारा के लोग का विश्वास है कि हर व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करता है कि उसका अधिक से अधिक हिस्सा हो और जब सब व्यक्ति इस प्रकार प्रयत्न करेंगे तो सारे समाज का अधिक से अधिक हिस्सा होगा। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी विचार धारा के लोग यह हैं जिनको समूहवादी या समाजवादी (Collectivist or Socialist) कहते हैं। इस विचार धारा के लोग का कहना है कि मानव कल्याण के लिए राज्य सीमा रहित दानितया धारण कर सकता है।

इन सब विचार धाराओं में अतिम अर्थात् समाजवादी विचार धारा ही आज तक सब से प्रबल है। प्रायः कल प्रायः सब देश इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि वह अपने देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनायें। ऐसा करने के लिए राज्य अधिकाधिक शक्ति अपने हाथ में लेता जा रहा है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् से तो यह बात प्रत्यक्ष रूप में ही दिखाई पड़ रही है।

शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य के भिन्न भिन्न रूप होने हैं। उनमें से एक केन्द्रीय शासन होता है दूसरा प्रान्तीय और तीसरा स्थानीय इन सब के कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे भारतवर्ष में केन्द्रीय शासन के हाथ में रक्षा, रेलें, डाक, तार, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएँ आदि हैं। प्रान्तीय (जिनको अब राज्य कहते हैं) शासन के हाथ में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नहरें, जङ्गल, पुलिस आदि हैं। तथा स्थानीय शासन (जिसमें नगर पालिकाएँ तथा जिला बोर्ड सम्मिलित हैं) के हाथ में नगर ग्रामवासी की सड़कें बनवाने, प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवन्ध करने, ग्राम में रोशनी, सफाई, स्वास्थ्य, आदि का प्रवन्ध करने का कार्य होता है। इन जनहित कार्यों के लिए इन सब प्रकार के शासनों को धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन कर (Tax) तथा और दूसरे साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारतवर्ष में केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय शासनों के धन के साधन भिन्न हैं। इन सबकी धन तथा व्यय का हम राजस्व में अध्ययन करते हैं।

इस प्रकार राजस्व में हम यह सोचते हैं कि सरकार किस प्रकार व किस सिद्धांत के अनुसार अपनी आय प्राप्त करनी तथा उनका व्यय करती है। राज्य की आय व व्यय के लक्षण व सिद्धांत के अध्ययन को राजस्व कहते हैं।<sup>1</sup> डॉ० डाल्टन के अनुसार 'इसका सम्बन्ध सार्वजनिक पदाधिकार (Public Authorities) की आय तथा व्यय तथा इन का एक दूसरे से सामन्वय स्थापित करने से है।'<sup>2</sup>

(1) "The investigation into the nature and principles of State Expenditure and Revenue is called Public Finance"—Adam Smith.

(2) Dalton—Principles of Public Finance—P. 3.

## राजकीय तथा व्यक्तिगत आय-व्यय का भेद Distinction between Public and Private Finance

राजकीय तथा व्यक्तिगत आय-व्यय में भेद करते समय हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जहाँ तक आय-व्यय के सिद्धांतों का सम्बन्ध है दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों के आय-व्यय पर एक ही प्रकार के सिद्धांत लागू होने हैं। परन्तु फिर भी दोनों में इस प्रकार के भेद हैं कि एक को दूसरे से अलग करना आवश्यक ही है। यह भेद निम्नलिखित है—

(१) आय और व्यय का सम्बन्ध— राजकीय तथा व्यक्तिगत आय व्यय में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है। व्यक्तिगत सदा ही यह प्रयत्न करता है कि वह अपनी आय से अधिक खर्च न करे। इस प्रकार व्यक्ति का व्यय उस की आय से निश्चित होता है। इस के विपरीत राज्य पहले यह निश्चित करता है कि उसको किम् किस मद्द पर कितना खर्च करना है। इस प्रकार कुल व्यय का अनुमान लगा कर राज्य यह देखता है कि वह निश्चित किए गए व्यय के लिए कौंसे आय प्राप्त करें। इस प्रकार राज्य पहले व्यय निश्चित करता है और फिर आय।

परन्तु राजकीय और व्यक्तिगत आय-व्यय में यह भेद दृढ़ नहीं है <sup>क्योंकि</sup> बहुत से अवसरों पर राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही इस बात का उलट कर देते हैं। बहुत से अवसरों पर जैसे विवाह, मन्तानोत्पत्ति, मृत्यु यादि अवसरों पर व्यक्ति को सामाजिक कुप्रथाओं के कारण अपनी आय से भी अधिक खर्च करना पड़ता है। भारतवर्ष में तो यह बात प्रायः देखी जाती है। इस प्रकार खर्च करने के पश्चात् व्यक्ति अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार राज्य के लिए भी सदा यह सम्भव नहीं है कि वह अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने में सफल हो जाए। बहुत से अवसरों पर राज्य को अपना व्यय पूरा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यापारिक मन्दी (Trade Depression) के समय सरकार को अपने बहुत से खर्च कम करने पड़ते हैं। यही बात भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में भी उत्पन्न है। आजकल भारत सरकार के सामने बहुत सी आर्थिक योजनाएँ हैं जिन को बहुशोष से शीघ्र पूरा देkhना चाहती है परन्तु आय के साधनों की कमी के कारण इन योजनाओं के पूरा होने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। यदि यह बात मना ही सत्य होती कि राज्य व्यय के अनुसार अपनी आय प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार की कठिनाई के उत्पन्न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार यह कहना उचित नहीं जान पड़ता कि व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय करता है और राज्य अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करता है। वास्तव में यह भेद मात्र (Kind) का नहीं बल्कि मात्रा (Degree) का है।

उपयुक्त कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि राजनीय और व्यक्तिगत आय-व्यय में कोई भेद नहीं है, अथवा इन दोनों में भेद करना लाभदायक नहीं है। वास्तव में इन दोनों में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि साधारणतया व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही अपना व्यय निश्चित करता है और राज्य अपने व्यय के अनुसार अपनी आय निश्चित करता है और बहुत कम अवसरों पर ही ऐसा होता है कि यह बात ठीक नहीं होती।

**ऋण प्राप्ति में भेद—** व्यक्ति साधारणतया इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपनी आय तथा व्यय का सन्तुलन करे परन्तु ऐसा होना मदा सम्भव नहीं होता। यदि किसी वर्ष उसकी आय और व्यय बराबर नहीं होते और व्यय अधिक हो जाता है तो वह या तो अपनी भूतकाल की बचत में से उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है और यदि उसने कोई बचत न की हो तो वह कहीं से ऋण प्राप्त करता है अथवा अपनी किसी सम्पत्ति को बेचकर धन प्राप्त करता है। इसी प्रकार राज्य के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रति वर्ष ही अपने बजट का सन्तुलन करे। यदि किसी वर्ष आय व्यय से अधिक बढ़ जाता है तो राज्य को भी भूतकाल की बचत में से खर्च करना पड़ता है अथवा अपनी किसी सम्पत्ति को बेचना पड़ता है अथवा कहीं से ऋण लेना पड़ता है। यहां तक तो राज्य तथा व्यक्तिगत आय-व्यय में कोई विशेष भेद नहीं है। हा, इतना भेद अवश्य है कि व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपना बजट बनाए। बहुत से व्यक्ति बजट बनाना तो दूर रहा अपना हिसाब किताब भी नहीं रखते। परन्तु राज्य के लिए बजट का बनाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत तथा राजकीय आय व्यय में जो दूसरा भेद है वह ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में है। ऋण दो प्रकार का होता है—(१) बाह्य तथा (२) आन्तरिक। बाह्य ऋण अपने से प्रतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है। परन्तु आन्तरिक ऋण अपने से ही प्राप्त किया जाता है। व्यक्ति केवल बाह्य ऋण ही प्राप्त कर सकता है। वह आन्तरिक ऋण प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने आप से कैसे ऋण प्राप्त कर सकता है। परन्तु राज्य बाह्य तथा आन्तरिक दोनों प्रकार ऋण प्राप्त कर सकता है। बाह्य ऋण वह विदेशों से प्राप्त करता है और आन्तरिक ऋण अपने ही देश के लोगों से प्राप्त करता है।

अपने व्यय को पूरा करने के लिए सरकार के पास एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के पास नहीं होता। सरकार को नोट छापने का अधिकार है। इन नोटों को देश के हर व्यक्ति को लेना पड़ता है। जब सरकार का व्यय बहुत बढ़ जाता है जैसे युद्ध काल में अथवा किसी आर्थिक संकट के समय तो वह नोट छाप कर उस खर्च को पूरा कर लेती है। परन्तु व्यक्ति के प्रतिज्ञा-पत्र का कोई मूल्य नहीं होता और न ही वह नोट छाप सकता है। इसलिए उसको बड़ी बठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(३) सीमान्त उपयोगिता का समीकरण— अपने धन को खर्च करते समय व्यक्ति का यह प्रयत्न रहता है कि वह उसको इस प्रकार खर्च करे जिससे कि उसको हर उपयोग से समान उपयोगिता प्राप्त हो क्योंकि ऐसा होने पर ही वह धन का अधिकतम लाभ उठा सकेगा। व्यवहार में व्यक्तियों को इस प्रकार खर्च करने नहीं देखा जाता, परन्तु यह बात सत्य है कि उनमें से प्रत्येक का, सिवाय उनके जिन को ऐसा करने की बुद्धि नहीं है, इस ओर प्रयत्न अवश्य रहता है। राज्य व्यक्ति में भिन्न होता है। राज्य के लिए यह बात सम्भव नहीं है कि वह विभिन्न उपयोग में किए गए खर्च का ठीक अनुमान लगा सके। परन्तु यहाँ भी इस धान का प्रयत्न प्रवर्धन किया जाता है कि धन का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि उसके प्राप्त उपयोगिता उस हानि से अधिक हो जो कि खर्च देने वालों को होती है। इस प्रकार यहाँ भी अधिकतम लाभ का सिद्धान्त सामने रखा जाता है।

व्यक्तिगत धाय-व्यय में व्यक्ति यह भी प्रयत्न करता है कि वह अपने धन को इस प्रकार खर्च करे जिससे कि उसको वर्तमान और भविष्य में अपने धन से समान उपयोगिता प्राप्त हो। परन्तु व्यक्ति भविष्य पर सट्टा लगाता है वह वर्तमान को ही अधिक महत्व देकर अधिक धन वर्तमान में खर्च करता है। परन्तु राज्य के सामने खर्च करते समय वर्तमान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि भविष्य। वित्त मंत्री अपना बजट बनाते समय कभी यह ध्यान नहीं रखता कि वह वर्तमान में अधिक धन खर्च करके अपने युग के लोगों को सुखी बनाए चाहे आगे आने वाली पीढ़ी को इस सुख के लिए बड़े बड़े बलिदान ही क्यों न करने पड़ें। इसके विपरीत बजट बनाते समय वह अपने धनको भविष्य की पीढ़ी का विन्यास भाजन (ट्रस्टी) समझता है और वह सदा यह प्रयत्न करता है कि आगे वाली पीढ़ी को देश की वागदोर सौंपते समय वह इस बात का गर्व करे कि वह देश को उससे अच्छी स्थिति में सौंप रहा है जिस में कि उसने उसको स्वयं लिया था। इस भावना के कारण ही व्यक्तिगत धाय-व्यय तथा राजकीय धाय-व्यय में बड़ा अन्तर हो जाता है।

(४) आधिक्य बजट में अन्तर— व्यक्ति का सदा ही यह प्रयत्न रहता है कि वह इस प्रकार खर्च करे कि उसके पास कुछ न कुछ बच जाए। यदि बचत न हो तो वह उसको अच्छा नहीं समझता, परन्तु राजकीय बजट में यदि बचत दिखलाई जाती है तो उस पर बड़ा खर्च विवाद होता है क्योंकि बचत का अर्थ लोग यह समझते हैं कि उन पर अधिक कर लगाए गए हैं और अधिक कर देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। परन्तु यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हीन बजट को भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसके विपरीत उस बजट को अच्छा समझा जाना है जो सन्तुलित हो।

(५) व्यक्ति के आय साधन सीमित तथा राज्य के असीमित—व्यक्ति के साधन बहुत ही सीमित होते हैं। यदि किसी कारण उम्दा व्यय मरदानक ही बढ़ जाय तो वह उसको पूरा करने के लिए अपनी आय के साधन नहीं बढ़ा सकता परन्तु राज्य के आय के साधन बहुत में होते हैं। यदि किसी समय व्यय बढ़ जाता है तो सरकार आय प्राप्ति के बहुत से उद्ग निकाल लेती है।

(६) राज्य के लिये अधिक धन का व्यय कभी कभी लाभप्रद पर व्यक्ति के लिये नहीं—हर व्यक्ति को अपना व्यय अपनी आय के अनुसार ही रखना चाहिए अधिक व्यय उसके लिए लाभप्रद नहीं होता। परन्तु राज्य के लिए कभी कभी अधिक व्यय बहुत ही आवश्यक है। यदि राज्य अधिक धन का व्यय राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए करता है तो उसमें देश का धन व सम्पत्ति बढ़ती है और बेरोजगारों का रोजगार मिलता है। यह बात इन हित के लिए आवश्यक है।

(७) व्यक्तिगत आय भेदपूर्ण परन्तु राजकीय ऐसा नहीं—हर व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करता है कि वह किसी को भी अपनी आय व्यय का पना न होने दे। इसके लिए वह बड़ी सावधानी से काम लता है। परन्तु राज्य अपनी आय तथा व्यय की मूचना खूब फैलाने का प्रयत्न करता है। ऐसा करने में उसकी सत्ता घटने के बदले बढ़ती है।

(८) राजकीय वज्रट में परिवर्तन सुगम—एक व्यक्ति के लिए यह बड़ा कठिन है कि वह अपनी आय तथा व्यय को अपनी इच्छानुसार बढ़ घटा सके। यदि वह चाहे भी कि उसकी आय पहले से दुगुनी प्रथवा तिगुनी हो जाए तो भी (सीमित साधनों के कारण) वह कभी भी अपनी आय को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकेगा। उगी प्रकार व्यय को कम करना भी उसके लिए बड़ा कठिन है क्योंकि जीवन-स्तर के नीचा होने पर व्यक्ति को कष्ट होता है। परन्तु राज्य अपनी इच्छा नुसार अपनी आय तथा व्यय में परिवर्तन करता रहता है। वह एक कभी बड़ी सीमा तक अपनी आय भी बढ़ा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको कम भी कर सकता है। ऐसा करने पर उसको व्यक्ति के समान कष्ट नहीं होता।

अधिकतम समाज-हित सिद्धान्त—(Principle of Maximum Social Advantage)

अब से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व लोग का यह विश्वास था कि सरकार को कम से कम कर वसूल करके कम से कम धन व्यय करना चाहिए। जे० बी० से (J B Say) इसी मत के थे। उनका कहना था कि राजस्व की सबसे अच्छी योजना कम खर्च करना है और सबसे अच्छा कर वह है जो मूल्य में सबसे कम हो। इस प्रकार की विचार धारा के दो कारण थे। एव तो यह था कि उन समय लोग

में व्यक्तिवाद (Individualism) की भावना बड़ी प्रबल थी। वे समझते थे कि सबसे अच्छा शासन वह है जो लोगों की स्वतन्त्रता तथा उनके धन पर कम से कम आघात पहुँचाए। दूसरा कारण यह था कि उस समय के लोगों का विश्वास था कि सरकार का सब रूपया अनुत्पादक कार्यों में खर्च होगा है। इसके विपरीत व्यक्ति अपना धन उत्पादक कार्यों पर खर्च करता है। इसी कारण ग्लैडस्टन (Gladstone) का कहना था कि धन व्यक्तियों के पास बढने के लिए छोड़ देना चाहिए।

अब हमको यह विचार करना चाहिए कि उपर्युक्त विचार धारा कहा तक सत्य है। यह सोचना कि हर प्रकार का कर बुरा होता है विलुप्त गलत है। इससे विपरीत यह सोचना भी उतना ही गलत है कि हर प्रकार का राजकीय व्यय अच्छा होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि मदिरा पर लगाए गए करसे उम्मे मूल्य से वृद्धि होती है और उससे उपभोग में कमी होती है इसलिए वह कर अच्छा कहा जा सकता है। इससे विपरीत सरकार का जो व्यय अनावश्यक युद्ध के लड़ने में खर्च होता है उसको बुरा कहा जायगा परन्तु जो धन गरीबों अथवा बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देने में खर्च किया जाएगा वह अच्छा व्यय ही कहा जाएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि न सब कर बुरे हैं और न सब राजकीय व्यय ही। दोनों ही जनता के लिए लाभप्रद मिश्र हो सकते हैं।

अब हम दूसरी बात पर विचार करेंगे कि कहा तक सरकार द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक तथा व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय उत्पादक होता है। आदम स्मिथ तथा रिकार्डों का मत था कि व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय उत्पादक तथा राज्य द्वारा किया गया व्यय अनुत्पादक होता है। इस बात का निर्णय करने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि उत्पादक तथा अनुत्पादक व्यय कौनसा होता है? वह धन जिस्से जनता को लाभ पहुँचता है उत्पादक कहा जा सकता है और शेष को अनुत्पादक। यदि इस मसौदी पर हम राज्य द्वारा शिक्षा, चिकित्सा आदि पर किए गए व्यय को लें तो हम यह कह सकते हैं कि यह उत्पादक खर्च है क्योंकि इस व्यय से जनता की कार्यक्षमता तथा योग्यता बढ़ती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति मदिरा अथवा घुड़दौड़ पर अपना धन खर्च करता है तो इससे उसको किसी प्रकार का भी हित नहीं होता। इसलिए उस व्यय को अनुत्पादक ही कहा जाएगा। इस बात से यह सिद्ध हुआ कि जनता तथा राज्य दोनों के द्वारा खर्च किया गया धन उत्पादक भी हो सकता है और अनुत्पादक भी।

अस्तु, राजस्व का सही सिद्धांत यही है कि राज्य को अपने आय-व्यय का प्रबंध ऐसा करना चाहिए जिससे कि अधिकतम समाज हित हो। राज्य के बहुत से कार्य ऐसे होने हैं जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। सरकार करो के रूप में धनी लोगों से धन एकत्र करती है तथा उस धन को विभिन्न ढङ्गों से फिर जनता

को लौटा देती है, जैसे कुछ तो ठेकेदारों को दे देती है, कुछ सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले दे देती है और कुछ पेंशन, बेरोजगारी आदि के बीमे के रूप में दे देती है और कुछ शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करके खर्च कर देती है। इन खर्च का प्रभाव धन की उत्पत्ति तथा वितरण पर पड़ता है।

राजकीय व्यय का उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वह उत्पादन शक्ति बढ़ने से पड़ता है। उत्पादन-शक्ति बढ़ने पर कम से कम परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक उत्पत्ति प्राप्त करली जाती है। इस के कारण आयिक साधनों का कम से कम दुष्प्रयोग होता है। वितरण पर पड़ा हुआ प्रभाव समाज में धन की असमानता को कम करता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों तथा परिवारों को इस बात का अवसर प्राप्त होजाता है कि वे समय समय पर होने वाली धाय की असमानता को कम कर सकें। यह असमानता बुढ़ापे की पेंशन तथा पारिवारिक भत्तों द्वारा कम हो जाती है। इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि राजकीय व्यय द्वारा अधिकतम समाज हित होता है।

यह जानने के लिए कि राष्ट्रीय आय-व्यय के द्वारा अधिकतम समाज हित हुआ कि नहीं हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। प्रथम हमें, यह देखना चाहिए कि ग्रामुक राजकीय व्यय किस उद्देश्य में किया गया है। यदि कोई व्यय किसी बड़ी आयिक योजना को सफल बनाने अथवा किसी विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए किया गया है तो वह उचित है चाहे उस पर खर्च की गई धन-राशि मात्रा में कितनी भी थोड़ी न हो। उसमें समाजिक हित की वृद्धि होती है। परन्तु यदि कोई राजकीय व्यय इन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है तो वह समाज हित को कम करता है चाहे उस पर खर्च किया गया धन कम ही क्यों न हो। दूसरे, कर-पद्धति के स्वरूप और उसकी प्रणाली पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के करा द्वारा समान आय प्राप्त की जा सकती है, परन्तु कुछ करा का भार दूसरों से अधिक प्रतीत होता है। इस कारण समाज-हित उस कर द्वारा बढ़ता है जिसका भार बरदाता पर कम से कम पड़े। तीसरे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि करों का देय की उत्पादन शक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यदि कर प्रणाली का यह प्रभाव होता है कि उसके कारण लोगों की धन बचाने की इच्छा तथा उनकी शक्ति कम होनी है तो उससे सामाजिक हित नहीं बढ़ता।

इस प्रकार यह कहना सक्ता है कि राजकीय व्यय का सिद्धतः अधिकतम सामाजिक हित होगा चाहिए। यह उचित ढङ्ग से कर लगाने तथा प्राप्त किए गए धन को उचित ढङ्ग से व्यय करने से प्राप्त हो सकता है।



### राजस्व के विभाग—

अध्ययन की मुविधा के लिए राजस्व को हम चार भागों में बाट सकते हैं—

**राजकीय व्यय (Public Expenditure)** इसके अन्तर्गत राजकीय व्यय की रीतियों तथा सिद्धान्तों का अध्ययन होता है और यह निर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य को किन कार्यों पर कितना व्यय करना चाहिए।

(२) **राजकीय आय (Public Revenue)** इस के अन्तर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि राजकीय आय कैसे प्राप्त होती है और राज्य को किन किन रीतियों और सिद्धान्तों से वह आय प्राप्त करनी चाहिए।

(३) **राजकीय ऋण (Public Debt)**—इसके अन्तर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि ऋण किन कार्यों के लिए लेना चाहिए, ऋण लेने का सिद्धान्त क्या है और ऋण कैसे चुकाया जाये।

(४) **राजस्व का प्रबन्ध (Financial Administration)**—इसके अन्तर्गत हम राजकीय आय व्यय और ऋण समस्याओं के वास्तविक प्रबन्ध का अध्ययन करते हैं। इसमें हम यह भी अध्ययन करते हैं कि राज्य का बजट किस प्रकार तैयार किया जाता है और किस प्रकार उसके अनुसार ही वह अपना आय व्यय करता है। इसके अन्तर्गत हिसाब की जाच (Audit) भी आती है।

## अध्याय २

### राजकीय व्यय

#### (PUBLIC EXPENDITURE)

राजकीय व्यय-व्यवस्था के दो मुख्य प्रश्न हैं—(१) राजकीय व्यय तथा (२) राजकीय आय। पिछली सताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यय की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था क्योंकि राज्य के कार्यों का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। उस समय के लोगों का मत था कि राज्य को पुलिस राज्य के समान केवल न्याय तथा रक्षा का कार्य ही करना चाहिए और किसी प्रकार के आर्थिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु तब से अब तक लोगों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब लोगो का विश्वास है कि राज्य को रक्षा तथा न्याय के प्रतिरिक्त सामाजिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। इस कारण आज तक राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसका महत्त्व अब बहुत बढ़ गया है।

राजकीय व्यय में वृद्धि के कारण—राजकीय व्यय में वृद्धि के निम्न-लिखित कारण हैं —

(१) क्षेत्र तथा जन संख्या में वृद्धि—जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे राज्यों के क्षेत्रों में वृद्धि होती गई क्योंकि या तो राज्यों ने नए नए देशों को जीत कर उनको अपने अन्दर सम्मिलित कर लिया या उन्होंने देश के उन भागों की ओर भी ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया जो पहले अवनत देशों में थे। इस के प्रतिरिक्त हर देश की जन सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। बढ़ते हुए क्षेत्र तथा बढ़ती हुई जन सख्या के कारण राज्य के लिए अधिक कार्य तथा व्यय करना आवश्यक हो गया है।

(२) मूल्यों में वृद्धि—राजकीय व्यय की वृद्धि का दूसरा कारण मूल्यों में वृद्धि है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में आणक्य के समय में (चतुर्थ सताब्दी ईसवी पूर्व) वस्तुओं का जो मूल्य था आज उसमें उसकी अपेक्षा सैंकड़ों गुनी वृद्धि हो गई है।\* अभी पिछले चौदह, पन्द्रह वर्षों में ही मूल्यों में कई गुनी वृद्धि हो गई है। मूल्यों में वृद्धि के कारण राज्य का व्यय बढ़ जाना है क्योंकि एक तो उसको अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी पड़ती है और दूसरे उसको अपनी आवश्यकता के लिए अधिक मूल्य पर वस्तुएँ खरीद लेनी पड़ती हैं।

\*उस समय चावल 1), नैब 11), ची 10), दान 1), नमक 1/2), इतरे 1/2) मन थे।

(३) राष्ट्रीय धन व रहन-सहन के दर्जे में उन्नति—सस्तर प्रगतिशील है। विज्ञान में उन्नति के कारण नई नई चीजाँ का आविष्कार होता जा रहा है। इन आविष्कारों के कारण कृषि तथा उद्योग धन्धों की ब्रेहद उन्नति हो गई है। और उसके कारण राष्ट्रीय आय भी खूब बढ़ गई है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण लोगों के जीवन स्तर तथा राजकीय आय में यों वृद्धि हो गई है। इन बातों के कारण राज्य का व्यय भी बढ़ गया है।

(४) प्रजातन्त्र का भार—प्रजातन्त्र के कारण भी राजकीय व्यय बहुत बढ़ गया है। प्रजातन्त्र में देश के हर कोने के प्रतिनिधि राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं और अपने-अपने भाग की अधिक कठिनाइयों को दूर कराने का प्रयत्न करते हैं। इन सब कठिनाइयों को दूर करने में सरकार को बहुत अधिक माधन जुटाने पड़ते हैं। इसके अनिश्चित विधान तथा वे सदस्यों का वेतन उन के राजधानी में ठहरने का खर्च तथा उनके यात्रा-व्यय पर भी राज्य को बहुत-सा धन खर्च करना पड़ता है।

(५) दीप पूर्ण अर्थ-प्रबन्ध—राजकीय व्यय इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि राज्य के अधिकारी देल भाल कर खर्च नहीं करते। हमारे देश में युद्ध से पहले केन्द्र में जितने मन्त्री थे आज उससे खगभग दुगुने हैं। राज्य के कर्मचारियों तथा चपरायियों की संख्या भी पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। बहुतसा अनावश्यक खर्च कर दिया जाता है। यही नहीं बहुत सी आर्थिक योजनाओं पर आवश्यकता से अधिक खर्च हो जाता है। इन सब बातों के कारण राजकीय व्यय बढ़ना स्वाभाविक ही है।

(६) युद्ध के रोकने का व्यय—प्रथम महा युद्ध के पश्चात् से सस्तर एक भीषण आपत्ति में को हो कर गुजर रहा है। सस्तर में महा युद्ध का भय बना रहता है। द्वितीय महा युद्ध के पश्चात् भी यह भय कम नहीं हुआ है। इस कारण सस्तर के प्राय सभी देशों को बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए एक बड़ी सेना रखनी पड़ती है। भारतवर्ष में रसा मन्वन्धी खर्च लग भग दो सौ करोड़ रुपए है जो कुल व्यय का लगभग ५० प्रतिशत है। रसा के लिए इंग्लैंड, अमरीका, रूस आदि देशों को भी खूब खर्च करना पड़ता है। इसके कारण राजकीय व्यय बहुत बढ़ गया है।

राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय का भेद—राजकीय व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय में निम्नलिखित अन्तर है —

(१) व्यक्तिगत व्यय व्यक्ति की प्राय से निश्चित होता है परन्तु राजकीय व्यय राज्य की प्राय पर निर्भर नहीं होता। महा पहले व्यय का अनुमान लगाया जाता है और फिर प्राय के साधन लोखे जाते हैं। परन्तु कभी कभी राज्य को भी व्यय के समान मितव्ययिता करनी पड़ती है।

(२) राजकीय व्यय करना आवश्यक है, परन्तु व्यक्तिगत व्यय किया भी जा सकता है और नहीं भी।

(३) राजकीय व्यय में इतनी मितव्ययिता का ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि व्यक्तिगत व्यय में रखा जाता है।

(४) राजकीय व्यय कभी कभी कुछ लोगों के हित में, जिन का शासन कर्ताओं पर प्रभाव होना है, करना पड़ता है परन्तु व्यक्तिगत व्यय किसीके प्रभाव के कारण नहीं किया जाता।

(५) व्यक्ति किसी खर्च को करने से पूर्व यह अच्छी प्रकार देख लेना है कि उसको उससे कुछ लाभ है या नहीं। जहां उसको लाभ नहीं होता वहां वह खर्च करता ही नहीं। परन्तु राजकीय व्यय में यह बात नहीं देखी जाती। राज्य को कभी कभी उस समय भी खर्च करना पड़ता है जबकि उसके करने से राज्य को लाभ न हो, जैसे राज्य को पिछड़े हुए भागों में सड़क, रेल, डाक, तार, शिक्षा, बिजली आदि का प्रवर्धन करना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अपना खर्च करना नहीं चाहेगा परन्तु राज्य को वह खर्च करना ही पड़ता है।

### राजकीय व्यय के सिद्धांत

#### (Canons of Public Expenditure)

राजकीय व्यय को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यह व्यय करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए—

(१) लाभ का सिद्धांत (Canon of Benefit), (२) मितव्ययिता का सिद्धांत (Canon of Economy), (३) स्वीकृति का सिद्धांत (Canon of Sanction), (४) आधिक्य-सिद्धांत (Canon of Surplus), (५) लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity)

(१) लाभ के सिद्धांत—राजकीय व्यय का यह सिद्धांत है कि जनता का अधिकतम हित होना चाहिए। राजकीय व्यय के द्वारा समाज की उत्थिति होनी चाहिए तथा इसके कारण देश में उत्पत्ति बढ़नी चाहिए। इस व्यय के द्वारा देश बाह्य भागमणों तथा भाग्यस्थिति से बचना चाहिए। इसके द्वारा देश में शांति की व्यवस्था भी दूर हो जानी चाहिए।

लाभ के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि कुछ मर्दों को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझकर उन पर सदा ही अधिक धन खर्च किया जाए। कभी कभी रक्षा का व्यय करते हुए सिला और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार राजकीय व्यय के प्रकार करना चाहिए जितने कि हर उपयोग से समान उपयोगिता प्राप्त हो। यह बात थोड़ी कठिन है परन्तु यह सिद्धांत के रूप में अवश्य सामने रखनी चाहिए।

साम के सिद्धान्त का अर्थ यह भी है कि उसने द्वारा समाज के किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग को लाभ नहीं होना चाहिए जब तक कि (प्र) व्यय की धन राशि बहुत कम न हो, (ब) वह धन न्यायालय के द्वारा वसूल न किया जा सके, (स) व्यय किसी एक निश्चित नीति अथवा रिवाज के अनुसार न हो। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार स्कूल, कालिजो तथा हस्पतालो को तो अर्थ-महायता दी जा सकती है परन्तु मन्दिर या मस्जिद आदि नहीं बनाये जा सकते।

(२) मितव्ययिता का सिद्धान्त—जनता से प्राप्त किए हुए धन को खर्च करते समय उसी प्रकार की मितव्ययिता में काम लेना चाहिए जिस प्रकार कि व्यक्तिगत धन को खर्च करते समय की जाती है। इस रुपये को घरोहर के रूप में मानना चाहिए और उसको बड़ी सावधानी से खर्च करना चाहिए। इस प्रकार की सावधानी सार्वजनिक कार्यों (Public works) में विशेषतः काम में लानी चाहिए। इन कार्यों पर खर्च किया गया रुपया आवश्यक होना चाहिए तथा कार्य उचित दर पर करना चाहिए। कर्मचारियों का तबादला सौच समझकर करना चाहिए जिससे कि उनके इधर उधर भेजने में अनुचित खर्च न हो। भारतवर्ष में इस सिद्धान्त का बहुत कम पालन होता देखा जाता है। यहाँ पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी रखे हुए हैं, बहुत से कार्य प्रारम्भ करके छोड़ दिए जाते हैं और उन पर किया गया व्यय बेकार ही जाता है। 'अधिक धन उपजाओ योजना' पर संकटों करोड़ रुपया खर्च हुआ परन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस प्रकार से जनता के रुपये का दुल्पयोग अवश्य रोकना चाहिए।

(३) स्वीकृति का सिद्धान्त—इसका अर्थ यह है कि राजकीय व्यय उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको करने की उचित आज्ञा प्राप्त न कर ली जाये। यदि कोई व्यय बिना स्वीकृति के कर दिया जाए तो व्यय करने वाला कर्मचारी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार ठहराया जाये। इस सिद्धान्त में निम्नलिखित नियम भी सम्मिलित हैं —

(प्र) किसी भी सरकारी अफसर को उससे अधिक खर्च करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए जितना कि उसको स्वयं स्वीकार करने का अधिकार है।

(ब) ऋण लेवल ऊर्ध्वी चीजों पर खर्च करना चाहिए जिनके लिए धन उधार लिया जा सके और उस ऋण को लौटाने का भी प्रबन्ध अवश्य करना चाहिए।

(स) स्वीकृति की रीति से सम्बन्धित एक नियम लेखा-परीक्षण (Auditing) का है। सार्वजनिक व्यय के लिए उसकी पूर्ण स्वीकृति ही आवश्यक नहीं है वरन् व्यय करने के पश्चात् उसकी परीक्षा भी उनकी ही आवश्यक है। सभी सार्वजनिक खातों

की प्रति वर्ष जाच होनी चाहिए जिससे कि अनुचित ढङ्ग से रुपया खर्च न किया जा सके और विभिन्न अधिकारी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन न कर सकें।

(४) आधिक्य सिद्धान्त—राजनीय व्यय इतना अधिक नहीं होना चाहिए जिससे कि हीन बजट बने। हीन बजट बनाने से जनता का ऋण-भार बढ़ जाता है और लागा का देश की अर्थ-व्यवस्था पर से विध्वाम उठ जाता है। अपने कारण विदेश में भी देश की साख कम हो जाती है। हीन बजट की भवहेलना करते हुए यू. मेन्स स्थित अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ सम्मेलन ने कहा था, 'जो देश कि हीन बजट की नीति अपनाता है वह फिलजने वाले मार्ग पर चल रहा है जो कि विनाश की ओर ले जाता है, इस मार्ग से बचने के लिए निम्नी प्रचार का बन्दिदान भी बहुत अधिक नहीं है।' इस कारण यह आवश्यक है कि हीन बजट न बनाया जाय। बजट बनाने समय वित्त मन्त्री को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह उस व्यय को जो कि पूंजी-व्यय (Capital expenditure) है लाभ-व्यय (Revenue expenditure) न माने प्रथम इसके विपरीत न करे नहीं तो बजट द्वारा ठीक स्थिति का ज्ञान न हो सकेगा।

जहा तक हो वित्त मन्त्री को सन्तुलित बजट (Balanced Budget) बनाना चाहिए, अर्थात् आय और व्यय प्रायः समान हो रखने चाहियें। ऐसा करने पर ही देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक रह सकेगी।

यहा यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वित्त मन्त्री को प्रति वर्ष ऐसा बजट नहीं बनाना चाहिए जो कि अधिनय दिलाये। यदि वह ऐसा बजट बनायेगा तो देश के लोग उस पर यह कह कर आपत्ति उठायेगे कि उनके ऊपर कर-भार आवश्यकता से अधिक है। इसलिए न तो हीन बजट बनाना चाहिए और न अधिनय बजट बनाना चाहिए।

(५) लोच सिद्धान्त—मार्बजनिक व्यय का लोचदार होना बहुत ही आवश्यक है। खर्च को तभी बढ़ाना चाहिए जबकि स्थायी रूप से आय बढ़ जाये। यदि आय के अस्थायी रूप से बढ़ जाने पर व्यय बढ़ा दिया जाता है तो उससे भविष्य में कठिनाई हो सकती है क्योंकि खर्च का बढ़ाना तो सरल है और उमके बढ़ने पर बहुत से लोगो को रोजगार मिलता है तथा बहुत से लोगो की आय बढ़ती है इसलिए उस पर कोई विशेष आपत्ति नहीं करता परन्तु जब व्यय घटाया जाता है तो उस पर बड़ी आपत्ति की जाती है, जैसे कि भारतवर्ष में बहुत से सड़क के दफ्तर बन्द होने पर जब बहुत से कर्मचारी हटा दिए गए तो उन्होंने आपत्ति की। इसलिए व्यय को बढ़ाने समय सावधानी से काम लेना चाहिए।

राजकीय व्यय का वर्गीकरण (Classification of Public Expenditure)—अथ शास्त्रियों में इस सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। प्रत्येक ने अपने ही ढङ्ग से राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यय का वर्गीकरण, उस व्यय से समाज को होने वाले लाभ के आधार पर या उस व्यय या सेवा के उपलक्ष में जो फायदा प्राप्त होती है, उसके आधार पर किया है। कुछ लेखकों ने राज्य के कार्यों के आधार पर भी वर्गीकरण किया है।

जर्मन लेखक कोहन (Cohn) तथा अमरीकन लेखक प्लैहन (Plehn) ने समाज को होने वाले लाभ के आधार पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया है। प्लैहन का वर्गीकरण इस प्रकार है —

(१) वह उस व्यय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षमता है जो समान रूप से सबको लाभ पहुंचाता है, जैसे रक्षा, राहक, शिक्षा आदि का व्यय।

(२) वह व्यय जो कि कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाता है, किन्तु जो सबके लिए समान लाभ कहा जा सकता है, जैसे बेकारों, गरीबों तथा बूढ़े व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना।

(३) वह व्यय जो कुछ व्यक्तियों को न तो विशेष लाभ पहुंचाता है परन्तु उससे फायदा मारे समान हों को लाभ पहुंचता है, जैसे न्याय व्यवस्था।

(४) वह व्यय जो कि कुछ ही व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, जैसे राज्य द्वारा संचालित पत्थे।

उपर्युक्त वर्गीकरण असन्तोषजनक प्रतीत होता है क्योंकि यह वैज्ञानिक तथा ठीक नहीं है। राजकीय व्यय जो कि जनता के हित में होता है, उसका इस प्रकार वर्गीकरण करना बधा कठिन है। रक्षा व्यय से सभी को समान लाभ तो अवश्य होता है परन्तु उससे पानी लोगों को विशेष लाभ होता है।

निचलसन (Nicholson) का वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि उस व्यय से राज्य को कितनी आय प्राप्त होती है। उसका वर्गीकरण इस प्रकार है —

(१) वह व्यय जिससे राज्य को कोई भी आय प्राप्त नहीं होती, जैसे निर्धनों तथा बेकारों को आर्थिक सहायता देना अथवा युद्ध पर व्यय करना।

(२) वह व्यय जिससे राज्य को कोई आय प्रत्यक्ष रूप से तो न होती हो परन्तु उसका परोक्ष रूप से लाभ पहुंचता हो, जैसे शिक्षा व्यय, क्योंकि राज्य को शिक्षित लोगों पर अशिक्षित अणुसंधियों की अपेक्षा कम खर्च करना पड़ता है।

(३) वह व्यय जिससे राज्य को आर्थिक आय प्राप्त हो, जैसे वह शिक्षा जिससे शुल्क लिया जाता हो अथवा वह रेल जिससे राज्य आर्थिक सहायता देता हो परन्तु जो कुछ आय देती हो।

(४) वह व्यय जिससे राज्य को व्यय जितनी आय प्राप्त हो पाये, जैसे डाक माल, रेल अथवा राजकीय उद्योग पत्थों पर किया गया व्यय।

इस वर्गीकरण को भी सही नहीं माना जा सकता क्योंकि एक श्रेणी का व्यय दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है।

आदम स्मिथ ने राजकीय व्यय का वर्गीकरण राज्य के कार्यों के अनुसार किया है। उसने निम्नलिखित श्रेणियाँ तथा उप-श्रेणियाँ की हैं —

रक्षात्मक कार्य—(अ) सेना, (ब) पुलिस, न्यायालय, (स) सामाजिक रोग (जेलखाने, पायलखाने, निर्धनता, मृष्टाई आदि)।

(२) व्यापारिक कार्य, तथा

(३) विश्वास सम्बन्धी कार्य—इनमें शिक्षा, सार्वजनिक खोज का कार्य, जैसे ग्रहण ग्रास्र (Statistics), सार्वजनिक मनोरंजन, निजी व्यापार के चलाने में सहायता देना, सार्वजनिक धार्मिक, जैसे मन्दिर, रोशनी घर आदि बनाना, सम्मिलित है।

सर्वकारण का भी यही शेष है कि हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि कौन सा व्यय कौन सी श्रेणी में रखें, जैसे धाबड़ों के एकत्र करने का व्यय विकास व्यय भी माना जा सकता है और व्यापारिक भी।

कुछ लेखकों ने यह वर्गीकरण राज्य के स्वरूप के आधार पर किया है। यह राजकीय व्यय को एकात्मक राज्य (Unitary State) का व्यय केन्द्रिय तथा स्थानीय व्यय में विभाजित करते हैं तथा सांघिक का केन्द्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय में बाँटते हैं।

परन्तु इस वर्गीकरण का भी यह दोष है कि हमें हम स्पष्ट रूप से यह निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा कार्य केन्द्र की, कौन सा प्रांतों की और कौन सा स्थानीय मस्यौदा को करना चाहिये, जैसे भारतवर्ष में मद्रको, चित्तौड़, महरो आदि का कार्य केन्द्र प्रांतों तथा स्थानीय सरकारों के हाथ में है। इस प्रकार बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है।

कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जिन्होंने इस व्यय को उत्पादक तथा अनुत्पादक दो श्रेणियों में विभाजित किया है। परन्तु इन वर्गीकरण में यह कठिनाई उपस्थित होती है कि कौन से व्यय को उत्पादक और कौन से को अनुत्पादक माना जाये। यदि हम लाभ की दृष्टि में यह निर्णय करते हैं तो अधिकतर व्यय अनुत्पादक ही माना जायेगा, जैसे दक्षिणी भाग में बनाई गई महरो का व्यय यद्यपि आवश्यक है परन्तु उनसे सरकार को प्रायः घाटा ही रहता है। इस सम्बन्ध में 'गविन्स' का मत ठीक मान्य रहता है। उनका कहना है कि उत्पादक-व्यय उसको मानना चाहिए जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से राष्ट्र के प्राञ्जिक साधना या मानवीय साधनों की उत्पत्ति करता है अथवा उसके द्वारा उन साधना का अधिक मितव्ययिता पूर्ण उपयोग होता है जिससे प्रन्त में राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य आदि पर किया गया व्यय उत्पादक कहा जायेगा।



डा० डाल्टन (Dalton) ने राजकीय व्यय को केवल दो भागों में विभाजित किया है—(१) मार्गजतिक सुरक्षा, जैसे भौतनी व वाहरी घातमगो ये बचाव के माधको पर व्यय, (२) सामाजिक उन्नति जैसे स्वास्थ्य चिकित्सा आदि पर किया गया व्यय। परन्तु हम वर्गीकरण में यह दोष है कि कुछ महो को छोड़कर वेद पो नाहे जिस थैगो में रखा जा सकता है।

प्रो० शिराज (Shirras) ने भी राजकीय व्यय का दो ही भागों में बाटा है—(१) मुख्य (Primary) तथा (२) गौण (Secondary)। मुख्य व्यय में वह सब व्यय सम्मिलित होता है जो कि राज्य को रक्षा, नानि तथा व्यवस्था तथा ऋण के बूकाले में करना पडता है। गौण व्यय में सामाजिक स्वय, मार्गजतिक व्यवसायो पर किया गया व्यय तथा दूसरे विविध प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं। मुख्य व्यय में सब प्रकार की रक्षा, न्याय, पुलिस, नागरिक शासन वर एकत्र करने का व्यय, सब प्रकार के ऋण-बाहे वह उत्पादन हो, बाह्य अनुदान-आदि सम्मिलित हैं। गौण व्यय में शिक्षा, मार्गजतिक स्वास्थ्य मगीको का महायता, बेरोजगारी महायता, अवाध महायता, रेववे, मिचार्ड मदर्सें एक नार, टेन्वीपोल, कृषि अनुसन्धान, पंगत अर्थ आदि सम्मिलित हैं।

यहा भी यह कठिनाई उत्पन्न हो सकती है कि हम किस व्यय को मुख्य मानें और किसको गौण। एक प्रकार का व्यय एक व्यक्ति की दृष्टि में मुख्य हो सकता है और दूसरे की दृष्टि में गौण।

प्रो० पीगू (Pigou) ने भी राजकीय व्यय को दो धेगिया में ही बाटा है। एक को वह हस्तांतरित होने वाला व्यय (Transfer Expenditure) कहते हैं और दूसरे को हस्तांतरित न होने वाला व्यय (Non-Transfer Expenditure) कहते हैं। हस्तांतरित न होने वाला व्यय वह है जिसमे उत्पत्ति के साधन सरकारी काम में आ जाते हैं और इस कारण उन साधनों का उपयोग देग के नागरिकों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के व्यय में सेना, जहाजी सेवा, वायु नौका, नागरिक प्रभसन, शिक्षा न्यायालय, डाकखाना, नगर पालिका की दामवे आदि का व्यय सम्मिलित होता है। उनके विपरीत हस्तांतरित होने वाले व्यय में वह व्यय सम्मिलित होता है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का उपयोग केवल सरकारी काम के लिए ही नहीं होना वरन् नागरिकों के लिए भी होता है। इसमें सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज, पेसाज, बीमारी बाल की महायता, बेरोजगारी का लाभ, कुछ वस्तुओं व उत्पादन पर सी हुई अर्थ-महायता, सरकारी ऋण का चूकिया ज्ञान प्रथका सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) का पुन लगीदना आदि का अर्थ सम्मिलित होता है।

इस प्रकार के वर्गीकरण में भी, जैसा प्रो० पीगू ने स्वयं ही माना है, कुछ कठिनाईयाँ आ सकती हैं जैसे विदेशी ऋण पर दिया गया व्याज तो हस्तान्तरित न होने वाली श्रेणी में रखा जाएगा क्योंकि उसमें देश के नागरिकों को कोई लाभ नहीं होता परन्तु देशी ऋण का व्याज हस्तान्तरित होने वाला व्यय कहा जाएगा।

राजकीय व्यय के वर्गीकरण के बाद विवाद में न पड़ कर हम यह बताने में हैं कि आधुनिक राज्य साधारणतया निम्नलिखित बातों पर खर्च करता है—

- (१) रक्षा, शान्ति तथा देश की व्यवस्था का खर्च— इसमें सेना, पुलिस, जण सेना, हवाई सेना आदि का खर्च सम्मिलित है।
- (२) न्याय का प्रबन्ध करना— इसमें सब प्रकार की प्रदानता का खर्च सम्मिलित है।
- (३) नागरिक शासन पर खर्च— इसमें विधान सभा का खर्च, मन्त्रियों का वेतन, सरकारी कर्मचारियों, राजदूतों आदि का खर्च सम्मिलित है।
- (४) सार्वजनिक ऋण का खर्च— ऋण पर व्याज, उसके हिमाव रखने का खर्च, उसके सौटाने का व्यय।
- (५) व्यापारिक कार्यों पर किया गया खर्च— इसमें रेल, तार, डाक, मुद्रा, बैंक, बिजली, गैस आदि पर किया गया खर्च सम्मिलित है।
- (६) सामाजिक कार्यों पर किया गया खर्च— इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेन्शन, बेरोजगारी सहायता, आदि सम्मिलित हैं।

इनके प्रतिरिक्त हर देश का अपना कोई न कोई विशेष प्रकार का खर्च हो सकता है जैसे इङ्ग्लैंड में राज्य घराने का खर्च प्रथम कोई भवस्मात् खर्च जैम भारतवर्ष में १५ अगस्त १९४७ ई० को रोशनी भादि पर खर्च किया गया।

### राजकीय व्यय के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Public Expenditure)

राजकीय व्यय का उत्पत्ति पर प्रभाव—

कुछ लोगों का विचार है कि राजकीय व्यय का उत्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके विचार में राजकीय व्यय अविचलित प्रतुत्पादन होगा है, किन्तु यह सर्वथा ठीक नहीं है। ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि राजकीय व्यय का बहुत सा भाग केवल धन का स्थानान्तरण मात्र है। राज्य कुछ लोगों से राया लेकर दूसरों को देता है, जैसे राज्य जब ऋण पर व्याज देता है प्रथम बड़े लोगों को देना देना है तो वह एक धेगी के लोगों से राया लेकर दूसरी श्रेणी के लोगों को देता है प्रथम जब राज्य कर लेकर शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करता है तो वह उन

लोगों की कार्य क्षमता बढ़ाता है जिनको कि इन मुविधाओं से वंचित रहना पड़ता । इसी प्रकार जब राज्य रेलों, मंडकों, गिर्चाई, बिजली आदि का प्रबन्ध करता है तो वह देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है ।

परन्तु कुछ ऐसा व्यय है जिसको निश्चित रूप में अनुत्पादक कहा जाता है और वह है युद्ध पर किया गया व्यय । उनसे इन विचार का एक निश्चित आधार है क्योंकि देश के नवयुवकों तथा देश की बहुत सी सामग्री जैसे पोपला तेल, रबड़ लोहा, कपड़ा, आदिको जो कि उत्पादन कार्य में आते हैं उत्पादन से हटा कर युद्ध कार्य में लगा दिए जाते हैं और वहा वह नष्ट हो जाते हैं । देशमें में यह बात ठीक ही जान पड़ती है परन्तु यदि स्थानपूर्वक विचार किया जाए तो पता लगेगा कि युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक होते हुए भी आवश्यक होता है । यदि युद्ध दूसरे देशों की स्वतंत्रता छीनने तथा कुछ लोगों की शक्ति बढ़ाने की इच्छा की पूर्ति करने के लिए सजा जाता है तो वह अनुत्पादक तथा अनावश्यक कहा जा सकता है परन्तु यदि युद्ध देश की बाह्य शान्त्युत्पत्ति के लिए सजा जाता है तो वह देशों में अनुत्पादक भन्ने ही हो परन्तु वह आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार का युद्ध देश का सम्मान बचाने तथा अपने आपको दूसरों का दाम न होने देने के लिए सजा जाता है । यदि यह युद्ध न लड़ा जाता तो देश विदेशियों द्वारा लूट लिया जाता तथा नष्ट भ्रष्ट पर दिया जाता और दास होने पर वह भविष्य में उतनी आर्थिक उन्नति न कर सकता जितनी कि वह स्वतन्त्र रहकर कर सकता है । इस कारण इस प्रकार के युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक होते हुए भी आवश्यक है

सार्वजनिक व्यय का उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम तीन दृष्टियां से विचार कर सकते हैं\*—

- (१) कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव,
- (२) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव,
- (३) भिन्न भिन्न जगहों और नियोजनों में गांधनों के स्थानान्तरकरण का प्रभाव ।

(१) कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव— राजकीय व्यय राज्य के लोगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में बहुत सहायक होता है । यह बात तो सत्य है कि यह उन लोगों की जिन्होंने मृत्युता मिलनी है, कार्य क्षमता को उतना नहीं बढ़ाता जितना कि उनके बच्चों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है परन्तु यह बात तो देश के लिए और भी लाभ प्रद है और इसीलिए विधवा निधियां बड़े बड़े परिवारों आदि को

आर्थिक सहायता दी जाती है तथा बच्चों के लिए शिक्षा आदि का प्रबन्ध किया जाता है।

(२) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव—राजकीय व्यय वा लोगों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ राजकीय व्यय जैसे बुद्ध पेन्शन तथा सड़कें के ऋण पर ध्यान आदि का उमकी पाने वाले के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई विरोध प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु जो व्यय घात वाला होता है जैसे बीमारी तथा बेरोजगारी का लाभ, उससे कार्य करने की इच्छा कम नहीं होती धरन् कभी कभी घटती है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को उसकी आय तथा बचत पर सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है तो उसने कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा बढ़ती है। जब सरकार किसी उद्योग को आर्थिक सहायता देती है तो उसमें उत्पत्ति बढ़ जाती है।

(३) भिन्न २ जगहों और नियोजनों में साधनों का स्थानांतरण—राजकीय व्यय वा उत्पादन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। सरकार को व्यय करने समय मितव्ययिता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि वह देखती है कि व्यय को एक स्थान पर खर्च न करके यदि दूसरे स्थान पर खर्च किया जाए तो उससे अधिक लाभ होगा तो उसको दूसरे स्थान पर ही खर्च लगाना चाहिए। सरकार सहायता देकर ऐसे उद्योगों को उन्नत कर सकती है जो अभी तब घबराते रहे हैं। इसी प्रकार सरकार सहायता देकर ऐसे स्थानों पर भी उद्योग चला सकती है जो इस दृष्टि में पिछड़े हुए हैं। बुद्धिमानी से संचालित सार्वजनिक ऋण लेने की रीति से उन वर्गों को पूंजी लगाने व बचत करने की प्रेरणा भिन्न सकती है जो कि उत्पादन के लिए निश्चित रूप से लाभदायक हैं। साथ ही साथ सरकार अपने साधनों का इस प्रकार उपयोग कर सकती है जिससे कि राष्ट्रीय धन की वृद्धि हा सरकार को चाहिए कि वह ऐसे उद्योगों में अपना लगाए जिनमें कि पूंजीपति अपना खर्च लगाने को तैयार नहीं हैं जैसे नहरों का चुनाव जाना (यह फिर उद्योग फन्धों में लग जाता है) रेलों, नहरों आदि का बनाना तथा जंगलों का लगाना, आदिभंगारा का बनाना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना तथा बेरोजगारी का बीमा बनाना आदि। इन सब पर किया गया व्यय आवश्यक है। इसमें भविष्य में देन की उत्पादन शक्ति अवश्य बढ़ती है।

उपर्युक्त बरतों में यह भली भाँति विदित हो गया है कि राजकीय व्यय का उत्पत्ति पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है।

राजकीय व्यय का वितरण पर प्रभाव—राजकीय व्यय का धन के वितरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। न्याय की दृष्टि से यह प्रत्यक्ष है कि न्याय में धन का

समान वितरण हो। परन्तु समान वितरण का कभी भी यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हर व्यक्ति के पास धन की समान मात्रा होनी चाहिए वरन् उभका यह मतलब है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रथवा उसकी आय को खर्च करने की योग्यतानुसार धन मिलना चाहिए। परन्तु समाज के मत्र लोगो को इस प्रकार भी धन नहीं मिलता। इस कारण इस बात की आवश्यकता है कि समाज को इस आय की विपन्नता का मिटाया जाए।

धन का समान वितरण करने के लिए सरकार अथवा जो धनी लोगो से कर वसूल कर उस धन से गरीब लोगो को उन की आय के अनुसार आर्थिक सहायता दे। सहायता सबसे अधिक सबसे कम आय वाले को और सबसे कम सबसे अधिक आय वाले को। यही बात दूसरे ढङ्ग से भी प्राप्ति की जा सकती है। सरकार जनता के लिए शिक्षा चिकित्सा आदि का प्रयत्न कर सकती है। इन चीजों का द्रव्य के रूप में लाभ आँचना तो कठिन है परन्तु इनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इनके कारण लाभ पाने वालों का आर्थिक लाभ अवश्य बढ़ता है। सरकार इसी बात को समझे ढङ्ग से भी प्राप्ति कर सकती है। वह लोगो को गैरी दूब आदि पर आर्थिक सहायता देकर इन चीजों का सत्ते कामो पर खर्च करती है। यदि सरकार इस प्रकार की शिक्षा का प्रयत्न करे जिससे कि तबयुवक कम वेतन वाले पेशा में अधिक वेतन वाले पेशा में जा सकें तो हमसे भी परीक्षे रूप में धन के वितरण की प्रसमानता कम होती है।

इस प्रकार यह कहना ठीक ही है कि राजकीय व्यय द्वारा धन के वितरण की प्रसमानता कम होती है।

### राजकीय व्यय के अन्य प्रभाव

राजकीय व्यय द्वारा धन की मांग निरन्तर रही जा सकती है और इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन माधना का अच्छा उपयोग किया जा सकता है और आर्थिक लाभ बढ़ाया जा सकता है।

आपति धन में जबकि निजी ध्यापान में गये अधिकांश की मांग घट जाता है तब सरकार रेल सड़क नहर आदि बनाने के प्रयत्न कुछ उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर अधिकांश की मांग को बनाए रख सकती है। इस कार्य के लिए सरकार या तो धरो से या अलग से धन प्राप्त कर सकती है। गरीबों द्वारा प्राप्त किए गए धन में जितना अधिक लाभ नहीं होता जितना अर्थ द्वारा धन प्राप्त करके होता है। यथाकि कर द्वारा अर्थ प्रकृत एक हाथ में निबन्ध कर दूसरे हाथ में चली जाती है। वह बढ़ती नहीं। परन्तु अर्थ से अर्थ-व्यय बढ़ती है और इस कारण नए उद्योग धन्यता का प्रोत्साहन मिलता है तथा बेरोजगारी कम होती है।

बैरोजगार तथा उनके बच्चों को सीधी आर्थिक सहायता देने के बदले उनको सार्वजनिक कामों में लगाना चाहिए। इससे बैरोजगारों की सहायता हो जाती है और साथ साथ उन पर किया गया व्यय कम हो जाता है। इस प्रकार के कार्य में उत्पादन-शक्ति का जो ह्रास व्यापारिक मन्दी के कारण होता वह भी नहीं होने पाता। परन्तु इस कार्य का मोच समझ कर शीघ्र ही करना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजकीय व्यय का उत्पत्ति, वितरण तथा श्रम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ती है। वितरण की असमामता कम होती है तथा बैरोजगारी दूर होती है और इस प्रकार देश की उत्पादन-शक्ति नष्ट होने से बच जाती है।



## अध्याय ३

### राजकीय आय

#### (Public Revenue)

सरकार को अपना कार्य चलाने के लिए कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में सरकार को यह दोनों चीजें राज्य के लोग दे दिया करते थे। परन्तु जैसे जैसे राज्य की जिम्मेदारी बढ़ती गई वैसे ही वैसे सरकार को कार्य करने के लिए पृथक लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी जो अपना सारा समय राज्य का कार्य चलाने के लिए ही दे सकें। इन लोगों को वेतन देने की आवश्यकता पड़ी। मध्यकालीन युग में अफसरों का वेतन उनको कुछ सम्पत्ति देकर जिनकी आय उनको मिलती रहे, दिया जाने लगा। परन्तु कुछ समय पश्चात् वह सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति बन गई और इस प्रकार सरकार को अफसरों को वेतन देने की आवश्यकता पड़ने लगी। इसके साथ साथ राज्य के लोगों ने स्वयं इच्छा से राज्य की सेवा करती भी कम कर दी। प्रजातन्त्र के पश्चात् तो यह बात खूब जोर से होगई। इसी कारण सरकार को आय प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। यह आय विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है।

**राजकीय आय का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)**—विभिन्न लेखकों ने राजकीय आय का वर्गीकरण अपने अपने ढङ्ग से किया है।

आदम स्मिथ (Adam Smith) ने राजकीय आय को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बाटा है —

**प्रत्यक्ष आय (Direct Revenue)**—इसमें राज्य की निजी आय जैसे सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक उद्योग, उपहार (Gratuity), जन्ती और हर्जाने सम्मिलित हैं।

(१) **व्युत्पन्न आय (Derivative Revenue)** इस में आय लोगों से प्राप्त की जाती है। इस आय में कर, फीस, जुर्माने, दण्ड आदि सम्मिलित हैं।

(२) **प्रत्याशित आय (Anticipatory Revenue)**—इसमें भावी आय का अनुमान लगाया जाता है। इसमें राजकोष विपणन (Treasury Bills) तथा दूसरे ऋण के साधनों से प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है।

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋणों में प्राप्त आय सार्वजनिक आय का अङ्ग नहीं मानी जाती।

बैस्टेबिल (Bastable) जो राजकीय आय को दो भागों में विभाजित किया है—

(१) वह आय जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था द्वारा प्राप्त होती है, जैसे भू-राज्य एक बड़े व्यापारी के रूप में कार्य करता है अथवा जब वह एक व्यापारी के नाते कार्य करता है तो उसको जो आय मिलती है वह इसमें सम्मिलित की जाती है।

(२) वह आय जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था द्वारा समाज में प्राप्त की जाती है।

परन्तु इस वर्गीकरण में नजराने जुमाने, विशेष कर निर्धारण (special assessment) आदि सम्मिलित नहीं हैं।

प्रो० सेल्गमन (Selgman) ने राजकीय आय को तीन भागों में बाटा है।

(१) स्वयं इच्छा से दी गई, जैसे नजराने,

(२) सौदे द्वारा प्राप्त की गई, जैसे मूल्य,

(३) आवश्यक (compulsory), जैसे राज्यों ने मोरगन में, जुमाने तथा दण्डों में, फीस, विशेष करों तथा आय करों में।

इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का वर्गीकरण भी किया गया है जिसमें केवल दो श्रेणियाँ हैं — (१) कर-आय (Tax revenue) तथा (२) कर-आय (Non Tax revenue)

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि, इस प्रकार के वर्गीकरण के प्रयत्नों में विशुद्ध धार्मिक हित होता है जिसका व्यावहारिक मूल्य बहुत कम होता है।

### राजकीय आय के विभिन्न साधन

#### (Different sources of Public Revenue)

राजकीय आय निम्नलिखित साधनों से प्राप्त हो सकती है—

(१) कर (Tax)—प्लेहन (Plehn) ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है—“कर धन के रूप में दिया गया सामान्य अनिवार्य अथवा दान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए बिना दिए व्यय को पूरा करने के लिए लोगों से लिया जाता है। कर सामान्य लाभ पहुंचाने के कारण व्यापकता कहा जा सकता है परन्तु उच्चता नहीं जा सकता।”\* इस परिभाषा में कर की कुछ विशेषताओं का पता चलता है। यह निम्नलिखित है—

\* Plehn— Introduction to Public Finance—P. 59.



(१) कर प्रतिवार्य होता है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगा देती है तो उनको इच्छा न होने हुए भी देना पड़ता है। और कर के सम्बन्ध में कुछ ऐसी विशेष बात दिखाई पड़ती है कि बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिना इसको बिना महसूस किए देने होंगे। परन्तु महा प्रह बात बताने योग्य है कि यद्यपि कर प्रतिवार्य रूप में देना पड़ता है परन्तु विभिन्न प्रकार के करों का प्रकार भिन्न होता है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनको हम श्रदा भी न करें जैसे तन्त्राकू कर को तन्त्राकू की शरीर बन्द कर देने से मना कर सकते हैं।

(२) कर के सम्बन्ध में दूसरी विशेषता यह है कि वह सामान्य लाभ के लिए लिया जाता है। अर्थात् जो व्यक्ति कर देता है उसके बदले सरकार उनको विशेष सुविधा नहीं देती। जो भी सुविधा करदाता को प्राप्त होगी वह दूसरे लोगों के साथ ही हो जाए तो ही जाए अर्थव्यय न भी हो। इसी कारण प्रो० टाजिप ने कर के सम्बन्ध में कहा है 'सरकार द्वारा लिए गए अन्य प्रकार के प्रतिरिक्त कर का मार करदाता तथा सरकार के बीच किसी जैसे को तैसा' (*quid pro quo*) का न होना है।' इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। सरकार कर बढ़े-बड़े अमीर लोगों से लेती है और गरीबों से कुछ भी नहीं लेती। इस कर का कुछ भाग वह शिखा क ऊपर खच करती है। जिन स्कुलों में सरकार कर का खपदा लगाती है उनमें उन अमीर लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं जिन्होंने कर दिया है और गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं जिन्होंने कोई कर नहीं दिया। परन्तु स्कुलों में अमीर और गरीब छात्रों के बच्चों को एकसरी दृष्टि से देखा जाता है। अमीर छात्रों के बच्चा को कोई हम कारण विशेष सुविधा नहीं देता कि उसका बाप कर दे रहा है जिसकी सहायता से यह स्कुल चल रहा है। जो सुविधा मिलेगी वह सब बच्चों को समान ही मिलेगी। यद्यपि कर के सम्बन्ध में यह बात साधारणतया सामू होती है परन्तु कभी-कभी किसी कर का लाभ केवल कुछ ही लोगों को पहुँचता है जैसे पेट्रोल कर का लाभ मोटर वाली को अच्छी सड़क के रूप में पहुँचता है।

(३) फीस (Fees) — जब किसी व्यक्ति से किसी उस लाभ के बदले जो कि सरकार द्वारा उसको पहुँचता है पूरी अथवा आंशिक लागत वसूल कर ली जाती है तो इस प्रकार के प्रतिवार्य भुगतान को फीस कहा जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फीस भी कर के समान प्रतिवार्य होती है परन्तु उसमें और कर में एक विशेष भेद है और वह यह कि फीस किसी एक उस विशेष लाभ के बदले देनी पड़ती है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है परन्तु कर बिना इस प्रकार की सेवा किए ही लिया जाता है। फीस के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि यह सेवा के मूल्य के अधिक नहीं होती। जो फीस सेवा के मूल्य से अधिक होती है उसमें फीस तथा विशेष कर सम्मिलित होता है। अर्थात् फीस की परिभाषा इस प्रकार की

है, "फीस धन के रूप में एक अनिवार्य प्रशदान है जो कि किसी व्यक्ति को चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा मिलकर बनाया हुआ, सार्वजनिक धनित (Public authority) की आज्ञानुसार सरकार के किसी कार्य में उसे सर्वे के किसी अथ अथवा सब वा भुगतान करने के लिए देनी पड़ती है यह जहा सामान्य लाभ पटु जाती है वहा एक विशेष प्रकार का लाभ भी पटुनाडी है।"† जैसे सरकार हमारे राजस्वों फीस लेती है अथवा कोर्ट फीस लेती है। इस प्रकार के भुगतान से मकान प्रथवा जमीन खरीदने तथा न्याय चाहने वालों को लाभ पटुपता है।

**मूल्य (Price)**—प्लेहन का कहना है कि मूल्य की दर (Rates) बढ़ना अधिक उचित होगा। मूल्य सरकार को उस वस्तु के बदले दिया जाता है जो कि वह एक व्यापारिक के लिये जनता को देती है। यह वस्तु सरकार उसी प्रकार देती है जिम प्रकार कि कोई पूजोपति उसको देता है। सरकार बहुत से उद्योगों को चलाती है जैसे रेल डाक तार बिजली, गैस आदि। इन सब उद्योगों की सेवाओं अथवा वस्तुओं को सरकार किसी न किसी मूल्य पर जनता को बेचती है। सरकार साधारणतः उन्ही उद्योगों को अपने हान में लेती है जो कि राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक हैं अथवा जिनमें निजी पूजो नहीं लगाई जाती। परन्तु जिस उद्योग को भी सरकार प्राप्त कर लेती है उस पर उनका एकाधिकार होता है।

इस प्रकार मूल्य कर के समान अनिवार्य नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति रेल गाडी में यात्रा न करे अथवा डाकघर जाने से टिकट न खरीदे तो उसको सरकार टिकट लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। इस कारण जो व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की हुई सेवा तथा वस्तु को नहीं खरीदता उसके ऊपर मूल्य का कोई बोधा नहीं पडता।

मूल्य और फीस का अन्तर भी समझ लेना आवश्यक है। सरकार जिम सेवा के बदले फीस लेती है उससे केवल उसी व्यक्ति को लाभ नहीं पटुचना बरन् प्रायः सभी लोगों को उस सेवा का लाभ होता है जैसे न्यायपालिका से बेफियन मुकदम वालों को ही लाभ नहीं होता बरन् राज्य के सभी लोगों को उनका लाभ पटुचना है। परन्तु मूल्य द्वारा खरीदी जाने वाली सेवा का लाभ केवल उसी व्यक्ति को पटुपता है जो उसको खरीदता है सब को नहीं पटुन सकता। इस प्रकार फीस में अनिश्चित मूल्य से बहुत अधिक होता है।

**विशेष कर निर्धारण (Special Assessment)**—जब सरकार अथवा सुधार मण्डल (Improvement Trust) किसी स्थान पर कोई सडक बना देता है अथवा गाडी निकाल देता है तो इससे उस भूमि का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। जिसका लाभ भूमि वाले को सडक अथवा रेल के बनने पर होता है उसको भूमि की बिना कमाई हुई आय (Unearned Income) कहते और इस आय पर

सरकार जो कर लगाएगी उसको विवेक वर निर्धारण कहेंगे। यह अनिवार्य होता है। इसकी निम्नलिखित विशेषतायें हैं —

- (१) यह किसी विषय उद्देश्य से लगाया जाता है।
- (२) यह अनुपातिक होता है।
- (३) यह किसी स्थानीय मुद्धार के कारण लगाया जाता है।
- (४) उस मुद्धार में होने वाले लाभ को नापा जा सकता है।

**जुर्माना व दण्ड (Fines and Penalties)**—जो लोग देश के कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनसे राज्य जुर्माना वसूल करता है। इसका उद्देश्य आय नहीं होता बरन् लोगों को कानून में मोड़ने देना है। परन्तु यह आय का एक बहुत ही मामूली साधन है।

**भेंट (Gift)**—बुद्धि लोभ राज्य को अपना धन या सम्पत्ति इस लिए भेंट में दे देते हैं जिससे कि वह उसको जनता के हित में खर्च करे जैसे बहुत से लोग राज्य को शिक्षा चिकित्सा आदि का प्रबन्ध करने के लिए धन दे देते हैं। भेंट की विशेषता यह है कि वह दान करने वाले की स्वयं इच्छा से दी जाती है। उस पर किसी प्रकार का भी दबाव नहीं होता।

**सरकारी सम्पत्ति (Government property)**—सरकार के पास बहुत सी सम्पत्ति होती है जैसे जमीन, जङ्गल, खान, पन आदि। इन को बेच कर अथवा इनको पट्टे पर देकर सरकार बहुत आय प्राप्त करती है।

**उपहार (Tribute)**—यह एक हारा हुआ देश जीते हुए देश को देता है अथवा एक छोटा राजा अपने से बड़े किसी राजा को देता है।

परन्तु यहाँ यह बात बताने योग्य है कि इन राजकीय आय के विभिन्न साधनों में कोई विशेष भेद नहीं कर सकते और सभी सभी तो एक साधन दूसरे में जा मिलता है जैसे यदि किसी स्थान पर पानी के नलों पर मीटर न लगा हो तो घड़ा मूख्य चीर कर में खनर करना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार जुर्माने तथा कर में केषवा उद्देश्य का भेद है। कर आय के लिए विना बाधा है परन्तु जुर्माना अन्वयों को रोकने के लिए होता है। इसी प्रकार जब सरकार किसी सेवा के लिए उसकी लागत से अधिक दाम वसूल करती है तो उसमें पीप के अनिश्चित कर भी सम्मिलित है। इस प्रकार हम यह यह जानते हैं कि राजकीय आय के साधनों को किसी विशेष मद के धन्यत्व रखना बड़ा कठिन है।

**कर क्यों लगाया जाना है ? (Objectives of Taxation)**—कर देने के तीन उद्देश्य हैं—(१) धन एकत्र करना, (२) नियन्त्रण करना, (३) राष्ट्रीय आय के स्तर का नियन्त्रण करना।

(१) धन एकत्र करना (To raise revenue)—कर लगाने का मुख्य उद्देश्य राज्य का कार्य संचालन करने तथा दूसरे राजकीय कार्य करने के लिए धन एकत्र करना है। इस कारण कर लगाने समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि लगाए गए कर से राज्य की कितनी आय प्राप्त होगी। इसलिए सरकार केवल वही कर लगाती है जिनसे राज्य को अधिक आय की प्राप्ति होनी है। आय का ध्यान रखते समय सरकार कुछ और बातों का भी ध्यान रखती है और उसको रखना भी चाहिए, जैसे सरकार यह देखती है कि प्रमुख कर का नैतिक प्रभाव क्या होगा है अथवा उस कर का भार केवल उन्हीं लोगों पर पड़ता है या नहीं जो उसको दे सकते हैं। हमारे देश के बम्बई तथा मद्रास राज्या में मद्य निषेध कानून पार करने में आय का कोई ध्यान नहीं रखा वरन् इस बात का ही ध्यान रखा है कि उमराव लोगों के नैतिक स्तर पर प्रच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार चीन को जाने वाली अफीम के निर्यात पर पाबन्दी लगाने में भी भारत सरकार कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य से प्रेरित हुई थी।

(२) नियन्त्रण करना (Regulation or Control)—कर लगाने का दूसरा उद्देश्य नियन्त्रण करना है। यदि कोई देश किसी वस्तु के प्रयोग का निषेध करना चाहता है अथवा किसी दूसरे देश की आयात को कम करना चाहता है तो वह कर द्वारा अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। जैसे यदि भारतवर्ष अपने किसी उद्योग की उन्नति करना चाहता है तो उसको विदेशों से उस वस्तु की आयात कम करनी पड़ेगी जिससे कि देशी वस्तु की माग बढ़े और वह उद्योग उन्नत हो सके। इनके लिए सरकार को आयात-कर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि भारत सरकार चाहे कि देश में मद्य तथा तम्बाकू का उपभोग कम से कम हो तो वह उत्पात-कर (Excise duty) लगा कर ऐसा कर सकती है।

नियन्त्रण करने के हेतु जो कर लगाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण करना होता है यद्यपि उसमें सरकार की आय भी बढ़ती है, परन्तु आय प्राप्ति इस प्रकार के कर का गौण उद्देश्य होता है।

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब हम कर का उद्देश्य आय प्राप्ति नहीं है तो फिर किसी और ढंग से इस कार्य को क्यों नहीं किया जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि नियन्त्रण के किसी दूसरे ढंग को अपनाने से एक विशेष प्रकार की मशीनरी तैयार करनी पड़ती है परन्तु कर-मशीनरी देश में पहले ही तैयार होती है। और जब दोनों से एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है तो फिर नई मशीनरी तैयार करने से क्या लाभ है ?

(३) राष्ट्रीय आय के स्तर का नियन्त्रण करना (Regulation of the level of national income)—कर लगाने से आय, व्यक्तियों से सरकार के पास

कमी जाती है और इसके कारण उनके उपयोग तथा विनियोग की रूप रेखा बदल जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जब देश में आय की कमी हो और विनियोग कम होने की आशंका हो तो वह कर कम लगाए। कर कम लगाने से व्यक्तियों की बचतों की शक्ति बढ़ जावेगी और विनियोग अधिक होवे। इसके विपरीत जब देश में मुद्रा स्थिति हो और आय खूब तेजी से बढ़ रही हो तो सरकार को चाहिए कि वह कर बढ़ा दे। इसमें बचत कम होगी और विनियोग भी कम होगा। इस प्रकार कर के द्वारा रेट्रीक शाय व स्तर का नियन्त्रण किया जा सकता है।

लर्नर (Lerner) साहब के विचार में कर लगाने समय सरकार को आय की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय आय को एक पर्याप्त स्तर पर कायम रखने का ध्यान रचना चाहिए। उनका कहना है कि कर के दो प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं— (१) कर-दाता के पास कम धन रह जाए, (२) सरकार के पास अधिक धन हो जाए। उनके विचार में इन दोनों में स पहला प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है और दूसरा कम, क्योंकि सरकार के पास आय के इतने साधन हैं कि वह करदाताओं से कर वसूल किए बिना ही अपनी आय बढ़ा सकती है। इस कारण उनका कहना है कि सरकार को कभी भी अपनी आय बढ़ाने के लिए कर नहीं बढ़ाने चाहिए। कर केवल उन्हीं दशा में लगाने चाहिए जब कि या तो सरकार किसी प्रकार के व्यापारिक लोभों में होने देना चाहे या जब वह कर दाताओं को निर्धन बनाता चाहे।

कर सिद्धान्त (Canons of Taxation)—अपनी पुस्तक 'Wealth of Nations' में आदम स्मिथ ने कर सम्बन्धी चार सिद्धान्त दिए हैं। परन्तु उसने समय से आज तक विद्वानों ने इनमें कुछ और सिद्धान्त भी जोड़ दिए। इस प्रकार आज कल निम्नलिखित कर-सिद्धान्त माने गए हैं —

(१) समता सिद्धान्त (Canon of Equality)—आदम स्मिथ का कहना था कि 'प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपनी शक्तिनुसार सरकार को सहयोग देने लिए योगदान देना चाहिए, अर्थात् उस आमदनी के समानुपात में जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत उसे प्राप्त होती है।'

आदम स्मिथ के इस सिद्धान्त पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक प्रकार के विद्वान् कहते हैं कि कर सिद्धान्त का आधार नैतिकता होना चाहिए। समानता शब्द का अर्थ यह नहीं है कि अधिक धनित को बराबर कर देना चाहिए अथवा उन्हे समान अनुपात में कर देना चाहिए। यह दोनों ही बात गलत है क्योंकि न तो निर्धन और धनी समान कर ही दे सकते हैं और न ही वह समान अनुपात में कर दे सकते हैं। इस कारण समानता शब्द कर-दाता की कर देने की योग्यता के अर्थों में प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात् यदि कर-दाता बहुत धनी है तो वह बहुत अधिक कर दे सकता

है इस कारण उमम अधिक कर लेना चाहिए। इनके विपरीत निर्धन व्यक्ति के समक्ष यह प्रश्न रहता है कि वह अपना जीवन चलाने के लिए कहीं से धन जुटाए। तब फिर यदि उसे कर देने के लिए कहा जाए तो क्या यह अनुचित न होगा? अपने तर्कों के समर्थन में वह आदम म्मिय का ही हवाला देते हैं जहाँ उमने कहा है कि समीरा द्वारा न केवल आदमनी के समान अनुपात में धन उमसे अधिक मांचञ्जित व्यय में योगदान देना बहुत अधिक अनुचित न होगा। \*३ इस प्रकार समता सिद्धान्त का प्रर्थ है कर दाना की कर देने की शक्ति के अनुसार कर का लिया जाना। इसके विपरीत, कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुपात में ही कर देना चाहिए। पर यह बात अनुचित है क्योंकि एक लक्षणिकी को एक ग्गए की सीमान्त उपयोगिता वही म्ही है जो कि उसका है जिम के धान केवन सौ रुपये हैं। तो फिर हम एक अनुपात में कर लेकर कर-पद्धति में केम मयता ला मवते हैं? इसी कारण प्रथम प्रकार के विद्वानों का तक न्यायसङ्गत जान पडता है।

(२) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)— कर पद्धति की दूसरी निवणता कर की निश्चितता है। कर में कई प्रकार की निश्चितता की आवश्यकता होती है। प्रथम ता यह कि कर दाना को यह निश्चय रूप में मानुम होना चाहिए कि उमको कितना कर धन के रूप में देना है। दूसरे उमे यह भी मानुम होना चाहिए कि उस वह धन किम समय धरा करना है जिमसे कि वह उम समय तक उमका प्रवध कर मवे। तीसरे उम यह भी मानुम होना चाहिए कि उम कर किम ढङ्ग म देना चाहिए अर्थात् एक ही बार देना है अथवा दो किरता में अथवा ता न अधिक किरता में।

आदम म्मिय का विचार है कि कर निर्धारण में अनिश्चितता से अष्टरचार का प्राभाहन मिलता है। वह इस नियम को बहुत ही आवश्यक ममभता है क्योंकि उमके विचार में सममानता की अधिकता इनकी वकी पुगई म्ही है जिनकी कि अनिश्चितता की बुराई है। इदन में उसी अति महत्वपूर्ण नियम का मानना है। न्यायि उमके विचार म समानता के मार प्रयन कर के निश्चित रूप बिना समानता सिद्ध हगे।\*४

निश्चितता के सिद्धान्त म ही यह सिद्धान्त भी निवणता है कि पुगता कर कोई कर नहीं हता। इसका कारण यह है कि वह निश्चित हता है। इसी कारण कर दाना उगका अपनी सुविधानुसार प्रवध कर लता है और कर मार उमका मानुम भी नहीं हता।

1 \*The Wealth of Nations, Book V, Vol II, P 32—A lay Smith

2 \*मिनाइये—केवल रुपय ६५४८—अपराध म विमर्जन—१७८ ६४१

कर की निश्चितता कर-दाता के लिए ही आवश्यक नहीं है वरन् राज्य के लिए भी है। राज्य कर का अनुमान लगा कर ही धरणा व्यय निश्चित करता है। यदि राज्य को अनुमान की हुई धन राशि नहीं मिलती तो उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए राज्य के लिए भी निश्चितता आवश्यक है। इस प्रकार की निश्चितता लाने के लिए ही लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी प्रबन्ध (Permanent Settlement) चलाया था।

(३) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)— शासक स्मिय वा कहना है कि 'प्रत्येक कर को ऐसे समय और इतने दंड से लगाना चाहिए जिसमें कि कर-दाता को अधिक से अधिक सुविधा मिले।'

प्रत्येक कर ऐसे समय और इस दंड से एकत्र करना चाहिए जिसमें कि कर दाता को बर देने में कठिनाई न हो। यदि कर ऐसे समय और ऐसे दंड में वसूल किया जाएगा जिसमें कि कर दाता को असुविधा होती है तो कम से कम कर का भार भी बहुत अधिक प्रतीत होगा। उनके विपरीत यदि कर ऐसे समय और दंड से लिया जाएगा जिसमें कि कर दाता को सुविधा होती है तो वह अधिक से अधिक कर को भी महसूस न करेगा। इसी कारण कर ऐसे समय एकत्र करना चाहिए जबकि कर दाता की व्यापार से सब आय हो रही हो। ऐसे समय कर दाता को कर का भार कम महसूस होता है। यदि हो सके तो कर को दो या तीन किस्तों में वसूल करना चाहिए। एन बी क्लिफ्ट वा भार कई छोटी छोटी किस्तों से कम महसूस होता है।

(४) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Canon of Economy)— प्रत्येक कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जिसमें कि सरकारी खजाने में इससे जितना धन आए उससे जितना भी अधिक लोगों की जेबों से निकले वह कम से कम हो। दूसरे शब्दों में कर के एकत्र करने का खर्च कम से कम होना चाहिए। कर लगाने का उद्देश्य आय प्राप्त का है। परन्तु कर एकत्र करने में खर्च भी करना पड़ता है। यदि एकत्र करने में बहुत से व्ययियों को लगाना जाएगा और इस प्रकार एकत्र करने का खर्च बढ़ा दिया जाएगा तो सरकार की आय स्वाभाविक रूप से ही कम हो जाएगी इसी कारण प्रादम स्मिय ने कहा था कि कर वसूल करने का खर्च कम से कम होना चाहिए।

प्रादम स्मिय के समय में आज तक सरकार ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। यद्यपि प्रादम स्मिय ने उल्लेखित चारों सिद्धान्त आज भी इसी प्रकार ठीक माने जाते हैं जिन प्रकार कि वह उसके समय में माने जाते थे परन्तु उसके पश्चात् धरने वाले धर्मशास्त्रियों ने कुछ और भी सिद्धान्त इनमें जोड़ दिए हैं जो निम्नलिखित हैं—

(५) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)— कर-लगाने समय सरकार को यह देख लेना चाहिए कि जो कर लगाया जा रहा है वह

उत्पादन है या नहीं प्रयत्न उसमें सरकार को पर्याप्त आय मिलती है या नहीं। यह बात तो स्वाभाविक ही है कि कर एकत्र करने में कुछ खर्च करना पड़ता है। यदि कर-घन कम है तो खर्च निकाल कर इस खर्च में राज्य को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, परन्तु यदि कर का घन अधिक है तो खर्च निकाल कर अधिक धन सरकार को मिल जाएगा। उगी कारण कई छोटे छोटे करों की प्रपेक्षा एक बड़ा कर उचित समझा जाता है।

(६) लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity)— सरकार की घन की आवश्यकता मदा एक भी नहीं होती। युद्ध जैसे सङ्कट के समय तो वह बहुत बढ़ जाती है परन्तु शान्ति के समय वह कम होती है। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि कर-पद्धति तोलदार हो अर्थात् अधिक ज़रूरत के समय अधिक आय प्राप्त हो सके और कम आवश्यकता के समय कम आय। यदि कर-पद्धति में यह गुण न होगा तो सरकार को बड़े सङ्कट का सामना करना पड़ेगा। भारत में आय-कर इस सिद्धान्त की पूर्ति करता है क्योंकि अधिक आवश्यकता पड़ने पर उसकी दर बढ़ा दी जाती है। इसके विपरीत भूमि की मानगुजारी जेलोच है। उसको बहुत काल तक बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता और बङ्गाल में तो वह स्थायी है। इसी कारण राज्य सरकारों के धन्य बढ जाने पर उनको आय के नए नए माधन खोजने पड़े।

(७) सरलता (Simplicity)— आर्लमिटेज सिम्पल के शब्दों में 'कर प्रथा सीधी सादी और सर्वसाधारण की समझ में आने वाली होनी चाहिए।' इसके कारण भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाता है। यदि कोई कर-पद्धति इतनी सीधी सादी है कि वह सबकी समझ में आ जाती है तो फिर कोई क्या कर एकत्र करने वाले को घूम आदि देगा। कर एकत्र करने वाला तभी घूम आदि न लेवेगा जब कर-दाना की यह समझ में नहीं आता कि उसको कितना और क्यों कर देना है।

यहां एक बात बताने योग्य है और वह यह कि किसी देश की कर पद्धति इन सब सिद्धान्तों को पूरा नहीं कर सकती। इन कारण वही कर पद्धति प्रचली कही जाएगी जो इनमें अधिकाधिक सिद्धान्तों के अनुसार होगी।

करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)— करा का वर्गीकरण कई प्रकार में किया गया है। इनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं—

पहले वर्गीकरण के अनुसार कर चार प्रकार के होते हैं—

१ अनुपातिक (Proportional), २ बढ़मान (Progressive), ३ प्रतिगामी (Regressive) तथा ४ अघोषायी [Degressive]।

दूसरे वर्गीकरण के अनुसार कर दो प्रकार के होते हैं— १ प्रत्यक्ष (Direct) तथा २ अप्रत्यक्ष (Indirect)।



तोमरे वर्गीकरण मे भी कर दो ही प्रकार के होने हैं— १ विमिश्र (Specific) तथा मूल्यानुसार (Ad Valorem) ।

अनुपातिक कर— इस प्रकार के कर में इस बात की परवाह नहीं की जाती कि कर दाता की आय कम है प्रथवा अधिक । कर सब प्रकार की आय पर एक ही अनुपात में लिखा जाएगा । जैसे यदि कर की दर ५ प्रतिशत रखी गई है और एक व्यक्ति की आय १००० रुपये है और दूसरे की १०००० रुपये तो पहले व्यक्ति को ५० रुपये कर देना पडगा और दूसरे को ५०० रुपये ।

लाभ— इस प्रकार के कर का लाभ यह है कि इसके कारण समाज में धन वितरण पूर्णत ही रहता है क्योंकि ऊपर के दोनों व्यक्तियों के पास पहले की ६५ प्रतिशत आय रह जाएगी । इसने अतिरिक्त इसका यह भी लाभ है कि यह पद्धति बहुत सरल है । इसने द्वारा कोई भी अपने कर का अनुमान बड़ी सुगमता से लगा सकता है । जो बी० से (J. B. Say) ने इस सम्बन्ध में कहा है । " अनुपातिक कर की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है यह मात्रा त्रैशिक (Rule of three) है ।

हानि— परन्तु राजस्व वा उद्देश्य केवल कर पद्धति की सरलता नहीं है । इसके द्वारा सामाजिक न्याय होना चाहिये । परन्तु अनुपातिक कर में न्याय नहीं होता । यदि हम उपर्युक्त उदाहरण को ही लें तो हमको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति की आय १,००० रुपये है उसके लिए रुपये की सीमात उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जिसकी आय १०,००० रुपये है बहुत अधिक है । इस कारण यदि दोनों व्यक्तियों के १०० रुपये में से ५५ रुपये लिए जाते हैं तो १००० रुपये की आय वाले व्यक्ति पर प्रथम ही शक्ति भार पड़ेगा और १०,००० रुपये वाले व्यक्ति पर कम । इस लिए हम कह सकते हैं कि अनुपातिक कर न्याय सङ्गत नहीं होते ।

धूर्तमान कर— जब कर की दर आय के बढ़ने पर बढ़ती रहती है तो इस प्रकार के कर को धूर्तमान कर कहते हैं । इस प्रकार के कर को लगते समय आय को कुछ विभागों में बांट लिया जाता है जैसे ५००० रुपये तक की आय ५००० से १०,००० रुपये तक की आय, १०,००० से २०,००० रुपये तक की आय । इसने पदान्त प्रत्येक विभाग को एक दर-दर निर्दिष्ट करदी जाती है जैसे ५०००, से कम आय पर ३ पैसे रपया, ५००० से १०००० रुपये की आय पर ५ पैसे रपया, १०००० से २०,००० रुपये तक की आय पर ८ पैसे रपया । कर लगते समय आय के इस प्रकार के विभाग कर के प्रत्येक विभाग पर उग विभाग की दरके हिसाब से कर लगा दिया जाता है और फिर सब विभागों के करो को जोड़ कर किसी व्यक्ति का कर-भार मानुस कर लिया जाता है । आय को विभाग में बाटने के कारण इस कर को विभाग कर (Graduated Tax) भी कहते हैं ।

लाभ— अनुपातिक कर के अवगणों के कारण बढ्मान कर को सत्तार के बहुत से देशों ने अपनाया है। यद्यपि आदम स्मिथ ने 'कर देने की शोष्यता' में अनुपातिक करों का ही वर्णन किया है परन्तु प्रागे जब कर जब उमने यह कहा कि अमीर लोगों को इससे कुछ अधिक देना चाहिए तब इसमें यह स्पष्ट हो गया कि वह अनुपातिक कर की अपेक्षा बढ्मान कर को अच्छा समझता था। बढ्मान कर के सम्बन्ध में बहुत से लेखकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं जिनमें उन्होंने इस कर को ही ठीक बताया है।

कुछ लोगों का कहना है कि बढ्मान कर द्वारा 'समान बलिदान का सिद्धान्त' पूरा होता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे किमी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसके लिए रुपये की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। इसी कारण अधिक आय वाले लोगों से अधिक कर तथा कम आय वाले लोगों से कम कर लिया जाय तो दोनों को समान बलिदान करना पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि यह बात बलत है। प्रो० पीगू ने कहा है कि उपयोगिता ह्रास नियम में केवल इस बात का पता चलता है कि १००० पौंड वाली आय के अन्त में एक पौंड की उपयोगिता १०० पौंड वाली आय के अन्त में एक पौंड की उपयोगिता में कम है। परन्तु बढ्मान कर को न्याय सगत ठहराने के लिए यह जानना आवश्यक है कि १००० पौंड वाली आय के अन्त में १० पौंड की १०० पौंड वाली आय के अन्त में एक पौंड में कम उपयोगिता है। यह बात उपयोगिता ह्रास नियम में पता नहीं चलती।

प्रो० हाबसन (Habson) ने बढ्मान कर को दूसरे ढङ्ग में उचित बताया है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति की आय के दो अङ्ग हैं—एक लागत का अङ्ग और दूसरा बचत का अङ्ग। लागत वाले अङ्ग पर कर लगाना बर्तित है क्योंकि ऐसा करने से आय ही समाप्त हो जायेगी। इसी कारण सब प्रकार के कर बचत के ऊपर ही लगाने चाहिए। प्रो० हाबसन का यह कहना है कि कम आय में लागत अङ्ग अधिक सम्मिलित होता है परन्तु अधिक आय में बचत का अङ्ग अधिक होता है। इसी कारण कर बढ्मान रीति में लगाना चाहिए क्योंकि आय के बढ़ने में बचत वाला अङ्ग बढ़ता जाता है। परन्तु इस प्रकार की विचार धारा के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि यह बात बर्तनी कि कम आय में लागत वाला अङ्ग अधिक होता है और अधिक आय में बचत वाला अङ्ग अधिक होता है गलत है। इस बात का ठीक अनुमान लगाना बर्तित है।

प्रो० मार्शल ने बढ्मान कर को इसलिए उचित बताया है कि इसके द्वारा वितरण में समानता आती है। उनका कहना है कि पूँजीवाद के कारण समाज में पूँजी का बटवारा असमान हो जाता है। इस असमानता को दूर करने का एक अच्छा साधन बढ्मान कर है जिससे धनी लोगों की सम्पत्ति निर्धन लोगों के पास

समी जाती है। परन्तु यह बहूना बड़ा कठिन है कि वर्द्धमान कर द्वारा धन का सममान वितरण कहाँ तक ठीक हो सकता है। प्रो० पीगू ने भी इसी कारण वर्द्धमान कर को उचित बताया है।

माई कीन्स ने अपनी समस्त साधनों के उपयोग की नीति (Policy of Full Employment) के लिए यह बात आवश्यक बनाई है कि कर की पुनर्वितरण नीति को अपनाया जाये। यदि समस्त साधनों के उपयोग की नीति को अपनाया जावे तो उसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों के उपयोग की सीमान्त प्रवृत्ति बहुत अधिक हो। उपयोग की सीमान्त प्रवृत्ति को तभी अधिक बनाया जा सकता है जबकि अमीर लोगों के, जिनकी उपयोग की सीमान्त प्रवृत्ति कम होती है, गरीब लोगों को, जिनकी उपयोग की सीमान्त प्रवृत्ति अधिक होती है, वर्द्धमान करों द्वारा सम्पत्ति का हस्तान्तर किया जाये। इस कारण यदि समस्त साधनों के उपयोग की नीति को अपनाया जाता है तो वर्द्धमान कर लगाना आवश्यक है।

अन्त में कुछ लोगों का यह कहना है कि वर्तमान राज्य मनुष्य शरीरक समान है। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य यह है कि वह अपने में निधन लोगो की सहायता करे, यह निःसंदेह सत्य है कि सबसे सक्तिशाली कथा को सबसे भारी बोझ उठाना चाहिए। इस युक्ति से यह बात सिद्ध होती है कि धनी लोगों को अधिक बर-भार उठाना चाहिए और निधन लोगों को कम। दूसरे शब्दों में कर वर्द्धमान होना चाहिए।

हानि—जबकि वर्द्धमान कर को प्रायः सभी लोग पसन्द करते हैं परन्तु इस कर के लगाने में एक बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है और वह यह कि हम यह ठीक अनुमान नहीं लगा सकते कि कर की दर कितनी ऊँची तक जा सकती है। मक कुल्लोच (McCulloch) ने ठीक ही कहा है कि यदि हम अनुपातिक कर को छोड़ते हैं तो हम अपने आपको समुद्र में बिना पतवार और कुतुकनुमा के फाँटे हैं। प्रो० सेलिगमैन (Seligman) ने भी वर्द्धमान कर के ऊपर सिद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से विचार करने के पश्चात् यह परिणाम निकाला था, "यदि इस प्रकार, हम सारे वादविवाद का परिणाम निवाले, तो हम देखते हैं कि, जबकि वर्द्धमान कर को हम एक सिद्धान्त के रूप में किसी सीमा तक उचित कह सकते हैं, और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कर नीति को बनाने की सिद्धान्तिक भाग का बयान कह सकते हैं, यह बात तब करनी बड़ी कठिन हो जाती है कि किस सीमा तक और किस प्रकार व्यवहार में हम सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जाये।"

इसके प्रतिरिक्त यह बात निश्चित करनी भी बड़ी कठिन है कि यही प्रायः को प्रति इकाई उपयोगिता छोटी आय की प्रति इकाई उपयोगिता से कम होती है।

वर्द्धमान कर को यदि बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी सीमा प्रा जाती है जवनि सारी प्राय कर के रूप में चली जाती है। इस प्रकार कर लगाना युद्ध काल में भने ही उचित हो परन्तु शान्तिवाम में हमसे ंजी एकत्र होने में वाधा उपस्थित होती है।

**प्रतिगामी कर**—यह कर वर्द्धमान कर का ठीक उल्टा होता है। इसमें कम प्राय वाले व्यक्तियों के उपर कर की दर अधिक होती है और अधिक प्राय वालों पर कम। इस प्रकार का कर सदा ही अनुचित माना जाता है। साधारणतया ऐसा कर जान बूझकर नहीं लगाया जाता। वह या तो प्रचालन ही लग जाता है या हम कारण लग जाता है कि अधिक कर-दाता कर से किसी न किसी प्रकार बच जाता है। इस प्रकार के करों का उद्देश्य कभी भी धन एकत्र करना नहीं होता।

यह एक बात बताने योग्य है कि वर्द्धमान कर भी हर एक विभाग में प्रतिगामी होता है क्योंकि इसमें एक विभाग के हर व्यक्ति के उपर कर की एक सी दर लगाई जाती है। इस प्रकार कर उन लोगों के लिए अधिक होता है जो निम्नतम सीमा के समीप होते हैं और उनसे लिए कम होता है जो अधिकतम सीमा के पास होते हैं।

**अधोगामी कर**—इस प्रकार का कर वह होता है जो प्राय के बढ़ने पर बढ़ता तो है परन्तु कर की दर प्राय के बढ़ने पर कम हो जाती है। इस प्रकार का कर एक सीमा तक तो वर्द्धमान होता है, परन्तु उससे पश्चात् वह अनुपातिक हो जाता है।

इन सब करों को निम्न तालिका द्वारा समझाया जा सकता है।

प्राय	अनुपातिक		वर्द्धमान		प्रतिगामी		अधोगामी	
	दर	धन	दर	धन	दर	धन	दर	धन
३,०००	५%	१५०	५%	१५०	५%	१५०	५%	१५०
५,०००	५%	२५०	६%	३००	४%	२००	६%	३००
१०,०००	५%	५००	१०%	१०००	३%	३००	६%	६००

**प्रत्यक्ष कर**—इस प्रकार के कर यह होते हैं जिनका बोझ ऊन्हीं लोगों पर पड़ता है जिनके उपर वह लगाये जाते हैं। इस प्रकार के करों का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। प्राय कर इस प्रकार के कर का एक उदाहरण है। प्राय कर का बोझ कर देने वाले पर ही पड़ता है, वह किसी दूसरे के उपर इस बोझ को नहीं डाल सकता।

लाभ—इस प्रकार के करो के निम्नलिखित लाभ हैं —

(१) इस प्रकार के कर वसूला जाते हैं। इनको इस प्रकार लगाया जा सकता है कि निर्धन लोगों पर इनका बोझ कम पड़े और धनी लोगों पर अधिक पड़े। इस प्रकार के करो में कुछ छूट भी दी जाती है। इस प्रकार यह कर कर के समानता सिद्धान्त के अनुसार है।

(२) इस प्रकार के करो में मितव्ययिता भी बहुत होती है क्योंकि इनके एक करके का व्यय बहुत कम होता है। इन करो का बहुत सा धन तो आय के श्रोत पर ही वसूल करके सरकारी खजाने में जमाकर दिया जाता है।

(३) यह कर निश्चित होते हैं। कर-दाता यह जानता है कि उसको किस दर पर तथा किस प्रकार कर देना है।

(४) इन करो का नौधा लाभ यह है कि यह लोचदार होते हैं। जब सरकार को अधिक धन की आवश्यकता होती है तब इन करो की दर को बढाकर अधिक धन प्राप्ति कर लिया जाता है और आवश्यकता न रहने पर दर को घटाकर आय को कम कर दिया जाता है।

(५) यह कर उत्पादन भी है क्योंकि जन मस्या के बढने तथा देश के धन में वृद्धि होने पर यह कर स्वयं ही आय को बढा देते हैं। इस प्रकार के कर बहुत बड़े मूल्य के महो पर ही लगाये जाते हैं।

(६) इस प्रकार के करो के द्वारा ही लोगों में नागरिकता की भावना उत्पन्न होती है तथा वे राज्य के बहुत से कार्यों में भाग लेना आरम्भ कर देते हैं।

हानियाँ—पर जहाँ इन करो के इतने लाभ हैं वहाँ निम्नलिखित हानियाँ भी हैं —

(१) इन करो के कारण कर-दाता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहले तो उसको अपने हिस्से का पूरा विवरण आय-कर विभाग को भेजना पड़ता है। यदि आय-कर विभाग से सन्तुष्ट न हो तो वह कर-दाता को अपना बही-खाता लेकर अपने सामने बुलाता है। इस प्रकार भारी भारों में अपना भी लक्ष होता है तथा कठिनाई भी होती है। इसके प्रतिरिक्त कर के देने में भी कठिनाई होती है क्योंकि आय एकत्र तो होती है घोषी घोषी करके परन्तु कर के रूप में दी जाती है वह प्रदम। इससे कर-दाता को कठिनाई होती है।

(२) यह कर अनुसूची की सच्चाई पर लगाया जाता है। जो व्यक्ति सच होत है या जो अपनी आय को छुपा नहीं सकेते जैसे नौकरी करने वाले लोग उनको अधिक कर देना पड़ता है। परन्तु जो लोग सच्चाई में काम नहीं लेंगे और अपनी आय का भूटा हिस्सा भर कर भेजते हैं वह कर से बच जाते हैं। व्यवहारिक जीवन में देखने में आता है कि बहुधा व्यापारी दो प्रकार के बही-खाते रखते हैं—एक वह

(६) एक कर में लोग कर से बच सकते हैं परन्तु बहुत से करो से बह नहीं बच सकते।

आय कर के बदले कुछ लोगों का कहना है कि सम्पत्ति के पूंजी मूल्य (Capital Value) पर कर लगाना चाहिये। परन्तु इस कर का क्षेत्र बहुत सीमित है क्योंकि जबकि आय कर प्रायः सभी प्रकार की आयों पर लगाया जाता है, यह कर केवल सम्पत्ति की आय पर लगाया जाता है। इसके प्रतिरिक्त सम्पत्ति का उचित मूल्य जानना भी सरल बात नहीं है। इस पर साधारणतया बड़ा मतभेद रहता है। इसलिए यह कर भी उचित नहीं जान पड़ता।

एक कर प्रणाली में यह दोष बहु-कर-प्रणाली में दूर हो जाते हैं। बहु-कर-प्रणाली में विभिन्न श्रेणी के लोगों पर कर भार ठीक प्रकार में बाटा जा सकता है। इसके प्रतिरिक्त इस प्रणाली में कोई भी व्यक्ति कर से नहीं बच सकता।

यद्यपि बहु-कर-प्रणाली में कुछ युग पाए जाते हैं परन्तु बहुत अधिक कर लगाने की नीति भी अनुचित है। आर्थर यंग (Arthur Young) का विस्वाम बहुत से छोटे छोटे पत्रों में था। उनका यह कहना था, 'जि यदि मुझे एक अच्छी कर पद्धति की परिभाषा करनी पड़े, तो यह वह होनी चाहिए जिसमें अत्यन्त गिनतुओं पर हल्का भार पड़े, किसी पर भारी न पड़े।' परन्तु इस कर नीति में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण यह अपनाने नहीं जा सकती। यह कर-प्रणाली अत्यावहारिक है क्योंकि इससे उद्योग धन्धों के विकास में बाधा पड़ती है कर-शान्ताओं को प्रमुक्ति होती है तथा कर बसूल करने का खर्च बहुत अधिक होता है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्राधुनिक सभ्य समाज के लिए न तो एक कर प्रणाली ही उपयुक्त है और न बहु-कर प्रणाली उपयुक्त है बल्कि इन दोनों के बीच की बहु-रूपी-कर प्रणाली (Plural Tax System) उपयुक्त है। इस कर प्रणाली में कुछ बड़े बड़े कर होने चाहिए जिनसे कि आय का एक बड़ा अंश प्राप्त किया जा सके। शरीर आदमियों पर कर लगाने के लिए आय और उत्तराधिकारी कर उपयुक्त है। शरीर आदमियों पर कर लगाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुएँ छाटी जा सकती हैं जिनका उनके द्वारा उपभोग होता हो परन्तु जो जीवन की आवश्यकताएँ न हों। मद्य जैसी वस्तुओं पर नैतिक दृष्टि से कर लगाया जाना चाहिए। वित्तसिद्धि की वस्तुएँ जिन का प्रायास विदेशों से होता है, कर लगाने के लिए उपयुक्त हैं।

कर निर्धारण में न्याय की समस्या (Problem of Justice in Taxation)— यन्त्रशास्त्र (Mechanics) का यह एक बड़ा प्रसिद्ध नियम है कि हल्का बोझ भी यदि ठीक बाँट कर नहीं रखा जाएगा तो वह सहन करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक छोटे में छोटा कर भी सोच समझ कर

नहीं लगाया जाता तो यह राष्ट्रीय उन्नति के लिए बड़ा भयङ्कर सिद्ध होता है और उम्मेदा प्रभाव यह हो सकता है कि सय लोग उमने नाराज हो जाए और अन्त में उमके विरुद्ध एक आन्दोलन मचा कर दें। इसीलिए कोटरप ने कहा है कि बगो को उम प्रकार प्राप्त करना चाहिए जैसा कि एक पक्के फल को जिसमें कि पेड को कोई हानि नहीं होनी। यदि सर सोच समझ कर लगाया जाता है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त हो जाती है परन्तु उतने सर दाना की उत्पादन शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस लिए यह आवश्यक है कि सर सोच समझ कर लगाना चाहिए। सर को न्याय मङ्गल बनाने के लिए घटुत में मिडाल है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है।

**वित्तय सिद्धान्त (The Financial Theory)**— इस सिद्धान्त में न्याय वा दृष्टिकोण सामने न रख कर केवल आय वा दृष्टिकोण सामने रखा गया है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादका का कहना है कि सर लगान धार्त के लिए एक मान पथ प्रदांक यह बात है कि कम स कम विरोध के साथ अधिक से अधिक आय हो। वाजवर्त माहुर का कहना है कि धनल को ऐसे तोचो कि वह कम से कम विरोध क साथ चिन्ताये।" परन्तु दस प्रकार की बात या तो एक विदेशी सामन स्प्रेत्र सकता है या एक एक शासन। किसी देश की प्रजातन्त्र सरकार को कभी न्याय दृष्टिकोण सामने नहीं रखना चाहिए। उसके सामने न्याय वा प्रदान अवसर है चाहिए। यदि वह देश की शरीय जनता पर सर लगाती है क्योंकि उनमें विरोध करने की शक्ति बहुत कम होगी है तो उमसे उन लोगो की उन्नति नहीं हो सकेगी और एसा होने पर कुछ समय पश्चान देश पतन की ओर अग्रसर होने लगेगा। इस कारण सर लगाने समय केवल आय वा दृष्टिकोण सामने न रख कर न्याय को भी सामने रखना चाहिए।

**शक्तिपूर्ति तथा समाजवादी सिद्धान्त (Compensatory and Socialist Theory)**— इन सिद्धान्तो के मानने वालो का मत है कि बडी बडी आयो सर छोटी छोटी आयो की अग्रेश अधिक कर लगाना चाहिए। इनमें पहले प्रकार के लोगो का कहना है कि धन वितरण की असमानता अधिकतर राज्य के कार्यों के कारण है, इसलिए राज्य को समान सर लगाने वा धिबार छोडना चाहिए वरन् उसको उन लोगों पर अधिक सर लगाना चाहिए जिनके पास अधिक धन है और उन पर कम लगाना चाहिए जिनके पास कम धन है। इस प्रकार राज्य के कार्यों के कारण ही समानता आ जाएगी। इसको शक्तिपूर्ति का सिद्धान्त कहा गया है। समाजवादी लोगो का कहना है कि निवर्गमी आर्थिक शक्तियो के कारण धन का वितरण हो गया है। इसलिए सर सब पर समान वही हो सकता। राज्य वा यह कर्तव्य है कि वह आर्थिक शक्तियो के निवर्गमेपन को दूर करने के लिए सर लगाए और इस प्रकार कर-द्वारा धन वा वितरण समान करदे। इस सिद्धान्त को समाजवादी सिद्धान्त कहते है। परन्तु

यदि इन सिद्धांतों को मान लिया जाये तो अमीर लोग पर बहुत भारी वर लगाने जायेंगे जिसके फल स्वरूप पूंजी एकत्र न हो सकेगी। पूंजी न होने का फल यह होगा कि देश में उत्पादन न होगा और इस प्रकार देश को बड़ी हानि होगी। इसलिए करोड़ों द्वारा धन के वितरण में समानता लाने की बात भी कुछ उचित नहीं जान पड़ती।

'जैसा तुम्हें मिले वैसा छोड़ दो' सिद्धांत (Leave as you find them' Theory)—इस सिद्धांत वाला का मत है कि वर्तमान धन वितरण में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार वर इस प्रकार लगाना चाहिये कि प्रत्येक श्रावनी वर अदा करके भी उसी स्थिति में रह जाय जिसमें वह पहले था अर्थात् समाज के सब लोग की अपेक्षित स्थिति पूर्वतः रह। परन्तु यदि इस सिद्धांत को माना जाये तो सभी वर्गों के लोग पर वर नगोगा जो कि अनुचित होगा।

'प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अदा करना चाहिये' सिद्धांत ('Every one ought to pay something Theory)—इस सिद्धांत के मानने वाला का कहना है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ वर चुकाना चाहिए। ऐसा होने पर वह राज्य के प्रत्येक वर्ग में अतिव सन्निव तथा बुद्धिमानों का भाग लेगा। ऐसा होने पर उसको अपनी स्थिति तथा राज्य में अपने महत्व का आभास होगा। परन्तु यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाये तो गरीब लोगों को यह नागरिक आभास बहुत महंगा पड़ेगा। यह आवश्यक है कि गरीब लोग वर के भार से सर्वदा मुक्त होना चाहियें। इसी लिये प्राधुनिक युग में 'जैसा मिले वैसा छोड़ दो' सिद्धांत को नहीं माना गया।

सेवा के मूल्य का सिद्धांत (Just of Service Theory)—इस सिद्धांत के अनुसार वर चुकाने का आधार यह सिद्धांत ही होनी चाहिये जो कि राज्य व्ययों के लिए करता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत व्यवहारे में व्यक्ति को उस सेवा में अधिक मूल्य नहीं देना पड़ता जो कि उसके लिए की जाती है उसी प्रकार राज्य को भी सेवा के मूल्य से अधिक कुछ भी नहीं लेना चाहिए।

यह सिद्धांत देखने में बड़ा उचित जान पड़ता है परन्तु व्यवहार में इस पर कार्य नहीं किया जा सकता। यह बात जरूर है कि यह सिद्धांत ठाक तथा रेतने आदि का विरायत तय करने में लागू किया जा सकता है परन्तु श्रम स्वार्थों पर यह लागू नहीं किया जा सकता। जैसा राज्य व्ययियों से उनकी सुरक्षा का मूल्य वसूल नहीं कर सकता क्योंकि सेना का खर्च सारे देश के लिए सामूहिक ही किया जाता है, इस लिये यह जान लेना अछम्भन है कि इसमें स विरता लक्ष्य किस व्यक्ति को दिये किया गया है। यह प्रत्यक्ष ही है कि राज्य को निर्धन तथा अमास्य लोगों के लिए अधिक लक्ष्य करना पड़ता है क्योंकि एक सात रुपये की एक सम्पत्ति की रक्षा करने में जितना धन खर्च होता है उससे नहीं ज्यादा उस समय जाना है जब कि राज्य को



एक-एक हवार रुपये की सौ सम्पत्तियों की रक्षा करनी पड़ती है। यदि इस सिद्धान्त का अनुसार कर पद्धति होगी तो वह प्रतिगामी हो जायेगी। और यह अन्याय होगा।

उसके प्रतिरिक्त राज्य गरीब लोगों के लिए कुछ सामाजिक सेवाएँ करना है जैसे वह उनको बेरोजगारी का लाभ प्रदान करता है तथा उनके लिए शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएँ भी देता है। यदि राज्य मना क अनुसार कर लेगा तो यह एक मजदूर ही बन जायगा क्योंकि एक द्वार तो राज्य गरीब लोगों की सेवा करेगा तथा दूसरी ओर उमी सेवा का उतना ही मूल्य ले लगा

इन सब बातों के कारण उग सिद्धान्त की नहीं माना गया।

लाभ अथवा 'जैसे तो तैसा' सिद्धान्त (Benefit or 'Quid Pro Quo' Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य व हर व्यक्ति को उम अनुपात में कर देना चाहिए जो कि उसको प्राप्त लाभ का राज्य व वृत्त व्यय स हूँ। यदि राज्य में किसी को अधिक लाभ प्राप्त होना है तो उसको अधिक कर देना चाहिए। आदम स्मिथ ने भी इस सम्बन्ध में कहा था कि 'हर राज्य के व्यक्तियों को राज्य का कार्य चलाने व लिये उम अनुपात में सहयोग देना चाहिए जिसमें कि उनकी राज्य के सुरक्षण से लाभ प्राप्त होना है।' कोहन (John) ने इसी सिद्धान्त पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया था।

परन्तु इस सिद्धान्त में भी बहुत से दोष हैं। राज्य का बहुत सा ऐसा खर्च होता है जो सब को समान त म गटुवाने के लिये किया जाता है परन्तु यहा यह बात निरिक्त करनी बड़ी बठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना खर्च किया गया है। यह बात देना तथा पुनिस के खर्च के लिये विशेषत लागू होती है। इस खर्च का अधिकतर लाभ गरीबों को ही पटुचता है क्योंकि धनीर आदमी अपनी देख भाल के लिए चौकीदार रख सकते हैं। यही बात कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भी लागू होती है। इन कार्यों में शिक्षा, चिकित्सा, पुस्तकालय आदि हैं। इन सब का लाभ भी विशेषत गरीब लोगों को ही पटुचता है। इनके प्रतिरिक्त राज्य की कुछ सेवाएँ ऐसी हैं जिन पर किये गये खर्च का माझामी म पना चल सकता है। इन में नुदापे की वेतन, वेकारी काल की सहायता आदि हैं। परन्तु इन सब का मूल्य लेना कबल मजाक ही होगा।

परन्तु यह सिद्धान्त स्थानीय सरकारों की कुछ सेवाओं पर लागू हो सकता है। उनके पानी, बिजली, रैस आदि देना सम्मिलित है। परन्तु सम्भार के विधान के साथ साथ लोगों का यह विचार हो चला है कि या तो इन चीजों का कोई मूल्य ही न लिया जाये और यदि लिया भी जाय तो बहुत कम।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि हर व्यक्ति को उतना कर देना चाहिए जितना कि उसको राज्य से लाभ प्राप्त होगा है परन्तु राज्य के द्वारा जीवन,

स्वतन्त्रता सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन की निरन्तर रक्षा होगी है उसका अनुमान लगाया कठिन है। हम निराश्रयता के अनुसार कर लगाया क्या कठिन है।

अपना करने की योग्यता अथवा क्षमता का सिद्धांत (Ability to pay or Faculty Theory)—यह सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को राज्य का कार्य प्रदान के लिए उतना कर देना चाहिए जितना कि वह अपना कर सकता है। हमारे पास यह सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति समर्थ है तो उसको अधिक कर देना चाहिए और यदि वह गरीब है तो उसको कम कर देना चाहिए। जहाँ तक इस सिद्धांत का सम्बन्ध है यह स्पष्ट ही उचित और साधक सिद्धांत माना जाता है। परन्तु यह सिद्धांत का प्रयोग करना हमें कठिन है क्योंकि असाध्य करों की योग्यता की परिभाषा करना कठिन है। किसी व्यक्ति की कर देने की क्षमता जानना कठिन है हमें दो प्रकार के विचार करना पड़ेगा। एक तो मनुष्य की दृष्टि से (Subjectively) और दूसरे बाह्य पदार्थ की दृष्टि से (Objectively)। यदि हम कर देना की निज की दृष्टि से कर देना का विचार करें तो उसमें निश्चित असुविधा और साधक का विचार करना पड़ेगा। यह सम्बन्ध में तीन प्रकार के विचार मिलते हैं—

- (१) समान त्याग का सिद्धांत (Principle of Equal Sacrifice)
- (२) समानपात्रिक त्याग का सिद्धांत (Principle of Proportional Sacrifice)
- (३) यान्तक त्याग का सिद्धांत (Principle of Least Aggregate Sacrifice)

(१) समान त्याग का सिद्धांत—ज० ए०० दिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय कार्य के लिए देना धन देना चाहिए जिससे कि उसका अपन भाग से उतना कम या अधिक असुविधा अनुभव न हो जितनी कि दूसरे व्यक्ति को अपन भाग से होती है। यह सिद्धांत का यह अर्थ है कि उन लोगों से अधिक कर लेना चाहिए जो अधिक सम्पत्ति हैं और उनसे कम लेना चाहिए जो कम सम्पत्ति हैं। यह सिद्धांत का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गरीब लोगों पर कर न लगाया जाय क्योंकि यदि कर लेना के कारण वह अपने आवश्यकताओं भी न करीत सके तो उनका जो अविश्रान्त करना पड़ेगा उसका अनुमान लगाया कठिन है। हमें प्रसार कृपाभाव पर कर न लगा कर पाप पर अनुपातिक रीति में कर लगाया चाहिए।

समानपात्रिक त्याग का सिद्धांत—यह सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत कर देना या वृद्धि के उपर सामाजिक या सामान्य धन या तो उनका आय या प्राप्ति वन्त्या जो वे सरकार में प्राप्त करते हैं उसमें अनुपातिक हानि चाहिए। जो अधिक त्याग कर सकते हैं उनको अधिक त्याग करने के लिए करना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली बढ मान होगी चाहिए।

(३) न्यूनतम त्याग का सिद्धांत—यह सिद्धांत कर का विचार व्यक्तिगत दृष्टि से न करके सामाजिक दृष्टि से करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कर इस प्रकार से लगाना चाहिये जिससे कि सारे समाज के ऊपर उसका भार कम से कम पड़े। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत अतिन्यम सामाजिक लाभ का सिद्धांत मानने रखता है। अधिकतम सामाजिक लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सारे समाज को कम से कम बलिदान करना पड़ेगा। यह सिद्धांत सीमान्त उपयोगिता हानि सिद्धांत पर आधारित है जो कि यह बतलाता कि जिनकी भी अधिक आय होती है उतनी ही उनकी उपयोगिता कम होती है। इस कारण यदि बड़ी बड़ी आयों की अतिम इकाइयाँ कर के रूप में ले ली जायें तो उनमें कट देने वालों पर कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार को अपनी आय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी आयों पर उस समय तक कर लगाने जाना चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी न हो जाये। इस सिद्धांत के अनुसार हर एक व्यक्ति को कर देने की आवश्यकता नहीं। कर केवल अमीर अर्थमियों से ही लिया जाना चाहिये। परन्तु यदि केवल अमीर लोगों पर ही कर लगे या तो उसके कारण पूँजी के एकत्र करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है जिसका प्रभाव उत्पत्ति पर भी पड़ेगा। इसलिए न्यूनतम बलिदान तभी प्राप्त हो सकता है जब कि सरकार कर भार को विभिन्न लोगों पर इस प्रकार विभाजित करे जिससे कि पूँजी के संचय करने में बाधा उत्पन्न न हो।

परन्तु त्याग वा सम्पत्ति व्यक्ति की भवनाओं से है और भवनाओं का जान कर लेना बड़ा कठिन है। इस कारण मनुष्य बड़ी कर देने की योग्यता उसके बलिदान से नहीं नापी जाती बरन् उसकी पदार्थ की दृष्टि से नापा जाता है। इस दृष्टि से भी योग्यता को नापने के तीन मापन बताये गये हैं—(१) सम्पत्ति (Property), (२) व्यय (Expenditure) तथा (३) आय (Income) अब हम इन सब का विचार करेंगे।

(१) सम्पत्ति—प्रारम्भ में लोगों का यह विचार था कि सम्पत्ति के द्वारा किसी मनुष्य की कर देने की योग्यता का पता चल सकता है। परन्तु सम्पत्ति को कर का आधार मान लेने में बड़ी कठिनाइयाँ आईं, जैसे सम्पत्ति का कौनसा मूल्य लिया जाये—उत्पन्न बिक्रय मूल्य अथवा उत्पन्न वार्षिक आय प्राप्ति का मूल्य। मध्यकालीन युग में अब कि सम्पत्ति को बेचा नहीं जाता था उस समय सम्पत्ति का मूल्य उसकी वार्षिक उत्पन्न अथवा आय प्रदान करने की क्षमता से जाना जाता था और इसी प्रकार उस के ऊपर कर निश्चित किया जाता था। सम्पत्ति में मूल्य के ऊपर कर लेने की प्रथा सबसे पहले अमेरिका में पड़ी जहाँ पर कि भूमि को दूसरी वस्तुओं के सामान बेचा जाता था।\* परन्तु धीरे धीरे यह बात अनुभव की गई कि

\*Piehn—Introduction to Public Finance—P. 92, 93.

सम्पत्ति से मनुष्य की कर देने की योग्यता का ठीक माप नहीं हो सकता। बहुत म व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय तो बहुत होती है परन्तु उनके पास सम्पत्ति बिल्कुल नहीं होती। इसलिए वह कर से बच जाते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी सम्पत्ति होती है उनके कर देना पड़ता है। इस कारण सम्पत्ति की कर देने की योग्यता का माप मानना छोड़ दिया गया।

उपयुक्त—सम्पत्ति के अभाव में व्यय को कर देने की योग्यता का आधार माना जाने लगा। लोगों का विश्वास था कि जो व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं उनमें कर देने की अधिक योग्यता होती है। इसी कारण कर व्यय के अनुसार लगाया जाना चाहिए। परन्तु यह धारणा बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति जिसको एक बड़ा परिवार का पालन पोषण करना पड़ना है उसको अवश्य ही अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का परिवार बहुत छोटा होता है उसको कम खर्च करना पड़ना है। ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति में अधिक और दूसरे में कम कर देना अन्याय ही कहा जायेगा। इसलिए व्यय को भी कर देने की योग्यता का आधार नहीं माना गया।

धारा—इसके अन्तर्गत आय को कर देने की योग्यता का आधार माना गया। राजकल इसी आधार पर कर लगाया जाता है। परन्तु इस आधार पर कर लगाने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जैसे दो व्यक्तियों की आय एक सी हो सकती है परन्तु एक का परिवार बड़ा और दूसरे का छोटा हो सकता है। इन दोनों के ऊपर एक ही दर में कर लगाना अनुचित ही होगा। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की आय धरने गारंटीय परिश्रम का परिणाम हो सकती है परन्तु दूसरे की आय सम्पत्ति से प्राप्त हो सकती है। इन दोनों आयों पर एक ही दर में कर लगाना भी अनुचित ही होगा। इसी कारण लार्ड स्टैम्प (Lord Stamp) ने कहा है कि किसी व्यक्ति की कर देने की योग्यता मालूम करने समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

(१) वह समय जिसमें आय प्राप्त की गई हो। प्रायः सभी देशों में पहले वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है परन्तु इसमें एक कठिनाई उपस्थित हो सकती है कि जिस वर्ष में कर लगाया गया है उसमें कर देने वाले व्यक्ति को घाटा हो जाय और उसकी कर भ्रदा करने की योग्यता कम हो जाये। इसलिए यह प्रच्छन्न हो यदि तीन तीन महीने की आय पर कर लगाकर उन वर्षों पर कर देना जाय।

(२) आय निवाले समय पूंजी की विसावट या उस आय का प्राप्त कर में हुई वह घटा देना चाहिए।

(३) यह देखना चाहिए कि आय सम्पत्ति से प्राप्त हुई है अथवा व्यक्ति के परिश्रम से। सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उंची दर से कर लगाना चाहिए।

(४) कर लगाने समय परिवार का अनुमान भी लगा लेना चाहिए। जिन लोगों के परिवार बड़े हों उन पर कम दर से कर लगाना चाहिए।

(५) यह भी देखना चाहिए कि प्रायः में कितनी बचत सम्मिलित है। बचत पर ही कर लगाना चाहिए।

साधारणतया इन सब बातों का ध्यान रख कर ही आजकल सब देशों में कर लगाये जाते हैं और प्रायः को ही कर देने की योग्यता का आधार माना गया है।

एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषतायें (Characteristics of a good Tax System)—

किसी देश की आर्थिक उन्नति के ऊपर उसकी कर-पद्धति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी कारण करों को लगाने समय बड़ी सावधानी से कार्य लेना चाहिए, नहीं तो देश को बड़ी हानि होगी। एक अच्छी कर-पद्धति में निम्नलिखित गुण होने चाहियें।

(१) भारतीय वाणिज्य-वेधो की स्थान समिति ने सरकार के कर-जाच आयोग के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक अच्छी कर-पद्धति की विशेषता इस प्रकार बताई है, "सरकार की कर-नीति या यूँ कहिये ग्राम आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को धन बचाकर उद्योग में लगाने के लिए और इस प्रकार पूँजी के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा तैयार माल को व्यर्थ बर्त सकें।"

(२) अच्छी कर-पद्धति तभी कहलायेगी जबकि उतने प्रायः सभी कर-सिद्धान्त पूरे होते हों।

(३) अच्छी कर-पद्धति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर इस प्रकार लगाये जाते हैं कि उनसे समाज के किसी वर्ग विशेष पर कोई भार नहीं पड़ता। इस प्रकार इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि समाज के ऊपर कर का भार कम से कम पड़े।

(४) कर लगाने समय बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। सरकार का धन भी प्रायः का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इसके साथ साथ कर-पद्धति का साधारण तथा हर कर का विशेष प्रभाव जो पड़ने वाला है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।

(५) घन्ट में कर लगाने समय ठीक भाकड़ों का होना बड़ी आवश्यक बात है। बिना ठीक भाकड़ों के कर का विशेष तो कोई लाभ नहीं होगा उल्टे उससे हानि है। सचता है।

कर देने की शक्ति (Taxable Capacity)—कर लगाने समय यह देखना आवश्यक है कि कर-दाता की कर देने की कितनी शक्ति है। पर 'कर देने की शक्ति' क्या है? इस बात पर विद्वान लोग एक मत नहीं हैं और इसी कारण अ-अल्स्टन

ने कहा है कि "स्पष्ट विचारों के हित में, यह अच्छा होना कि 'कर देने की शक्ति' वास्तुविकी को राजस्व के सब सम्भार वाद-विवादों से बाहर निकाल देना चाहिए।"\*

'कर देने की शक्ति' की कई ढङ्गों से परिभाषा की गई है। कुछ लोग का कहना है कि 'कर देने की शक्ति' का प्रयोग 'निचोड़ की सीमा' के अर्थ में किया जाता है। परन्तु सिल्वरमैन का कहना है कि यह परिभाषा बड़ी सदिग्ध है क्योंकि निचोड़ की सीमा का पता लगाना बड़ा कठिन है। एक समय ऐसा हो सकता है जबकि किसी देश के लोगो को थोड़ा सा कर देते हुए भी बड़ा भार प्रतीत होता है परन्तु दूसरे समय वही लोग बहुत अधिक कर भी वही खुशी से दे सकते हैं। ऐसा साधारणतया युद्ध काल में होता है जबकि देश के मान सम्मान का प्रश्न होता है तथा अपने जीवन मरण का भी प्रश्न होता है। सारे राष्ट्र की दृष्टि में न सोचकर यदि हम इस प्रश्न को व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से भी विचारें तो भी हमारे सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है क्योंकि देश के अन्दर विभिन्न लोगो की निचोड़ की सीमा विभिन्न होती है। इन कठिनाइयों के कारण यह परिभाषा कुछ उचित नहीं जान पड़ती।

'कर देने की शक्ति' की दूसरी परिभाषा इस प्रकार की गई है, 'अधिकतम धन जो कि किसी देश की आय में से इस प्रकार काटा जाये जिससे कि भविष्य में वह आय बनी रहे।' सर जोशिया स्टाम्प के विचार में 'कर देने की शक्ति' वह धन है जो कि किसी देश की आय में से इस प्रकार काटा जाये कि उससे देश में लोगो को सुखपूर्ण तथा दरिद्र जीवन न बितना पड़े तथा देश की आर्थिक व्यवस्था अधिक अस्त व्यस्त न हो। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कही गई है कि देश के लोगो के पास एक न्यूनतम धन राशि छोड़ देनी चाहिए। जिससे कि वह कार्य करने के योग्य तथा इच्छुक रहें। परन्तु यहाँ पर 'न्यूनतम धन राशि' शब्द सदिग्ध है क्योंकि इनसे यह पता नहीं चलता कि यह केवल जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किए गये हैं अथवा समाज के लोगो के जीवन-न्तर के लिए प्रयोग किए गए हैं। यदि देश के लोगो के पास एक न्यूनतम धन राशि ही छोड़ी जाये तो उस देश में उन्नत देशों की 'कर देने की शक्ति' अधिक होगी और अवनत की कम। रही जीवन-न्तर की बात, वह देश, देश में भिन्न है। 'कर देने की शक्ति' की परिभाषा करते समय हमें केवल इसी बात से गन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे पास इतना धन बच जाये जिससे कि भविष्य में हम अपनी आय को कायम रख सकें वरन् हमको इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी आय को बढ़ायें।

\*जिने सिंघराज (J. S. Mill's Surveys) के 'अभुमार' 'कर देने की शक्ति' यह सारी दखत है जो कि उत्पत्ति में से न्यूनतम उपभोग को घटा कर उत्पत्ति

की मात्रा को प्राप्त करने के लिए चाहिए, यदि लोगों का जीवन-स्तर पूर्वतः रहे। न्यूनतम उपभोग में गिराऊ लोगों के लिए न्यूनतम जीविका सम्मिलित करते हैं तथा लोगों को व्यापार तथा उद्योग धन्धों के उन्नत करने के लिए पूंजी के बढ़ाने तथा उसको चढ़ाने की छूट देते हैं। न्यूनतम जीविका में गिराऊ का अभिप्राय कार्य क्षमता की आवश्यकताओं से है। गिराऊ के अनुसार 'कर देने की शक्ति' निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है —

(१) अश्रत्यक्ष करो में कमी भी पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिये श्रत्यक्ष तथा अश्रत्यक्ष करो को माबवानी में इस प्रकार लगाना चाहिए जिसमें कि लोगों की 'कर देने की शक्ति' भविष्य में घट न जाये।

(२) जन-संख्या का भी 'कर देने की शक्ति' पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश में जन-संख्या आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही हो तो 'कर देने की शक्ति' कम हो जाती है।

(३) यदि आय का अधिकतर भाग श्रामिक तथा विलासिता की वस्तुओं पर लब्ध होता है तो उसमें 'कर देने की शक्ति' बढ़ जाती है।

(४) माध्यमण्यता यह कहा जा सकता है कि जिनका धन का अग्रमान वितरण होगा 'कर देने की शक्ति' उतनी ही बढ़ जायेगी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि धन का असमान वितरण होना चाहिए। धन का समान वितरण होने से सरकार को गरीब लोगों की सहायता पर कम खर्च करना पड़ता है।

(५) यदि किसी देश पर बाह्य ऋण की अपेक्षा आन्तरिक ऋण अधिक होता है तो उस देश की 'कर देने की शक्ति' बढ़ जाती है क्योंकि उस देश में व्याज विदेशों में नहीं जाता।

(६) युद्ध काल में शांति काल की अपेक्षा अधिक कर देने की शक्ति' होती है क्योंकि युद्धकाल में उत्पादकों को बढ़ाने में नहीं लगाया जाता तथा उस समय लोग राष्ट्र भक्ति की भावना से प्रेरित होकर अधिक कर देना चाहते हैं।

डा० डाल्टन गिराऊ की परिभाषा पर आपत्ति करने हुए सवाल करते हैं कि 'वांछित जीवन-स्तर को अपरिवर्तनीय क्यों माना जाये?' डा० डाल्टन ने गिराऊ की उपर्युक्त बातों जिन पर 'कर देने की शक्ति' निर्भर होती है पर भी आपत्ति की है। उनका कहना है कि इन सबके परचातु सिवाय गडबड के कुछ न बचेगा।\*

डा० डाल्टन ने 'कर देने की शक्ति' को दो प्रकार बताया है—(१) किसी एक राष्ट्र की स्वतन्त्र 'कर देने की शक्ति' तथा (२) दो अथवा अधिक राष्ट्रों की आपेक्षित 'कर देने की शक्ति'। इनमें से पहली बात के सम्बन्ध में डा० डाल्टन का

\* Dalton—Principles of Public Finance Page. 169.

मत है कि वह किसी प्रकार भी मापी नहीं जा सकती। दूसरी बात अर्थात् अपेक्षित 'कर देने की शक्ति' के सम्बन्ध में उगका विचार है कि हम उसका 'कर देने की योग्यता' से पता लगा सकते हैं। अन्त में डा० डाल्टन इस सम्बन्ध में कहते हैं 'भिरा साधारण परिणाम यह है कि अपेक्षित 'कर देने की शक्ति' एक सरप बात है, जो कि उचित रूप से दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, परन्तु स्वतन्त्र 'कर देने की शक्ति' एक कल्पित कथा है जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना है।<sup>\*</sup>




---

\* Dalton—Principles of Public Finance, Page. 171.



## अध्याय ४

### कर-भार

#### (Incidence of Tax)

कर के सम्बन्ध में यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसका अन्तिम भार किस पर पड़ता है, क्योंकि देखने में यह प्राता है कि जो व्यक्ति कर को देते हैं उन्हीं पर उसका अन्तिम भार नहीं पड़ता वरन् बहुधा यह उसको दूसरे पर डकेलने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को जानने के लिए हम को कर-दबाव (Impact of Tax), कर-भार (Incidence of Tax) तथा कर-बिबर्तन (Shifting of Tax) में भेद करना पड़ेगा।

**कर-दबाव**—जिस व्यक्ति पर कानून द्वारा कर लगाया जाता है अर्थात् जिस व्यक्ति की जेब में से सबसे पहले कर के रूप में द्रव्य निकलता है उसी पर कर-दबाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में कपड़ा आयात करता है तो उसको आयात-कर देना पड़ता है। इस कर का प्रारम्भिक भार आयात-कर्ता पर पड़ता है। परन्तु उसका अन्तिम भार उस पर नहीं पड़ता क्योंकि वह कपड़े के दाम बढ़ा कर, कर को दूसरे सौदागरो अथवा उपभोक्ताओं से वसूल कर लेता है। इस प्रकार यद्यपि कर का प्रारम्भिक दबाव तो व्यापारी पर पड़ता है परन्तु उसका अन्तिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि सरकार किसी की आय पर आय-कर लगाती है तो उसका प्रारम्भिक और अन्तिम दबाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है क्योंकि वह किसी दूसरे पर उसका बिबर्तन नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की जेब में से कर के रूप में द्रव्य निकलता है उसी पर उसका अन्तिम भार पड़ना आवश्यक नहीं है वरन् कुछ दशाओं में वह दूसरे लोगों को सहन करना पड़ता है।

**कर-भार**—जिस व्यक्ति को कर का अन्तिम दबाव सहन करना पड़ता है उस पर कर-भार होता है। कर-भार जानने के लिए हमको यह देखना चाहिए कि यदि कर न लगाया जाता तो कर के रूप में दिया गया खर्चा किस की जेब में रहता। उपर्युक्त उदाहरण में यदि कपड़े पर आयात-कर न लगाया जाता तो कपड़े के दाम न बढ़ने के कारण कर का खर्चा उपभोक्ता की जेब में ही रहता। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि यद्यपि कर-दबाव कपड़े के व्यापारी पर पड़ता है परन्तु कर-भार उपभोक्ता पर पड़ता है। दूसरे उदाहरण में यदि कर न लगाया जाता तो वह धन

भरत है। जो जेब में ही रहता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस कर का भार कर-दाता दोनों कर-दाता पर ही पड़ते हैं।

**घो कर-विवर्तन**—यह वह विधि है जिसके द्वारा कर का भार दूसरे व्यक्ति पर टापा जाता है। माधारणतया हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके ऊपर कर-भार न पड़े। इसलिए वह किसी न किसी प्रकार उमको दूसरे पर ढकेलने का प्रयत्न करता है परन्तु वह सदा ही अपने प्रयत्न में सफल नहीं होता। इस प्रकार कर विवर्तन किसी किसी दशा में तो थोटे से विन्दुओं तक ही सीमित रहता है परन्तु दूसरी दशा में वह कई विन्दुओं तक फैल जाता है। जैसे यदि एक छोटे व्यापारी पर कर लगाया जाता है तो वह उस कर को उपभोक्ता के ऊपर ढकेल देता है परन्तु उपभोक्ता उमको किसी और व्यक्ति पर नहीं ढकेल सकता। इस प्रकार यहाँ पर कर एक विन्दु में दूसरे विन्दु तक ही टापा गया है। इससे विपरीत यदि किसी मिल में काम करने वाले मजदूर पर कर लगाया जाता है तो वह उमके कारण मिल मालिक ने उ ची मजदूरी देने का प्रयत्न करता है, मिल मालिक अपने माल के दाम बढ़ाकर उमको थोड़ा व्यापारियों में वसूल करने का प्रयत्न करता है, थोड़ा व्यापारी फुटकर व्यापारी में उमको वसूल करने का प्रयत्न करता है और फुटकर व्यापारी उस कर को उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार कर का विवर्तन कई विन्दुओं पर किया जा सकता है।

कर विवर्तन के सम्बन्ध में कई बातें जाननी आवश्यक हैं, जैसे, विवर्तन की दशा (Direction of shifting) विवर्तन का रूप (Form of shifting), विवर्तन की माप (Measure of shifting) आदि।

**कर विवर्तन की दशा**—यह प्रागे या पीछे हो सकती है। जब व्यापारी कर लगने पर अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ा देता है तो वह उम कर को प्रागे की ओर टकेलता है, अर्थात् उस कर का बोधा वह उपभोक्ताओं पर डालता है। इस विपरीत कर लगने पर यदि व्यापारी यह देखता है कि वह कर सभी दूसरे वस्तु को ऊँचे दामों पर नहीं बेच सकता या वह मिल मालिक को उलना ही कम मूल्य देकर उम पर कर को ढकेलने का प्रयत्न करता है। उमको कर का पीछे ढकेलना कहते हैं। वधो वधी कर का विवर्तन विन्दुओं भी नहीं हो सकता, जैसे यदि किसी व्यापारी ने घट्टन मा मान खरीद रखा है और सरकार उम माल पर कर लगा देती है परन्तु माल की मात्र लचकीली होने ने कारण यदि वह उस कर को प्रागे को न बढ़ा गये तो उम कर का भार उमी व्यापारी पर पड़ेगा।

**विवर्तन का रूप**—कर विवर्तन दो प्रकार किया जा सकता है। पहने, व्यापारी वस्तु का मूल्य कर के बराबर बढ़ा कर उमको उपभोक्ताओं पर ढकेलने

पर कर का कितना भार पड़ेगा और यह बात निर्दिष्ट होने पर कोई भी कर अनुचित रूप से नहीं लगाया जायेगा ।

कर देने की योग्यता जानने के लिए भी कर भार की समस्या का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । हम सभी जानते हैं कि गरीब लोगों की कर देने की योग्यता गरीब लोगो से कम होती है । इसलिए कर लगाने समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कर भार गरीबों पर कम से कम पड़े और धनी लोगों पर अधिक से अधिक । कर लगाने की यह योग्यता कर-भार के अध्ययन से ही प्राप्ती है ।

हर देश में प्रायः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर लगाये जाते हैं । प्रत्यक्ष करों का कर-भार तो जानने में कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु अप्रत्यक्ष करों का कर भार जानने के लिये कर-भार की समस्या का अध्ययन करना आवश्यक है । बिना इसके अध्ययन किये ऐसी वस्तुओं पर कर लगाया जा सकता है जो गरीबों के उपभोग में प्राप्ती है ।

यदि सरकार की यह नीति हो कि वह किसी एक वर्ग विशेष के लोगों में कर वसूल करेगी तथा दूसरे वर्ग में नहीं करेगी तो वह ऐसी चीजों तथा ऐसे ढङ्ग में कर वसूल करेगी जिसका भार केवल उन्हीं वर्ग के लोगों पर हो । इस प्रकार की चीजों तथा ढङ्गों का पता कर भार की समस्या का अध्ययन करने से होता है ।

इस लिये कर भार की समस्या का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है ।

### कर-भार के सामान्य सिद्धान्त

#### (General Principles of Incidence of Tax)

(१) कर भार वस्तु की मांग और पूर्ति की लचक पर निर्भर होता है—

किसी वस्तु के उपर लगाये गये कर का भार इस बात पर निर्भर होता है कि उस वस्तु की मांग और पूर्ति की लचक कैसी है । यदि अन्य बातें समान हों तो किसी वस्तु की मांग जितनी भी लचक वाली होगी उतना ही कर-भार विक्रेता पर होगा । इसके विपरीत यदि अन्य बातें समान हों तो किसी वस्तु की पूर्ति जितनी भी लचक वाली होगी उतना ही भार उपभोक्ता पर होगा । यदि किसी वस्तु की मांग बिना लचक वाली है तो मूल्य के घटने बढ़ने का उस वस्तु की मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् यदि मूल्य बढ़ जाये अथवा घट जाये तो उपभोक्ता वस्तु की लगभग पहले जितनी मात्रा ही खरीदता रहेगा । इसलिए यदि कर लगने के कारण मूल्य बढ़ जाना है तो वह बढ़े हुए मूल्य पर भी पहले जितनी ही मात्रा खरीदेगा ; अन्यथा कर का भार उस पर होगा । इसके विपरीत, यदि वस्तु की मांग लचक वाली है अर्थात् मूल्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग बहुत अधिक घट या बढ़ जाती है, तो इस दशा में कर लगने से मूल्य के बढ़ने पर

वस्तु की मांग कम हो जायेगी। इसलिये यदि विक्रेता अपना सारा माल बेचना चाहता है तो वह मूल्य को नहीं बढ़ाएगा और अपने सब माल को बेचेगा। इस प्रकार कर का भार उस पर पड़ेगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मांग के वेलोच होने पर कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है और उसके वोलचदार होने पर उसका भार विक्रेता पर पड़ता है। पूर्ति के नोलचदार अथवा वेलोच होने का इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति नोलचदार है अर्थात् कर लगने पर मांग में कमी होने पर उस को घटाया जा सकता है तो विक्रेता कर का भार उपभोक्ताओं पर डकेलने में सफल हो जायेगा। साधारणतया विक्रेता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह पूर्ति कम करके कर-भार को उपभोक्ताओं पर डालें और उपभोक्ता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह मांग कम करने पर कर का भार विक्रेताओं पर डालें। इस नीचातानी में जो भी पक्ष मजबूत होगा उसी पर कर का भार कम पड़ेगा अर्थात् यदि उपभोक्ता मजबूत होवे तो उन पर करभार कम पड़ेगा और यदि विक्रेता मजबूत होवे तो उन पर करभार कम पड़ेगा। पूर्ति का विचार करते समय हमें समय की अवधि पर भी ध्यान देना होगा। यदि मूल्य निर्धारण का समय कम होता है तो उसमें पूर्ति भाग के बराबर नहीं की जा सकती, इसलिये मूल्य पर मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत समय अधिक होने पर पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति साधारणतया वोलच तथा दीर्घकाल में वह नोलचदार होती है। इसलिए अल्पकाल में कर-भार विक्रेता पर ही सकता है परन्तु दीर्घ काल में वह क्रेता पर होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी कर का भार क्रेता तथा विक्रेता में से से कितना कम पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर है कि मांग की लचक वा पूर्ति की लचक के साथ क्या अनुपात है। यदि मांग और पूर्ति की लचक समान है तो कर का भार क्रेताओं और विक्रेताओं पर समान पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कर लगी हुई वस्तु का मूल्य कर के भार के बराबर बढ़ जाएगा।

उपरोक्त कथन व्यवहार में साधारणतया सत्य होता है। परन्तु कई बार ऐसा होगा कि जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है उस वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं पर ही उस का भार नहीं पड़ता बल्कि किसी दूसरी उस वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं पर पड़ता है जिसके बनाने में पहली वस्तु काम आती है। उदाहरण के लिए यदि मुरब्बे पर कर लग जाए तो यदि मुरब्बे वाला बोट के दाम कम देता है तो इस का भार मुरब्बे के बोट बनाने वालों पर पड़ सकता है और बोट वाला उस को मजूर कर लेता है।

(२) कर भार स्थानान्तरण वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर होता है—  
कर भार इस बात पर भी निर्भर होता है कि जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है

उमकी म्भानापत्र वस्तुए (Substitutes) है या नहीं। यदि कर लगने के कारण किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, परन्तु उस के स्थान पर हम कोई दूसरी वस्तु (जिस पर कर न लगा हुआ हो) काम में ला सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में कर का भार विनेताओं पर पड़ेगा क्योंकि यदि वह मूल्य बढ़ावेंगे तो दूसरी बिना कर वाली वस्तु का उपभोग होने लगेगा। जैसे यदि चाय पर कर लगा दिया जाए और बहूँ पर कर न लगा हो तो यदि चाय का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो लोग बहूँ के प्रयोग करने लगेगे। इसलिए चाय बेचने वाले अधिक चाय बेचने के लिए चाय का मूल्य न बढ़ा कर स्वयं ही कर का भार सहन करेंगे। यह बात मिट्टान्त में तो ठीक है परन्तु व्यवहार में चाय पर लगे हुए कर का भार चाय-विनेताओं पर न पड़कर चाय के उपभोक्ताओं पर भी कुछ समय तक पड़ेगा क्योंकि चाय पीने वालों को बहूँ की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ समय लगेगा। इन बीच में वह चाय का भी प्रयोग करेंगे और बहूँ का भी। इसलिए कुछ समय तक चाय बेचने वाले मूल्य में कुछ बढ़ि करके उगको बेच सकते हैं। जिस समय तक विनेता ऐसा करने में सफल हो सकते हैं उस समय तक कर का भार चाय के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

(३) कर भार उत्पत्ति के नियमों पर निर्भर होता है—कर-भार का सम्बन्ध उत्पत्ति के निदमों से भी बहुत गहरा है। किसी वस्तु की उत्पत्ति निम्नलिखित तीन निदमों में से किसी एक के अन्तर्गत अवश्य होगी—(१) अमगत उत्पत्ति समानता नियम (Law of Constant Returns), (२) अमगत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns), (३) अमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns)। अमगत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तु चाहे कम मात्रा में उत्पन्न हो अथवा अधिक मात्रा में, प्रति इकाई उत्पादन-व्यय समान ही रहता है। जो वस्तु अमगत उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होती है उसका उत्पादन व्यय अधिक मात्रा उत्पन्न करने में बढ़ता है तथा कम मात्रा में उत्पन्न करने में घटता है। अमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली वस्तु का लागत-व्यय अधिक उत्पादन पर घटता है तथा कम उत्पादन पर बढ़ता है। इतना समझ लेने के पश्चात् यह समझना सरल है कि कर लगने पर उस का प्रतिक्रम भार किस पर पड़ेगा।

अमगत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत कर-भार—यदि किसी वस्तु पर कर लगाया गया है और वह अमगत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जा रही है तो उस कर का भार विनेता पर पड़ेगा क्योंकि कर लगने के पश्चात् जब मूल्य में वृद्धि होने पर लागत कम हो जाएगी तब उस वस्तु को कम मात्रा में उत्पन्न किया जावेगा। ऐसा करने पर भी उत्पादन-व्यय पूर्वत ही रहता है।

इन कारण उत्पादन कम उत्पादन करने की मांग के द्वारा कर करने का प्रयत्न करता है उस प्रकार वह उपभोक्ताओं को कर भार सहन करने के लिए बाध्य कर देता है। उदाहरण के लिए यदि इस नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाला विभी वस्तु का उत्पादन व्यय १५ रुपये मन है और उस की मांग १००० मन है और उस पर ८ आने मन का कर लग जाने पर यदि मांग ८०० मन रह जाय तो नौ उत्पादन व्यय १५ रुपये मन ही रहगा। इसलिये वह पूर्ति को बिना हानि के १००० मन में घटा कर ८०० मन कर सगता है। इस प्रकार विवेका उम वस्तु को १५ ८० ८ आने मन के हिसाब से उच्चतर कर भार को उपभोक्ताओं पर डबल देता।

क्रमगत उत्पत्ति ह्यम नियम के अन्तर्गत कर भार—जब किसी वस्तु का उत्पादन क्रमगत उत्पत्ति ह्यम नियम के अन्तर्गत होता है तो कर के लगत के कारण मूल्य में जो वृद्धि होती है वह कर के घन के बराबर नहीं होती बल्कि उमम कम होती है। इस प्रकार कर का कुल भार तथा पर नहीं पड़ता। ऐसा होने का यह कारण है कि कर लगाने पर जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उमकी कम मात्रा की उत्पत्ति की जाती है और वस्तु के उत्पादन पर क्रमगत उत्पत्ति ह्यम नियम के लागू होने के कारण कम मात्रा का उत्पादन-मूल्य प्रति इकाई कम हो जाता है। उत्पादन व्यय में कमी हो जाने के कारण ही वस्तु का मूल्य कर की मात्रा के बराबर नहीं बढ़ता। मान लिया कि कर लगाने से पूर्व एक लाल मन गेहूँ १२ रुपये मन की दर पर उगाया जाता है। गेहूँ पर १ रु० मन कर लग जाता है। इसके फलस्वरूप गेहूँ की मांग घट कर ७५ हजार मन रह जाता है। परन्तु ७५ हजार मन गेहूँ को ११ रुपये घाट आने प्रति मन की दर पर उगाया जा सकता है। इसमें १ रु० मन कर का जोड़कर गेहूँ का मूल्य १२ रुपये ८ आने होता है। इस प्रकार मूल्य तो वही १२ रुपये में १२ रु० ८ आने प्रति मन परन्तु कर तथा १ रुपये मन की दर पर। इस प्रकार उपभोक्ताओं पर कुल ८ आने प्रति मन कर का भार पड़ा।

क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत कर भार—जो वस्तु क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उस पर यदि कर लगाया जाता है तो उम वस्तु का मूल्य कर के मूल्य में नौ अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार तथा पर कर के घन में भी अधिक भार पड़ता है। इसका कारण यह है कि कर लगाने पर उम वस्तु की मांग घट जाती है और कम मात्रा का उत्पादन रहने लगता है। इसलिये वस्तु के मूल्य में कर के घन से भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इसको एक उदाहरण द्वारा बताया जा सकता है। मान लिया कोई वस्त्र ८ आने प्रति गज की दर में १० हजार गज बनाया जाता है। इस वस्त्र पर १ आने गज का कर लग गया। कर लगने से मूल्य में नौ वृद्धि हुई उसके कारण वस्त्र की मांग घटकर ८ हजार गज रह गई। यह ८ हजार गज वस्त्र ८ आने ६ पाई प्रति गज की दर में

बनाया जा सकता है। इस प्रकार विक्रेता कपड़े को ८ घाने ६ पाई जमा १ घाना प्रश्यात १ घाने ६ पाई प्रति गज की दर पर बेचेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर तो बड़ा मुल १ घाना प्रति गज की दर से परन्तु कपड़े का मूल्य बड़ा १ घाना ६ पाई प्रति गज की दर से। इस प्रकार इस दशा में क्रेताओं को कर के धन से भी अधिक नर-भार सहन करना पड़ेगा।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कर केवल उन्हीं वस्तुओं पर लगाया चाहिए जो अमगत उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है और उन वस्तुओं के उत्पादन पर जो अमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होती है प्राथिक महापत्ता देनी चाहिए।

**पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कर भार (Incidence Under Perfect Competition)**—पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बहुत प्रकार के उत्पादक होने हैं। उनमें से कुछ उत्पादक तो बहुत ही अच्छे होने हैं और उनका प्रति इकाई उत्पादन-व्यय कम होता है परन्तु कुछ उत्पादक ऐसे होते हैं जो कठिनाई से ही अपनी लागत निकाल पाते हैं। ऐसे उत्पादकों को सीमान्त उत्पादक कहते हैं। इस प्रकार उत्पादकों में से प्रायः हर एक का उत्पादन-व्यय भिन्न होना है परन्तु वस्तु का विक्रय मूल्य सब के लिए समान होता है। ऐसी स्थिति में कर के भार का प्रभाव दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। पहले, कर प्रभाव जब वह वस्तु पर लगाया जाता है, दूसरे, कर प्रभाव जब वह उत्पादकों के लाभ पर लगाया जाता है।

**वस्तु पर लगाये गये कर का प्रभाव**—पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जब वस्तु पर कर लगाया जाता है तो उसके भार को देखने के लिए हमको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। (१) वस्तु की माग और पूर्ति की लचक-बरतु की माँग जितनी अधिक लचकीली होती है उतना ही कर का भार विक्रेता पर पड़ता है। इस के विपरीत वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लचक वाली होती है उतना ही कर का भार क्रेताओं पर पड़ता है। परन्तु क्रेताओं और विव्रेताओं की आपसी प्रतियोगिता के कारण कर भार दोनों पक्षों की सौदा करने की शक्ति के अनुसार बंट जाता है। साधारणतया विक्रेता इस बात का प्रयत्न करते हैं कि वह कर-भार क्रेताओं पर हकेल दे परन्तु यदि वर की माग बहुत कम होती है तो विक्रेता उसको स्वयं ही सहन कर लेते हैं।

(२) उत्पत्ति के नियम—जैसा ऊपर बताया जा चुका है जो वस्तु उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उसका पूरा कर भार उपभोक्ताओं पर होता है। परन्तु जो वस्तु उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न होती है उसका पूरा कर भार उपभोक्ता पर नहीं पड़ता बरन् कुछ कम पड़ता है क्योंकि माग कम

होने के कारण वस्तु की कम पूति कम मूल्य पर उत्पन्न की जा सकती है। जो वस्तु उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उस पर लगाए गए कर के कारण उपभोक्ता पर कर से भी अधिक भार पड़ता है क्योंकि कम माग हो जाने पर कम पूति उत्पन्न करने से प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वस्तु पर लगाए गए कर का भार साधारणतया उपभोक्ता पर ही पड़ता है।

**लाभ पर लगाये गये कर का प्रभाव**—लाभ पर लगाए गए कर का प्रभाव इससे निम्न होता है। यहाँ पर एक ऐसी न्यूनतम सीमा होती है जिससे नीचे वाली भायो पर कोई कर नहीं लगाया जाता। छोटे छोटे उत्पादको की भाय (जिनको सीमान्त उत्पादक कहा जा सकता है) पर कोई कर नहीं लगता क्योंकि यह न्यूनतम सीमा में कम होती है, परन्तु अच्छे उत्पादको की भाय पर कर लगता है क्योंकि यह न्यूनतम सीमा में अधिक होती है। ऐसी स्थिति में यदि बड़े बड़े उत्पादक मूल्य बढ़ा कर, कर वसूल करना चाहेंगे तो वह ऐसा करने में सफल न हो सकेंगे क्योंकि बाह्य सीमान्त उत्पादको के पास चने जायेंगे क्योंकि उन पर कर न होने के कारण वह अपने मूल्य को नहीं बढ़ायेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में कर का भार अच्छे उत्पादको पर पड़ेगा। यदि कर भाय के अनुपात में भी लगाया जाता है तो भी कर का भार उत्पादको पर ही होगा क्योंकि बड़े बड़े उत्पादक जिन पर अधिक कर लगेगा वह इस ढर में कि कहीं छोटे छोटे उत्पादक जिन पर कर कम है माल को सस्ता न बेंच दें वस्तु के मूल्य को न बढ़ा कर अपने आप ही कर-भार सहन कर लेंगे। इस प्रकार लाभ पर लगाया गया कर दूसरो पर टकेना कठिन है।

**एकाधिकार के अन्तर्गत कर का भार (Incidence Under Monopoly)**—एकाधिकारी का एक मात्र उद्देश्य यह होता है कि वह अधिकतम लाभ प्राप्त करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह इतनी उत्पत्ति करता है जो कि उसको अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। यह तभी होता है जबकि एकाधिकारी की सीमान्त भाय (Marginal Revenue) तथा सीमान्त लागत (Marginal Cost) बराबर हो जाती है। एकाधिकारी पर दो प्रकार से कर लगाया जा सकता है— (१) एकाधिकारी लाभ पर, (२) उत्पत्ति पर।

**लाभ पर कर का भार**—जब एकाधिकारी के लाभ पर कर लगाया जाता है तब वह या तो एक मुश्किल रकम (Lump sum) के रूप में लिया जाता है या लाभ के निम्नी अनुपात में लिया जाता है। इन दोनों अवस्थायो में कर का भार एकाधिकारी पर पड़ेगा क्योंकि एकाधिकारी पहले ही ऐसा मूल्य निश्चित कर चुका है जो उसको अधिकतम लाभ दे रहा है। इसलिए यदि वह मूल्य को बढ़ावेगा तो माग कम होने



पर उमका लाभ घट जायगा । इसलिए एकाधिकारी वस्तु का मूल्य न बढ़ा कर रख ही कर भार सहन करता है ।

**उत्पत्ति की मात्रा पर कर**— जब उत्पत्ति की मात्रा पर कर लगाया जाता है तब कर को उत्पत्ति लागत में सम्मिलित किया जाता है । वस्तु की सीमान्त लागत बढ़ जाने से पहले से अधिक मूल्य पर ही सीमान्त लागत और सीमान्त प्रायः बराबर होगी । इस प्रकार कर लगने पर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा । मूल्य की यह वृद्धि विपरीत होगी यह हम जान पर निर्भर होगा कि उस वस्तु की माग तथा पूर्ति की तबक कौसी है । यदि वस्तु की माग लचकदार है तो कर का भार अधिकतर एकाधिकारी पर होगा क्योंकि मूल्य बढ़ने पर माग कम हो जायगी और एकाधिकारी का लाभ कम हो जाएगा । इसके विपरीत यदि माग बेलोच है तो कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा क्योंकि यहा मूल्य में वृद्धि होने पर माग कम न होगी । यदि हम वस्तु की पूर्ति पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु की पूर्ति लोचदार है उस वस्तु पर लगाये गए कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा क्योंकि कर लगने पर यदि माग कम होती है तो भी एकाधिकारी को कोई नति नहीं होती । इसके विपरीत, यदि पूर्ति बेलोच है तब कर का भार एकाधिकारी पर पड़ेगा क्योंकि माग के अनुसार पूर्ति न घट सकने के कारण वह सारी पूर्ति को कम मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करेगा । यदि माग पूर्ति में अधिक लचकदार है तो कर का अधिक भार उत्पादक पर होगा । इसके विपरीत, यदि पूर्ति माग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो कर का अधिक भार उपभोक्ता पर रहेगा । उत्पत्ति के नियमों के अनुसार भी कर का अधिकतर भार उपभोक्ता पर रहेगा क्योंकि कर लगने पर वस्तु का मूल्य कुछ न कुछ अधिक हो जाएगा । यदि कर की मात्रा उत्पत्ति के बढ़ने पर घटती हो तो एकाधिकारी अधिक सामान बेचने के लिए कम मूल्य रखेगा और इस प्रकार कर-भार एकाधिकारी पर होगा । इस दशा में एकाधिकारी वस्तु का मुग्य घटा कर उसको कम मूल्य पर भी बेच सकता है ।

**भूमि पर लगाये गये कर का भार (Incidence of Tax on Land)**— भूमि पर लगाए गए कर का भार जानने के लिए हमको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा । अधिक लगान पर लगाए गए कर का भार जमींदार पर होता है क्योंकि अधिक लगान भूमि की उपज के मूल्य में स लागत तब निकाल कर बचता है । हम जान स्वयं में सामान्य लाभ के अनिश्चित कुछ भी नहीं होता । इसलिए वास्तविक कर-भार महत् करने को, सरकार न होता क्योंकि उसके पास कोई बचत नहीं होती । हा यदि जमींदार वास्तविक में पूरा अधिक लगान न ले रहा हो तब कर का भार वास्तविक पर भी पड़ सकता है ।

भूमि पर पत्तले उगाई जाती है। यदि कर किसी एक फसल, जूट, वा उगाने वाली भूमि पर लगा दिया जाता है और दूसरी फसलों को उगाने वाली भूमि पर नहीं लगाया जाता तो इस कर का भार जूट के उपभोक्ताओं पर पड़गा क्योंकि यदि वह कर देने के लिये राजी न होंगे तो जूट का उत्पादक जूट या उत्पादन छोड़ देगे और उनकी मांग पूरी न हो सकेगी। इसलिये उनको कर देना ही पड़ेगा।

यदि कर भूमि की उपज की मात्रा के अनुपात में लगाया जाता है तो उपज का भार मांग की लचक पर निर्भर होता है। इस कर के लगने से उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है। यदि मांग बेबोच है तो मूल्य बढ़न पर भी मांग कम न होगी इसलिये कर का भार उपभोक्ता पर होगा। इसके विपरीत जब मांग लचक वाली हो तब कर लगने में वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस के कारण मांग कम हो जाती है। इसके कारण सीमान्त खेता पर खेती होनी बन्द हो जाएगी। इस प्रकार सगान कम हो जाएगा। इसलिये जमींदार कर को स्वयं ही सहन करेगा और यदि नहीं करेगा तो उनका लगान कम हो जाएगा।

**इमारतों पर लगाये गये कर का भार (Incidence of Tax on Buildings)**— इमारतों पर लगाए गए कर का भार बड़ा पेशेवादी होता है। इमारतों का कर भार इमारतों के मालिक पर ही नहीं पड़ता बल्कि वह किराएदार तथा बनाने वाला पर भी पड़ सकता है। यदि किराएदार इस इमारत में व्यापार कर रहा है तो वह कर-भार को अपने ग्राहकों पर भी टबेल सकता है। परन्तु व्यापारी अपने ग्राहकों पर कर भार तभी टबेल सकेगा जबकि वह उसी से साधारणतया भाव खरीदते हों और दूसरे किसी स्थान से न खरीदते हैं। परन्तु यदि आवासमन के साधना तथा दार आदि की उन्नति हो जाए तो व्यापारी भी कर-भार टबेलने की शक्ति पर साधात पहुँचना है क्योंकि ग्राहक अपने माल न खरीद कर दूसरे उन स्थानों से खरीदने लगते हैं जहाँ कर न लगा हुआ हो। परन्तु इस प्रकार माल खरीदते वा लाभ केवल प्रयोग आदमी ही उठा सकते हैं, परीच आदमी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिये कर भार उन पर पड़ेगा।

अब हमको यह देखना चाहिए कि किराएदार तथा मालिक मकान दोनों में किस के ऊपर कर-भार पड़ता है। यदि मकानों की मांग बेबोच है (जो कि साधारणतया होती है) तो कर का अधिकतर भाग किराएदार पर पड़ता है। इसके विपरीत यदि मकानों की मांग लोचदार है यथायदि किसी स्थान पर मकानों की पूर्ति उनकी मांग में अधिक हो तब कर का भार मालिक मकानों पर पड़ सकता है परन्तु यह कर भार उन पर पड़े ही समय के लिए रहता है क्योंकि जैसे जगनन्ध्या की वृद्धि के साथ साथ मकानों की मांग बढ़ती है वैसे ही जैसे मालिक मकान कर भार किराएदारों

पर टकेलना आरम्भ कर देते हैं। इस प्रकार अन्त में प्रायः सारा बर-भार किराये दारों पर पड़ता है।

**आयात और निर्यात करों का भार (Incidence of Import and Export Duties)**—आयात और निर्यात करों से दो देशों के बीच होने वाले व्यापार में बड़ी बाधा उपस्थित होती है। इन करों के भार को निश्चित करने में हमको कई बातों की ओर ध्यान देना होगा। इसमें हमको यह देखना चाहिए कि वह दो देश जो आपस में व्यापार कर रहे हैं उनको एक दूसरे की वस्तुओं को प्राप्त करने की कितनी तीव्रता है। दूसरे शब्दों में हमको यह देखना पड़ेगा कि एक देश के लिए दूसरे देश की वस्तु की मांग कौसी है। लोचदार है प्रथम बेलाच। यदि एक देश (भारत) के लिए दूसरे देश (अमरीका) की मशीनों की मांग बेलाच है परन्तु अमरीका के लिए भारत की चाय की मांग लोचदार है तो इस प्रकार के बरा का अधिकतर भार भारत के लोगों पर होगा। इसका कारण यह है कि भारत के लोग अमरीका की मशीन खरीदे बिना नहीं रह सकते परन्तु अमरीका के लोग भारत की चाय के बिना अपना काम चला सकते हैं। इस कारण उनको मशीन खरीदने तथा चाय बेचते समय बर भार अपने आप महन करना पड़ेगा।

कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि आयात और निर्यात करों का भार मदा ही उस देश के लोगों पर होता है जो कि उनको लगाने हैं और यह कि यह बर भार विदेशी लोगों पर नहीं डरेला जा सकता। परन्तु यह बात गलत है। यदि कोई देश ऐसा है जिसमें कि किसी वस्तु की मसारा में उत्पन्न होने वाली मात्रा का एक बहुत बड़ा भाग उत्पन्न होता है तो ऐसा देश इस वस्तु पर लगाये गए निर्यात कर का भार विदेशियों पर टकेलने में सफल हो सकता है तथा विदेशी जो वस्तु इस वस्तु के बदले में देगे उसका आयात कर भी विदेशियों को ही देने पर बाध्य करेगा। इसके विपरीत यदि किसी देश में मसारा की उत्पत्ति का एक छोटा सा भाग ही उत्पन्न होता है तो ऐसा देश विदेशियों पर बर-भार नहीं डरेला सकता।

यदि वह देश जिनकी अधिकतर निर्यात पक्का माल है तथा अधिकतर आयात कच्चा माल तथा मद्य पदार्थ है आयात अधिकतर निर्यात कर लगाने हैं तो इनका बर भार उन्हीं देशों के लोगों पर पड़ेगा क्योंकि पक्के माल की मांग माधारणतया लोचदार तथा कच्चे माल की मांग बे लोच हीवी है। इसलिए वे लोग विदेशियों पर अपने आयात तथा निर्यात करों को नहीं डरेला सकते।

यदि किसी वस्तु का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय है तो इस वस्तु की पूर्ति किसी एक देश का बाजार के लिए जिसमें उस वस्तु की अधिकतर मात्रा उत्पन्न होती है लोचदार हीवी है। ऐसी स्थिति में लगाये गये आयात अधिकतर निर्यात कर का पूरा भार उन्हीं देश के लोगों पर होगा।

कर-भार इस बात पर भी निर्भर होता है कि विदेशी उत्पादक की आपात करने वाले देश के उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता है, अथवा वह एकाधिकारी है। प्रतियोगिता की स्थिति में तो विदेशी-उत्पादक कर-भार को दूसरों पर डाल ही नहीं सकता, परन्तु एकाधिकार की स्थिति में भी वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसका लाभ कम हो जावेगा। इस प्रकार दोनों हालतों में कर-भार विदेशी उत्पादक पर ही पड़ेगा।

**आय-कर का भार (Incidence of Income-Tax)**—आय-कर के भार के सम्बन्ध में लोगों के दो विचार हैं। एक प्रकार के लोग कहते हैं कि जब व्यापारी अपने माल का मूल्य निरिपत करता है तो वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आय-कर को ध्यान में रखता है। परन्तु दूसरे प्रकार के लोगों का विचार है कि आय-कर दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। इसलिये हमारे लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या विन्नात आय-कर को मूल्य बढ़ा कर दूसरों के ऊपर डकेल सकता है।

पूर्य प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घ काल में मूल्य सीमान्त उत्पादक के उत्पादन-व्यय के बराबर हो जाता है और सीमान्त उत्पादक को कोई लाभ नहीं होता इस लिए मूल्य के निरिपत करने में आय-कर सम्मिलित नहीं होता। यदि कोई व्यापारी अपना मूल्य बढ़ा कर, कर को धमूल करने का प्रयत्न भी करेगा तो दूसरे उत्पादक उसको ऐसा न करने देंगे। पहले ही अपने ही देश के उत्पादक बड़े प्रकार के होंगे। उनमें से कुछ आय-कर देते होंगे और कुछ आय-कर नहीं देते होंगे। जो उत्पादक आय-कर नहीं देते वह अपने माल को सस्ता बेच सकते हैं। इस लिए यदि कोई व्यापारी मूल्य बढ़ा कर, कर धमूल करने का प्रयत्न करेगा तब कर न देने वाले व्यापारी उसको ऐसा नहीं करने देंगे। इसके प्रतिरिक्त मूल्य बढ़ाने वाले व्यापारी को विदेशियों के साथ भी प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। प्रत्येक देश में कर लगाने का एक सा दग नहीं होता। जिस देश में कर कम लगता होगा उस देश के उत्पादक अवश्य ही प्रतियोगिता कर सकते हैं। प्रतियोगिता के भय के कारण कर लगाने पर भी व्यापारी मूल्य नहीं बढ़ाते। इसलिये कर-भार उन्हीं पर पड़ता है।

एकाधिकारी भी माघारणतया आय-कर का भार स्वयं ही सहन करता है। एकाधिकारी स्वयं ही इन प्रकार का मूल्य निरिपत करता है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। इसलिये यदि कर लगाने पर वह मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि करता है तो उसको अधिकतम लाभ प्राप्त न होगा। इसलिए वह स्वयं ही कर का भार सहन करेगा।

बड़ी बड़ी कम्पनियाँ भी कर-भार को उभेजने का प्रयत्न नहीं करती। कम्पनियों के हिस्सेदार कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ को कर देना पड़ता है और कुछ को कर नहीं देना पड़ता। इसलिये कम्पनी के मन् हिस्सेदारों को कर को डकेलने में कोई रुचि न होने के कारण कर-भार कम्पनी ही सहन करती है।

बहुत दगाधरी में कर-भार का विवर्तन किया भी जा सकता है जैसे जब मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हों तथा जब अपूर्ण प्रतियोगिता हो। पर इस प्रकार कर का विवर्तन थोड़े ही समय के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में कर के भार का विवर्तन नहीं किया जा सकता।

**कर का पूंजीकरण (Capitalisation of Taxes)**—जब किसी टिकाऊ सम्पत्ति की आय पर कर लगा दिया जाता है तो उस सम्पत्ति के प्राप्त होने वाली शुद्ध आय घट जाती है जिस के कारण सम्पत्ति का मूल्य भी घट जाता है। इस प्रकार की स्थिति को कर का पूंजीकरण (Capitalisation of Taxes) कहते हैं। कर का पूंजीकरण व्याज की प्रचलित दर के अनुसार किया जाता है। इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक भूमि का वार्षिक लगान १०० रुपये है तथा व्याज की दर ४ प्रतिशत है तो उस भूमि का मूल्य २५०० रुपये होगा (४ रुपये प्राप्त होते हैं १०० रुपये पर, तो १०० रुपये प्राप्त होने २५०० रुपये पर)। अब सरकार लगान पर १० प्रतिशत कर लगा देती है। इसके कारण भूमि का शुद्ध लगान १०० रुपये से घट कर ९० रुपये रह जाता है। इसलिए भूमि का मूल्य भी घट जाता है। अब भूमि का मूल्य केवल २२५० रुपये ( $\frac{100}{4} \times 90$ ) रह जाता है। इसलिए कर लगाने के पश्चात् यदि भूमि बेची जाती है तो उसको खरीदने वाला उस भूमि का इतना मूल्य देगा जिसमें कि उसको ४ प्रतिशत व्याज प्राप्त होता रहे, अर्थात् वह २२५० रुपये देगा। इस प्रकार इस कर का भार भूमि खरीदने वाले पर न पड़ कर भूमि बेचने वाले पर पड़ेगा। बेचने वाला इस कर का पूंजीकरण का देगा अर्थात् वह अपनी भूमि का मूल्य घटा देगा। इस प्रकार कर का भार मालिक के स्वामी पर पड़ेगा।

**कर का पूंजीकरण कब किया जा सकता है ?**—कर का पूंजीकरण निम्नलिखित बातों के पूरा होने पर ही हो सकता है —

(१) जब वस्तु टिकाऊ हो तथा उसकी पूर्ति न बढ़ाई जा सके—कर का पूंजीकरण उसी सम्पत्ति पर किया जा सकता है जो टिकाऊ हो तथा जिसकी पूर्ति माँग के अनुसार न घटाई बढाई जा सके, जैसे भूमि। यदि वस्तु टिकाऊ न होगी तथा उसकी पूर्ति माँग के अनुसार घटाई बढाई जा सकेगी तो कर का पूंजीकरण सम्भव नहीं हो सकता जैसे गोटी। इस प्रकार की वस्तु पर लगाये गये कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा।

जब कर दीर्घ काल के लिये लगाया गया हो—कर का पूंजीकरण तभी सम्भव है जब कि उसको दोषे काल के लिए लगाया गया हो। यदि कर थोड़े समय के लिए लगाया जायेगा तो सम्पत्ति को उस समय तक नहीं बेचा जायगा जब तक कि कर लगा हुआ है क्योंकि उस समय तक विक्रेता को अपनी सम्पत्ति का कम मूल्य

मिलेगा । वह उसको तभी बेचेगा जबकि उसको उसका पूरा मूल्य मिलेगा । ऐसी स्थिति में कर का भार खरीदार पर पड़ेगा । यदि खरीदार उसका पूरा मूल्य देने के लिए तैयार न होगा तो भारतीय सम्पत्ति को उम समय तक जब तक कि कर खरा हुआ है न बेचकर, कर हटाने के पश्चात् पूरे मूल्य पर बेचेगा । इस बात से सिद्ध हुआ कि कर का पूंजीकरण तभी हो सकता है जबकि कर अग्रे समय के लिए लगाया गया हो ।

(३) जब कर लग्नी हुई वस्तु का पूंजीकृत मूल्य हो—कर का पूंजीकरण तभी किया जा सकता है जबकि वह चीजें जिन पर कर लगाया गया हो बाजार में बेची खरीदी जा सकें । इस दृष्टि से मजदूरी का पूंजीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि मजदूर को बाजार में बेचा खरीदा नहीं जा सकता । क्याचिन् एक ऐसे समाज में जहा गुलाम प्रथा हो गुलामों की मजदूरी का पूंजीकरण किया जा सकता है क्योंकि वहा गुलामों को दूसरी वस्तुओं के समान बेचा खरीदा जाता है । ऐसे समाज में मजदूरी पर कर लगने पर गुलामों का बाजार मूल्य कम हो जायेगा और कर का भार गुलामों के स्वामी पर पड़ेगा ।

(४) जब कर क्षेत्रल किमी एक वस्तु पर ही लगाया गया हो—कर का पूंजीकरण तभी सम्भव है जबकि वह सब चीजों पर न लगाया जाये वरन् किसी एक चीज पर ही लगाया जाये । यदि कर सब चीजों पर समान रूप से लगाया जायेगा तो रुपया लगाने वालों को सब खाना पर एक सा ही लाभ प्राप्त होगा । परन्तु यदि वह किसी एक वस्तु पर लगाया जायेगा तो उम वस्तु से कम लाभ प्राप्त होगा और दूसरी से अधिक । इसलिए यदि पहली वस्तु का स्वामी कर का पूंजीकरण न करेगा अर्थात् वह कर के अनुसार उसका मूल्य न घटायेगा तो उस वस्तु को कोई न खरीदेगा और हर एक व्यक्ति दूसरी चीजों में अपना रुपया लगायेगा । उदाहरण के लिए यदि विरायें पर तो ५ प्रतिशत कर लग गया और कम्पनी के हिस्सों ने प्राप्त लाभार्थ (Dividend) पर न लगा तो हर व्यक्ति कम्पनी के हिस्सा में रुपया लगायेगा । इसलिए भवान का स्वामी यदि अपने भवान को बेचना चाहेगा तो उसको कर के अनुसार अपनी सम्पत्ति का मूल्य घटाना ही पड़ेगा ।

(५) जब कर लग्नी हुई वस्तु का स्वामित्व शीघ्र बदले—जिन वस्तु पर कर लगाया जाता है उमका स्वामित्व शीघ्र बदलते रहना चाहिए नहीं तो बेचने, खरीदने के कारण वस्तु के मूल्य में जो कमी होती है वह न हो सकेगी ।

कर का रूपान्तरण (Transformation of Tax)—यदि किसी कर का पूंजीकरण कर दिया गया तो उमका अभिप्राय यह नहीं है कि उसका भार उस वस्तु के मालिकों पर बिल्कुल न पड़ेगा । व्यापारी कर को उस समय तक छोड़े नहीं दबे ल सकता जब तक कि वह उत्पादन के ढङ्गों में उन्नति न करे । उत्पादन के ढङ्गों में उन्नति होने पर कर के कारण होने वाली हानि लाभ में बदल सकती है । उन्नति

के कारण जब कर की हानि लाभ में बदल जाती है तो इस दृष्टि को कर का रूपान्तर कहते हैं। सेलिगमन (Saligmen) का कहना है कि रूपान्तर में कर का भार उत्पादक पर ही पड़ता है परन्तु डी० टी० लकडावाला (D. I. Lackdawal) के अनुसार रूपान्तर के पदचातु कर का भार उपभोक्ता पर पड़ता है क्योंकि उन्नति का उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होता।

## कर विवर्तन के सिद्धान्त

### (Theories of Shifting of Taxes)

कर विवर्तन के सम्बन्ध में कई प्रकार के विचार पाये जाते हैं। यह विचार निम्नलिखित हैं —

**फिजियोक्रेटस का सिद्धान्त (Theory of Physiocrats)**—इस विचार के लोग वा विद्वान या वि वास्तविक वस्तु खेती पर ही होती है, इसलिए जमींदार पर ही कर लगाया चाहिये। यदि कर दूसरे उद्योगों पर लगाया जायेगा तो उसका विवर्तन उस समय तक होता रहेगा जब तक कि वह जमींदार के ऊपर ठहरे। इसलिए दूसरे उद्योगों पर कर न लगाकर जमींदार पर ही शीघ्र कर लगा देना चाहिए। इस विचार के विरुद्ध हम पहले ही तर्क द चुके हैं। (देनिंग एव श्रॉर वरु कर-प्रणाली)

**कर प्रसार का सिद्धान्त (Diffusion Theory of Taxes)**—इस सिद्धान्त के अनुसार कर विवर्तन उक्त समय तक होना रहता है जब तक कि वह सार समाज में फैले। केनाड (Canard) ने कर प्रसार की तुलना कपिल की चीर पाठ (Operation of Cupping) से की है। उसका कहना है कि जिन प्रकार शरीर की किसी एक नस से यदि खून निकाल लिया जावे तो केवल उन्हीं नस में खून की कमी नहीं होगी बल्कि सारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। उसी प्रकार जब कर किसी एक स्थान पर लगा दिया जाता है तब इसका भार वस्तु उक्त स्थान पर न ठहर कर सारे समाज में फैल जाता है। इस प्रकार कर का भार किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता। १८ वीं शताब्दी के अन्त के लगभग बार्ड मैसफील्ड ने कहा था, 'मे यह मत्स्य मानता हूँ कि विभी स्थान में लगाया हुआ कर विभी भोज में गिरे हुए पर्यटन के समान है जो कि उसमें वृत्त बनाता है जिसमें कि एक वृत्त दूसरे वृत्त की ऊपरति करता है तथा उसकी आगे बढ़ता है और केन्द्र में लगातार समस्त परिधि में हलचल मच जाती है।'

इस सिद्धान्त के मानने वाला का मत है कि एक पुराना कर काई कर नहीं होता (An old Tax is no Tax)। इसलिए पुराने कर का भार किसी पर

नहीं पड़ता। इस कारण उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए भारत में नमक कर पुराना कर था, इसलिए इसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तर्क के समर्थन में कई बातें कही जा सकती हैं। पहली, पुराने कर का पूंजीकरण किया जा सकता है इसलिए उसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता। परन्तु, जैसा पहले बताया जा चुका है, टिकाऊ सम्पत्ति पर लगाये गये कर का ही पूंजीकरण किया जा सकता है। दूसरी, नर प्रसार के सिद्धान्त वाले कहते हैं कि हर कर सारे समाज में शून्य शून्य इस प्रकार से फैल जाता है कि उसका भार भार निश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार कर भार इतना कम हो जाता है कि वह किसी को भी महसूस नहीं होना। इसलिए कर हटाने की कोई आवश्यकता नहीं।

इस सिद्धान्त के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। पहली, यह कि यद्यपि पुराने कर का भार समाज के सारे लोगों के ऊपर फैल जाता है परन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि उसका भार मात्र ही नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष में नमक पर से कर हटाने का प्रभाव यह हुआ कि नमक का मूल्य कम हो गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं को लाभ हुआ। इसलिए यह कहना कि पुराना कर, कर ही नहीं होता ठीक मानना नहीं पड़ता। दूसरे, जब कोई कर लगाया जाता है तो उसके सारे समाज में फैलने से पहले लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ समय उसको अनुभव करके वह उसको महसूस करना छोड़ देते हैं जैसे कि बदन के पुराने फोड़े का कुछ समय पश्चात् ध्यान छोड़ दिया जाता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि फोड़ा शरीर को कष्ट नहीं देता। इसी प्रकार पुराने कर का भार भी कष्ट देता रहता है।

**आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory)**—मानकल के लोगों का विश्वास है कि नर केवल बचत (Surplus) पर लगाया जा सकता है। यदि बचत पर नर लगाया जायेगा तो वह इस बचत में से चुका दिया जायेगा। परन्तु यदि बचत न हुई तो कर का विवर्तन उम्र मरण तक होना रहेगा जब तक कि बचत हो। यदि किसी वस्तु पर कर लगा दिया जाये तो उसका भार श्रेता और विप्रेता पर, यदि उनको बचत हो, पड़ सकता है।

नर की उत्पादन-व्यय का भग माना जाता है। इसलिए किसी वस्तु के मूल्य में कर भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि वस्तु का मूल्य पहले ही इतना अधिक है कि उसमें नर सम्मिलित किया जा सकता है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस मूल्य में बचत पहले ही सम्मिलित है। यदि मूल्य इतना ऊँचा नहीं है तो मूल्य इतना ऊँचा हो जायेगा कि उसमें कर भी सम्मिलित होगा।

कर का वितना भाग श्रेता तथा विप्रेता पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि उन दोनों के लिए भाग तथा पूर्ति की कमी कितनी है। यदि पूर्ति लक्ष्य



वाली है पर मांग बेलांच है तो कर का भार श्रेताओं पर पड़ेगा। इसके विपरीत यदि मांग लोचदार है और पूर्ति देलांच है तो कर का भार विप्रेताओं पर पड़ेगा। इस प्रकार मांग और पूर्ति की लचक से कर के भार का पता लगाया जा सकता है। व्यावहारिक जीवन में न तो मांग ही पूर्ण रूप से बेलांच होती है और न पूर्ति ही इमलिए कर का भार श्रेताओं तथा विप्रेताओं पर किसी न किसी मात्रा में पड़ता है। यह बात हर प्रकार के कर के ऊपर लागू होती है, चाहे वह वस्तु पर लगाया गया हो, अथवा सेवा पर, अथवा धम पर, अथवा पूँजी पर अथवा धन्य पर।

### करों का प्रभाव (Effects of Taxes)

सबसे अच्छी कर पद्धति वह कही जा सकती है जिसका आर्थिक प्रभाव सबसे अच्छा हो। करों के प्रभाव को हम तीन भागों में बाट सकते हैं—(१) उत्पत्ति पर प्रभाव (२) वितरण पर प्रभाव तथा (३) धन्य प्रभाव।

करों का उत्पत्ति पर प्रभाव (Effects on Production)—कर का उत्पत्ति पर प्रभाव तीन प्रकार से पड़ता है—(अ) कार्य करने तथा बचाने की योग्यता पर प्रभाव, (ब) कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव, (स) आर्थिक साधनों के विभिन्न पेशों तथा क्षेत्रों में बंटने पर प्रभाव।

(अ) कार्य करने तथा बचाने की योग्यता पर प्रभाव—कर का मनुष्य को बचाने तथा कार्य करने की योग्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कर लग जाने पर कर-दाता की धन्य कम हो जाती है जिससे कारण बेचल उम्रों की कार्य करने की योग्यता कम नहीं होती वरन् उसके बच्चों की भी हो जाती है क्योंकि वह अब पहले से कम आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। यही कारण है कि छोटी छोटी धन्यो तथा जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं पर कर नहीं लगाया जाता क्योंकि इन पर कर लगाने से गरीब आदमियों की कार्य करने की योग्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं हैं परन्तु जिनकी आदमी को आदत पड़ गई है, ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने से उन पर खर्च बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च घट जाता है। इसलिए इन वस्तुओं पर लगाया गया कर भी कार्य करने की योग्यता को घटाता है। यह बात निश्चित बरनी तो बड़ी कठिन है कि कितनी धन्य पर कर न लगाया जाये, पर कर लगाने समय इतनी धन्य धन्य छोड़ देनी चाहिए जिससे कि कर-दाता अपना जीवन ठीक प्रकार चला सके।

कर लगाने से मनुष्य की बचाने की योग्यता अथवा कम हो जाती है। इसलिए जब बड़ी २ धन्य पर कर लगाया जाता है तो उससे बहुत कम हो जाती है।

(घ) कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव—किसी कर का एक व्यक्ति के कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है यह कर के प्रकार तथा व्यक्ति पर इस कर का प्रभाव के ऊपर निर्भर होता है। मनुष्य पर कर का क्या प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर है कि उसके लिए आय की मांग की तोच कौंधी है। यदि किसी व्यक्ति के लिए आय की मांग की तोच कम है तो वह कर लगाने पर अधिक कार्य करेगा परन्तु यदि उसके लिए मांग की तोच अधिक है तो वह कर लगाने पर कम कार्य करेगा। आय की मांग की तोच हर व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को एक बड़े परिवार को पालना है अथवा जो व्यक्ति भविष्य में एक निश्चित धन राशि एकत्र करना चाहता है अथवा जो धन एकत्र करके समाज में बड़ा बनना चाहता है, वह व्यक्ति कर लगाने पर अधिक कार्य करेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति इन भावनाओं में दूर है वह कर लगाने पर कोई अधिक कार्य नहीं करेगा। व्यापारी लोग को मन्दी के समय छोटे स छोटा कर भी अधिक दिखाई देता है परन्तु तेजी के समय बड़े से बड़ा कर भी अधिक मालूम नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी कम्पनियों को सदा यह चिन्ता रहती है कि उनका अधिक से अधिक विनियोजन हो। इसलिए कर लगाने पर उनकी कार्य करने तथा बचाने की इच्छा बढ़ती है।

कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि कर किस प्रकार का है। यदि कर अचानक होने वाली आय, जैसे लाटरी की आय, पर लगा दिया जाये या कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसी प्रकार पिता से सम्पत्ति प्राप्त करने वाले तथा एकाधिकारी की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर भी कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अचानक होने वाली अथवा पिता से प्राप्त हुई आय का तो कार्य करने तथा बचाने में कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि इस प्रकार की आय प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। एकाधिकारी पर लगे हुए कर का प्रभाव भी उसकी कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि वह पहले ही अधिक से अधिक आय प्राप्त करने के लिए मूल्य निश्चित कर चुका है। मूल्य में परिवर्तन से उसकी आय घट जायेगी।

आय पर सामान्य आय-कर लगाने का लोगो की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कुछ विशेष धस्तुओं पर लगाये गये कर की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुछ लोगो का यह मुझाव है कि सामान्य आय कर के स्थान पर विशी-कर लगाना चाहिए। परन्तु विशी कर का वितरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। आय-कर के लगाने के ढङ्ग पर भी लोगो की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा निर्भर होती है। यदि आय-कर परिश्रम द्वारा प्राप्त की गई आय तथा सम्पत्ति

में प्राप्त आय पर कुछ भेद-भाव से लगाया जाता है तो इसका कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा भेद-भाव करने से मनुष्य की कार्य करने की इच्छा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु उसको बचाने की इच्छा पर उसका अवश्य प्रभाव पड़ता है। यदि आय पर वर्द्धमान कर लगाया जाता है तो हमसे वही २ आयों के बचाने तथा उसको प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। हमारे देश में लियावण श्रेणी द्वारा बनाये गये बजट का ऐसा ही प्रभाव पड़ा था।

बुद्ध लोगों का सुभाव है कि उत्तराधिकारी कर (Inheritance Tax) लगाया जाना चाहिए। परन्तु कुछ लोगों का विश्वास है कि इस कर के कारण सम्पत्ति के एकाग्र करने में बड़ी बाधा उपस्थित होगी। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हम कर का बीमा करा दिया गया है तो उसका उसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा जिस प्रकार कि आय-कर का क्योंकि ऐसा करने में बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम उसी प्रकार देना पड़ेगा जिस प्रकार कि सरकार को कर। परन्तु यदि उत्तराधिकारी कर इटली के अर्थशास्त्री रिग्नेनो (Rignano) के बताये हुए ढङ्ग पर लगाया जाये तो उसका कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कम प्रभाव पड़ेगा। उसका कहना है कि इस प्रकार का कर सम्पत्ति की आयु के अनुसार लगाना चाहिये—कम आयु वाली पर कम और अधिक आयु वाली पर अधिक। ऐसा होने पर लोगों की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कम प्रभाव पड़ेगा। उत्तराधिकारी कर का एक अन्वेषण प्रभाव यह होगा कि इसके लगने पर उत्तराधिकारी की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा बढ़ जायेगी क्योंकि वह जानता है कि उसको अधिक सम्पत्ति नहीं मिलेगी। परन्तु सम्पत्ति मिलने की आशा में बहुत से लोग काम करना छोड़ देते हैं और कुछ नो उसके मिलने की आशा में कष्ट-भार बढ़ा खेते हैं। इस प्रकार उत्तराधिकारी कर का कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(स) आर्थिक साधनों के विभिन्न पेशों तथा क्षेत्रों में बाँटने पर प्रभाव—  
साधारणतया लोगों का यह विश्वास है कि करा क लगने से आर्थिक साधन एक पेशे तथा एक क्षेत्र को छोड़ कर दूसरे पेशे अथवा क्षेत्र में चले जाते हैं और हमने भारत उत्पत्ति कम होनी है क्योंकि नये पेशों के साथ पूँजी का ठीक प्रकार का सामंजस्य नहीं हो पाता। परन्तु कर लगने पर पूँजी की इस प्रकार की गति साधारणतया सम्भव नहीं होती क्योंकि पूँजी तथा श्रम विशिष्ट (Specialized) हो जाते हैं। हा, कर लगने से उम पेशे तथा क्षेत्र में नई पूँजी नहीं लगाई जाती। परन्तु किसी पेशे में लगाई गई पूँजी हम बात पर निर्भर होती है कि उम वस्तु की माग तथा पूर्ति की लचक कैसी है।

कर का आर्थिक साधनों के लगाने पर कोई प्रभाव न पड़े इसलिए कुछ लोगों ने अचानक होने वाले लाभों (Windfalls), भूमि की म्यक्ति, एकाधिकारी

तथा सब प्रकार के पैसे पर सामान्य कर लगाने का सुझाव दिया है। इन बरो के लगने से धार्मिक साधनों के एक पैसे तथा स्थान को छोड़कर दूसरे पैसे तथा स्थान पर जाने की कम सम्भावना रहती है क्योंकि ऐसा करने से कोई लाभ न होगा। मान लिया एकाधिकारी पर कर लग गया तो यदि वह उस पैसे को अथवा स्थान की छोड़कर जायेगा तो उसको दूसरे पैसे अथवा स्थान पर प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि सब पैसे अथवा स्थानों पर एक सा कर लगाया जायेगा तो दूसरे पैसे अथवा स्थान पर बर भार कम न होने के कारण कोई अपने साधनों वा स्थानान्तरण न करेगा। अमान्य होने वाले लाभों में तो ऐसा करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार भूमि की स्थिति पर लगाया गया कर क्योंकि भूमि के स्वामी पर होता है तथा क्योंकि भूमि की पूति कम या अधिक नहीं की जा सकती इसलिये बर लगाने वा भूमि की पूति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धार्मिक साधनों का एक पैसे अथवा स्थान को छोड़ना सदा ही हानिकारक नहीं होता। कभी २ वह लाभदायक भी होता है और उसको कर द्वारा प्राप्ता किया जा सकता है। इस प्रकार के बर मदिरा कर, एकाधिकार पर कर तथा विनी विशेष कार्य के लिए भूमि के प्रयोग पर कर आदि है।

परन्तु कभी कभी धार्मिक साधनों का एक पैसे अथवा स्थान को छोड़ना हानिकारक भी होता है। यदि मकानों पर बर लगा दिया जाये तो उसमें मकानों की कमी हो जाती है और इसके कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गलत कर के विषय में कुछ मतभेद है। कुछ का कहना है कि इस कर को लगाना उचित है परन्तु कुछ इसको अनुचित बताते हैं। परन्तु इस कर के कारण धार्मिक साधन एक पैसे को छोड़कर दूसरे में अग्रसर चले जाते हैं और यद्यपि प्रारम्भ में इन बर से उपभोक्ताओं की हानि हो सकती है परन्तु अन्त में इससे समाज को लाभ होता है।

बरो के कारण धार्मिक साधन एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में भी चले जाते हैं, परन्तु यह बात उन्हीं साधनों के लिए सम्भव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परन्तु कुछ साधन ऐसे हैं जो अपने स्थान को छोड़ ही नहीं सकते जैसे देन, गृह आदि में भये हुए साधन। इसी लिए इन पर लगाये गये कर का इन साधनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि भूमि के मूल्य पर कर लगाया जाता है तो उसने कारण भी भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए बहुत से व्यक्ति भूमि पर बर लगाने की मलाह देते हैं।

बरो के कारण धार्मिक साधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना कभी कभी लाभदायक भी होता है। इसने कारण उद्योगों का विभिन्न स्थानों पर ठीक

प्रकार का वितरण हो जाता है। ऐसा होने पर बड़े शहरो अधिकतम जनसंख्या की समस्या बहुत कुछ मुक्त जाती है। परन्तु यह लाभ तभी प्राप्त होता है जब कि करो के कारण पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग-धन्धे चालू हो जायें। ऐसे क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए तो सरकार आर्थिक सहायता (Subsidy) भी दे सकती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करो का उत्पत्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है करो के कारण उत्पत्ति कम हो जाती है क्योंकि इनके कारण साधारणतया मोग कम बचन करते हैं। करो का प्रभाव उनके प्रकार तथा करदाताओं की आदतों पर निर्भर होता है।

### करों का वितरण पर प्रभाव (Effects of Taxation on Distribution)

करो का धन के वितरण पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनके द्वारा प्राथमिक समाज में जो धन का असमान वितरण है उसको कम किया जा सकता है। जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर (Wagner) ने सबसे पहले करो द्वारा धन के असमान वितरण को दूर करने की बात कही थी। उसके पश्चात् इस बात की बड़ी मान्यता दी गई और आजकल असमान वितरण के अन्याय को इसी ढङ्ग से दूर किया जाता है।

कर कई प्रकार के होते हैं जैसे अनुपातिक, वर्द्धमान, प्रतिगामी तथा अयो-गामी। इनमें से प्रतिगामी, अनुपातिक तथा मामूली वर्द्धमान करो से धन का वितरण असमान होता है। इसके विपरीत बहुत दालू वर्द्धमान कर (steeply progressive tax) से धन का वितरण समान हो जाता है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस प्रकार का कर ही लगाना चाहिये। परन्तु इस प्रकार का कर लगाने समय छोटी-छोटी आयों पर कर नहीं लगाना चाहिए तथा जिन व्यक्तियों को एक बड़े परिवार का पालन करना होता है उनको पारिवारिक सहायता देनी चाहिए। परन्तु इस प्रकार के कर का उत्पत्ति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसने कारण पूंजी व धन एक स्थान से दूसरे उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ कर नहीं होता। इस बात को रोकने के लिए कर को बहुत बड़े क्षेत्र में लगाना चाहिए।

सब व्यक्तियों पर लगाया गया समान कर तथा अनुपातिक कर लगाना बड़ा सरल है परन्तु यदि धन का वितरण समान न हो (जो साधारणतया नहीं होता) तो यह कर प्रतिगामी होते हैं अर्थात् इनका भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। जो वस्तुएं अधिकतर लोगों के उपयोग में आती हैं उन पर लगाया गया कर भी प्रतिगामी होता है। वस्तुओं पर दो प्रकार का कर लगाया जा सकता है—विशिष्ट (specific) तथा मूल्यानुसार (Ad valorem), इनमें से मूल्यानुसार कर अधिक न्यायसङ्गत है क्योंकि उसको इस प्रकार लगाया जा सकता है जिसमें उसका भार अमीरों पर पड़े। व्यक्तिगत व्यय पर लगाया गया कर तथा विशेष कर भी प्रतिगामी होते हैं।

पहना इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसके व्यय का उसकी आय के साथ अनुपात घटता जाता है। इसलिए यह कर अधिकतर छोटी आयों पर ही पड़ता है। दूसरा इसलिए कि इसका भार उन लोगों पर पड़ता है जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त धार-कर के समान इसको बढ़ाना भी नहीं बनाया जा सकता। इस कर को इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता जिससे कि कम धार वाले लोगों पर इसका भार कम हो तथा अधिक धार वालों पर अधिक। इन सब बातों के कारण इस कर को जहाँ तक हो सके नहीं लगाना चाहिए। परन्तु हमारे देश में प्रायः सभी राज्यों ने प्रायः की दृष्टि से इस कर को लगाया है। यह कर लगाने समय यद्यपि कुछ आवश्यक वस्तुएँ छोड़ दी गई हैं परन्तु फिर भी जिन चीजों पर यह कर लगा हुआ है उनमें से बहुत सी गरीबों के उपयोग में आती हैं। इसलिए कर का भार उन पर भी पड़ता है। उत्तराधिकारी पर लगाने वाले कर को भी बढ़ाना आवश्यक है। कर को न केवल सम्पत्ति के मूल्य का ध्यान रख कर लगाना चाहिए बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कर-दाता की आर्थिक स्थिति कैसी है। सम्पत्ति पर साधारणतया उसकी पूँजीगत कीमत पर कर न लगा कर उसकी आर्थिक धार पर कर लगाना चाहिए। परन्तु बहुधा पूँजीगत कीमत पर भी कर लगाना आवश्यक होता है, जैसे उस समय जब हमको एक बड़ा भारी विदेशी ऋण चुकाना है। सम्पत्ति पर लगाए गए कर को यदि बढ़ाना कर दिया जाए तो उस के द्वारा धन का वितरण समान करने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण बढ़ाना कर प्रायः की असाधारणता को दूर करने में बड़ा सहायक है।

#### करों के अन्य प्रभाव (Other Effects of Taxation)—

करों के सम्बन्ध में यह बात बतानी आवश्यक है कि उनके एकत्र करने का व्यय कम से कम होना चाहिए। इसलिए कर ऐसी आयों तथा वस्तुओं पर लगाना चाहिए जो मूल्य में अधिक हों क्योंकि अधिक और कम मूल्य की वस्तुओं के ऊपर लगाए गए कर को एकत्र करने का खर्च तो एकसा ही होता है परन्तु बड़ी आय तथा मूल्यवान् वस्तु से प्राप्त आय अधिक होती है। आय कर तथा उत्तराधिकारी कर के एकत्र करने का खर्च साधारणतया वस्तुओं पर लगे हुए कर की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण यह है कि पहली प्रकार के करों का बहुत सा भाग मालिकों द्वारा ही काट कर खजाने में जमा कर दिया जाता है। वस्तुओं का कर भी जहाँ तक हो उस समय एकत्र करना चाहिए जब वह देश की सीमा को पार करें। इस प्रकार आमतौर पर करों का खर्च चुन्नी से बहुत कम होता है।

करों को एकत्र करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कर-दाता पर कर का खर्च कम से कम पड़े तथा उसको कर कम से कम महसूस हो। बहुत से

स्थाना पर कर दाताओं को बहुत से पामे भर कर प्राय-कर विभाग को भेजने पड़ते हैं तथा प्राय-कर अधिकारी करदाता को हिसाब दिखाने के लिए अनेक बार अपने पान बुलवाते हैं। इसके कारण कर दाता का खर्च भी बढ़ता है तथा उसको बड़ी कठिनाई भी उठानी पड़ती है। जहां तक हो कर दाताओं को इन बातों से बचाना चाहिए।

करों का रोजगार पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का विद्वान है कि कर देने से रोजगार कम हो जाता है परन्तु ऐसी बात नहीं है। सरकार को जो धन कर के रूप में दिया जाता है उसको समुद्र में फेंका हुआ नहीं समझना चाहिए। कर देने से श्रम-शक्ति जनता के हाथ में से निकल कर सरकार के हाथ में चली जाती है जिससे सरकार की धर्मिकों की माग बढ़ जाती है। इस प्रकार जनता व सरकार की धर्मिकों की माग पहले जितनी ही रहती है।

कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका रोजगार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जैसे किसी उत्पादक पर मजदूरों की सख्या के अनुसार कर लगाने पर रोजगार कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि सरकार उत्पादकों को धर्मिकों की सहा के अनुसार अर्थ सहायता देती है तो इसमें रोजगार बढ़ता है। करों का रोजगार पर प्रभाव देखने के लिए हमको सार्वजनिक व्यय को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि करों के एकत्र करने का व्यय कम से कम होना चाहिए। उनके द्वारा कर दाताओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा उसके कारण रोजगार नहीं घटना चाहिए।

## अध्याय ५

### सार्वजनिक ऋण

(Public Debt)

सार्वजनिक ऋण क्या होता है ?— जिन प्रकार एक व्यक्ति के जीवन काल में बहुत से ऐसे भ्रवसर आते हैं जब उसको अपनी आय तथा बचत से अधिक खर्च करना पड़ता है उसी प्रकार किसी देश की सरकार को भी समय समय पर आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। ऐसे भ्रवसरो पर व्यक्ति के समान राज्य को भी ऋण लेना पड़ता है। ऋण लेने का अभिप्राय यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सरकार फिजूल खर्च कर रही है क्योंकि बहुत से भ्रवसर ऐसे होते हैं जिन पर ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे भ्रवसरो पर यदि ऋण न लिया जाए तो देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, जैसे युद्ध काल में। ऋण की आवश्यकता देश में चलने वाले सभी प्रकार के शासनो को पड़ती रहती है। परन्तु हर प्रकार के शासन की ऋण की आवश्यकता का प्रकार अलग अलग होता है जैसे केन्द्रीय सरकार युद्ध लड़ने के लिए ऋण ले सकती है, राज्य सरकार अपने राज्य की कृषि तथा उद्योग धन्धों की स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा कर सकती है तथा स्थानीय शासन अपने क्षेत्र में सड़क बनवाने, पानी, बिजली गैस आदि का प्रबन्ध करने के लिए ऐसा कर सकती है। इस प्रकार के सब ऋण आवश्यक होते हैं। परन्तु कभी कभी सरकार ऐसे कार्यों के लिए भी ऋण ले लेती है जिनसे राष्ट्र की कोई भलाई नहीं होती। इस प्रकार चाहे जिस कार्य के लिए भी कोई सरकार ऋण लेती हो वह सार्वजनिक ऋण कहलाएगा।

सार्वजनिक ऋण सरकार की किसी बर्ष की आय का एक अङ्ग होता है। परन्तु क्योंकि ऋण को कुछ समय पश्चात् लौटाना पड़ता है इसलिए दीर्घकालीन दृष्टि से उसको सरकारी आय नहीं कह सकते। इस प्रकार सार्वजनिक आय में हम केवल वही आय सम्मिलित करते हैं जिसको वापस देना नहीं पड़ता। ऋण को वापस देना ही पड़ता है। यदि वह व्यक्ति जिससे ऋण लिया गया हो मर जाए अथवा उसका कोई पता न चले तो उससे लिया हुआ ऋण तथा उस पर व्याज उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। कुछ ऋण ऐसे भी होते हैं जिनका मूलधन सरकार को लौटाना नहीं पड़ता परन्तु उन पर सरकार को व्याज भ्रवश्य देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार की दूसरी प्रकार की आय तथा ऋण में यही भेद किया जा सकता



है जब कि दूसरी प्रकार की घायलों लौटाने का कोई भार सरकार पर नहीं होता परन्तु ऋण को किसी न किसी रूप में लौटाने का भार सरकार पर अवश्य रहता है।

सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण की तुलना (Public and Private Debts compared)—

सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण में निम्नलिखित भेद है—

[१] राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है। जब सरकार ऋण लेती है तो वह राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के सामर्थ्य उमको खर्च करती है। इस प्रकार ऋण का कुछ न कुछ लाभ उन व्यक्तियों को भी पहुंच जाता है जिनसे वह ऋण लिया गया है। इसके विपरीत जब एक व्यक्ति दूसरे से ऋण लेता है तो वह उसको केवल अपने लाभ के लिए ही खर्च करता है। इस ऋण का कोई लाभ ऋण दाता को नहीं पहुंचता। उसको कभी कभी हानि हो जाती है क्योंकि वह अपने कुछ आवश्यकताओं को मनुष्ट करने से वंचित रह जाता है।

[२] जब सरकार ऋण लौटाती है तब देश के लोगों से लिए गए वर के द्वारा ही वह उसको लौटाती है। इन वरों का कुछ भार उन लोगों पर भी पड़ता है जिन्होंने कि सरकार को ऋण दिया है। इस प्रकार उन लोगों को दिए हुए ऋण में से कर का धन घटा कर जो कुछ बचता है वह प्राप्त होता है। इसके विपरीत व्यक्ति को अपनी आम भ्रष्टाचार वचत में से ऋण देना पड़ता है और यदि उसको ऋण लेकर भी ऋण चुकाना पड़ना है तो वह उस व्यक्ति से ऋण नहीं ले सकता जिसने कि उसको ऋण दिया था। इस प्रकार व्यक्तिगत ऋण राष्ट्र लौटाया जाता है। अतः सार्वजनिक ऋण से एक ओर तो ऋण-दाता को लाभ होता है परन्तु दूसरी ओर वर लगने के कारण उमकी हानि होती है। यह दोनों बातें व्यक्तिगत ऋण में नहीं होती।

[३] सरकार के हाथ में सत्ता होती है। वह अपने तथा व्यक्तियों के लिए नियम बनाती है। इसलिए वह जनता को ऋण देने तथा ऋण पर कम ब्याज लाने पर विवश कर सकती है। वह ऋण को चुकाने में इन्कार कर सकती है, यद्यपि ऐसा कभी कभी होता है। इसके विपरीत व्यक्ति दूसरे से उमकी इच्छा के विरुद्ध ऋण नहीं ले सकता। वह उसकी इच्छा के विरुद्ध ब्याज कम नहीं कर सकता और न ही वह ऋण चुकाने से इन्कार कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो कानून उसको ऋण चुकाने के लिए बाध्य कर देता है।

[४] राज्य सदा ही चलता रहता है। केवल उमको चलाने वाले व्यक्ति ही बदलते हैं। यह नए व्यक्ति पुराने व्यक्तियों के सब भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए सरकार का दीर्घ कालीन ऋण मिल सकता है। परन्तु एक व्यक्ति को

घायु बहुत कम होती है और उसके ऋण का भार साधारणतया दूसरे व्यक्ति अपने ऊपर नहीं लेते, इसलिए उसको दीर्घ कालीन ऋण नहीं मिलता ।

[५] सरकार की सार्वजनिक से बहुत अधिक होती है । इसलिए सरकार को व्यय की अपेक्षा कम न्याय पर ऋण मिल जाता है ।

[६] सरकार प्रान्तरिक तथा बाह्य ऋण ले सकती है परन्तु व्यक्ति केवल बाह्य ऋण ही ले सकता है । वह अपने धाप से ऋण नहीं ले सकता, परन्तु सरकार अपने देश के लोगों से ऋण ले सकती है ।

[७] सरकार साधारणतः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेती है परन्तु व्यक्ति उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए ऋण लेता है ।

[८] सरकारी ऋण का देश की उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है परन्तु व्यक्तिगत ऋण का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

**सार्वजनिक ऋण का इतिहास (History of Public Debt)**—  
सार्वजनिक ऋण का रिवाज १७ वीं शताब्दी के अन्त से हुआ । उससे पूर्व राजा को ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि या तो वह अधिक कर लगा कर खपा ले लेता था या कहीं कहीं कोई राजा गरीबी राजा के राज्य को लूट कर अपना कार्य चला लेता था । इसके पश्चात् राजाओं ने बैंकों से ऋण लेना आरम्भ कर दिया परन्तु राजाओं द्वारा बैंकों से ऋण न लौटाए जाने पर बहुत से बैंक फेल हो गए ।

**बेस्टेबिल (Bastable)** ने बताया है कि पहले-पहल जिनोवा तथा वेनिस में सार्वजनिक ऋण बैंकों द्वारा एकत्र किया गया था । यह बैंक इसी कार्य के लिए स्थापित किए गए थे । डच लोगों ने भी सरकारी तौर पर ऋण लिया था तथा कुछ देशों को ऋण दिया भी था । इंग्लैंड में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने १६९४ ई० में सरकार को ऋण दिया-या । यह बैंक इसी कार्य के लिए स्थापित किया गया था ।

पिछले कई सौ वर्षों में सार्वजनिक ऋण का महत्व बहुत बढ़ गया है । आज कल कदाचित ही कोई राज्य होगा जिस पर कुछ न कुछ ऋण न होगा । यह ऋण अपने देश वास्तवों से तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशियों से भी लिया जाता है । आजकल के युग में जितनी भी बड़ी-बड़ी आर्थिक योजनाएँ हैं वह सब ऋण द्वारा ही पूरी की जाती हैं । युद्ध को सजने के लिए तो ऋण के बिना काम चलता ही नहीं ।

**ऋण और कर का भेद (Difference between debt and taxes)**—  
ऋण और कर में अस्पष्ट भेद है—

१ जो धन सरकार ऋण के रूप में लेती है उसको वापस करने का भार उस पर रहना है। परन्तु करो द्वारा प्राप्त किया हुआ धन सरकार को चौकाना नहीं पड़ता।

२ कर साधारणतया वर्तमान धाय में से दिया जाता है परन्तु ऋण भूतकाल की वचत में तो दिया जाता है।

३ जब कोई मनुष्य ऋण देता है तो उसके पास में वह धन सदा के लिए रखा जाता है परन्तु ऋण के रूप में दिया गया धन उसको कुछ समय के पदचान मिल जाता है और यदि मूलधन न मिले तो उस पर व्याज तो अवश्य ही मिलना रहना है।

**ऋण अथवा कर (Debt versus Taxes)**— यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि सरकार अपनी आय ऋण द्वारा प्राप्त करे अथवा कर द्वारा। साधारण दृष्टि से देव कर कोई भी यह कहेगा कि सरकार को अपनी आय करो द्वारा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि सरकार को करो पर कोई व्याज नहीं देना पड़ना। परन्तु यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी सब आय करो द्वारा प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि करो की एक सीमा होती है जिसमें उपर उनको नहीं लगाया जा सकता। साथ साथ बहुत अधिक ऋण लगाने में उत्पत्ति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि उत्पत्ति न हुई तो देन का भार अधिक ढाचा ही प्रसत व्यस्त हो जाएगा। इसलिए सरकार अपनी सब आय को कर द्वारा प्राप्त नहीं करती वरन् कुछ आय ऋण द्वारा भी प्राप्त करती है। यह हमें यह देखना चाहिए कि सरकार को कौनसी आय कर द्वारा प्राप्त करनी चाहिए और कौन सी ऋण द्वारा। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमा में काम लिया जाता है—

(१) जो व्यय साधारण तथा निरन्तर चलने वाला हो उसके लिए आय करो द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे व्यय के लिए ऋण लेने में उनका भार इनका अधिक बढ़ जाएगा कि उसको चुकाना कठिन हो जाएगा। हा, यदि अक्समान् ही कोई बड़ा व्यय करना पड़े तो उसको ऋण द्वारा किया जा सकता है क्योंकि ऐसी अवसरों पर करो द्वारा आय प्राप्त करनी कठिन हो जाती है। इस प्रकार के अवसर मुद्र, बाढ़, भूकम्प, अकाल प्रादि हो सकते हैं।

(२) जो व्यय बार बार न होने वाला हो उसको ऋण द्वारा प्राप्त करने पुरा करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार का व्यय एक बार होने के पदचात बहुत दिनों तक नहीं होता। जब तक वह व्यय दूसरी बार हो उसको उगने पहले ही चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के व्यय का लाभ वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं होगा वरन् प्रागे आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठाती

है। इसलिए यदि ऋण का कुछ भार भविष्य में आने वाले बच्चों पर डाल दिया जाए तो कोई अनुचित न होगा।

(३) जिस व्यय या लाभ लोगों को लोडे दिन तक ही पहुँचे उनको करो द्वारा तथा जिसका लाभ उनको अधिक समय तक पहुँचे उनको ऋण द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार शिक्षा, पुलिस, सेना आदि पर करो द्वारा एकत्र किया हुआ धन खर्च करना चाहिए और रेलों, सड़कों, गहरों, पुनो आदि पर किए गए खर्च के लिए आवश्यक धन ऋण द्वारा प्राप्त करना चाहिए।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करो द्वारा साधारण व्यय को तथा ऋण द्वारा किसी बड़े परन्तु निरन्तर न चलने वाले व्यय को करना चाहिए।

### सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण (Classification of Public Debts)—

विभिन्न लेखकों ने सार्वजनिक ऋणों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित हैं—

**स्व-इच्छित तथा अन-इच्छित ऋण (Voluntary and Involuntary Debt)—** जो ऋण स्व-इच्छा से दिया जाता है उसको स्व-इच्छित कहते हैं। इस ऋण को ऋण देने वाला जितना चाहे अपनी इच्छा से देता है। सरकार पर उसका कोई दबाव नहीं होता। परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार को धन की आवश्यकता होती है और स्व-इच्छित ऋण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होना तो सरकार ऐसे अवसरों पर लोगों को ऋण देने के लिए बाध्य कर देती है। इस प्रकार के ऋण अन-इच्छित कहलाते हैं। ऐसे ऋण इंग्लैंड में १७वीं शताब्दी में लिए गए थे।

**आन्तरिक तथा बाह्य ऋण (Internal and External Debt)—** जब किसी देश के व्यक्ति अथवा मर्यादा अथवा दोनों सरकार को ऋण देते हैं तो उसको आन्तरिक ऋण कहा जाता है, जैसे यदि भारत सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़े और यह ऋण उसकी भारतवर्ष में से ही प्राप्त हो जाए तो उसको भारत का आन्तरिक ऋण कहा जाएगा। इससे विपरीत जब सरकार को अपने देश में ऋण न मिले बल्कि उसके विदेशों से ऋण प्राप्त करना पड़े तो उस ऋण को बाह्य ऋण कहेंगे, जैसे यदि भारतवर्ष को इंग्लैंड से स्टर्लिंग अथवा अमरीका में डॉलर ऋण लेना पड़े तो उसको बाह्य ऋण कहेंगे। आन्तरिक ऋण इच्छित तथा अन-इच्छित हो सकता है परन्तु बाह्य ऋण सिवाय उन देशों के जब कि एक देश का दूसरे पर अधिपत्य हो इच्छित ही होता है। आन्तरिक ऋण लेने पर देश की राष्ट्रीय धार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इस देश में केवल धन का फिर से बंटवारा हो

जाना है। दम का धन दम में ही रहता है। इसके विपरीत बाह्य ऋण में ऐसा नहीं होता। जब कोई देश दूसरे देश को ऋण देता है तो उस दम में उनका धन दूसरे देश में चला जाता है। इससे पहले की राष्ट्रीय आय कम हो जाती है और दूसरे की बढ़ जाती है। जब आन्तरिक ऋण चुकाया जाता है तब भी देश की राष्ट्रीय आय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु जब बाह्य ऋण अथवा अपना धन चुकाया जाता है तो राष्ट्रीय आय पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि अपना धन देश में बाहर चला जाता है। यदि किसी देश के व्यक्ति दूसरे देश की प्रतिभूतियाँ (Securities) की खरीद लें तो बाह्य ऋण आन्तरिक ऋण में बदल सकता है जैसे भारतवर्ष ने द्वितीय महा युद्ध में स्टलिन्ग ऋण को अपना ऋण में बदल लिया। इसके विपरीत, यदि विदेशी लोग किसी देश की प्रतिभूतियाँ खरीद लें तो आन्तरिक ऋण बाह्य ऋण में बदल सकता है।

**इन ऋणों का भार (Burden of these debts)**— यहाँ यह जानना आवश्यक है कि इन ऋणों का देश पर कितना भार पड़ता है।

**आन्तरिक ऋण का भार**— जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इस ऋण में देश का धन देश में ही रहता है। धन केवल एक वर्ग के हाथों में संचित कर दूसरे वर्ग के हाथों में चला जाता है। इसलिए इस ऋण का कोई प्रत्यक्ष द्रव्य भार (Direct money burden) नहीं हो सकता। परन्तु इस ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार (Direct real burden) बहुत अधिक होता है। प्रत्यक्ष वास्तविक भार इस बात पर निर्भर होगा कि ऋण के द्वारा धन किस किसके हाथ में संचित कर किसके हाथ में चला गया है। यदि धन अमीर लोगों के हाथ में संचित कर गरीब लोगों के हाथ में चला गया है तो उनके वास्तविक धन के वितरण की असमानता दूर हो जाएगी और ऋण का भार देश पर कम पड़ेगा। इसके विपरीत यदि ऋण के कारण देश में धन वितरण की असमानता बढ़ती है तो उसका भार बहुत अधिक होता है। यदि कभी ऐसा सम्भव हो कि सबका सब ऋण छोटी आय वाले व्यक्ति गरीब लों और उस ऋण को चुकाने के लिए अमीर आदमियों पर कर लगे तो ऋण का भार बहुत कम होगा। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। गरीबी ऋण को बड़ी बड़ी आय वाले व्यक्ति ही खरीदते हैं और उनको चुकाने के लिए कर उनसे अनिश्चित कुछ छोटी आय वाले लोगों पर भी लगाया जाता है इसलिए इस ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार बहुत होता है।

ऋण के द्वारा देश की सम्पत्ति अमीर लोगों के अमीर लोगों के पास ही नहीं जाती बरन् देश के नवयुवकों से युद्ध लोगों के पास तथा सश्रिय नेता के निश्चिन्त पेशों में चली जाती है। पहली बात इसलिए होती है कि युद्ध लोग अपनी सम्पत्ति में से

ऋण दत्त है परन्तु नवयुवका का अपनी ज्ञान का यंत्रों में डाल कर युद्ध में लड़ना पड़ना है तथा वापस आने पर करों द्वारा उस ऋण को चुकाना पड़ता है। दूसरी बात इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक एक्य की हुई सम्पत्ति में से दिया जाता है परन्तु उस को उस धन में से चुकाया जाता है जो उद्योग-धर्मों तथा व्यापार में लगा रहता है।\*

सार्वजनिक ऋण का अप्रत्यक्ष भार भी देश के लोगों पर पड़ता है। इसका कारण यह है कि यह ऋणों द्वारा चुकाया जाता है और करों के कारण करदाताओं को बांध करके तथा बचाने की योग्यता अवश्य घटती है। इससे सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए सभी कमी उन मदों पर धन खर्च नहीं किया जाता जिन पर कि सामाजिक हित की दृष्टि में करना चाहिए था। इन का देश पर दो प्रकार के अप्रत्यक्ष भार पड़ता है। (१) देश में उत्पादन कम होगा है (२) देश में धन वितरण की असमानता बढ़ती है।

युद्धकाल में दिए गए ऋणों का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का भार पड़ता है। यदि युद्ध बहुत समय तक चलता है तो यह भार बढ़ता चला जाता है। युद्ध के पदवान् जब वस्तुओं के मूल्य तथा व्याज की दर गिर जाती है तो ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है। इससे सार्वजनिक बाजार में व्याज की दर गिरने में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य भी बढ़ जाता है क्योंकि उन पर मिलने वाला व्याज बैंकों की अपेक्षा अधिक होगा है। इसलिए ऋणों का भार और भी बढ़ जाता है।

इस प्रकार सार्वजनिक ऋणों का प्रत्यक्ष द्रव्य भार कुछ नहीं होता परन्तु उसका अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वास्तविक भार बहुत होता है।

बाह्य ऋणों का भार—इस ऋणों का प्रत्यक्ष द्रव्य भार उस धन से नापा जाता है जो कि मूलधन तथा व्याज के रूप में दिया जाता है और इसका अप्रत्यक्ष वास्तविक भार उस आर्थिक क्षति से नापा जाता है जो कि ऋण चुकाने के कारण किसी देश के लोगों को होती है। यदि किसी देश के समीर लोग उस ऋण को चुकाने हैं तो प्रत्यक्ष वास्तविक भार कम होता है परन्तु यदि गरीब लोग उसको चुकाने हैं तो यह भार बढ़ जाता है।

इस ऋणों का अप्रत्यक्ष भार, चाहे वह द्रव्य भार के रूप में हो अथवा वास्तविक भार के रूप में, इस कारण पड़ता है क्योंकि इस ऋणों को चुकाने के लिए द्रव्य करों द्वारा एकत्र किया जाता है तथा इन कारण भी पड़ता है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे कि उत्पादन, बड़े, बहुत से, लोगों, बढ़, अधिक विश्वास है कि बाह्य ऋणों का अप्रत्यक्ष भार कुछ नहीं पड़ता बल्कि उससे कुछ लाभ ही होता है क्योंकि ऋण चुकाने के लिए देश अधिक उत्पादन करता है जिसमें अधिक लोग का रोजगार मिलता है। परन्तु यह विचार बिरबुल भलत है। ऋण

\* Dalton—Principles of Public Finance—P. 254

चुकाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों को ही प्रोत्साहन मिलता है परन्तु ऐसा होने पर कुछ दूसरे उद्योगों से आर्थिक साधन इन विशेष उद्योगों की ओर चने जाते हैं जिसके कारण इन दूसरे प्रकार के उद्योगों का उत्पादन बहुत घट जाता है। आर्थिक साधनों के इस प्रकार एक उद्योग में दूसरे उद्योग में जाने का प्रभाव साधारणतया हानिकारक होता है।

बाह्य ऋण का भार इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इसके कारण ऋणी देश के योगों की कार्य करने तथा वचानों की शोभ्यता कम हो जाती है। इस का प्रभाव देश के व्यापार तथा उद्योग धन्यो पर पड़ता है।

**बाह्य ऋण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क (Arguments for and against external debts) —**

बाह्य ऋण की बावत लोगों में कई प्रकार के विचार पाए जाते हैं। कुछ लोग उस ऋण को अच्छा बताते हैं और कुछ खराब। जो लोग इसके पक्ष में हैं वह निम्नलिखित तर्क देते हैं —

(१) बाह्य ऋण उन देशों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा जिनकी अपनी आर्थिक उन्नति करनी है। भारत के प्रधान मन्त्री ने विदेशी पूंजी (जो किसी देश पर विदेश का ऋण ही होता है) का महत्व इस प्रकार बताया था, “भारतीय पूंजी की पूर्ति करने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता केवल इसलिए ही नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय वचन हमारी उस पैमाने पर शीघ्र उन्नति करने के लिए पर्याप्त न होगी जिस पर हम उद्योग चाहते हैं वरन् इसलिए भी कि बहुत सी दशाओं में वैज्ञानिक, यान्त्रिक तथा औद्योगिक ज्ञान सम्पत्ती तथा पूंजीकृत बस्तुएँ भी विदेशी पूंजी के साथ प्राप्त हो जाती हैं।”

(२) युद्धकाल में तो विदेशों से आयात करने के लिए उन देशों से ऋण लेना ही पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध में इंग्लैण्ड ने एक बड़ा भारी ऋण अमेरिका, कनाडा, भारतवर्ष तथा दूसरे देशों से लेकर ही युद्ध सजा है। यदि इंग्लैण्ड को इन देशों से ऋण न मिलता तो कदाचित् इंग्लैण्ड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।

(३) युद्ध के समाप्त होने पर यूरोप के उन देशों के सामने जो कि युद्ध काल में नष्ट-भ्रष्ट हो गए थे यह समस्या आई कि वह फिर से अपनी उन्नति कैसे करें। ऐसे अवसर पर बाह्य ऋण ही इन देशों की सहायता के लिये आया जिस के कारण कुछ ही वर्षों में वह फिर उन्नति करने लगे हैं।

(४) कभी कभी बाह्य ऋण की आवश्यकता विनिमय दर को ठीक रखने के लिये भी पड़ती है। यदि आयात अधिक होने के कारण विनिमय दर किसी देश के विरुद्ध जा रही हो तो वह देश विदेशी विनिमय को उधार लेकर विनिमय दर को अपने विरुद्ध होने से रोक सकता है।

विपक्ष में तर्क—(१) बाह्य ऋण के कारण देश का बहुत सा धन व्याज के रूप में चला जाता है जिस कारण देश के व्यापार तथा उद्योग धंधों को बड़ी हानि होती है।

(२) यदि बाह्य ऋण के साथ सावधानी से काम न लिया जाए तो इनके कारण एक देश दूसरे का प्राथिक दृष्टि से दाम हो जाता है। इस दासता के कारण उस देश की बड़ी हानि होती है।

यदि हम बाह्य ऋण के पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों का अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं कि उसके लाभ अधिक हैं और हानिया कम। हमारे देश के श्री आर० सी० दत्त ने भी बाह्य ऋण का कोई विरोध नहीं किया था। उनका कहना था कि यदि भारतवर्ष से ऋण प्राप्त न होता हो तो उसको विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु उसका नियन्त्रण भारतवासियों के ही हाथ में रहना चाहिए।

**उत्पादक या पुनरुत्पादक तथा अनुत्पादक या मृत-ऋण—Productive or Reproductive and Unproductive or Dead weight Debt—**

उत्पादक ऋण वह ऋण होता है जिसके पीछे ऋण के धन के बराबर सम्पत्ति होती है। इस प्रकार के ऋण सरकार उन उद्योगों को चलाने के लिए लेती है जो उनके अधिकार में होते हैं। सरकार साधारणतया उन उद्योगों को चलाती है जो या तो राष्ट्रीय हित में सरकार द्वारा चलाने आवश्यक होते हैं या उन उद्योगों को चलाती है जिनमें पूर्वीपति अपना धन लगाने को तैयार नहीं होते परन्तु जिनका चलाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए सरकार को उसी प्रकार ऋण की आवश्यकता होती है जिस प्रकार किसी निजी व्यापार को होती है। इन प्रकार के उद्योग रेल, नहर, बिजली, गैस आदि होते हैं। इस प्रकार के ऋणों का व्याज उद्योगों की आय से चुकाया जाता है। इस प्रकार के ऋण से जो सम्पत्ति उत्पन्न होती है वह ऋण-दाताओं के लिए धरोहरों का काम करती है।

इस के विपरीत अनुत्पादक ऋण वह होते हैं जिनके पीछे कोई सम्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार के ऋण सरकार या तो युद्ध लड़ने के लिए लेती है या बजट का अनुमन करने के लिए लेती है। इन ऋणों पर सरकार जो व्याज देती है उसको वह करों द्वारा एकत्र करती है।

**मृत-भार वाला ऋण, सक्रिय ऋण तथा निष्क्रिय ऋण (Dead weight Debt, Active Debt and Passive Debt)—**

श्रीमती हिक्स ने ऋण को तीन भागों में बांटा है—मृत भार वाला, सक्रिय तथा निष्क्रिय। मृत भार वाला ऋण उस व्यय की पूर्ति करने के लिए लिया जाता है जो कि देश की उत्पादन शक्ति को नहीं बढ़ाता, जैसे युद्ध लड़ने के लिए लिया



गया और। सक्रिय ऋण इस प्रकार लगाए जाते हैं जिनमें कि देश की उत्पादन शक्ति बढ़नी है तथा उनमें कुछ धाय भी प्राप्त होती है जैसे रेल, नहर बिजली आदि पर लगाया गया और। निष्क्रिय ऋण वह होने है जिनमें न तो कोई धाय ही प्राप्त होती है और न देश की उत्पादन शक्ति ही बढ़ती है, परन्तु इन ऋणों को इन प्रकार लगाया जाता है कि उनमें उपयोगिता तथा सन्तोष प्राप्त होता है, जैसे, सार्वजनिक इमारतों पाकों आदि पर लगाया गया ऋण।

**अनिश्चित-कालीन तथा निश्चित-कालीन ऋण (Funded and Unfunded Debt)—**

अनिश्चित काल तथा निश्चित काल ऋण के भेद करने में विद्वानों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। आदम स्मिथ ने इस सम्बन्ध में लिखा है, 'व्यक्ति के समान राष्ट्र भी साधारणतया अपनी व्यक्तिगत मास पर ऋण को चुकाने के लिए कोई कोष निश्चित प्रयत्न वा वन्धक किए बिना उपहार देने, नगै है, और जब उनको इस ढङ्ग में ऋण प्राप्त नहीं हुए, वे विशेष कोष को निश्चित प्रयत्न वा वन्धक करने ऋण प्राप्त करने लगे हैं\*।' इनमें से पहली प्रकार का ऋण निश्चितकालीन ऋण है और दूसरी प्रकार का अनिश्चितकालीन ऋण। परन्तु आदम स्मिथ अनिश्चितकालीन और निश्चितकालीन ऋण का वही प्रयोजन नहीं है जो कि आदम स्मिथ के समय में था। प्रो० कोहन (Cohn) स्मिथ के भेद को पुराना बताते हुए कहते हैं कि इन दोनों में वास्तविक भेद यह है कि अनिश्चितकालीन ऋण क्षीयकालीन होने हैं तथा निश्चितकालीन ऋण लघुकालीन। परन्तु आगे चलकर वह यह कहते हैं कि यद्यपि ऋण के विभिन्न कारण तथा उद्देश्य समय की प्रवृत्ति के पीछे होते हैं।' डा० डाल्टन ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि 'निश्चितकालीन' अनिश्चितकालीन और 'अल्पकाल' (Floating) शब्दों का प्रयोग अक्सर भ्रामक होता है। इस प्रकार १९१९ में जारी किए गए अनिश्चितकाल ऋण को जो कि अल्पकालीन ऋण के एक भाग के लिए धन एकत्र करने के लिए था और जो कि १९६० और १९६० के बीच चुकाया जाने वाला था, सरकारी तौर पर निश्चितकालीन ऋण कहा गया है।' आधुनिक काल में जिन अभिप्राय से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसकी समझाने का वेगनर (Wagner) ने प्रयत्न किया है। वह कहता है कि अनिश्चितकालीन और निश्चितकालीन ऋण का भेद हम निम्नलिखित बातों से जान सकते हैं —

\* Adam Smith—Wealth of Nations—Book V, Chap. III.

1. Finanzwissenschaft—P. 757.

2. Dalton, Principles of Public Finance—P. 246.

(१) ऋण का उद्देश्य—निश्चित वालीन ऋण साधारणतया शीघ्र समाप्त होने वाली आवश्यकताओं के लिए होते हैं। यह सञ्चालन के चालू खर्चों का भुगतान करने के लिए होते हैं। परन्तु अनिश्चित कालीन ऋण नागरिकों की स्थायी आवश्यकताओं के लिए पूंजी एकत्र करने के लिए होते हैं।

(२) ऋण की अवधि—अनिश्चित कालीन ऋण दीर्घ काल के लिए होता है परन्तु निश्चित कालीन ऋण लघु काल के लिए।

(३) ऋण चुकाने की कानूनी शर्तें—निश्चित कालीन ऋण का भुगतान देयक-री प्रथम कुछ छोटे समय में किया जाता है। परन्तु अनिश्चित कालीन ऋण की स्थिति में ऋण-दाता का मूलधन पर सीमित नियन्त्रण होता है। ऋणी (राज्य) ऋण को एक निश्चित योजना के अनुसार चुकाना है। ऋण-दाता को चुकाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं करता। अन्त वाली बात इन ऋणों की जान के लिए आवश्यक है।

वास्तव में अनिश्चित कालीन और निश्चित कालीन ऋण का भेद करना बड़ा कठिन है। यह भेद राज्य, समय, समय, तथा एक ही राज्य में विभिन्न अवसरों पर तथा निजी सरकारी अफसर की इच्छा के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्लेहन के अनुसार यह सन्दर्भ अपेक्षित है। एक अवसर उस ऋण को जो तीन, पाच प्रथम दस वर्षों तक चलने वाला हो अस्थायी कह सकता है परन्तु दूसरा छ मास प्रथम एक वर्ष तक चलने वाले ऋण को स्थायी कह सकता है। प्लेहन का इस सम्बन्ध में यह मत है कि निश्चित कालीन ऋण शब्द का प्रयोग कभी भी उस ऋण के लिए नहीं करना चाहिए जो कि उस आर्थिक वर्ष के पदचाल चलने वाला हो जिसमें कि वह समाप्त होता है। "परन्तु इस प्रकार की सीमा के लिए कोई निश्चित विचार नहीं है। इन दोनों श्रेणियों के बीच एक गहरी रेखा खींचने के प्रयत्न में हमारे सामने बड़ी कठिनाई आती है जो कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के बीच भेद करने के प्रयत्न में आई थी। सरकारी, कानूनी तथा वैज्ञानिक प्रयोग इतना भिन्न है कि सब प्रयोगों के मिलाने के प्रयत्न में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।"\*

शोष्य तथा अशोष्य ऋण (Redeemable and Irredeemable Debt)—चूंकि सरकार सदा चलती रहती है केवल उसको चलाने वाले व्यक्ति ही बदलते हैं, इसलिए सरकार को ऐसा ऋण भी प्राप्त हो जाता है जो सदा चलता रहे अर्थात् जिसने मूलधन को चुकाने का कोई भार सरकार पर न हो। इस प्रकार के ऋण पर सरकार केवल व्याज ही देती है। इस ऋण को अशोष्य कहा जाता है। इसके विपरीत सरकार अधिकतर ऐसा ऋण लेती है जिसके ऊपर उसको व्याज भी देना पड़ता है और जिसका मूलधन उसको कुछ समय पश्चात् चुकाना पड़ता है। इस

प्रकार के ऋण के लिए सरकार एक ऋण-परिमोघ कोष (Sinking Fund) चालू करती है जिसमें वह प्रति वर्ष इतना धन जमा करती रहती है जिससे कि वह ऋण की अवधि समाप्त होने तक मूलधन के बराबर हो जाये। इस कोष में से ही ऋण-दाताओं का मूलधन चुकाया जाता है। इनमें से कौनसा ऋण बच लिया जाये यह परिस्थिति पर निर्भर होता है। साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जो उद्योग निरन्तर चलने वाला हो जैसे रेल, नहर आदि, उसके लिए अशोध्य ऋण लिया जा सकता है और जो उद्योग कुछ समय तक चलने वाला हो उसके लिए शोध्य ऋण लिया जा सकता है। इस के अतिरिक्त यदि हम ऋण भार को भविष्य में आने वाली पीढ़ी पर डकेलना चाहते हैं तो भी हम अशोध्य ऋण ले सकते हैं।

**सार्वजनिक ऋण के प्रभाव (Effects of Public Debt)**—सार्वजनिक ऋण का प्रभाव दो बातों के कारण पड़ता है—(१) ऋण देने से व्यक्तियों की बचत में कमी हो जाती है, (२) ऋण की अनता के हित के लिए खर्च किया जाता है, इस खर्च का प्रभाव विभिन्न प्रकार से पड़ता है।

**उपभोग तथा उत्पादन पर प्रभाव (Effects on consumption and production)**—सार्वजनिक ऋण का वर्तमान तथा भविष्य के उत्पादन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो जनता उसको अपनी बचत में से खरीदती है। इसलिए ऋण का वर्तमान उपभोग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु इस ऋण का वर्तमान उत्पादन पर घबस प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि जिस रुपये से सरकारी ऋण खरीदा जाता है उस धन को निजी उद्योग धर्मों में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उनकी उत्पत्ति घट जाती है। हा, यदि सरकारी ऋण बचत में से न खरीद कर गड़े हुए धन में से खरीदा गया हो तो उसका उत्पत्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता।

सार्वजनिक ऋण का उत्पत्ति पर दूसरे ढङ्ग से भी प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो व्यापारियों को अच्छा व्यापार होने की धारणा हो जाती है। इसलिए वह उत्पत्ति बढ़ाने के लिए वेर्क के पास ऋण लेने के लिए आते हैं और क्योंकि बैंक साक्ष्य सृजन करते हैं इसलिए व्यापारियों को ऋण मिलने में कठिनाई नहीं होती। ऋण मिलने पर वह उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार यह देखने में आता है कि ऋण के कारण उत्पत्ति कदाचित् कभी घटती हो।

धन बचत में न जा कर उपभोग कार्यों में लग जाता परन्तु अब वह बचत में बदल जाता है। इस प्रकार भविष्य में अधिक पूंजी हो जाती है जिसके कारण उत्पत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

अभी तक हमने ऋण का प्रभाव व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार किया है। ऋण का प्रभाव इसलिए भी पड़ता है कि सरकार उस ऋण को ले कर जनता के भले के लिए खर्च करती है। यह ऋण को ऐसी वस्तुओं पर खर्च करती है जिन पर कि व्यक्ति अपना धन लगाने को तैयार नहीं होते परन्तु जो लोगों के लिए उपयोगी होती है। इन वस्तुओं को वह कम मूल्य पर गरीब लोगों को देती है। इस प्रकार समाज के सब लोगों के उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। उपभोग का स्तर बढ़ने का उत्पत्ति पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे अतिरिक्त कभी कभी सरकार ऋण से ऐसे साधन जुटाती है जिनका प्रभाव उत्पत्ति पर बड़ा अच्छा पड़ता है, जैसे रेल यातायात की उन्नति करना, नहरों का निकालना बिजली की शक्ति उत्पन्न करना आदि। यह सभी उत्पत्ति में बड़े सहायक होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋण का भविष्य की उत्पत्ति तथा उपभोग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

**वितरण पर प्रभाव (Effect on Distribution)**—सार्वजनिक ऋण का वितरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो उसको साधारण-तया बड़े बड़े पूंजी पति ही खरीदते हैं, साधारण साधन वाले व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकते क्योंकि एक व्यक्ति जो ऋण खरीद सकता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे भारतवर्ष में एक व्यक्ति २५००० रुपये अथवा अधिक के ही ट्रेजरी बिल खरीद सकता है, इससे कम नहीं। हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी ऋण को मध्य श्रेणी के लोग भी नहीं खरीद सकते। ऋण खरीदने पर धन के वितरण की असमानता कुछ अंशों में कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार १० अथवा १०० रुपये के ऋण-पत्रों के रूप में ऋण एकत्र करती है और उस ऋण को छोटी छोटी भाग वाले व्यक्ति खरीद लेते हैं तो उससे धन के वितरण की समानता बढ़ सकती है।

जब ऋण अथवा ब्याज को चुकाया जाता है तो उसके लिए कर लगाये जाते हैं। कर साधारणतया बड़े बड़े भादमियों पर ही लगते हैं, छोटे पर कर कम लगते हैं। इन करों में से यदि छोटी भाग वाले व्यक्तियों के ऋण का भुगतान किया जाता है तो उससे धन का समान वितरण होने में सहायता मिलती है परन्तु यदि उन से बड़े बड़े व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए ऋण का भुगतान किया जाता है तो उससे धन के वितरण की असमानता कम नहीं होती, वह बढ़ जाती है क्योंकि करो का कुछ भाग छोटी भाग वाले व्यक्तियों से भी जाता है।

इस प्रकार खर्च किया जाता है तो उम से धन विनरण की असमानता कुछ धरों में कम हो जाती है।

ऋण द्वारा भविष्य में होने वाली घाय वर्तमान में हो जाती है क्योंकि ज़रूर वर्तमान में लिया जाता है उसको भविष्य में थोड़ा थोड़ा करके चुकाया जाता है और उसके लिए करा द्वारा धन एकत्र किया जाता है। इस प्रकार ऋण द्वारा समय के विभिन्न भागों में धन का विनरण समान हो जाता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान में करा द्वारा चलाए गए उद्योगों का भार केवल वर्तमान में ही नहीं पड़ना बल्कि वह भविष्य में आने वाली सन्तानी पर भी पड़ता है और यह अनुचित भी प्रतीत नहीं होगा क्योंकि भविष्य में लोगों को इन उद्योगों से लाभ भी होता है। ऐसी स्थिति में मारा भार वर्तमान में रहने वाले लोगों पर डालना अनुचित ही प्रतीत होता है।

व्यापारिक मंत्री ने सार्वजनिक ऋण का महत्व (Importance of Public Debt in Trade Depression)—व्यापारिक मंत्री ने चारा और एक उदासीनता का वायुमण्डल दिखाई पड़ता है। व्यापार प्रायः समाप्त हो जाता है। इसलिए उत्पादन भी घट जाता है। उत्पादन घटने का प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता है। बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। बैंक आदि साख सस्थाओं की स्थिति भी खराब हो जाती है। इस प्रकार के उदासीनता के वातावरण में प्रायः सभी समय देशों की सरकारें लोगों की सहायता करती हैं। ऐसे समय में वह सार्वजनिक ऋण लेती हैं। इस ऋण के द्वारा वह जनता के हित के कुछ कार्य करती है। वह कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अधिक लोगों की रोजगार मिलता है जैसे रेलों, सड़कों, नहरों, इमारतों आदि का बनवाना। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हमको १९२६ के पदान्त् होने वाली व्यापारिक मंदी में मिलते हैं। इस समय अमरीका में विभिन्न सस्थाओं द्वारा बेरोजगारी दूर करने का प्रयत्न किया गया। उनमें से अनेकें बर्कम प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने १००,००० से अधिक सार्वजनिक इमारतों को ५६५,००० मीस लम्बी सड़कों को, १८०,००० पुता को, ३६,००० स्कूलों तथा पुस्तकालयों को, ७,००० पार्कों तथा खेत के मैदानों की बनवाया अथवा उन्नत किया। इस प्रकार के कार्यों से देश में स्थानीय लाभ पहुँचाने वाली शक्ति उत्पन्न हो गई तथा उस समय जब लोग निश्वास खो रहे थे उनमें आशा की लहर दौड़ गई।\* अमरीका के अतिरिक्त और देशों में भी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के कार्य-यम अपने हाथ में लिए। इस प्रकार की नीति का समर्थन करने हुए डा० डाल्टन बताते हैं कि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यों से किए जावश्यक धन या तो कराओं द्वारा प्राप्त हो सकता है या ऋण द्वारा। इनमें से यदि कराओं द्वारा इस कार्य हो किया जाए तो कोई लाभ न होगा क्योंकि ऐसा करने में धन जनता के हाथ में

\* K. D. Jalan—'A Pamphlet on Unemployment in India'. P. 14.

जिबन कर सरकार के हाथ में आ जाता है। इसलिए यदि एक ओर सरकार द्वारा रोजगार की स्थिति सुधारने का प्रयत्न होता है तो दूसरी ओर निजी पूंजी रोजगार देने में कम असमर्थ रह जाती है। परन्तु यदि इस प्रकार के कार्य ऋण द्वारा किये जायें तो उनमें माददूरो की भाँप बढ़ने की आशा अधिक रहती है क्योंकि नये अन्वित को साव्य सृजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस तर्क वक्त के द्वारा नये विनियोजनों के अदसर बढ़ जाते हैं और रोजगार की स्थिति सुधर जाती है।\* इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गरीब के समय सार्वजनिक कार्यों से बहुत लाभ होता है और यदि इन कार्यों को ऋण द्वारा किया जायें तो और भी अधिक लाभ होता है।

**पुद्ग कालीन अर्थ व्यवस्था (War Finance)**—साधुनिक पुद्ग को लड़ने के लिए कितने धन की आवश्यकता है इसका अनुमान लगाना कठिन है। इतनी बड़ी धन राशि को किसी एक साधन से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कई प्रकार के साधनों से धन प्राप्त किया जाता है। उनमें से कर, सार्वजनिक ऋण तथा मुद्रा प्रसार मुख्य हैं। अब हमको देखना चाहिए कि इनमें से कौनसा ठीक कहा तक उपयुक्त है।

**कर**—वहत से अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि पुद्ग का सब व्यय करों द्वारा प्राप्त करना चाहिए। अपने कथन के समर्थन में वह निम्नलिखित तर्क देते हैं —

(१) कर के कारण अमीर आदमी विजूल खर्ची नहीं कर सकते परन्तु गरीब लोगो के जीवन-स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) कर के कारण मुद्रा स्थिति के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है।

(३) कर के कारण गरीब और अमीर लोगो का मुद्ग में समान बखिदान हो जाता है। एक ओर अमीर आदमी अपने धन से सहायता करते हैं तो दूसरी ओर गरीब आदमी अपनी जान जोखिम में डाल कर मुद्ग लड़ते हैं।

(४) कर के द्वारा मुद्ग लड़ने पर मुद्ग के वधनात देश के ऊपर कोई भार नहीं पड़ता।

हमने विपरीत यह कहा जा सकता है कि कोई भी साधुनिक मुद्ग करों द्वारा नहीं लड़ा जा सकता। करों की एक सीमा होती है जिसके ऊपर उनका लगाने में उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ना आरम्भ हो जाता है। उत्पादन कम होने लगता है। इसके फलस्वरूप करों में कमी हो जाती है। प्रॉ० सीनिगमैन ने कहा है कि यदि हम सब बड़ी बड़ी आयों तथा व्यापारिक लाभों को जल्द भी करलें तो भी पुद्ग का धाधा खर्च भी पूरा न होगा। इसके अतिरिक्त करों पर कोई भारोसा नहीं किया जा सकता। हम करों की दर ही तो बढ़ा सकते हैं परन्तु हम उन से हमेशा

\* Dalton—Principles of Public Finance—P. 236.

उतना धन प्राप्त नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। इसी लिए आदम स्थिथ ने कहा था कि करो के सम्बन्ध में दो घीर दो मिलकर चार नहीं होते, वह तीन हो सकते हैं।

इस प्रकार हम यह सवते हैं कि करो द्वारा युद्ध को चराना तो भ्रष्टा है परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। यदि युद्ध थोड़े समय चले तथा उसमें कम खर्च हो तो उसका व्यय करो द्वारा पूरा किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

**सार्वजनिक ऋण**—बहुत से लोगों का विचार है कि करो की प्रेषा सार्वजनिक ऋण मुद्ध लड़ने के लिए उचित है। जो लोग ऋणों का समर्थन करते हैं वह निम्नलिखित तर्क देते हैं —

(१) ऋणों के प्रति जनता का ऐसा विरोध नहीं होता जैसा कि करो के प्रति होता है क्योंकि जनता उनको अपनी स्वयं इच्छा में सरकार को देती है।

(२) ऋण देने पर ऋण-दाता के उपभोग का स्तर नहीं गिरता क्योंकि ऋण बचत में से दिए जाते हैं।

(३) ऋण का व्यापार तथा उत्पादन पर ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि करा का।

(४) पर्याप्त ऋण मिलने पर मुद्रा स्फीति करने की आवश्यकता नहीं रहती।

परन्तु करो के समान ऋणों की भी एक सीमा होती है। जनता सरकार को अपनी बचत में से ऋण देती है। पर यह आवश्यक नहीं है कि बचत इतनी हो जिससे सारे युद्ध का खर्च चल सके। इसके अतिरिक्त युद्ध समाप्त होने पर ऋण तथा उससे व्याज का एक बड़ा भारी बोधा वेस के ऊपर रह जाता है। सामान्य मूल्य गिरने पर (जो कि बहुधा युद्ध के पश्चात् होता है) ऋण का वास्तविक भार और भी अधिक बड़ जाता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार को चाहिए कि वह पहले करो द्वारा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आवश्यकता पडने पर ऋण ले। यदि इन दोनों से काम न चले तब मुद्रा स्फीति करे। प्रायः सभी देश इसी नीति से काम लेते हैं।

**मुद्रा-स्फीति**—मुद्रा-स्फीति युद्ध लड़ने का सबसे सहज ढङ्ग है क्योंकि इसमें जनता का कोई विरोध नहीं होता। जनता के हाथों में जब अधिक श्रय शक्ति प्राती है तो वह भूल से अपने आपको समझकर खुश होती रहती है। ऐसे समय में बहुत से उद्योग-धन्धे चालू हो जाते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है। इन बातों के कारण तथा इस बात के कारण कि सरकार जनता से प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं मांगती जनता का मुद्रा-स्फीति से कोई विरोध नहीं होता। साथ साथ सरकार को कर तथा ऋण प्राप्त करने में जो कठिनाई उपस्थित होती है वह नहीं

होती। सरकार स्वयं अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट छपवाती रहती है। नोट छपवाने में सरकार को बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है। इसलिये बहुत से देशों में इसी पद्धति से काम लिया जाता है।

परन्तु मुद्रा-स्फीति का ढङ्ग जितना सरल है उससे बही अधिक भयानक भी है। एक बार मुद्रा पद्धति का कार्य आरम्भ हुआ चाहिए फिर वह घोड़े के समान सरपट दौड़ता है। मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर ऊंचा होता रहता है। जिस गति से मुद्रा-स्फीति का कार्य चलता है उसी गति से मूल्य-स्तर बढ़ता जाता है। यदि किसी को मुद्रा-स्फीति के भयानक परिणामों को देखना है तो वह १९२३ में जर्मनी को दशा से पता लगा सकता है जब कि मूल्य का सूचि अङ्क १००,५००,०००,०००,००० हो गया था। इसके फलस्वरूप जर्मनी में द्रव्य का कोई मूल्य न रह गया था और इसलिए लाखों घर बर्बाद हो गए। इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति में सड़ते बाज़ी का बाज़ार गर्म हो जाता है और लोगों का नैतिक पतन हो जाता है। सी० एन० पकोल ने तो मुद्रा-स्फीति की 'एक डकैती' से उपमा दी है जो कि कानूनी है और जिसके विरुद्ध कोई चारा नहीं चलता। इस प्रकार की मुद्रा-स्फीति से सदा ही बचना चाहिए।

युद्ध की तीनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्था के गुरु व अवगुण जान लेने के पश्चात् अब हमारे लिए यह निश्चित करना सरल हो गया है कि युद्ध काल में कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले उस सीमा तक कर भार बढ़ा दे जहां तक वह उत्पत्ति को हानि न पहुंचाये। यदि इसमें काम न चले तो ऋण के द्वारा युद्ध कार्य चलाये और यदि ऋण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त न हो सके तो अन्त में मुद्रा-स्फीति से काम चलाये। पर इस अन्त वाले शस्त्र को जरा सावधानी से चलाये। सरकार को चाहिए कि वह इतने नोट छापे जो कि अर्थ-व्यवस्था को तब घट न कर सकें।

## सार्वजनिक ऋण के चुकाने के ढङ्ग

### (Methods of repayment of Public Debts)

एक साधारण व्यक्ति जब अपने मन में ठान लेता है कि उसको ऋण चुकाना है तो वह ऐसा करने के लिए पहले पर्याप्त धन एकत्र करता है और तब उस ऋण को चुकाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऋणी ऋण को चुकाता ही नहीं परन्तु ऐसा करने से साफ मना कर देता है। परन्तु यदि वह अन्त वाला ढङ्ग अपनाते का प्रयत्न करता है तो उसकी अदालत द्वारा ऋण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार ऋण चुकाना ही पड़ता है। साधारण



व्यक्ति के ऋण चुकाने के दण्ड कम होने हैं परन्तु सरकार ऋण को कई ढङ्गों में चुका सकती है।

(१) ऋण चुकाना (Repayment of debt)—व्यक्ति के समान सरकार भी ऋण को द्रव्य के रूप में चुकानी है। परन्तु ऐसा तभी होता है जबकि ऋण की मात्रा कम हो और बजट में बचत हो। परन्तु आजकल कदाचित् ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर इस प्रकार ऋण चुकाया जाता हो। इसलिए ऋण चुकाने के दूसरे दण्ड अपनाये जाते हैं।

(२) ऋण निषेध (Debt repudiation)—यह ऋण चुकाने का सबसे सरल ढङ्ग है। इसमें सरकार जो ऋण लेती है उसको चुकाने से इकार कर देती है। इस प्रकार ऋण-दाता को अपना मूल धन वापिस नहीं मिलता। परन्तु ऋण चुकाने का यह ढङ्ग कई बातों के कारण नहीं अपनाया चाहिए।

(अ) ऐसा करने से देश में केवल एक वर्ग विरोध को हानि पहुँचती है और दूसरे वर्ग अथवा वर्गों को कोई हानि नहीं पहुँचती। यह बात अनुचित जान पड़ती है।

(ब) ऐसा करने से सरकार कुछ समय तक ऋण प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि लोगों का सरकार पर भे विश्वास उठ जाता है।

(स) यदि निषेध बाह्य ऋण का दिया गया है तो इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी ऋण-दाता कई प्रकार से दम्नता प्रतिकार कर सकते हैं। वह अपनी सरकार को ऋण निषेध करने वाले देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने के लिए बाध्य करें, अथवा उस देश के धनपुत्रों को सहायता देकर उसके विरुद्ध भड़काते रहे, अथवा उसका मान खरीदना बन्द कर दें अथवा उस देश के विरुद्ध गलत प्रचार करते रहे। इस प्रकार के मत्त ढङ्ग १९१७ की शान्ति के पदनात् हम के विरुद्ध अपनाए गये थे।

डा० डाल्टन ने बतलाया है कि १९२६ ई० की शान्ति के पदनात् ऋण-निषेध के दूसरे ढङ्ग भी अपनाये गये हैं, जैसे ऋण चुकाने की शर्तों को बढ़ा देना, ब्याज की दर का घटा देना, मुद्रा-स्थिति के द्वारा द्रव्य का मूल्य गिरा देना आदि। परन्तु इस प्रकार से भी सामाजिक न्याय नहीं होता। इसलिए ऋण चुकाने के इन ढङ्गों को नहीं अपनाया चाहिए।

१) वार्षिक वृत्ति (Terminal Annuities)—इस ढङ्ग में सरकार कितना ऋण लेती है उसका बोधा बोधा भाग प्रति वर्ष चुकानी रहती है। हर वर्ष ऋण की विश्व मात्रा रहती है। इस किस्त में मूलधन तथा ब्याज दोनों सम्मिलित होते हैं। ऋण को इस ढङ्ग से चुकाने पर सरकार का ऋण भार प्रति वर्ष कम होना जाता है।

(४) ऋण रूपान्तरण (Conversion of debt)—इस ढङ्ग में ऋण चुकाया नहीं जाता बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जब सरकार यह देखती है कि

सोरो वा उसमें विद्वानस है तथा बाजार में व्याज की दर गिर रही है तो यह पुरान ऋण के बदले एक नया ऋण इश्यू करती है। यह ऋण पहल की अर्पण कम व्याज की दर पर दिया जाता है। इस ऋण के इश्यू होन पर पुरान ऋण दाताया के समन दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि वह अपना रुपया सरकार मे वापिस ल ल। दूसरा रास्ता यह है कि वह पुनः ऋण के बदल दूसरा ऋण खरीद लें। एसा करन पर पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और कम व्याज की दर वाला नया ऋण रह जाता है। जब ऋण दाता पुरान ऋण के स्थान पर नया ऋण खरीद लते ह तो उनमे ही ऋण का रूपान्तरण हो जाता है। ऋण-दाता रूपान्तरण के लिए इमलिए तैयार हो जाते ह क्योंकि सरकारी व्याज की दर बाजारी दर से कुछ अधिक होनी है। जो लोग ऋण के रूपान्तरण के लिए तयार नहीं होतें उनको नव ऋण मे प्राप्त धन में से ऋण चुका दिया जाता है।

नव ऋण को आवर्षित बनान के लिए सरकार या तो ऋण को बट्ट पर बचती है या उसको बचती तो है उसके वास्तविक मूल्य पर लकिन उसको वास्तविक मूल्य से अधिक पर चुकान का बचन देती है। पहली दशा म १०० रुपय का ऋण ६७ अथवा ६८ रुपये म बचा जाता है और ऋण को चुकते समय उसका पूरा मूल्य अर्थात् १०० रुपय चुकाव जाते हैं। दूसरी दशा में १०० रुपय का ऋण १०० ही रुपये म बचा जाता है परन्तु ऋण चुकते समय सरकार ऋण-दाता को १०० रुपये के स्थान पर १०५ अथवा १०५ रुपये देने का बचन देती है। डा० डाल्टन ने एण रूपान्तरण के एन दोना ढङ्गो की निंदा की है। उनका कहना है कि पहल ढङ्ग को प्रपनान से बचापि रूपान्तरण करत समय ऋण का भार घट जाता है परन्तु उनमे भविष्य में सरकार के ऊपर ऋण भार बढ़ता चला जाता है क्योंकि ऋण का मूल्य बढ़ता जाता है और यदि बाजार म व्याज की दर गिर जाती है तो भार और भी बढ जाता है क्योंकि सरकारी ऋण पर व्याज की दर अधिक होन के कारण हर व्यक्ति उसी को मोल लना चाहेगा। सरकारी ऋण नी माग बढ जान पर उसका मूल्य बढ जायगा। इस सम्बन्ध में डा० डाल्टन कहते हैं इसलिये इस प्रकार के ऋण विनियोजको को उनके व्याज की दर को देखते हुए बहुत प्रिय ह क्योंकि उनम पूजी का मूल्य बढन का व्यवहारिक विश्वास होता ह परन्तु इसी बात के कारण नह सरकार के अन्तिम भार को बढा देते ह । अधिपन्तर पिपपत्रा ने इमकी अनुचित घम व्यवस्था बह कर निंदा की है । \* ऋण चुकान का दूसरा ढङ्ग भी पहल के समान ही निन्दनीय है। इसम भी सरकार ने ऊपर ऋण भार बढ जाता है।

बहुत में खोना का यह विश्वास है कि ऋण के रुपान्तरण से ऋण भार घट जाता है। परन्तु इस प्रकार का विचार बहुत अधिक ठीक नहीं है क्योंकि ब्याज की दर में समय २ पर अधिक परिवर्तन नहीं होता और यदि होता भी है तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता क्योंकि ब्याज में जो वचत होती है वह पुन वचत का एक छोटा सा भाग होता है। इसके अतिरिक्त ऋण के रुपान्तरण से सरकारी धाय में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि बरो को बम कर दिया जाता है। इस प्रकार इस ढङ्ग से कर-दाताओं को भल ही लाभ ही सरकारी खजाने की कोई विशेष लाभ नहीं होता।

रुपान्तरण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। (१) वित्त मन्त्री को मुद्रा बाजार की स्थिति की ध्यान पूर्वक देखते रहना चाहिए। (२) रुपान्तरण करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ब्याज की दर कर तथा सामान्य मूल्य स्तर की कैसी स्थिति होने वाली है। (३) रुपान्तरण करते समय ऋण का मूलधन उस समय तक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने की विशेष आवश्यकता न हो। (४) रुपान्तरण का ढङ्ग सरल होना चाहिए।

(५) ऋण परिशोध कोष (Sinking Fund)—कभी कभी सरकार ऋण चुकाने के लिए इस प्रकार का प्रवन्ध करती है जिसमें कि मूलधन तथा उस पर चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलकर ऋण की श्रद्धा समाप्त होने तक ऋण भार के बराबर हो जायें। इस कार्य को करने के लिए सरकार प्रति वर्ष कुछ निश्चित रकम किसी स्वाम पर ब्याज पर लगा देती है। हर वर्ष के अन्त में जो ब्याज मिलता है उसको दूसरे वर्ष के आरम्भ में फिर ब्याज पर लगा दिया जाता है। इस प्रकार हर वर्ष ऐसा करते करते मूलधन और ब्याज मिलकर ऋण के बराबर हो जाते हैं। जैसे यदि सरकार को ५०,००० रुपये का ऋण ५ वर्ष में चुकाना है और ब्याज की दर ५ प्रतिशत है तो प्रति वर्ष सरकार को ६०५० रुपये ब्याज पर लगाने पड़ेंगे, पहले वर्ष के आरम्भ में ६०५० रुपये ब्याज पर लगाने से उत्त पर उस वर्ष के अन्त में ४५० रुपये के लगभग ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में ६०५० रुपये दूसरे वर्ष के तथा ६५०० रुपये पिछले वर्ष के (६०५० रुपये पहले वर्ष का मूलधन तथा ४५० रुपये उस पर ब्याज) इस प्रकार १२५५० रुपये लगाये जायेंगे। इन पर दूसरे वर्ष में ६२५ रुपये ब्याज मिलेगा। तीसरे वर्ष में ६०५० रुपये, तीसरे वर्ष के तथा १६४०५ रुपये पिछले, इस प्रकार २२,५२५ रुपये लगाए जायेंगे। चौथे वर्ष के आरम्भ में ६०५० रुपये चौथे वर्ष के तथा २६६५० रुपये पिछले, इस प्रकार ३६००० रुपये लगाये जायेंगे। पाचवें वर्ष में ६०५० रुपये, पाचवें वर्ष के तथा ४०६५० रुपये पिछले वर्षों के, इस प्रकार पाचवें वर्ष के अन्त में ऋण-परिशोध कोष

में पूरे १०,००० रुपये एकत्र हो जायेंगे। जब इस प्रकार ऋण को चुकाने के लिए सरकार उसके लिए एक कोष एबन करती है तो उसको ऋण-परिशोध-कोष कहते हैं।

ऋण-परिशोध कोष दो प्रकार से एकत्र किया जा सकता है। पहले, वार्षिक धाय में से, दूसरे नया ऋण लेकर। दूसरे ढङ्ग को केवल ऋण का रूपांतरण ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ नया ऋण पुराने का स्थान ग्रहण कर लेता है। ऋण-परिशोध कोष के द्वारा ऋण चुकाने का प्रयत्न सबसे पहले इङ्ग्लैंड में गिट के समय में हुआ था। यह कार्य प्राइस नामक एक पादरी के सुझाव से किया गया था। कुछ समय पश्चात् इङ्ग्लैंड के अतिरिक्त अमरीका आदि देशों ने भी इस पद्धति को अपनाया। परन्तु यहाँ यह बात बतानी अनुचित न होगी कि ऋण-परिशोध कोष की ओर पद्धति प्राइस द्वारा बताई गई थी उसमें अब बहुत परिवर्तन हो गया है।

ऋण-परिशोध कोष या तो निश्चित हो सकता है या अनिश्चित। पहले प्रकार के कोष में एक निश्चित धन राशि प्रति वर्ष जमा की जाती है, परन्तु दूसरे प्रकार के कोष में धन तभी जमा किया जाता है जबकि बजट में बचत हो। यदि बचत न हो तो कुछ भी जमा नहीं किया जायेगा।

निश्चित ऋण-परिशोध कोष का विचार तीन दृष्टियों से किया जा सकता है—(१) वह समय जिस में ऋण चुकाना है। (२) वह ढङ्ग जिससे ऋण-परिशोध कोष में से ऋणों का भुगतान करना है। (३) विभिन्न ऋणों को धरा करने के लिए कोष का उपयोग।

(१) ऋण-परिशोध कोष को जितने थोड़े समय के लिए कायम किया जायें उतना ही अच्छा है परन्तु ऋण का समय इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वह ऋण किस लिए लिया गया है। यदि ऋण किसी पूँजी-वस्तु के लिए लिया गया हो तो बहुत समय तक कायम रहने वाली है तो कोष की अवधि उम्र वस्तु के जीवन-काल तक की हो सकती है। पूँजी-वस्तु के बँकार होने पर कोष को उसके फिर से खरीदने के काम लाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि ऋण युद्ध के लिए लिया गया हो तो उसको शीघ्रतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए नहीं तो देश के ऊपर ऋण भार कायम रहेगा।

(२) ऋण-परिशोध कोष में से हम तीन प्रकार रूपमा दे सकते हैं—(अ) जब वार्षिक भुगतान प्रति वर्ष बढ़ता रहे, (ब) जब वह समान रहे तथा (ग) जब वह घटता रहे। पहले ढङ्ग से भुगतान करने के लिए एक एकत्र होने वाला परिशोध कोष कायम किया जाता है और यह चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ता है। हर वर्ष इस कोष में एक निश्चित धन राशि जमा कर दी जाती है और प्रति वर्ष में कमाया हुआ ब्याज भी उस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कोष का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर

बढ़ता जाता है। दूसरे ढङ्ग से भुगतान करने में वर्ष में कमाया हुआ सारा व्यय कोष में जमा नहीं दिया जाता बरन् उसका एक अंश ही जमा किया जाता है, शेष को ऋणदाताओं को दे दिया जाता है। इस प्रकार ऋणभार प्रतिवर्ष समान रखा जाता है। तीसरे ढङ्ग से भुगतान करने में वर्ष में कमाये गये व्यय में भी अपिब ऋणदाताओं को भुगतान के रूप में दे दिया जाता है। इस प्रकार ऋणभार प्रति वर्ष घटता चला जाता है। इन तीनों में दूसरा पहले से तथा तीसरा दूसरे से अच्छा है। पहले प्रकार के कोष में यह भय रहता है कि आवस्यवता पड़ने पर उसको काम में ले लिया जाता है परन्तु शेष दोनों प्रकार के कोषों के साथ ऐसा होने की शक्यता नहीं है क्योंकि इन दोनों दशाओं में प्रतिवर्ष ऋण दाताओं को कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है।

(३) अब हमको यह देखना है कि विभिन्न प्रकार के ऋणों का भुगतान करने के लिए कोष को कैसे काम में लाया जाए। यदि सरकारी ऋण एक ही प्रकार का है तो कोष में से भुगतान करने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। परन्तु जब सरकार को कई प्रकार के ऋणों का भुगतान करना है तो वह दो ढङ्ग अपना सकती है। पहला, यह कि वह किसी एक कोष को किसी विशेष ऋण का भुगतान करने के लिए निश्चित कर दे अथवा उसका सारा भुगतान करने के लिए निश्चित न करके उसमें से उसका कुछ भाग निश्चित कर दे। इन दोनों ढङ्गों से भुगतान करने में सरकार के लिए कोष को किसी और काम के लिए प्रयोग में लाना कठिन हो जायगा।

### पूँजी कर (Capital Levy)—

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् पूँजी कर एवं बड़ी चर्चा का विषय रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के भार को बहुत समय तक अपने ऊपर रखे रहने की अपेक्षा यह अच्छा है कि उसको किसी न किसी प्रकार समाप्त कर दिया जाये। ऐसा करने से सामान्य मूल्य-स्तर गिरने पर जो ऋण भार बढ़ जाता है वह नहीं बढ़ने पाता। रिकार्डों ने अपनी पुस्तक वर्ष में इस सम्बन्ध में कहा है कि "एक देश जो अपने ऊपर एक बड़ा ऋण एकत्र कर लेता है वह अपने आप को एक बड़ी कृत्रिम स्थिति में रख लेता है... एक देश विमाने अपने आपको इस कृत्रिम पद्धति के कारण कठिनाइयों में डाल दिया है उस के लिए अपने आपको ऋण चुका कर छोड़ लेना बुद्धिमत्ता होगी, चाहे इस ऋण को चुकाने के लिये उसको अपनी सम्पत्ति के किसी अंश का भी बलिदान बचो न करना पड़े।" परन्तु बहुत से लोगों ने पूँजी करों का विरोध किया है। पूँजी कर के यक्ष और विषय के तर्कों पर विचार करने से पहले हमको यह समझ लेना आवस्यक है कि पूँजी कर क्या होगा है।

पूँजी कर यह होता है जिसमें व्यक्ति की आय पर कर न लगाकर उसकी वास्तविक सम्पत्ति पर कर लगाया जाता है। पर लगाने समय एक सीमा निश्चिन कर दी जाती है जिसमें नीचे कर नहीं लगाया जाता। उससे ऊपर की सब सम्पत्तियों पर वर्द्धमान कर लगाया जाता है। इस प्रकार के पूँजी कर को अनुमानिक मूल्य कर भी कहते हैं।

**पूँजी कर के पक्ष में तर्क—**जो लोग पूँजी कर के पक्ष में हैं वह इसके लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं—

(१) यदि पूँजी कर लगा कर हम ऋण के भार से मुक्त हो जाते हैं तो हमने व्यापार और उद्योग-धन्धों पर करो का भार कम रह जाता है। इसके कारण वह उन्नत हो जाते हैं तथा जो धन ऋण का व्याज और मूलधन चुकाने में खर्च किया जाता है उसको बहुत से सामाजिक कार्यों में लगाया जा सकता है।

(२) यह अनुचित होगा कि जो लाखों लोग लड़ाई में लड़े तथा जिन्होंने अपनी जान की जोखिम में डाला उनको उन लोगों के ऋण पर व्याज देना पड़े जो कि लड़ाई में नहीं लड़े परन्तु जिन्होंने केवल अपना रुपया ही ऋण पर दिया। इस प्रकार लड़ने वालों पर दो प्रकार का भार पडा। पहला अपनी जान की जोखिम में डालने का तथा दूसरा ऋण पर व्याज चुकाने का। इसके विपरीत न लड़ने वालों को दो प्रकार का लाभ हुआ। पहला, उन्होंने बिना किसी जोखिम में पड़े युद्ध में माल बेच कर लाभ उठाया तथा दूसरे, उन को युद्ध के पश्चात व्याज भी मिल रहा है।

(३) युद्ध के पश्चात् जब सामान्य मूल्य-स्तर गिर जाता है तो ऋण का वास्तविक भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण कर-दाताओं पर बड़ा भारी बोधा पड जाता है। इसलिए युद्ध ऋण को पूँजी कर द्वारा उसी समय चुका देना चाहिए जबकि मूल्य-स्तर ऊचा हो।

**पूँजी कर के विपक्ष में तर्क—**

(१) युद्ध के पश्चात् जब सरकार ऋण कां भुगतान करती है तो पूँजीपति उसको व्यापार में लगाते हैं। ऐसा न हो सकने के कारण व्यापार तथा उद्योगों को हानि पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त पूँजी कर लगाने से साख (credit) भी कम हो जाएगी। साख कम होने पर मूल्य-स्तर और मरदूरी भी गिर जाएगी।

(२) पूँजी कर के कारण विदेशी पूँजी नहीं आ पाती जिसका व्यापार और उद्योगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पडता है।

(३) पूँजी कर लगाने पर लोगों का पूँजी एकत्र करने का उत्साह समाप्त हो जाता है।

(४) पूँजी कर लगाने पर देश की पूँजी विदेशों में लगाई जाने लगती है।

(५) पूँजी कर के लगाने में षडी बटिनाइया आती है क्योंकि पूँजी के मूल्य का ठीक अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। इसके प्रतिरिक्त द्रव्य कर को एकत्र करने का खर्च बहुत हो जाता है।

(६) एक बार पूँजी कर लगा देने के पश्चात् यह कौन कह सकता है कि यह फिर नहीं लगेगा।

(७) यह कहना गलत है कि अमीर आदमियों ने लड़ाई में कोई बलिदान नहीं किया। युद्ध में उनकी हानि उससे किसी प्रकार भी कम नहीं होनी जितनी गरीब आदमियों की होती है।

. यद्यपि पूँजी कर के विरुद्ध इतने तर्क दिए गए हैं तो भी हम यह कह सकते हैं कि इस कर द्वारा युद्ध भार को जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। इससे राष्ट्र के ऊपर से ऋण का बोझ ही कम नहीं होगा बल्कि इसके द्वारा ऋण-भार नवयुवकों के बंधों से हटकर उन युद्ध लोगों के कंधों पर आ जाएगा जो अपने जीवन के अन्तिम पहर में पहुँच चुके हैं। नवयुवकों पर ऋण भार न होने के कारण वह अपने जीवन को बिना किसी बटिनाई के चला सवेंगे।

**विभिन्न राज्यों के आपसी ऋण (Inter-Governmental Debts)**— प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विभिन्न राज्यों के आपसी ऋणों के भुगतान का प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न था। यह ऋण दो बातों के कारण उत्पन्न हुए। पहले, पराजित देशों के ऊपर विजयी देशों ने अपने युद्ध का खर्च तथा दूसरी प्रकार की हानि का भार ऋण के रूप में डाला। दूसरे, उन देशों ने जिनको युद्ध में कम बलिदान करना पड़ा था, उन देशों को जिन्होंने युद्ध में अधिक बलिदान किया था क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ देने का वचन दिया। परन्तु इस प्रकार के ऋण चाहे जिस कारण से भी उत्पन्न हुए हो उनके चुकाने में एक ही प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार के ऋणों के चुकाने में दो प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पहली, ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त साधनों का उपनयन करना, दूसरी, एकत्र किए हुए साधनों को दूसरे देश में हस्तान्तरण करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याएँ। भव हम इन दोनों समस्याओं पर विचार करेंगे।

ऋण को चुकाने समय साधनों को उपलब्ध करने के लिए या तो कर लगाने पड़ते हैं या मुद्रा स्फीति से काम लेना पड़ता है। ऐसा करने के लिए विदेशों से ऋण

भी लिया जा सकता है परन्तु इससे कोई लाभ नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से एक ऋण के स्थान पर दूसरा ऋण आ जाता है। इन में से चाहे जिस प्रकार भी साधन जुटाए जाएं हर एक से देशों के लोगों की वास्तविक आय कम होगी है तथा यदि भारी करो के कारण उत्पादन शक्ति कम हो जाए तो इस से उनकी वास्तविक आय और भी कम हो जाती है। मुद्रा स्थिति का सबसे अधिक भार गरीबों पर पड़ता है।

साधनों को उपलब्ध करके जब उनको दूसरे देश में हस्तान्तर करने का प्रयत्न आता है तब भी ऋणी देश प्रथवा देशों के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। इस सम्बन्ध में नील्स और ओहलिन (Ohlin) का १९२९ में उठा वाद विवाद हुआ। नील्स का कहना था कि साधनों के हस्तान्तरण से ऋणी-देश के ऊपर हस्तान्तरण का गौण प्रभाव (Secondary Burden of Transfer) भी पड़ेगा परन्तु ओहलिन के अनुसार इस प्रकार की कोई आशङ्का नहीं है।

नील्स का कहना है कि विदेशी व्यापारी ऋणी देश से मान लें कि खरीदेंगे जब कि निर्यात की जाने वाली वस्तु का ऋणी देश में कम मूल्य होगा। परन्तु इन वस्तुओं के मूल्य को वितना कम किया जाए यह इस बात पर निर्भर है कि ऋण प्राप्त करने वाले देश के लिए ऋणी देश की वस्तुओं की मांग की लचक कैसी है। यदि उसकी मांग की लचक कम है तो मूल्य थोड़ा कम करना पड़ेगा परन्तु यदि मांग की लचक अधिक है तो मूल्य अधिक कम करना पड़ेगा। इस प्रकार मूल्य कम करने पर ऋणी देश को हानि होगी। यह हानि उतनी राशय और भी अधिक बढ़ जाएगी जब कि विदेशी आयात का मूल्य अधिक होगा। इस प्रकार ऋणी देश के ऊपर केवल ऋण चुकाने का ही भार नहीं पड़ता बल्कि हस्तान्तरण का गौण प्रभाव भी पड़ेगा।

इसके विपरीत ओहलिन का विचार है ऋणी देश को अपने साधनों को विदेश में हस्तान्तर करने के लिए अपने मूल्य-स्तर को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं इसलिए ऋणी देश पर हस्तान्तरण का कोई गौण प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए ओहलिन इस प्रकार तर्क देता है। जब ऋणी देश किसी विदेशी देश को ऋण का भुगतान करता है तो ऋणी देश में लोगों की आय कम हो जाती है और विदेशी देश में आय बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ऋणी देश में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है परन्तु ऋण प्राप्त करने वाले विदेशी देश में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ऋण प्राप्त करने वाला विदेशी देश ऋणी देश से पुराने मूल्य पर ही मान छोड़ता रहेगा। इस प्रकार यह हो सकता है कि ऋणी देश का व्यापारिक आधिक्य (Balance of Trade) बिना मूल्य गिराए ही उसके पक्ष में हो जाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ऋणी देश को साधनों के हस्तान्तरण से कोई गौण हानि नहीं होगी।



इस वाद विवाद से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में है। यह सत्य है कि ऋण प्राप्त करने वाले देश में वास्तविक आय बढ़ जाने तथा उस देश की ऋणी देश से वस्तुओं की माँग बढ़ जाने से व्यापारिक भाषिण्य ऋणी देश के पक्ष में हो जाए। यह भी सत्य है कि ऋणी देश की अपनी माल विदेशों में भजने के लिए अपने देश में वस्तुओं के मूल्य कम करने पड़ें और इस प्रकार उस पर हस्तान्तरण का गौण प्रभाव पड़े। व्यापारिक स्थिति कितनी किस दशा के पक्ष अथवा विपक्ष में होगी यह कई बातों पर निर्भर है, जैसे निर्यात की मात्रा की लचक, निर्यात वस्तुओं की पूर्ति की स्थिति निर्यात वस्तुओं का सात कम करने मूल्य गिराने की सम्भावना विदेशियों द्वारा लगाए गए आयात-न्तर आदि। यदि ऋण प्राप्त करने वाले देश के लिए आयात वस्तुओं की माँग बेमेल है तो ऋणी देश को लाभ होगा परन्तु यदि माँग सोचदार है तो ऋणी देश को हानि होगी। इसके अतिरिक्त यदि आयात करने वाला देश अपने देश में मूल्य को बढ़ाने नहीं देता तो ऋणी देश का ऋण भार और भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब ऋण प्राप्त करने वाला देश ऋणी देश से प्राप्त किए हुए माल पर आयात कर लगाता है तो उसका भार भी ऋणी देश पर ही पड़ता है।

बहुत से लोगों का विचार है कि ऋण प्राप्त करने वाले देश को व्यापार में बड़ी हानि होगी। इसका कारण यह है कि ऋणी देश में वस्तुओं का भाव कम होने के कारण उस देश का माल ऋण प्राप्त वाले देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऋण प्राप्त करने वाले देश के माल के साथ प्रतिযোগिता करेगा। इसके कारण ऋण प्राप्त करने वाले देश के उद्योग धर्मों को बड़ा आघात पहुँचेगा तथा उस देश में बरोजगारी फैल जाएगी। परन्तु ऐसा सदा ही सत्य नहीं होता। यदि ऋण देने वाला देश कृपि प्रभाव तथा ऋण प्राप्त करने वाला देश श्रौद्योगिक है तो इस प्रकार की कोई बात न हो सकेगी। इसके अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने वाले देश के लोगों की आय बढ़ने पर उनकी वस्तुओं की माँग बढ़ सकती है और इसलिए उस देश के उद्योग-धर्मों पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा। और यदि ऋण प्राप्त करने वाले देश को हानि भी होगी तो वह थोड़े समय के लिए ही होगी। कुछ समय परचात वह देश अपने उद्योग धर्मों का नई परिस्थिति से सामंजस्य कर लगा और इस प्रकार उसकी कठिनाई दूर हो जाएगी।

परन्तु मुझ ऋण के द्वारा इस प्रकार की लाभ व हानि पर वाद विवाद वैज्ञानिक दृष्टि से मले ही उपयोगी हो व्यावहारिक दृष्टि से उत्तम व कम उपयोग है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अमरीका आदि को लूनाए जाने वाले ऋण का वर्णन करते हुए डा० डेल्टन कहते हैं, 'बाह्य तक विदेशी राज्यों को मुझ ऋण चुकाने

का प्रदन है वहा तक अब हम सब धोमनीक है । .....भुगतान करने वाली गुन्दर तात्किए जो कि १९८४ तक अथवा उससे आगे तक चलने वाली थी, आज केवल कागज के टुकडे है ।”\* इस प्रकार हम देखते है कि युद्ध-ऋण का प्रभाव थोडे समय तक ही रहता है क्योंकि कुछ समय पश्चात उनका भुगतान बन्द कर दिया जाता है जैसे प्रथम महायुद्ध के पश्चात ऋणी देशो ने कर दिया था ।



\* Dalton— Principles of Public Finance— P, 299.

## अध्याय ६

### राजस्व का प्रबन्ध

#### (Financial Administration)

सरकार को प्रपना काय करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन करो द्वारा जनता से वसूल किया जाता है। इस धन को सरकार विभिन्न मद पर खच करती है। धन को वसूल करते तथा खर्च करते समय सरकार के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि धन इस प्रकार वसूल किया जाए कि किसी एक वर्ग के ऊपर उसका विशेष भार न पड़े तथा इस प्रकार खर्च किया जाये जिससे कि उससे समाज वा अधिकाधिक हित हो। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह हिसाब की ठीक प्रकार से रखे तथा समय समय पर उसकी जाच पड़ताल करता रहे जिससे कि उसको आर्थिक स्थिति का ठीक अनुभव होता रहे इसी प्रकार सरकार के लिए भी हिसाब को ठीक रखना तथा उसकी जाच पड़ताल करना बड़ा आवश्यक है। हमारे देश में सार्वजनिक वित्त पर नियन्त्रण करने के लिए निम्नलिखित चार संस्थायें हैं—

- (१) व्यवस्थापक सभा (Legislature)
- (२) शासन विभाग (Executive Government)
- (३) वित्त मन्त्री-मण्डल (Finance Ministry)
- (४) जाच विभाग (Audit Department)

#### व्यवस्थापक सभा—

यह सभा राज्य द्वारा प्राप्त की गई सब आय पर, राज्य द्वारा लिए गए सब खर्च पर, राज्य द्वारा लिए गये सार्वजनिक ऋण पर तथा राज्य द्वारा रखे गए हिसाब पर नियन्त्रण करती है। यह सभा शासन करने वाले विभाग को नये कर लगाने अथवा वर्तमान करों की दर बढ़ाने की आज्ञा देती है। यही किसी मद पर खर्च करने के लिए आज्ञा देती है। यही यह निश्चित करती है कि अनुबन्ध कार्य के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जा सकता है। सार्वजनिक हिसाब की जाच पड़ताल करने के पश्चात् जाच विभाग अपनी रिपोर्ट इसी सभा को पेश करता है।

यद्यपि यह सभा शासन विभाग को कर लगाने अथवा उसको बढ़ाने की आज्ञा देती है परन्तु यह कार्य इस सभा द्वारा स्वयं इच्छा से नहीं किया जाता।

कर लगाने का प्रस्ताव शासन विभाग से प्राप्त होता है। इस प्रस्ताव को मानने अथवा न मानने का अधिकार तो इस सभा को है पर गये कर को लगाने का इस को कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शासन विभाग से ही प्राप्त होता है और उसको मजूर करने अथवा न करने का अधिकार भी इसी को है। यह सभा स्वयं इच्छा से किसी कर की दर को नहीं बढ़ा सकती।

व्यवस्थापक सभा का नियन्त्रण दो समितियों द्वारा होता है—(१) अनुमान समिति (Estimate Committee) तथा (२) सार्वजनिक हिसाब समिति (Public Accounts Committee)। इनमें से अनुमान समिति यह देखती है कि व्यवस्थापक सभा द्वारा जो खर्च मजूर किया गया है वह मितव्ययिता से किया जाता है अथवा नहीं तथा सार्वजनिक हिसाब समिति यह देखती है कि सार्वजनिक व्यय उचित ढङ्ग से किया गया है अथवा नहीं। वास्तव में इन दोनों समितियों के कार्य एक दूसरे से टकराते हैं।

### (२) शासन विभाग—

शासन विभाग का कार्य सारे राज्य के लिये एक सामान्य नीति का निर्धारित करना है। यही अर्थ सम्बन्धी सब कार्यों को करता है। यह विभाग अधिकारियों की जाच करने की शक्ति को निश्चित करता है तथा सरकारी कर्मचारियों का वेतन, छुट्टी, पेंशन आदि को निश्चित करता है।

वित्त सम्बन्धी बहु राय प्रश्न जिनकी मजरी मन्त्री मण्डल से लेनी आवश्यक है आनकल मन्त्रीमण्डल की अर्थ-समिति (Economic Committee) के पास भेजे जाते हैं। इस समिति में वित्त मन्त्री तथा पांच अन्य मन्त्री जो वित्त से सम्बन्धित होते हैं, होते हैं। हर मन्त्री अपने खर्च का प्रस्ताव इस समिति के सचिव के पास भेजता है जो इन सब की जाच पड़ताल करके समिति के पास मजूरी के लिए भेज देता है। जहाँ तक अनुमान का सम्बन्ध है इस समिति का निर्णय अन्तिम होता है।

### (३) वित्त मन्त्रीमण्डल—

सार्वजनिक वित्त का नियन्त्रण केन्द्र में वित्त मन्त्री मण्डल द्वारा तथा राज्यों में वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा किया जाता है। वित्त मन्त्री मण्डल का कार्य यह देखना है कि शासन करने वाले विभागों द्वारा जो सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है उस में मितव्ययिता से काम लिया जाता है या नहीं। हर सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह खर्च करते समय उसी प्रकार की सावधानी से काम ले जिससे कि वह अपना निजी खर्च करता है। इस बात को देखने का काम ही वित्त मन्त्री मण्डल का है। इसके प्रतिरूपित इस मन्त्री मण्डल को यह भी देखना पड़ता है कि राज्य के विभिन्न भाग उतना ही खर्च कर रहे हैं कि

नहीं जितना कि उनके लिए मजूर हुआ है। यदि वह मजूर किए हुए धन को वर्ष में खर्च न कर सकें तो बचे हुए धन को लौटाना पड़ता है। इन धन को तीन समय पर लौटाया गया है अथवा नहीं यह बात भी यही मन्त्रीमण्डल देखता है। इन मन्त्रीमण्डल के पास खर्च करने वाले विभागा की रिपोर्टें समय समय पर आनी रहती है। इन रिपोर्टों की जांच करना तथा यदि आवश्यक हो तो कुछ सलाह देना भी इसी मन्त्रीमण्डल का काम है। वित्त-मन्त्री-मण्डल सामान के एक विभाग तथा दूसरे विभाग के खर्च में भी सामञ्जस्य स्थापित करता है। इनके पास सब विभागों की रिपोर्टें आने के कारण उसको यह पता रहता है कि किस विभाग में कोई कार्य किस मूल्य पर किया गया है। यदि एक विभाग में दूसरे की अपेक्षा अधिक खर्च कर दिया गया है तो यह विभाग उसको खर्च कम करने की सलाह देता है। इस प्रकार कम से कम काम पर सब काम ही जाता है।

यह आवश्यक है कि वित्त विभाग का सार्वजनिक धन पर पूरा पूरा नियन्त्रण हो। हमारे देश में सार्वजनिक धन्य के ऊपर तो वित्त विभाग का बापी नियन्त्रण है परन्तु आय पर राज्यों में उसका नियन्त्रण कुछ सीमित है। राज्यों में मालगुजारी की व्यवस्था प्रायः विभाग (Revenue Department) करता है और उसको मालगुजारी के लगाने, एकत्र करने, छूट देने आदि पर पूर्ण अधिकार है। वित्त विभाग का मालगुजारी पर बहुत कम नियन्त्रण है। इसी प्रकार वित्त विभाग का पानी की दर, ट्रावकारी, मुद्राक वर, रजिस्ट्री तथा जज्जनाल के ऊपर भी बहुत कम अधिकार है। परन्तु वित्त विभाग के पास इन सब विभागों की रिपोर्टें समय समय पर आती रहती है और आवश्यकता पड़ने पर वह इन विभागों को सलाह भी देता रहता है। परन्तु केन्द्र में केन्द्रीय प्रायः विभाग वित्त विभाग के नियन्त्रण में ही काम करता है और केन्द्रीय प्रायः विभाग के आधीन केन्द्र की अधिकतर आय है। परन्तु लोक सभा का प्रायः पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं है।

वित्त विभाग को खर्च पर नियन्त्रण करने का पूर्ण अधिकार है। इन अधिकार के फलस्वरूप ही यह विभाग अपनी कुछ शक्तियों का सरकार के दूसरे विभागों को हस्तान्तर कर देता है। परन्तु इन विभागों को इन बात का अधिकार नहीं दिया जाता कि वह उस मद पर क्या खर्च कर सकें जिनका बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया अथवा जिसको सैद्धांतिक दृष्टि में उमकी करने का अधिकार नहीं है।

राज्यों में वित्त विभाग का सचिव ही सारे वित्त का नियन्त्रण करता है परन्तु केन्द्र में अधिक काम होने के कारण इन कार्य को दो विभागों में बांट दिया गया है। इन विभागों का कार्य सरकारी सचिव द्वारा होता है। इनमें से एक विभाग आय और व्यय का विभाग है और दूसरा विभाग आर्थिक कार्य का विभाग है। आर्थिक विभाग का सम्बन्ध बजट बनाने तथा उसको देखने भावने से है।

यह माँगोमाय अधिम प्रोग्राम (Ways & Means Programme) को बनाता, पूंजी व्यय के लिए धन निर्दिष्ट करता तथा देश की आर्थिक नीति को समय समय पर देखता भाजता रहता है। प्रायः और व्यय विभाग आय और व्यय पर नियन्त्रण करता है। यह नियन्त्रण वित्त विभाग के उप-मुचिवों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न मन्त्री मण्डलों (Ministries) के आर्थिक मलाहकारों के रूप में कार्य करते हैं। साधारणतया यह सहयोग में कार्य करते हैं परन्तु यदि इनमें आपस में मतभेद हो जाता है तो इज़लैड के समान यह उप मुचिव किसी मन्त्रीमण्डल की बात को नहीं दाल सकी। इन प्रकार के मतभेद दूर करने का दूसरा दण्ड रखा गया है।

(४) जाच विभाग—शासन विभाग जिस धन को प्राप्त करके खर्च करता है उसकी देय भान के लिए जाच विभाग होता है। जाच विभाग का काम शासन विभाग से पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होता है। यह विभाग शासन विभाग की पलतियों को व्यवस्थापक सभा की नज़रों में जाने के लिए स्वतन्त्र है। वास्तव में यह होता भी इसी कार्य के लिए है। यदि हिसाब में कोई गलती होती है तो नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) उसको सार्वजनिक हिसाब समिति (Public Accounts Committee) की नज़रों में लाता है। इस प्रकार महालेखा परीक्षक व्यवस्थापक सभा के बदले कार्य करता है।

व्यवस्थापक सभा के अतिरिक्त महा लेखा परीक्षक शासन विभाग के लिए भी कार्य करता है। शासन विभाग अपने नीचे काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों की आर्थिक शक्ति को निरिक्त करता है तथा आर्थिक कार्यों को करने, हिसाब रखने, सार्वजनिक धन को प्राप्त करने तथा खर्च करने में नियम बनाता है। यह देखने के लिए कि सरकार की सब आज़ामों का उचित रूप से पालन हो रहा है भयवा नहीं महा लेखा निरीक्षक ही होता है। यदि किसी विभाग के हिसाब में कोई गलती होती है तो उसकी सरकार की नज़रों में जाने का काम भी महालेखा निरीक्षक का ही है।

आर्थिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में साधारण बातें— आर्थिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में दो साधारण बातें होनी आवश्यक हैं— १ मितव्ययिता (Economy), २ उचित रूपता (Regularity)। मितव्ययिता का अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक धन को इस प्रकार खर्च किया जाए जिससे कि खर्च का पूरा पूरा नाम प्राप्त किया जा सके, अर्थात् इस धन को खर्च करते समय हर प्रकार की फिज़ूल खर्ची को दूर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सार्वजनिक धन को खर्च करने में उचित रूपता हो, अर्थात् जो धन खर्च किया जाए वह उन्हीं बातों पर किया जाए जिनको व्यवस्थापक सभा द्वारा मंजूर कर दिया हो तथा हर व्यय उस

प्रधिकारी द्वारा मजूर किया गया हो जिससे उस व्यय को मजूर करने का अधिकार हो।

### बजट

'बजट' शब्द का अर्थ—बजट शब्द एक फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चमड़े का एक छोटा सा थैला। जिस अर्थ में बजट शब्द का प्रयोग आजकल किया जाता है उसका इतिहास वालपोल (Walpole) की १७३३ ई० की वार्षिक योजना से आरम्भ होता है जबकि उपहास में उसको "बजट खुला" के नाम से सम्बोधित किया गया था। ऐसा कहने में वालपोल को एक मदारी के रूप में तथा उसके बजट को चालाकियों के पिढारे के रूप में रखा गया था। परन्तु आजकल धैरे के ऊपर ध्यान न दिया जाकर केवल उस धैरे में बन्द वस्तु के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है और वह वस्तु होती है वह वार्षिक प्रस्ताव जो वित्त मंत्री लोक सभा के सामने प्रति वर्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार बजट किसी वर्ष में होने वाली आय तथा व्यय का विवरण होता है। भारत संविधान की धारा ११२ में लोक सभा के दोनों सदनों के सामने एक 'वार्षिक वार्षिक विवरण' (Annual Financial Statement) प्रस्तुत करने का उल्लेख है। यह विवरण बजट के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी प्रकार का विवरण राज्यों में भी देना किया जाता है।

बजट का महत्व—बजट का किसी देश के वार्षिक जीवन में बड़ा महत्व होता है। बजट शासन विभाग तथा व्यवस्थापक सभा द्वारा किए गए वार्षिक नियन्त्रण का प्रस्थान बिन्दु है। यह उससे भी अधिक है। यह मुचालू वित्त का आधार है जिसके बिना कोई स्थायी सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती। यह उन उद्देश्यों की परिभाषा करता है जिन पर सांख्यिक-अर्थ-कानूनी-रूप-से स्वर्च-किया जा सकता है और उन विविध उद्देश्यों पर इन्ध व्यय की सीमाएँ निर्धारित करना है जिसका उत्तरपन नहीं किया जा सकता।\* यदि किसी देश में बजट नहीं बनाया जाता तो उसकी अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और उसका शासन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस बात की सत्यता समुक्त राष्ट्र प्रयोग की १९२१ ई० से पहले की स्थिति से जानी जा सकती है जबकि वहाँ पर कोई बजट नहीं बनाया जाता था वरन् हर एक विभाग अपना अपना वार्षिक अनुमान कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करता था। इसमें हर एक विभाग इस बात का प्रयत्न करता था कि वह अधिक से अधिक स्वर्च करे। ऐसा होने से बड़ी कठिनाई होती थी। इसलिए १९२१ के पश्चात् हम पद्धति को समाप्त करके बजट पद्धति को चालू किया गया। वास्तव में व्यवस्थापक

\* P. K. Watal— The A. B. C. of Indian Government Finance—P. 28

सभा शासन विभाग के कार्यों पर बजट के द्वारा ही नियन्त्रण करती है। शासन विभाग केवल उन्हीं चीजों पर तथा उन्हीं उद्देश्यों के लिए तथा उतना ही खर्च कर सकता है जितना कि व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार शासन विभाग बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकता।

वर्तमान युग में बजट के द्वारा ही सामाजिक उन्नति की जा सकती है। इसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा समाज में धन वितरण की असमानता को दूर किया जा सकता है। बजट में किए गए कर के प्रस्तावों तथा बजट द्वारा उद्योग-धंधों तथा कृषि को दी गई आर्थिक सहायता का उत्पादन पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। इसके प्रतिरिक्त समाज में फैली हुई धन वितरण की असमानता को बड़े बड़े भ्रमीर लोगों पर कर लगा कर तथा इस प्रकार प्राप्त किए हुए धन को गरीब लोगों के लिए शिक्षा, विज्ञान, मकान आदि का प्रबन्ध करके दूर किया जा सकता है।

बजट के द्वारा मुद्रा स्फीति को बुराई को भी बहुत कुछ कम किया जा सकता है। मुद्रा काल में जब आवश्यकता से अधिक नोट छप जाते हैं तब बजट में किए गए सार्वजनिक ऋण तथा कर-प्रस्तावों द्वारा देश की अधिक शक्ति को वापिस लिया जा सकता है।

आजकल के युग में प्रायः सभी देश अपने सामने एक लोक हितकारी राज्य (Welfare State) का ध्येय रखते हैं। इस ध्येय की पूर्ति भी बजट द्वारा ही हो सकती है। आजकल के बजट केवल इसी बात को ही ध्यान में नहीं रखते कि सरकार जनता से खर्च कर किस प्रकार उगको लोगों की भलाई के लिए खर्च करे, बल्कि यह देखते हैं कि देश के वर्तमान साधन कितने हैं और उनको किस प्रकार इस ढङ्ग से गति प्रदान की जाए जिससे कि देश में सब लोगों को रोजगार मिल जाय तथा वह उचित मात्रा में चीजों का उपभोग कर सके। यह बात प्राप्त करने के लिए सरकार निजी पूंजी को आगे आने के लिए प्रोत्साहन देती है और जिन क्षेत्रों में यह पूंजी आने नहीं पाती वहाँ अपनी पूंजी लगाती है। सरकार की इस प्रकार की सब नीतियां बजट द्वारा ही लोगों के सामने आती हैं।

बजट के सम्बन्ध में कुछ साधारण बातें— (१) जहाँ तक हो बजट सन्तुलित (Balanced), होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हीन बजट बनाया जा सकता है परन्तु बहुत से हीन बजट बनाने से देश की साक्ष घटती है और देश में मुद्रा स्फीति हो जाती है। परन्तु यह पर प्रश्न उठ सकता है कि बजट में कौन कौन से मद सम्मिलित किए जाए क्योंकि धन्य और व्यय दो प्रकार के होते हैं— (१) पूंजीगत (Capital) तथा (२) आय (Revenue)। इन दोनों में



में बजट में केवल आयम आय और व्यय तथा ऐसा पूँजीवृत व्यय जो अनुत्पादक हो, सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की आय और व्यय के सम्बन्ध में बजट सन्तुलित होना चाहिए। भास्वव में यदि देखा जाए तो बजट का सन्तुलन इस बात पर निर्भर होता है कि उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं। वही वार बजट को सन्तुलित दिखाने के लिए वित्त मंत्री उसमें वह चीजें सम्मिलित नहीं करता जो भास्वव में उसको करनी चाहियें। इसकी छापटन आदि ने मार्चनिक खातों की दिशावत की निपुणता वह वर पुकारा है। जैसे तो बजट का प्राधिक्य तथा हीनता केवल आयम आय और व्यय के सम्बन्ध में ही देखी जाती है परन्तु जहा तक हो बजट पूँजीवृत तथा आयम आय और व्यय के सम्बन्ध में ही सन्तुलित होना चाहिए।

बजट में जो आय और व्यय सम्मिलित किए जाते हैं वह वही होने हैं जिनकी उम वर्षों में जिनके लिए कि बजट बनाया गया है प्राप्त होने की आशा है। वही-खाते के समान बजट में वह आय और व्यय सम्मिलित नहीं किए जाते जो कि किसी वर्ष में होने वाले हैं वरन केवल वही आय और व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी कि रुपये पैसे के रूप में लिए और दिए जाने की उस वर्ष में आशा है। उदाहरण के लिए यदि एन ठेकेदार का काम अगस्त १९५१ में शुरू हो कर अप्रैल १९५२ में समाप्त होने वाला है तो उस ठेकेदार का भुगतान करने के लिए १९५१—५२ के बजट में (जिसमें कि वह काम किया गया है) प्रवन्ध नहीं किया जाएगा वरन् १९५२—५३ के बजट में जिसमें कि उसको भुगतान किया जाएगा उसका प्रवन्ध होगा। इस प्रकार बजट वही खाते आधार (Book-keeping basis) पर न बनाया जाकर द्रव्य आधार (Cash basis) पर बनाया जाता है।

(२) बजट में तय प्रकार की आय और व्यय सम्मिलित होने चाहिए। विशेष मदा के लिए अलग बजट नहीं बनाना चाहिए अथवा शासन के हर विभाग के लिए अलग बजट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा न करने से देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हा बहुत से देशों में रेलवे का बजट अलग बनाया जाता है और ऐसा करने के दो कारण हैं—

(१) रेलवे नीति और रेलवे प्रवन्ध राजनीति से अलग होना चाहियें।

(२) एन वार जब रेलवे एन निश्चिन धन राशि सरकार को दे चुकती है तब उनके पास जो कुछ शेष बचता है उसको रेलों की उन्नति करने के लिए छाड़ देना चाहिए।

हमारे देश में १९२३ ई० से रेलवे बजट साधारण बजट से अलग बनाया जाता है। अभी हाल ही में दामोदर पाटी प्रमण्डल के लिए भी अलग बजट बनाया जाने लगा है। इसके लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से धन प्राप्त होता है।

(४) बजट में सम्मिलित की गई आय और व्यय कुल (Gross) होती है। इसमें एक और वह एक आय दिखाई जाती है जो कि किसी वर्ष में मिलने वाली होती है। दूसरी और वह सब सब दिखाया जाता है जो कि उस आय को एकत्र करने में होता है। हमारे देश में केवल मानगुजारी ही ऐसा मद है जो कि वास्तविक (Net) दिखाया जाता है। सम्बन्धित जो मातागुजारी वसूल करता है उसमें से वह अपना भाग कम करके सरकारी खजाने में जमा करता है और राज्य सरकारें आय में उस वास्तविक आय को ही दिखाती हैं। इसी प्रकार पूंजीगत आय को भी वास्तविक ही दिखाया जाता है। परन्तु इङ्ग्लैंड में ऐसा नहीं किया जाता। वहाँ पर वास्तविक आय दिखाई जाती है। इङ्ग्लैंड वाली पद्धति में लोक सभा का आय पर भी उतना ही नियन्त्रण हो जाता है जितना कि स्वयं पर, परन्तु भारतवर्ष में लोक सभा का आय पर बहुत कम नियन्त्रण है। इसलिए इङ्ग्लैंड वाली पद्धति को भारतवर्ष में भी चालू किया जाए तो उचित होगा।

(५) बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ तक हो आय और व्यय का अनुमान वास्तविकता के समीप हो। ऐसी बात सिद्धान्तिक दृष्टि से तो उचित जान पड़ती है परन्तु व्यवहार में इसका पालन करना बड़ा कठिन है। वह अक्सर जो आय और व्यय का अनुमान लगाते हैं उनका साधारणतया यह प्रयत्न रहता है कि वह आय को कम और व्यय को अधिक दिखायें। इसके प्रतिरिक्त भारतवर्ष में तो आय का ठीक अनुमान लगा लेना बड़ा कठिन काम है क्योंकि यहाँ पर बजट मार्च के महीने में बन कर तैयार हो जाता है और वर्ष का मौसम उसने पीछे आता है। इसलिए इस बजट में भानसून की स्थिति को ध्यान में रख कर आय और व्यय निश्चित नहीं किए जा सकते। इसके प्रतिरिक्त हमारे देश में ठीक आकड़े न मिलने के कारण आय और व्यय का ठीक अनुमान लगाना कठिन है। यही कारण है कि यहाँ पर वास्तविक आय और बजट आय में बहुत अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए १९५३-५४ के केन्द्रीय बजट में ६४ लाख रुपये का अधिव्यय दिखाया गया था परन्तु जब आय और व्यय को दोहराया गया तो लगभग २६ करोड़ रुपये का घाटा निकला; यह इसी वर्ष नहीं इससे पूर्व के वर्षों में भी यह बात हो चुकी है। बजट का ठीक अनुमान दो बानों के कारण प्राप्तिकर है। पहली, व्यवस्थापक सभा यह देखना चाहती है कि केंद्र-दाना से आवश्यकता से अधिक कर न लिया जाये। दूसरी, वित्त विभाग यह चाहता है कि कोई भी शासन विभाग अपनी आवश्यकता से अधिक धन न ले क्योंकि ऐसा होने पर दूसरे विभागों को धन धन मिलेगा और इससे देश को हानि होगी।

(६) बजट केवल एक वर्ष के लिए ही बनाया जाता है। परन्तु समुक्त राष्ट्र अमरीका के कुछ राज्यों में दो वर्ष के बजट भी बनाये जाते हैं।

(७) बजट में जो रकमा मंजूर किया जाता है वह केवल एक वर्ष के लिए ही होता है। वर्ष के समाप्त होते ही उस रकम को खर्च करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है इसके समाप्ति का नियम (Rule of lapse) कहते हैं। इस नियम के कारण वर्ष के अन्त में प्रायः सभी सरकारी दफ्तरों में खर्च करने की दौड़ धूप लगी रहती है ताकि बजट में मंजूर किया हुआ धन समाप्त न हो जावे।

(८) यह आवश्यक है कि बजट अनुमान उन्हीं ढङ्ग से तय किया जाये जिस ढङ्ग से कि राष्ट्रीय हिसाब रखा जाता है। इसमें देश के एक राज्य के अनुमान का दूसरे राज्य के अनुमान से मुकाबला किया जा सकेगा। ऐसा मुकाबला हो जाने से आर्थिक नियंत्रण सरल हो जाता है हमारे देश में केन्द्र और राज्यों में बजट बनाने का एक सा ही ढङ्ग अपनाया गया है।

### बजट का तैयार करना

बजट तैयार करने में तीन बातें साधनी हैं—

- (१) बजट कौन तैयार करता है ?
- (२) बजट कब तैयार किया जाता है ?
- (३) बजट कैसे तैयार किया जाता है ?

(१) बजट कौन तैयार करता है ?—प्रायः सभी देशों में बजट शासन विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसका कारण यह है कि यह विभाग ही धन को प्राप्त करता है और यही उसको खर्च करता है। इसलिए यह विभाग यह जानता है कि किस मद से कितनी और प्रायः प्राप्त हो सकती है और किस मद पर खर्च करना उचित होगा। इसीलिए सभी देशों में बजट तैयार करने का कार्य शासन विभाग पर छोड़ दिया गया है।

(२) बजट कब तैयार किया जाता है ?—हमारे देश के विस्तृत होने के कारण बजट तैयार करने के लिए कोई समय तो विशिष्ट नहीं किया गया है परन्तु प्रायः सभी स्थानों पर बजट तैयार करने का कार्य सितम्बर मास में शारम्भ हो जाता है। इस प्रकार हमारे देश में बजट कार्यान्विष्ट होने में ६ से लेकर १८ मास पूर्व बनाया जाता है। इतनी पहले हर बात का ठीक अनुमान लगा लेना बड़ा कठिन है। इसी कारण भारत के एक वित्त मंत्री ने कहा था कि भारतीय बजट 'मानसून में जुमा' (Gamble in Monsoon) है। भारत के एक वित्त घासोग ने यह सुझाव दिया था कि बजट का समय पहली अप्रैल से बदल कर पहली नवम्बर अथवा पहली जनवरी कर देना चाहिए।

(३) बजट कैसे तैयार किया जाता है ?—हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है। इसमें राज्यों की स्वशासन का अधिकार भिन्न हुआ है। इसलिए हमारे देश में हर राज्य अपना अपना बजट बनाता है और एक बजट वेद द्वारा बनाया जाता है। बजट को तैयारी कई भागों में बाटी जा सकती है —

(१) स्थानीय अधिकारों द्वारा अनुमान का लगाया जाता तथा इन अनुमानों का उच्च न्यायालय द्वारा एकत्र करना।

(२) अनुमानों की छान बीन करना।

(३) बजट का बनाता तथा लोक सभा में पेश करना।

(१) स्थानीय अधिकार अपने अपने हिसाब को अपने प्रधान कार्यालयों में उसकी दो भागों में बाँट कर भेजते हैं —

पहले भाग में वर्तमान साधनों से प्राप्त आय तथा वर्तमान में होने वाले व्यय को दिखाया जाता है।

दूसरे भाग में नई नई योजनाओं पर होने वाले व्यय तथा यदि किसी वर्तमान आय के साधन को छोड़ना हो तो उसका दर्शन होता है।

पहले भाग में आय और व्यय प्रलग प्रलग दिखाए जाते हैं। इनको अर्थ विभाग से प्राप्त हुए फार्मों पर दिखाया जाता है। इन फार्मों में साधारणतया निम्न निम्नलिखित चीजें होती हैं —

- (i) पिछले वर्ष की वास्तविक आय व व्यय,
- (ii) चालू वर्ष में मजूर आय व व्यय के अनुमान,
- (iii) चालू वर्ष के दोहराये हुए आय व व्यय के अनुमान,
- (iv) आने वाले वर्ष के बजट के अनुमान,
- (v) चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष की वास्तविक आय व व्यय जो बजट के समय तक मालूम हो जाती है।

इनमें से दूसरे स्थान के अतिरिक्त सब स्थाने स्थानीय अधिकारों द्वारा भरे जाते हैं। इन सब स्थानों में तीसरा और चौथा स्थाना मुख्य है। इनमें से प्रथम तीसरे स्थानों के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं और उसके आधार पर चौथे स्थानों के अनुमानिक आंकड़े तैयार किये जाते हैं। यहाँ यह बात बताने योग्य है कि बजट के अनुमानों को बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए, जिससे कि आने वाले वर्ष में अनुमान, वास्तविकता से बहुत दूर न जा पड़ें। हर वर्ष की परिस्थिति समान नहीं होती। इसलिए बजट के अनुमान पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों में कुछ जोड़ घटवा घटा कर प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि उनकी भविष्य में होने वाली बातों को ध्यान में रख कर तैयार करना चाहिए।

नई नई योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण दूसरे भाग में होता है। इस भाग में यह भी दिखाया जाता है कि इन योजनाओं पर पितना धन अधिक खर्च होने की आशा है तथा वर्तमान आय के साधनों को छोड़ने से कितनी आय की हानि होने की आशा है।

स्थानीय अफसर इन सूचनाओं को अपने अपने विभाग के सर्वोच्च अफसरों के पास भेजते हैं। सर्वोच्च अफसर सब जिलों में प्राप्त धाय व व्यय के अनुमानों को जोड़ कर अपने विभाग की कुल धाय व व्यय का अनुमान लगा लेते हैं। यदि आवश्यकता हो तो वह उस में कुछ परिवर्तन भी कर देते हैं। इसके पश्चात् सर्वोच्च अफसर अपने अपने अनुमानों को सितम्बर से से कर मन्त्र के महीने तक प्रबन्ध तथा धर्म विभागों को भेजते हैं।

(२) प्रबन्ध विभाग सब विभागों में प्राप्त अनुमानों का निरीक्षण करके इन की धर्म विभाग के पास अपनी टिप्पणियों सहित भेज देता है। इसके पश्चात् धर्म-विभाग प्रबन्ध विभाग के अनुमानों का निरीक्षण करता है। यदि प्रबन्ध विभाग के तथा धर्म विभाग में किसी बात पर मतभेद होता है तो इस की सूचना सरकार को अन्तिम निर्णय के लिये दी जाती है। धाय और व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त इस बात का भी अनुमान लगाया जाता है कि किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितने ऋण की आवश्यकता होगी।

(३) इसके पश्चात् धर्म-विभाग बजट तैयार करता है। बजट में नये करो का खर्चाना तथा बचे हुए धन का खर्च करना तथा इसी प्रकार की दूसरी बातों का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार के निर्णय के पश्चात् विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये बजट बनाया जाता है। हमारे देश में राज्यों तथा केन्द्र में बजट इसी रीति से बनाया जाता है।

बजट का पास होना—बजट के तैयार हो जाने पर इसको फरवरी के अन्त अथवा मार्च के आरम्भ में विधान सभा अथवा लोक सभा के दोनों सदन ने सामने प्रस्तुत किया जाता है। जिस समय बजट पेश किया जाता है उस समय वही भीड़ होती है। दर्शन लोग मुंह बाये वित्त मन्त्री की ओर देखते हैं और उसके बजट के भाषण को सुनने के लिये उत्सुक रहते हैं। वित्त मन्त्री पहले पिछले बजट, प्यारह महीनों का हिसाब पेश करता है। इसके पश्चात् बचे हुए एक या दो भाग की धाय व व्यय का विवरण देता है और अन्त में आने वाले वर्ष के अनुमानों को प्रस्तुत करता है। यदि पिछले वर्ष तथा आने वाले वर्ष के आकड़ों में अधिक अन्तर रह जाता है तो वह उसका कारण देता है। इसके अतिरिक्त वह नये नये करों तथा पूंजी व्ययों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। वित्त मन्त्री के बजट भाषण की एक प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन उस पर

कोई बहस नहीं की जाती। परन्तु उस के पार्षदां कुछ समय बजट पर बहस के लिए निश्चित किया जात है। बजट पर पहले तो साधारण बहस होती है। इसके पश्चात् अनुदान की मांगों पर राय ली जाती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सदन को सब प्रकार के खर्चों पर राय देने का अधिकार नहीं है। विधान की धारा ११३ के अनुसार कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिन पर सदस्य अपनी राय नहीं दे सकते।\* बजट पर दो या तीन रोज तक साधारण बहस होती है इस बहस के बीच कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता और न ही बजट पर राय ली जा सकती है। परन्तु साधारण बहस से यह लाभ हो जाता है कि सदस्य उस खर्चों पर भी बहस कर सकते हैं जिस पर उन को राय देने का अधिकार नहीं होता। इससे यह भी लाभ होता है कि सरकार को यह पता चल जाता है कि सदस्या का बजट के प्रति कैसा रवैया है। इसके पश्चात् अनुदान की मांग पर राय ली जाती है। अनुदान की माँग वही मन्त्री प्रस्तुत करता है जिसका उससे सम्बन्ध होता है। प्रत्येक अनुदान की मांग पर बहस करने के लिए एक समय निश्चित किया जाता है। यदि उक्त समय के बीच बहस पूरी नहीं होती तो अध्याय उक्त पर बहस बन्द कर देने की आज्ञा देता है। इस प्रकार बहस से यह ऐसे होते हैं जो कि बिना बहस किए ही पास करने पड़ते हैं। इस प्रकार समय निश्चित करने के कारण इङ्ग्लैण्ड जैसे देश में १/३ से १/२ तक का खर्च बिना बहस किए ही पास हो जाता है। भारतवर्ष में बहस के लिए ८ से १२ दिन तक दिए जाते हैं इसलिए यहाँ तो इससे भी अधिक खर्च बिना बहस के पास हो जाता है। भारतवर्ष में लेमानुदान (Votes on Account) पद्धति के चालू होने के कारण यह आवश्यक नहीं रह गया है कि बजट पर बहस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व ही समाप्त कर दी जाये। इसे कारण बजट पर बहस के लिए अधिक दिन बढ़ाए जा सकते हैं।

\* इस प्रकार के खर्च बढ़ होते हैं जो भारत की मन्चन निधि (Consolidated Fund of India) में से किए जाते हैं। इस प्रकार के खर्च निम्नलिखित हैं,—

- (क) राष्ट्रपति का वेतन, उसके भत्ते तथा उसके दफ्तर से सम्बन्धित दूसरे खर्च;
  - (ख) राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष तथा उप-अध्यक्ष का वेतन तथा लोक सभा के स्पीकर तथा उप-स्पीकर का वेतन,
  - (ग) न्यायिक या भारत सरकार को देना है,\*
  - (घ) सर्वोच्च, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन आदि;
  - (ङ) कम्प्यूटर तथा आर्टिस्ट जनरल का वेतन भत्ते तथा पे-शन;
  - (च) निजी मुद्दरमे से सम्बन्धित खर्च;
  - (छ) अतिरिक्त खर्च या निधान अधिकांश राष्ट्रपति द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया हो।
- केन्द्र के समान राज्यों में भी कुछ मद ऐसे होने हैं जिन पर विधान सभा को राय देने का अधिकार नहीं होता।

किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वह कटौती के प्रस्ताव (Cut motions) पेश कर सकें। इस प्रकार के प्रस्ताव दो उद्देश्यों से पेश किए जाते हैं—(१) खर्च में मितव्ययिता लाने के लिए तथा, (२) यह जानने के लिए कि किसी मद पर खर्च करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वह उचित है अथवा नहीं। साधारणतया कटौती के प्रस्ताव इनमें से दूसरे उद्देश्य के लिए पेश किए जाते हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजनीतिक होता है। इनके द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है।

यदि वर्ष के समाप्त होने से पूर्व किसी मद अथवा कुछ मदों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए अनुपूरक मांग (Supplementary demands) रखी जाती है। इन मांगों का अनुमान उसी रीति से लगाया जाता है जिससे कि बजट के अनुमान लगाये जाते हैं। अनुपूरक मांगों को भी बजट के समान ही पास करना पड़ता है। अनुपूरक मांगों को बजट के सदस्य अच्छी निगाह से नहीं देखते। परन्तु सरकार के सामने ऐसे प्रवचनों पर दो बातें रहती हैं। पहली यह कि वह अनुपूरक बजट पास करा ले और दूसरी यह कि वह बजट में ही हर मद के लिये उदारता से व्यय का प्रबन्ध करे। इन दोनों में से पहली बात अधिक मजबूती है क्योंकि अनुपूरक मांग के पेश होने पर सदस्यों को उन पर बहस करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। परन्तु दूसरा रास्ता अपनाया जाने पर उन को ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार किसी ऐसे मद पर खर्च करना चाहती है जो कि किसी मांग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता अथवा व्यय का नया भद् इतना आवश्यक है कि सरकार बिना उसको सदन की मजूर में लाये हुए उस पर धन खर्च नहीं करना चाहती। ऐसे प्रवचनों पर सरकार एक रुपये की एक साकेतिक मांग (Token demand) पेश करती है। इसके साथ एक प्रत्यक्ष विवरण में यह दिया रहता है कि इस मांग को पूरा करने के लिए खर्च कितना होना चाहिये।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ष समाप्त होने पर पता चलता है कि कुछ मदों पर उससे अधिक खर्च हो गया है जो कि उसके लिए बजट में रखा गया था। यह अनुचित है। इस प्रकार के खर्च को उचित खर्च बताने के लिए अतिरिक्त अनुदान (Excess Grant) की पद्धति का निर्माण किया गया है। इस प्रकार के अतिरिक्त अनुदान विधान सभा के सामने पेश करने से पहले सार्वजनिक खाते समिति (Public Accounts Committee) के सामने पेश करने पड़ते हैं। इस समिति की मजूरी हो जाने पर इस प्रकार के खर्च को अगले वर्ष में पास कर दिया जाता है।

**विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)**—जब बजट की मांग पर राय ले ली जाती है तब एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य प्राप्त की हुई मांगों को वानूनी रूप देना तथा संचित निधि (Consolidated Fund) में से धन निवासने का अधिकार देना है। यह विधेयक प्रारम्भिक मांगों, अनुपूर्वक मांगों आदि के लिए पेश किया जाता है। इस विधेयक के द्वारा ही निम्नलिखित मांगों में अधिक राशि लिए गए रूपए को वानूनी रूप दिया जाता है। इस विधेयक से सरोकार करने के लिए प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। यह इस लिए है जिससे कि लोक सभा द्वारा प्राप्त की गई मांगों में कोई बदलाव नहीं आ सके।

सातवर्ष में जो धन करो आदि से एकत्र किया जाता है उसको सबसे पहले संचित निधि में जमा किया जाता है। इस के पश्चात् इस कोष में से इस विधेयक के द्वारा ही धन निकालकर खर्च किया जाता है। यद्यपि इस विधेयक में सदस्य लोग कोई समीक्षण पेश नहीं कर सकते तो भी इस का यह लाभ है कि उनकी सुझाव देने का एक और अवसर मिल जाता है।

**आपाती व्यय (Emergent Expenditure)**—१९१६ के एक्ट के अनुसार आपाती व्यय के पालन करने का अधिकार गवर्नर को था। १९३५ के विधान में इस व्यय के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु नये विधान के अनुसार हमारे देश में एक आपाती कोष (Contingency Fund) है जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर धन खर्च किया जा सकता है। इसके पश्चात् व्यवस्थापक तथा से इस खर्च की स्वीकृति ली जाती है। इस प्रकार व्यवस्थापक खर्च को मजूर करती है तथा संचित निधि से धन निकालने की आज्ञा देती है।

**करों पर मत लेना (Voting of Taxes)**—हमारे देश के केन्द्र में सरकार के कर प्रस्ताव एक धर्म बिल (Finance Bill) के द्वारा पेश किए जाते हैं। राज्यों में इस प्रकार के बिल पेश करने का रिवाज नहीं है। कुछ राज्यों में विभिन्न करों के लिए विभिन्न बिल पेश किए जाते हैं और कुछ में सब करों के प्रस्ताव का एक ही बिल पेश किया जाता है। इस बिल में प्रस्तावित करों को व्यवस्थापक तथा पढा तो सकते हैं और किसी कर को विलुप्त समाप्त भी कर सकती हैं परन्तु कर को बढ़ा नहीं सकती यद्यपि किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं रख सकती।

हमारे देश में धर्म बिल तथा द्रव्य बिल (Money Bill) में कुछ भेद किया गया है। धर्म बिल में कर और व्यय के अतिरिक्त और बातें भी सम्मिलित होती हैं परन्तु द्रव्य बिल में केवल कर और व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव ही होते हैं।

पेश किया हुआ कोई बिल द्रव्य बिल है यद्यपि धर्म बिल इस का निर्णय सम्पन्न ही करता है। धर्मयत्न की बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता। द्रव्य बिल के लिए धर्मयत्न के प्रमाण पत्र (certificate) की आवश्यकता होती है परन्तु धर्म



बिल के विषये इस प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु अर्थ बिल बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पेश नहीं किया जा सकता। यह दोनों बिल लोक सभा (Parliament) में ही पेश किये जा सकते हैं। जब बिल को जब लोक सभा पास करती है तो वह राज्य परिषद (Council of State) के पास भेजा जाता है। यदि राज्य परिषद उसको बिल्कुल ही पास कर दे जैसा कि लोक सभा ने किया है तो कोई बात नहीं परन्तु यदि वह उसमें कोई संशोधन करे तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए बिल फिर से सभा में आना है। लोक सभा उन संशोधनों को माने या न माने। यदि वह नहीं भी मानती तो भी बिल पास हो जाता है। इसके विपरीत अर्थ बिल पर यदि दोनों सदनों में मत भेद हो तो दोनों सदनों के सदस्यों की एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा के बहुमत से यह बिल पास किया जाता है।

अर्थ बिल बजट के साथ ही पेश किया जाता है। इस बिल के अन्त में यह बात लिखी होती है कि जब हित में इस बिल पर १९३१ ई० के करो के प्रस्थायी रूप से एकत्र करने वाले एक्ट (Provisional Collection of Tax Act) के अन्तर्गत कार्य करना प्रारम्भ कर दिया जाय। इस एक्ट के अनुसार अर्थ बिल में प्रस्तावित करों को एक हम लेना प्रारम्भ कर दिया जाता है। यदि लोक सभा कर को घटाती है अथवा समाप्त करती है तो कर का धन लौटा दिया जाता है। परन्तु इस प्रकार से कर केवल ६० दिन तक एकत्र किए जा सकते हैं। यदि ६० दिनों में अर्थ बिल पास न हो सके तो इस बिल के अन्तर्गत एकत्र किए हुए करों को लौटाना पड़ना है। इस प्रकार पास हो जाने के पश्चात् यह बिल एक्ट बन जाता है।

**सार्वजनिक ऋण पर नियन्त्रण—**

जिस प्रकार कि करो के ऊपर व्यवस्थापक सभा का नियन्त्रण होता है उसी प्रकार जब सरकार को सार्वजनिक ऋण लेना होता है तब उस को लोक सभा से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। लोक सभा (केन्द्र में) तथा विधान सभा (राज्यों में) यह निर्दिष्ट करती है कि ऋण किम काम के लिए लिया जाय तथा किम शर्त पर लिया जाय।

भारतवर्ष में सार्वजनिक ऋण तथा करो की स्थिति में अन्तर है। महा वर करों को लगाने तथा एकत्र करने की आज्ञा लोक सभा से लेनी पड़ती है परन्तु सार्वजनिक ऋण भारतवर्ष की संचित निधि की धरोहर पर उस सीमा तक लिया जा सकता है जो कि समय समय पर लोक सभा द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार राज्य सरकारों को उस सीमा तक भी ऋण दे सकती है अथवा उनके ऋण की गारण्टी कर सकती है जो कि लोक सभा द्वारा पास किए गए किसी कानून में निर्दिष्ट की जाएगी।

नियन्त्रण कुछ बढ़ जायेगा। भविष्य में ऐसी प्राणा है कि केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष हीन बजट बनायेगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि ससद यह निश्चित करे कि सरकार किस सीमा तक ऋण ले सकती है क्योंकि यह बात अभी तक निश्चित नहीं की गई है।

देश की वर्तमान स्थिति में यह बात भी आवश्यक है कि बजट अनुमान जहाँ तक हों सही हों जिससे कि प्रति वर्ष की वास्तविक बजट हीनता दिखाई जा सके। इसके साथ साथ ससद को इस बात की भी तसल्ली होनी चाहिए कि सार्वजनिक खाते में अधिक धन आ रहा है जिससे कि ससद को पता चल जाये कि ऋण केवल आवश्यक बातों के लिये ही लिया जा रहा है।

कुछ लोगों का यह सुभाव है कि ससद को अपने परम्परागत कार्यों के प्रतिरित्त कुछ नये कार्य भी करने चाहिये इसके प्रतिरिक्त खर्च में मित्यव्ययिता तथा समता लाने की बड़ी आवश्यकता होती है। मित्यव्ययिता देश की निर्धनता के कारण और समता योजना के भार को सब स्थानों पर समान रूप से फैलाने के लिए आवश्यक है।



# द्वितीय खण्ड

## भारतीय राजस्व

### अध्याय १

#### केन्द्रीय राजस्व

(Central Finance)

किसी देश के राजस्व का प्रभाव उस देश के उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि आदि पर बड़ा गहरा पड़ता है। यदि किसी देश में अच्छी राजस्व व्यवस्था है तो वह देश हर दृष्टि से उन्नति करेगा और यदि राजस्व व्यवस्था अच्छी नहीं है तो देश की सब प्रकार की उन्नति रूक जायगी।

**भारतीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाली बातें—**

भारतीय राजस्व पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है—

(१) जनता की कृषि पर निर्भरता—१९५१ की जन गणना के अनुसार हमारे देश के ६६% लोग खेती पर लगे हुए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि ही प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा अधिक धन प्रदान करेगी और कृषि की स्थिति पर ही सार्वजनिक क्षेत्र में धन की कमी या अधिकता होगी। हमारे देश की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए भारतीय बजट की स्थिति मानसून की स्थिति पर निर्भर होती है। यदि किसी वर्ष बरसात अच्छी हो जाती है तो उस वर्ष व्यापार उद्योग आदि पूरे उन्नत हो जाते हैं। इससे सरकार की कर आय बढ़ती है तथा रेलों की आय भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती तो व्यापार तथा उद्योगों की अवस्था खराब हो जाती है। रेलों की आय घट जाती है। रंगान में छूट करने पड़ती हैं और घातक का प्रबंध करने में बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार आय तो घट जाती है परन्तु व्यय बढ़ जाता है। यही

कारण है कि भारतीय बजट को 'मानसून में जुधा' (Gamble in Monsoons) कहा गया है।

(२) जनता की निर्धनता—हमारे देश के लोगों की निर्धनता सर्व-विख्यात है। हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय सप्ताह के कुछ देशों की छोड़कर कदाचित् सबसे कम है। १९४६ ई० के समुक्त राष्ट्र सभ के अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय ५७ डालर थी जबकि उसी वर्ष में यह प्रायः समुक्त राष्ट्र अमरीका में १४५३ डालर, इंग्लैण्ड में ७७३ डालर, कनाडा में ८७० डालर, न्यूजीलैण्ड में ८५६ डालर थी। इन आंकड़ों से हम भारत के लोगों की निर्धनता का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस निर्धनता का प्रभाव राज्य की आय पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय वारिण्य मण्डल के एक अनुमान के अनुसार भारत में १९३८-३९ ई० में २,८१,३०१ करदाता थे। इनकी संख्या बढ़कर १९४८-४९ में ४,६१,०७६ हो गई। इनमें से वह कर दाता जिनकी आय एक लाख से अधिक थी १९३८-३९ में ४३६ थे और १९४६-४७ में २,५८८ थे। देश के विभाजन के पश्चात् उनकी संख्या केवल २,४५२ रह गई। इन आंकड़ों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय प्रथम कोष को आय-कर से वितनी कम आय प्राप्त होती है। आय की कमी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनता के हित के अन्य कार्यों पर बहुत कम धन खर्च हो पाता है।

(३) धन का असमान वितरण—भारतवर्ष में धन का वितरण समान नहीं है। महा पर एक ओर तो करोड़पति हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनकी दो समय भर पेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता। धन के इस असमान वितरण के कारण कर आय अपेक्षाकृत बड़ी आयों वाले व्यक्तियों से प्राप्त होती है। उक्त-नियत वारिण्य मण्डल ने भारतीय कर-दाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है— श्रेणी १—५००० रु० तक की आय, श्रेणी २—५००० रु० से १०,००० रु० तक की आय, श्रेणी ३—१०,००० रु० से १५,००० रु० तक की आय, श्रेणी ४—१५,००० रु० से २५,००० रु० तक की आय, श्रेणी ५—२५,००० रु० से ५०,००० रु० तक की आय, श्रेणी ६—५०,००० रु० से १,००,००० रु० तक की आय, श्रेणी ७—१,००,००० रु० से अधिक की आय। इनमें से पहली दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणियों के लोग १९३८-३९ में क्रमशः १८७, १७२, १११ तथा १४६ प्रतिशत कर-समादान देते थे। परन्तु १९४८-४९ में इन श्रेणियों का समादान घट कर क्रमशः ३४, ६५, ६२ तथा ५७ प्रतिशत रह गया। अर्थात् निम्न-वर्गीय, मध्य-वर्गीय, उच्च-वर्गीय, अत्युच्च-वर्गीय श्रेणियों के लोग जो १९३८-३९ में कुल कर का क्रमशः १५१, ९११ तथा १३९ प्रतिशत समादान देते थे उनका समादान बढ़ कर क्रमशः १६४, १५७ तथा ४२१ प्रतिशत हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९४८-४९ में वह लोग जिनकी आय २५,००० रु० आयना इसके अधिक थी कुल कर आय का लगभग ७५ प्रतिशत अंशदान देते थे ।

(४) ग्रामों की अर्धकृता—भारतवर्ष में लगभग ८१ प्रतिशत लोग ग्रामों में रहते हैं । इन लोगों की आय बहुत कम होती है । भारत सरकार के अर्थ-उपदेष्टा के अनुसार १९४६-४७ में ग्रामों में प्रति व्यक्ति आय ४०१ रुपये थी । परन्तु नगरों में यह आय ११२१ रुपये थी । यही कारण है कि ग्रामों के लोग सरकारी ऋण को बहुत कम अंशदान देते हैं ।

केन्द्रीय शासन परिपाटी—भारतवर्ष सदा से केन्द्रीय शासन-पद्धति का अनुयायी रहा है । यहाँ सदा से ही राज्य के ऊपर यह भार रहा है कि वह रक्षा न्याय तथा जन हित बागों पर धन खर्च करे । इस प्रकार सार्वजनिक व्यय की वृद्धि की हमारे देश में बड़ी आवश्यकता है ।

एकक तथा संधानीय शासन पद्धति (Unitary and Federal System of Government)—

किसी देश में या तो एक शक्ति के हाथ में शासन सत्ता होती है या कई शक्तियों के हाथ में शासन की बाण्डोर होती है । पहली अवस्था में शासन-पद्धति को एकक-शासन पद्धति (Unitary System of Government) कहा जायेगा और दूसरी स्थिति में शासन पद्धति को संधानीय शासन पद्धति (Federal System of Government) कहा जायेगा । एकक शासन पद्धति का अभिप्राय यह नहीं है कि किसी एक स्थान पर बैठकर कोई शासक कुछ उपकरणों की सहायता से राज्य का काम चलाता रहता है । एकक-शासन पद्धति में राज्य को कुछ प्रांतों में बाटा जा सकता है जैसे अखबार ने अपने राज्य को कई प्रांतों में बाटा था । परन्तु प्रांतीय शासक हर मामलों में अखबार के प्राधीन थे । वह दादशाह की आना बिना कोई काम नहीं कर सकते थे । इस प्रकार शासन की सर्वोच्च शक्ति (Supreme Power) दादशाह में निहित थी । इसके विपरीत, संधानीय-शासन में राज्य को जितने भागों में बाटा जाता है उन राज्यों को कुछ विषयों के प्रतिरिक्त ऋण विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है जैसे हमारे देश में केन्द्रीय सरकार सारे देश की रक्षा, रेल, डाकघाल, मुद्रा व वृक्षाल आदि के लिए जिम्मेदार है । इन विषयों में प्रांतीय शासन केन्द्र के प्राधीन है । परन्तु शेष विषयों में प्रांत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है । वह कर लगा सकते हैं, राज्य में साधारण कोई उद्योग चला सकते हैं, कर को दर बढ़ा या घटा सकते हैं आदि और इस प्रकार प्राप्त आय को इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं । केन्द्रीय शासन उनकी

इस सब विषयों पर कुछ भी नहीं कह सकता। हमारे देश में १९३७ ई० में सधानीय शासन के लागू होने से पूर्व प्रान्तों को कर लगाने का कोई अधिकार न था। यह किसी बड़ अधिकारी की तिगुन्ति नहीं कर सकते थे। यह कोई बड़ी योजना अपने हाथ में नहीं ले सकते थे। इस प्रकार प्रान्तों को हर विषय में बेदर पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार उस समय हमारे देश में एक शासन पद्धति थी और प्राजक्त सधानीय शासन पद्धति है।

एक शासन पद्धति तथा सधानीय शासन पद्धति दोनों में एक से ही राजस्व के सिद्धांत लागू होते हैं। दोनों प्रकार की शासन पद्धतियों में राजस्व का प्रबंध करने में नित्यव्ययिता तथा नियमितता की आवश्यकता है। परन्तु सधानीय शासन की कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो एक शासन पद्धति में नहीं पाई जाती। सधानीय शासन में आर्थिक साधनों को केन्द्रीय शासन तथा प्रांतीय शासन तथा स्थानीय शासन में बांट दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हर प्रकार के शासन को काम भी बांट दिया जाता है। केन्द्र के हाथ में वह विषय होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं जैसे देश की रक्षा, विदेशी व्यापार, रेल यातायात, डाक खाने तथा तार घर, मुद्रा व टक्साल आदि। इन सब विषयों को यदि प्रांतीय शासनों को दे दिया जाए तो देश में बड़ी अव्यवस्था होने की आशङ्का रहती है। इसलिए यह सब विषय केन्द्रीय शासन अपने हाथ में रखता है। परन्तु देश की आन्तरिक शान्ति को बचाने तथा सामाजिक जीवन को उन्नत करने से सम्बन्धित विषयों को प्रांतीय शासनों को दिया जाता है। इन प्रकार प्रांतीय शासनों को पुलिस, जेल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो विषय बचते हैं उनको वही तो केन्द्रीय शासन अपने हाथ में ले लेता है और वही वह प्रांतीय शासन को दिये जाते हैं।

**सधानीय शासन के सिद्धांत**—सधानीय शासन में आर्थिक साधनों तथा कामों का बटवारा बड़े विचार के पश्चात् किया जाता है। ऐसा करते समय यह देखा जाता है कि किस कार्य को कौन ठीक प्रकार से कर सकता है तथा किस साधन को कौन उचित रीति से विवोहन कर सकता है। परन्तु इस प्रकार कार्य और साधनों का बटवारा करने पर भी साधारणतया यह देखा जाता है कि केन्द्र अपनी प्रांतों के पास अपना कार्य सुचारु रूप से संचालन करने के लिए साधनों की कमी रह जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र अपनी प्रांतों को एक डूंगरे को सहायक अनुदान (Grant-in aid) देते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सहायता देना सिद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है परन्तु इसको आर्थिक दृष्टि से करना पड़ता है। सधानीय शासन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है।

(१) **एकरूपता (Uniformity)**—सधानीय शासन का पहला सिद्धांत यह है कि सधानों की प्रत्येक इकाई केन्द्र को किसी एक ऐसे विषय के लिए जो सब

इकाईको के लिए समान महत्त्व रखता हो एक या ही अदादान दें। परन्तु व्यवहार में ऐसा होना सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि समान की प्रत्येक इकाई के पास समान आर्थिक साधन नहीं होते और न ही उनका समान व्यय ही होता है। यदि हमारे देश में कोई यह आशा करे कि उड़ीसा अथवा आसाम की बम्बई अथवा मद्रास के बराबर अन्दाधान दे तो यह अनुचित होगा क्योंकि पहले तो आसाम तथा उड़ीसा के साधन बम्बई तथा मद्रास से बहुत कम हैं और दूसरे आसाम व उड़ीसा बम्बई और मद्रास की प्रोत्सा बहुत पिछड़े हुए हैं इसलिये उनको उन्नत करने के लिये बहुत धन की आवश्यकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यद्यपि एककपता का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि में तो ठीक है परन्तु व्यवहार में उसका पालन करना कठिन है।

(२) स्वतन्त्रता (Independence)— सघानीय शासन का दूसरा सिद्धान्त यह है कि सघान की प्रत्येक इकाई को आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाए अर्थात् प्रत्येक इकाई के पास अपना कार्य चलाने के लिए पर्याप्त साधन हो, उनको बर लगाने तथा मूल्य लेने का अधिकार हो तथा उनको अपनी इच्छानुसार खर्च करने का भी अधिकार हो। इस प्रकार यह आवश्यक है कि सघान की एक इकाई दूसरी पर निर्भर न हो। परन्तु यद्यपि सघानीय शासन प्रत्येक इकाई को इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्रदान करता है परन्तु फिर भी केन्द्र अपने पास अधिक साधन रख लेता है जिस के कारण प्रान्तों के पास साधनों की कमी हो जाती है और समय समय पर केन्द्र प्रान्तों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहता है।

(३) पर्याप्तता (Adequacy)— सघानीय शासन का तीसरा सिद्धान्त यह है कि सघान की प्रत्येक इकाई के पास अपना कार्य चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन हो। साधनों की पर्याप्तता केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि साधन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। व्यवहार में प्रान्तों के पास व्यय के ऐसे मद होते हैं जिन पर भविष्य में व्यय बढ़ता जाता है परन्तु उनके साधन ऐसे होते हैं जिन्हें प्रायः आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके विपरीत केन्द्र के पास व्यय के ऐसे मद होते हैं जिन पर खर्च बाल में तो साधारणतया समान व्यय होता है परन्तु सबट के समय उन पर खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके विपरीत उसके पास प्रायः के साधन ऐसे होते हैं जिन्हें प्राप्त प्रायः की आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यही कारण है कि प्रान्तों को अपना कार्य चलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है परन्तु केन्द्र के सामने साधारणतया इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। यही कारण है कि हमारे देश में प्रान्त इस बात की मांग करते रहते हैं कि उनको बढने तथा घटने वाले प्रायः के साधन दिए जाए। इसी

लिए यह आवश्यक है कि सधान में इन बात का प्रबन्ध भी किया जाये कि यदि आवश्यकता पड़े तो साधनों का फिर से बटवारा किया जा सके।

(४) उचित प्रबन्ध (Administrative Expediency)—समाजीय शासन का चौथा सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधनों का बटवारा करते समय सावधान्य कर दाताग्रा का हित सामने रखा जाये। जहाँ सब हो सके कर इस ढङ्ग से लगाने चाहिए जिससे व्यापार तथा उद्योगों पर उनका कम से कम प्रभाव पड़े। करों का भार सधान वी सब इवार्डों पर एक सा पडना चाहिए। ऐसा न होने पर उन प्रांतों में तो व्यापार तथा उद्योगों की उन्नति हो जायेगी जिनमें कर भार कम होगा और उनमें इनकी उन्नति न हो सकेगी जहाँ कर भार अधिक होगा। इसके अनिश्चित यह भी आवश्यक है कि सधान को जो इकाई कर लगाये वही उसको खर्च करे। ऐसा न होने पर खर्च करने वाली इकाई को खर्च करने में मितव्ययिता का कोई ध्यान नहीं रहता। भारतवर्ष में केन्द्र सरकार तथा जूट निर्यात-कर लगाता तथा एकत्र करता है और उसका कुछ भाग प्रांतों में बांट देता है। परन्तु पश्चिम यह सिद्धान्तिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गलत है तो भी इसकी आर्थिक दृष्टि से किया जाता है।

भारतवर्ष में संघानिय अर्थ व्यवस्था का विकास (Growth of Federal Finance in India)—प्रबन्ध हम यह जानें कि हमारे देश में मयाजीय शासन पद्धति का विकास कैसा हुआ? ऐसा करने में हम अपने वर्णन को उस समय से प्रारम्भ करने जब से कि ईस्ट इंडिया कम्पनी को बङ्गाल की दीवानी मिली। यह दीवानी १७६५ ई० में मिली थी। उस समय मालगुजारी राजकीय आय का सबसे प्रमुख साधन था। मालगुजारी जमींदारों द्वारा एकत्र की जाती थी और वही उसको सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। परन्तु आय अनिश्चित थी। इसमें निश्चितता लाने के लिये लार्ड कार्नवालिस ने बङ्गाल में भूमि का स्थायी बन्दोबस्त किया जो आज तक पाया जाता है। यह कार्य १७६३ ई० में किया गया था। जमींदारों को कुल मालगुजारी का  $\frac{1}{3}$  भाग सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। शेष  $\frac{2}{3}$  भाग जमींदारों के परिधम के प्रतिफल के रूप में उनके पास रह जाता था। उस समय आय के दूसरे साधन नमक कर, सीमा कर (Customs) तथा आन्तरिक आबागमन कर थे। परन्तु इन सब साधनों में प्राप्त हुई आय बहुत कम थी। इस प्रकार मालगुजारी ही उस समय आय का एक मात्र साधन था। परन्तु आवश्यकता का देखते हुए कम्पनी की आय बहुत कम थी। इसका कारण यह था कि कम्पनी उस समय बहुतसी सहायता सहने में व्यस्त थी। इसके अनिश्चित कम्पनी के नीजरी पौ प्रपनी जेवें भरने की ही सभी हुई थी। इस लिए जब कम्पनी ने इङ्ग्लैण्ड की सरकार से श्रेय मागा तो उसने श्रेय इस शर्त पर देना स्वीकार किया कि वह कम्पनी के हिमाज पर पूरी पूरी दृष्टि रखेगी। इसलिए १८३३ ई० में चार्टर एक्ट पास किया गया। इसके अनुसार बङ्गाल



के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसको सारे भारत के लिये कानून बनाने तथा उस में संप्रोषन करने तथा उसको हटाने की शक्ति दी गई। बम्बई और मद्रास के गवर्नर बङ्गाल के गवर्नर जनरल के आधीन नाम करते थे। १८३३ ई० से पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर आर्थिक मामला में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे। वह अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं कर लगते थे तथा लोगों को शान्ति और न्याय प्रदान करने का प्रयत्न करते थे। परन्तु १८३३ के एक्ट के पश्चात् सब प्रायः भारत सरकार के नाम से एवम् तथा खर्च होने लगी। यही नहीं, बल्कि जो श्रेण्य गवर्नर तथा बम्बई प्रांतों ने स्वयं लिए वे वह भी भारत सरकार के श्रेण्य हो गए। इस प्रकार उस समय इतना केन्द्रीकरण हो गया था कि किसी प्रांत को कानून बनाने का अधिकार नहीं था न ही प्रांतों के पास श्राय वे साधन ही थे और न ही वह किसी नोकर को रख सकते थे। इस प्रकार भारत सरकार को प्रांतों को एक एक बात में हस्तक्षेप करने का अधिकार था।

इस पद्धति के दोष—इस पद्धति के निम्नलिखित दोष थे —

१— इस प्रकार के हस्तक्षेप के कारण प्रांतों के गवर्नर बहुत प्रभुपुष्ट रहते थे।

२— प्रांतों को देखल खर्च ही करता पड़ता था। इसलिए वह निम्नोक्त धन खर्च करते थे। वह बजट बना कर भारत सरकार के पास भेज देते थे और बजट के लिए आवश्यक धन भारत सरकार एकत्र करती थी।

३— उस समय के कर प्रतिगामी (Regressive) होते थे। उनका भार गरीबों पर अधिक पड़ता था। समीर लोगों पर कर नहीं लगते थे। इससे खेती की स्थिति सदाव होती चली गई और उनके साथ साथ भारत सरकार की आर्थिक दक्षिणता भी बढ़ने लगी। १८३३ और १८४८ के बीच भारत सरकार को सत्रह बार हीन बजट बनाने पड़े।

४— इस पद्धति के कारण प्रांतों में ईर्ष्या बढ़ गई क्योंकि अधिक धन उन प्रांतों को नहीं मिलता था जिसकी उसकी आवश्यकता थी बल्कि उसको मिलता था जो सबसे अधिक धन के लिए माग करता था।

विशेन्द्रिकरण की ओर पग (Steps towards Decentralization)—

पहला पग (१८६०—१८७७)— १८५७ ई० की शान्ति के पश्चात् देश का शासन अंग्रेजी सरकार के हाथ में आ गया। उस समय कुछ लोगों ने एक शासन पद्धति के प्रचुरणों को बताते हुए कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रांतों को भी भागीदार बनाना चाहिए जिससे कि वह ध्यान पूर्वक तथा मितव्ययिता से खर्च करें। उनका यह भी कहना था कि ऐसा होने पर श्राय भी बढ़ जायगी क्योंकि प्रांत

धाय के नए नए साधन खोजने का प्रयत्न करेंगे। उनका यह भी कहना था कि सघनीय शासन के द्वारा सब प्रान्तों के साथ समता का व्यवहार हो सकेगा। इस समता के कारण प्रांतों की आपस की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। इस विचार धारा के समर्थक सर हेनरी वेन तथा सर विलियम मैन्सफील्ड वाउन्सिल के सदस्य तथा मंत्री थे। मंत्री का कहना था कि जेल, शिक्षा निविस्सा तथा सबके प्रांतों को सौंप देना चाहिए। इन सब महों पर व्यय करने के लिए वानून और न्याय से प्राप्त सारी आय मालगुजारी का  $\frac{1}{2}$  भाग तथा प्रांतों से एवज लिए हुए अनुज्ञा-कर (License Tax) का  $\frac{1}{2}$  भाग प्रांतों को दे देना चाहिए।

परन्तु मद्रास और बम्बई के राज्यपानों के विरोध के कारण शासन का विवेकीकरण न हो सका। उन्होंने कहा सघनीय शासन लागू करने में यह कठिनाई उपस्थित होगी कि केन्द्र और प्रांतों में प्राय और व्यय का बटवारा उचित प्रकार से न हो सकेगा। ऐसा करने में यह निश्चित करना भी कठिन हो जाएगा कि प्रांतों में रही हुई सेना का व्यय किसका है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि विवेकी शासन के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन को आर्थिक मामलों में प्रांतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। उनका कहना था कि बिद्रोहियों ने हाथों से देश को बेवत एक एक पारुण पद्धति के द्वारा ही बचाया जा सकता है। इस विरोध के कारण शासन के विवेकीकरण का कार्य उस समय न हो सका।

परन्तु जब सार्ड मेयो (Mayo) भारत के वाइसराय हुए तो उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में विवेकी शासन का समर्थन किया। उनका कहना था कि स्थानीय परिस्थितियों में अनविज्ञ होने के कारण कुछ चीजों का प्रबन्ध करना केन्द्र के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए इन चीजों को प्रांतों को सौंप देना चाहिए। उनके सुझाव के कारण १८७१ ई० में कुछ विभागों जैसे जेल, पुलिस, शिक्षा, रजिस्ट्री, निविस्सा, छपाई, सबके, आनपद इमारतों आदि को प्रांतों को सौंप दिया गया। कुछ समय पश्चात् कुछ और विभागों जिसमें इमारतों का बनाना तथा उनकी सामूची मरम्मत, निविस्सा सम्बन्धी सेवाएँ आदि सम्मिलित हैं का प्रबन्ध भी प्रांतों को सौंप दिया गया। परन्तु प्रांत किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते थे जिनका वेतन २५० रुपए मासिक से अधिक होता था। वह किसी अपभार का वेतन भी नहीं बढ़ा सकते थे। इन महों पर खर्च करने के लिए प्रांतों को उनकी हस्तान्तरित किए गए विभागों से प्राप्त आय सौंप दी गई तथा दसके अतिरिक्त उनको ५, ६५, ८७, ११० रुपए वार्षिक की आन्त भी दी गई। यह अष्ट प्रांतों को उनकी आवश्यकतापूर्वक देने का निश्चय किया गया। यदि इससे भी व्यय पूरा न होता था तो प्रांतों को नए कर लगा कर आय प्राप्त करनी पड़ती थी।

इस योजना के कारण सरकारी राजाने को इस बात पौट या लाभ हुआ तथा प्रांतों ने धन को देख भात कर एवं निया तथा उनको इस बात का सतोष भी प्राप्ता हुआ कि बहु घोडे रो बिधियों में तो केन्द्र से स्वतन्त्र है ।

परन्तु इस योजना के कुछ दोष भी थे । पहला दोष यह था कि प्रांतों में घाष्ट को बाटने का बङ्ग सतोष जनक नहीं था । इनका दूसरा दोष यह भी था कि प्रांतों को मिहय्यदिता करने में प्रोत्साहन देने के लिए कोई चीज न थी । यदि प्रांतों के पास धन के समाप्त होने पर कुछ धन बच जाता था तो उनको उस धन को भारत सरकार को लौटाना पज्ता था ।

**दूसरा धग (१८७७—८०)**— यद्यपि लाई मेयो की योजना से केन्द्र धोर प्रांतों के सम्बन्ध कुछ सुधर गए परन्तु एक निश्चित घाष्ट के कारण प्रांतों को अपने बढ़ते हुए व्यय को पूरा करना कठिन हो गया । घाष्ट पद्धति की इस योजना की कमजोरी की धोर उस समय के दिक्ष मन्त्री सर जान स्ट्रेचे (Sir John Strachey) का ध्यान आकर्षित हुआ । इसलिए उन्होंने एक योजना रखी जिससे कि कुछ विभागों जैसे सामान्य प्रबन्ध कानून धोर न्याय तथा कुछ दूररे छोटे छोटे विभागों की प्राय प्रांतों को मिले । परन्तु सरकार ने इस योजना को न माना ।

१८७७ ई० में जब लाई लिटन भारत के वाइसराय हुए तब उन्होंने सर जान स्ट्रेचे की सहायता से विधेन्द्रीकरण की धोर एक नया धग उठाया । उन्होंने कुछ धोर मह् जिनमें उत्पादन कर, स्टाम्प, कानून धोर न्याय, सामान्य प्रबन्ध आदि थे, प्रांतों को धीप दिए । इसके साथ साथ कुछ मह् की प्राय भी प्रांतों को सौंर दी गई । इन मह् में उत्पादन कर, स्टाम्प, कानून धोर न्याय सम्मिलित थे । परन्तु यह मह् इस शर्त पर हस्तान्तरित किए गए थे कि प्रांतों के नियन्त्रण के कारण इन मह् की प्राय में जो वृद्धि होगी उसका आधा भाग उनको भारत सरकार को देना पड़ेगा । परन्तु प्राय के इन मह् के मिलने पर भी प्रांतों का व्यय पूरा नहीं हो सक्ता था । इस लिए सरकार ने प्रांतों को घाष्ट देना भी स्वीकार किया । इस प्रकार प्रांतों को तीन साधनों से प्राय प्राप्त होती थी— १ १८७१ ई० में प्रांतों को हस्तान्तरित विभागों की प्राय, २ नई योजना के अन्तर्गत प्रांतों को हस्तान्तरित सेवाओं की प्राय तथा ३ केन्द्रीय सरकार से सहायता ।

**प्रांतों पर पाबन्धियाँ—**१८७७ ई० के एक प्रस्ताव के अनुसार प्रांतीय सरकारों पर निम्नलिखित पाबन्धियाँ लागू की गईं—

१—वे नए कर नहीं लगा सकती थीं धोर न वर्तमान करों के प्रबन्ध में कोई परिवर्तन कर सकती थी ।

२—प्रान्तीय सरकारें कोई नया कार्य उस समय तक नहीं कर सकती थीं जब तक कि उसको करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता था ।

३—वे २५० रुपए मासिक से अधिक वेतन पाने वाले लोगों को नौकरी से नहीं हटा सकती थीं और न ही उस नौकरी के स्थान को समाप्त कर सकती थीं ।

४—सार्वजनिक हिसाब के रूप में वे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थीं ।

प्रान्तीय सरकारों को सरकारी खजाने में एक न्यूनतम धन राशि रखनी पड़ती थी । अपने खाते में जमा धन से अधिक वे खजाने से नहीं निकाल सकती थीं । वे अपनी चालू धाय से अधिक खर्च नहीं कर सकती थीं ।

१७७८ के एक दूसरे प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकार भारत सरकार से धाना प्राप्त किए बिना बजट के प्राकडों से अधिक खर्च नहीं कर सकती थीं । परन्तु यदि उनकी धाय बजट के प्राकडों से अधिक होती थी तो उनको उस अधिक धाय तक खर्च करने का अधिकार था ।

१८७७ ई० की योजना के दोष—इस योजना के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को धाय के जो मद्द दिए गये थे उनसे पर्याप्त धाय नहीं मिलती थी । प्रान्तीय सरकारों को केवल धाय वाले मद्दों से ही दिलावस्वी थी ।

परन्तु इस योजना से केन्द्रीय सरकार को आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ हुआ । यह लाभ बङ्गाल तथा उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा अवध के अच्छे प्रबन्ध के कारण हुआ ।

तीसरा पग (१८८२-१९२१)-१८७७ ई० की योजना के दोष भारत सरकार को शीघ्र ही पता चल गए । इस कारण लार्ड रिपन (Lord Ripon) के आने पर कुछ और परिवर्तन किये गए । भविष्य में धाय के मद्दों को तीन भागों में बांट दिया गया—१. पूर्ण रूप से केन्द्रीय, २. पूर्ण रूप से प्रान्तीय तथा ३. केन्द्रीय और प्रान्तीय ।

[१] पूर्ण रूप से केन्द्रीय— इनमें सीमा-कर (बहा को छोड़कर), नमक-कर (बहा को छोड़ कर), धूम्र-की धाय, डाक-खाने की धाय, रेलों की धाय, उपहार, तार की धाय, फौजी लोक-कर्म (Military Public Works), विनिमय से लाभ आदि सम्मिलित थे ।

[२] पूर्ण रूप से प्रान्तीय— इनमें प्रान्तीय कर, साधारण लोक-कर्म, वानून और न्याय से प्राप्त धाय, शिक्षा, पुलिस, स्टेबनरी तथा छापाई, प्रान्तीय प्रतिनृतियों का ध्याय, प्रान्तीय रेलों, विविक्त-धाय, विविध मद्द, तथा छोटे छोटे विभाग थे ।

इनके अतिरिक्त कुछ प्रान्तों को कुछ और धाय के विभाग भी दिए गए थे, जैसे बङ्गा को मछलियों की धाय, उत्तरी पश्चिमी प्रान्त तथा अवध को तराई,

भाटर तथा दूदी सम्पत्ति की भाय, पानी की मिनो तथा परपर की खानों का क्रियमा भाधि, बम्बई प्रान्त को फिर से पालू की गई प्रावागमन की सेवा से प्रान्त भाय भादि ।

[३] प्राग्नीय तथा केन्द्रीय—इन में मालगुजारी, बन (बह्मा को छोड़ कर), उत्पादन कर, निर्धारित कर, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन सम्मिलित थे ।

इस प्रकार क प्रबन्ध के फलस्वरूप लगभग ₹ ४२ करोड रुपए की भारत सरकार के पास चली गई और ₹ १६ करोड रुपए की प्रान्तों के पास था गई ।

परन्तु इस प्रकार के उदार प्रबन्ध के लिए जाने पर भी भारत सरकार ने देश की बढ़ती हुई सम्पत्ति से प्राप्त भाय को खेने का अधिकार अपने अन्दर ही निहित रखा । इस कारण भारत सरकार इस बात पर ध्याह करती थी कि केन्द्र तथा प्रांतों के बीच होने वाली प्रसविदाओं (Contracts) को समय समय पर बदला जाए । इसके प्रतिरिक्त प्रान्त किसी एक निश्चित सीमा से अधिक एवं नहीं कर सकते थे । इस प्रकार प्रांतों को कुछ समय पश्चात् इस बात का ज्ञान हो गया कि यह प्रबन्ध सिद्धान्तिक दृष्टि से उदार भले ही हो पर व्यवहार में वह उदार नहीं था । प्रांतों को अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए आवश्यक धन प्राप्त नहीं हो सकता था ।

साठ रिषन ने जनता को स्व-शासन की शिक्षा देने के लिए नगर पारिकाओं तथा जिला बोर्डों की भी स्थापना की ।

पञ्च वर्षीय प्रसविदे—इसके पश्चात् केन्द्र और प्रांतों में हर पाचवे वर्ष नये प्रसविदे होने की प्रथा पड़ी । हर पाचवे वर्ष प्रांतों के हिसाब की अच्छी प्रकार जाच की जाती थी जिसने कि केन्द्रीय सरकार को भाय में हुई वृद्धि का उचित धन प्राप्त हो जाये । यह प्रसविदे १८८६-८७, १८९१-९२, १८९६-९७, १९०४-५ भादि में चले गए । १८८६-८७ में सरकार को लग के भाजपण का भय था तथा १८९१-९२ में रुपए की विनोप्य दर निर रही थी । इसलिए केन्द्रीय सरकार ने प्रांतों को मिनने वाली सब बचत को स्थग ले लिया । परन्तु १८९६-९७ में प्रकाल के कारण प्रांतों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी इसलिए केन्द्रीय सरकार ने प्रांतों को कुछ सहायता प्रदान की ।

इन प्रसविदों के क्षेप— इन प्रसविदों से प्रांतीय शासन बड़ा असंतुष्ट था क्योंकि इन के कारण वह अपनी आर्थिक नीतियों को अचिराम चलने वाली नहीं बना सकता था । इसका कारण यह था कि उसकी सारी बचत केन्द्रीय शासन अपने लाभ के लिए ले लेता था । इसके प्रतिरिक्त भाय का बढवारा केन्द्र और प्रांतों के बीच ही असमानन था बरन् प्रांतों प्रांतों के बीच भी असमान था । इसलिए प्रांतों में धानन में

वही ईर्ष्या रखती थी। इन प्रसविदों का एक यह भी दोष था कि इनके रहने हुए प्रांत मिलच्छ्रियता की बात सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि जब पांच वर्ष के पश्चात् प्रसविदा बदला जाता था तो पहले पांच वर्षों में किए गए खर्च की ध्यान में रख कर ही दूसरे पांच वर्षों के लिए उनको बचत का भाग दिया जाता था। इस प्रकार जो प्रांत अधिक खर्च करता था उसको बचत का अधिक भाग मिलता था और जो कम खर्च करता था उसको कम भाग मिलता था।

इन मय दोषों के होने हुए भी यह कहना पड़ेगा कि इस नये प्रबन्ध के कारण प्रांत पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हो गए तथा वह शासन प्रबन्ध में पहले से अधिक मिलच्छ्रयी होने लगे।

१९०४ ई० के पश्चात् इन प्रसविदों को आभास-स्थायी (Quasi-permanent) बना दिया गया, अर्थात् इनमें तभी बदल की जाती थी जब उनकी आवश्यकता होती थी। इसके प्रतिरिक्त पिछड़े हुए प्रांतों को उत्तम करने के लिए सरकार ने प्रांतों और केन्द्र में बटने वाली आय का लगभग आधा भाग उनको देना स्वीकार किया। परन्तु १९०७ में भारत सरकार ने प्रायः सभी प्रांतों को बटे हुए महो की आय का आधा भाग देना स्वीकार किया जिससे कि प्रांतों का प्रापत्ती भेद भाव समाप्त हो जाए।

उस समय तक प्रांतों की आर्थिक शक्ति (Financial Powers of the Provinces at that time)— १९०५ ई० तक प्रांत भारत की कुछ आय का लगभग ३ भाग प्राप्त करते थे। उनके अधिकार में कुछ ऐसे भी आय के मद थे जो लगनीय थे और वह उनकी बचत अपने पास रख सकते थे।

परन्तु फिर भी भारत सरकार का प्रांतों पर बड़ा बड़ा नियन्त्रण था। भारत सरकार प्रांतों के बजटों को मंजूर ही नहीं करती थी बल्कि उनमें अपनी इच्छानुसार बदल भी कर सकती थी। प्रांतों को यह अधिकार नहीं था कि वह कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति कर सकें। वे २५००० रुपये वार्षिक से अधिक स्थायी-स्थापना (Permanent establishment) नहीं बढ़ा सकते थे। प्रांतों को केन्द्र की आज्ञा बिना नए कर लगाने का अधिकार न था। मालगुजारी पर भी केन्द्र का नियन्त्रण था। वे केन्द्र की आज्ञा बिना कोई भी भूमि सम्बन्धी नियम नहीं बना सकते थे। उनको भारत या इंग्लैंड में ऋण लेने का अधिकार भी न था। प्रांतों को लोक-कर्मों [Public Works] पर दस लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार था परन्तु यदि वह ऋण के द्वारा कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे तो उनको भारत सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती थी और उसकी भारत सरकार द्वारा बड़ी देल भाल होती थी। इस प्रकार १९०५ ई० तक केन्द्रीय सरकार प्रांतों पर बड़ा बड़ा नियन्त्रण रखती थी क्योंकि भ्रष्टों का विनाश था कि भारत के लोग राज्य करने के योग्य नहीं हैं। पर यद्यपि यह बात

बतानी आवश्यक है कि १९०५ ई० तक भारत में कांग्रेस के परित्यग के कारण बड़ी जायति पैदा हो गई थी ।

विनेन्द्रोत्तरण आयोग (Decentralisation Commission)—  
१९०६ ई० में केन्द्र और प्रान्तों के प्राणगी सम्बन्धों की जानकारी के लिए एक विनेन्द्रोत्तरण आयोग की नियुक्ति की गई । परन्तु इस आयोग की जाच का क्षेत्र इतना सीमित था कि वह कोई महत्वपूर्ण सुझाव न दे सका । इस आयोग का सुभाव था कि प्रान्तों को निश्चित धनदान (Fixed grants) न दिये जायें । भारत सरकार ने इस सुभाव को मान लिया और १९१२ में प्रांतीय प्रसविदों की स्थायी बना दिया गया । धाय के साधनों के पहले के समान तीन भाग ही रहे पर केन्द्र और प्रान्तों में बड़े हुए धाय के भद्दों में आयन्पवतानुसार कुछ परिवर्तन कर दिए गए । निम्नलिखित शालिका से इसका ज्ञान हो सकता है\* —

धाय		व्यय	
धाय के भद्	प्रांतीय धय	व्यय के भद्	प्रांतीय धय
१ मालगुजारी (सिचाई के धय सहित)	$\frac{2}{3}$ ब्रह्मा के लिए $\frac{1}{3}$ पजाब के लिए	१ मालगुजारी	$\frac{2}{3}$ ब्रह्मा, $\frac{1}{3}$ पजाब
२ उत्पादक-कर	पूर्वी बङ्गाल, आसाम तथा बम्बई को तारा, तथा मध्य प्रदेश, बङ्गाल तथा संयुक्त प्रान्त को $\frac{1}{3}$	२ उत्पादक कर	धाय के खाने के समान
३ पी० डब्लू० डी०	$\frac{1}{2}$	३ —	—
४ वन	तारा	४ वन	तारा
५ बड़े सिचाई के साधन	$\frac{2}{3}$ पजाब न्यूनतम सीमा ४ तारा	५ बड़े सिचाई के साधन	$\frac{1}{3}$
६ बड़े और छोटे सिचाई के साधन	$\frac{1}{2}$ बङ्गाल	६ बड़े और छोटे सिचाई के साधन	$\frac{1}{2}$ बङ्गाल

१९१२ में किया गया प्रवन्ध १९१६ तक रहा । १९०५ और १९२० ई० के बीच भारत सरकार की धाय और व्यय में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । इस

\* Dr B R Ambedkar's - Evolution of Provincial Finance in British India P. 132

बीच में विद्या, खेती तथा दूसरी सामाजिक आवश्यकताओं का व्यय बढ़ रहा था। प्रथम महायुद्ध के कारण रक्षा व्यय भी बढ़ गया था। आय के पुराने मद्द जिनमें मालगुजारी, अफीम तथा नमक-कर थे प्रथमपक्ष आय प्रदान करते थे। इस लिए सीमा-कर, आय कर, उत्पादक कर आदि से आय बढ़ाई जाने लगी।

चीया पत्र (१९१६ ई० से सुधार)—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सम्राट का दौर से यह घोषणा की गई कि वह चाहते हैं कि भारत में स्वशासित संस्थानों की उत्पत्ति हो तथा भारतवासी शासन की हर शाखा में अधिकाधिक भाग लें जिससे कि उनको हकूमत की जिम्मेदारी महसूस होने लगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत मन्त्री मोन्टेगू तथा भारत के वाइसरॉय वेम्सफोर्ड ने भारत का प्रथम एक सामूहिक रिपोर्ट (Joint Report) दी जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्रान्तों को उचित रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निवाहने देने के लिए उनको वैधानिक प्रशासी (Administrative) तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करनी पड़ेगी। इसको प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय सरकार के आय के मद्द प्रान्तीय सरकारों के आय के मद्दों से बिल्कुल अलग कर दिखे जाए। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं के लिए व्यय निर्दिष्ट करना चाहिए। इस व्यय को पूरा करने के लिए उसको पर्याप्त साधन देने चाहिए। राश साधनों को प्रान्तों को सौंप देने चाहिए और उनको सब प्रान्तीय संकाओं के लिये जिम्मेदार बनाना चाहिए। विभाजित महा में कुछ तो केन्द्रीय सरकार को दे दिए जाए और कुछ प्रान्तीय सरकारों को दे दिए जाए। इस प्रकार सुधारों के पश्चात् आय के मद्द या तो केन्द्रीय होंगे या प्रान्तीय।

केन्द्रीय सरकार के आय के मद्द—सीमा-कर, आय-कर, नमक, अफीम, रेल, डाक और तार आदि।

प्रान्तीय सरकारों के आय के मद्द— मालगुजारी [सिंचाई सहित], स्टाम्प, रजिस्ट्री, मादक-कर, वन आदि।

इस प्रकार १९१६ ई० के सुधारों के पश्चात् भारत वर्ष में जिस धार्मिक पद्धति का विकास हुआ वह एक तथा सघनीय पद्धतियों के बीच की थी। जहाँ तक आय के मद्दों के बंटवारे का प्रश्न था यह पद्धति पूर्ण रूप से सघनीय थी क्योंकि इसमें केन्द्र और प्रान्तों के आय के मद्द एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग थे। परन्तु हिंसात्मक बनाने तथा उसकी जांच करने तथा श्रमण आदि सैनिकों के मामलों में प्रान्त केन्द्र पर निर्भर थे।

इन सुधारों के फलस्वरूप केन्द्र की १३६३ करोड़ रुपये की घाट होने की सम्भावना थी। इस घाटे को पूरा करने के लिए इस रिपोर्ट में यह सुझाव



दिया गया था कि प्रान्त अपनी सामान्य बचत (Normal Surplus) के आधार पर केन्द्र को अन्न दान दें। इसके परस्वरूप मद्रास और तमिऴुन प्रान्त को प्रमश ४२८ करोड़ रुपये तथा ३७४ करोड़ तथा बङ्गाल और बम्बई को प्रमश ६६ लाख रुपये तथा ३८ लाख रुपये देने पड़ेगे।

मेस्टन परिनिर्णय (Meston Award)— कुछ प्रान्तों जैसे मद्रास तथा तमिऴुन प्रान्त ने इस योजना का बड़ा विरोध किया। इस कारण प्रान्तों और केन्द्र के आर्थिक सम्बन्धों को पूर्णतः जीव बरने के लिए सरकार ने लार्ड मेस्टन (Lord Meston) की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। जीव के पश्चात् यह समिति इस परिणाम पर पहुँची कि सामान्य बचत के आधार पर अन्न दान देने में कुछ प्रान्तों, विशेषतः मद्रास में निरन्तरिता से नाम लिखा, के साथ सम्म्या हो जायेगा। इसलिये इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रान्तों को अपनी बची हुई खर्च करने की शक्ति (Increased spending powers) के अनुसार अन्न दान देना चाहिये। दूसरे शब्दों में उनका कहना था कि सुधारों के फलस्वरूप प्रान्तों की जितनी आय बड़ेगी उसके आधार पर ही प्रान्तों को अन्नदान देना चाहिये।

परन्तु मेस्टन के परिनिर्णय से भी स्थिति में कोई विशेष बदल नहीं हुई क्योंकि अब भी मद्रास को कुल का ३३½ प्रतिशत, तमिऴुन प्रान्त को २४½ प्रतिशत देना था। इसके विपरीत बम्बई को केवल ५½ प्रतिशत तथा बङ्गाल को ६½ प्रतिशत देना था।

मेस्टन समिति ने यह स्वीकार किया कि उपर्युक्त अन्नदान न्याय सम्झत नहीं है। इसलिए भविष्य के अन्नदानों के लिए उसने एक आदर्श आधार तयार किया जो कि प्रान्तों को कर देने बदावा अन्नदान देने की योग्यता पर आधारित था। कुछ मसौधन के साथ लोक मन्ना ने इस सुझाव को मान लिया और भविष्य के लिए निम्नलिखित प्रामाणिक अन्नदान माने गये—

प्रान्त	अन्नदान का अनुपात
मद्रास	१०/६०
बम्बई	१३/६०
बङ्गाल	१६/६०
तमिऴुन प्रान्त	१८/६०
पंजाब	६/६०
बिहार	६½/६०
मध्य प्रदेश और बरार	५/६०
प्रासास	२½/६०
बिहार और उड़ीसा	कुछ नहीं

यह भी निश्चय किया गया कि जब केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति सुधार जायेगी तो यह अस दान समाप्त कर दिये जायेंगे।

इन मुद्धारों द्वारा प्रान्तों को इन बातों का अधिकार दिया गया कि वह अपनी धन्य की प्रतिभूति (security) पर भारत अथवा इङ्ग्लैण्ड से ऋण ले सकते हैं। भारत में ऋण लेने के लिये उनको गवर्नर-जनरल से तथा इङ्ग्लैण्ड में ऋण लेने के लिए भारत मन्त्री से आज्ञा लेनी आवश्यक थी। ऋण केवल उरी व्यव के लिए लिये जा सकते थे जो या तो चालू धन्य में से पूरा न हो सके और या उस ऋण से स्थायी जन-हित सम्पत्ति उत्पन्न होती हो। भविष्य में प्रान्तों के वजट केन्द्र से अलग बनने लगे।

यह आना की जाती थी कि मुद्धारों के लागू हो जाने के पश्चात् प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा परन्तु युद्ध व्यय बढ़ने, मूल्यों के ऊँचा होने, विशीम दर के बिरने तथा १९२० में वर्षा न होने के कारण स्थिति पहले से खराब हो गई जिसके कारण निम्नलिखित बातें हुई—

१ हीन वजट, २ एक बहुत भारी ऋण वास्तविक ऋण, ३ अस्थायी विनीमय दर, ४ मुद्रा संकट।

इचकेप समिति (Inchcape Committee) यह सब बातें प्रान्तों और केन्द्र दोनों में हुई। इन सब बातों के कारण भारतवर्ष की साक्ष विदेशी में बहुत गिर गई और उसको विदेशों से आर्थिक ध्यान पर ऋण लेना पडा। सरकार ने नये कर लगाकर परिस्थिति का सामना करना चाहा परन्तु वह ऐसा करने में सफल न हो सकी। इसलिए सरकार ने इचकेप (Inchcape) समिति की नियुक्ति की जिसने केन्द्रीय सरकार के व्यय में १६०५ करोड़ रुपये घटाने की तथा रक्षा व्यय को ५०६ करोड़ रुपये पर लाने की सिफारिश की। परन्तु जब इन बातों से भी स्थिति में कोई बदल न हुई तब सरकार ने नमक-कर को दुगुना कर दिया जिससे कि हीन वजट वचत बाने वजट में बदल गया।

इचकेप समिति के प्रतिष्ठित इस बाल में और भी कई आयोग और समितियाँ नियुक्त की गईं जिनमें एक्वर्थ समिति, भारतीय प्रमूक्त मण्डल (Indian Tariff Board), भारतीय वर जाच समिति, हिरटन बङ्ग आयोग आदि मुख्य हैं। इन सब समितियों तथा आयोगों का उद्देश्य भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था।

१९२३ ई० के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्योंकि वर्षा के कारण फसलें अच्छी हो गईं तथा यूरोप से भारतीय वस्तुओं की माग बढ़ जाने के कारण हमारा व्यापार-प्राधिक्य हमारे पक्ष में हो गया। उस

समय केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हुआ कि मेस्टन परिनिर्णय के अन्तर्गत प्रान्तों को जो असाधारण केंद्र को देना पड़ता है वह न्याय सङ्गत नहीं है, इसलिए वह उसको उस समय तक वापस करती रही जब तक कि सारा प्रान्तीय असाधारण समाप्त न हो गया। इसने प्रतिरिक्त प्रान्तों की ऋण करने की शक्ति को भी बढ़ा दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रान्तों ने सार्वजनिक ऋण लेना आरम्भ किया परन्तु प्रान्तों को यह ऋण उससे ऊंची दर पर मिला जिस पर कि वह कन्द्रीय सरकार से लेते थे। इस लिए प्रान्तों ने केन्द्रीय सरकार से ही ऋण लेना आरम्भ किया। प्रान्तीय सरकारों द्वारा लिये गए ऋण को मुब्तवास्थित करने के लिए एक प्रान्तीय ऋण कोष (Provincial Loans Fund) चालू किया गया जिसमें से कि उनके कम व्याज पर ऋण मिल जाता था। इसके प्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने यह भी घोषणा की कि यदि कोई प्रान्त किसी वर्ष में केंद्र से अपने धन से अधिक लेगा तो उसको उस वर्ष के अन्त तक उस पर कोई व्याज न देना पड़ेगा पर वर्ष बीतने के पश्चात् उससे व्याज प्रवश्य लिया जाएगा।

मेस्टन परिनिर्णय के त्रिरुत्त प्रान्तों की शिक्षाघर्षों—प्रान्तीय असाधारण के समाप्त कर देने पर भी प्रान्तों को मेस्टन परिनिर्णय से शिकायत बनी रही। शिकायत करने वाले प्रान्तों में से बंगाल और बम्बई मुख्य थे। इन प्रान्तों का कहना था कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार का व्यय प्रायः प्रति वर्ष समान ही रहता है परन्तु इस के अधिकार में आय के ऐसे मद्द हैं जिन से आय घटती बढ़ती रहती है। इसके विपरीत यद्यपि प्रान्तों का व्यय प्रायः वर्ष बढ़ता रहता है क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी मद्द है परन्तु उनके आय के मद्द सालगुजारी तथा मद्य-कर आदि हैं जिनकी आय प्रति वर्ष प्रायः समान ही रहती है। आय बढ़ने की बात तो दूर रही इनमें से मद्य-कर से तो आय घटने की सम्भावना है क्योंकि लोगों की मांग है कि मद्य निषेध किया जाए। जङ्गलों से तब आय प्राप्त हो सकती है जब कि उन पर पहले पर्याप्त पूंजी खर्च की जाये। इस प्रकार प्रान्तों के पास आय के जो मद्द हैं उन से आय बढ़ाने की सम्भावना बहुत कम है परन्तु उन का व्यय प्रायः दिन सिधा, सड़को विक्रिता, अकाल आदि पर बढ़ता रहता है।

प्रान्तों को यह भी शिकायत थी कि एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त में आय की दृष्टि से विषमता पाई जाती है। यह विषमता कई बातों के कारण है जैसे सब प्रान्तों का समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है, उनके आय के मद्द भिन्न भिन्न हैं तथा प्रान्तीय असाधारण की समाप्ति पर कुछ प्रान्तों को दूसरों से अधिक लाभ हुआ है।

बङ्गाल और बम्बई प्रान्तों का यह भी कहना था कि केन्द्रीय सरकार उन के क्षेत्र से समुन्नत प्रान्त तथा पश्चात् की सन्देश अधिक आय प्राप्त करती है परन्तु उनको कोई विशेष सहायता नहीं करती।

व्यापारिक मंत्री का प्रभाव—व्यापारिक मंत्री के कारण केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को बड़ी कठनाइयाँ का सामना करना पड़ा। कृषि-वस्तुओं का मूल्य निरन्तर गिर रहा था जिसके कारण व्यापार तथा उद्योगों की बड़ी बुरी हालत हाँ गई थी। इसके कारण रेलों की आय घट रही थी तथा आय-कर की आय भी बहुत कम हो रही थी। जन-साधारण की कम शक्ति कम हो जाने के कारण तथा राष्ट्रीय जी के असहयोग आन्दोलन के कारण विदेशी माल का आयात तथा निर्यात भी कम हो रहा था। इसलिए सीमा-कर की आय भी बहुत घट रही थी। इन सब बातों के कारण केन्द्रीय सरकार यदि हीन बजट बना रही हो तो कोई पाश्चर्य की बात नहीं। सरकार ने मितव्ययिता के प्रायः सभी सम्भव साधनों को अपनाया परन्तु फिर भी स्थिति में कोई विशेष सुधार न हुआ।

प्रांतों की ह्रासता तो केन्द्रीय से भी खराब हो गई। उनकी मध्य, उत्पादन-कर, रजिस्ट्री तथा स्टाम्प की आय बहुत घट गई। इसके प्रतिरिक्त उनके मालगुजारी में भी छूट करनी पड़ी। नूचाव तथा जाड़ आ जाने के कारण उनकी बहुलता कम भी खर्च करना पड़ा। इस प्रकार उनकी आय बहुत घट गई थी और व्यय बहुत बढ़ गया था। प्रांतों ने इस स्थिति का सामना करने के लिए बहुत से मितव्ययिता के साधन अपनाये तथा अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्न किया और अन्त में वह स्थिति पर काबू पाने में सफल हो गए।

इस बीच में केन्द्रीय सरकार ने प्रांतों की गई प्रकार से सहायता की जैसे उसने १९३४-३५ में जूट उगाने वाले प्रांतों को जूट-कर का आधा भाग दे दिया। उसने बिहार के काल पीड़ितों को भी बहुत सहायता की। उसने पिछड़े हुए प्रांतों को १९३५-३६ में सहायता आन्दोलन को उन्नति कराने, सबके बनाने आदि के लिए भी सहायता की।

पाँचवाँ पग—(१९३५ का विधान तथा स्वतन्त्र भारत का नया विधान)

१९३५ ई० के विधान के अनुसार आय के स्रोत को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है—(अ) संधीय, (ब) समामी (Concurrent) तथा (स) प्रांतीय।

(अ) संधीय स्रोत—इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(१) आयकर और निर्यात कर, (२) शीपडियो तथा कुछ अन्य नदीयें पदार्थों को छोड़ कर भारत में तैयार किये जाने वाले मान पर उत्पादन-कर, (३) कारपोरेशन कर, (४) नगद कर, (५) कृषि को छोड़ कर अन्य आय पर कर, (६) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर मर्यादित कर, (७) उत्पादन-विकार-कर (कृषि भूमि को छोड़ कर) (८) तमाम वस्तुसहित आयात वस्तुओं पर स्टाम्प कर, (९) बायू तथा रेल मार्ग द्वारा भेजे जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा-कर, (१०) मुद्रा तथा सिक्के बनाने पर होने वाली आय, (११) डाक, टार,

टेलीफोन, बे तार वा तार, ट्राइकास्टिक, (१२) रेलें, (१३) समुद्र-तटीय जहाजों की भाय, (१४) हवाई जहाजों से प्राप्त भाय, (१५) अफीम, (१६) तम्बाकू वर प्रादि ।

(घ) सगाणी—इन में निम्नलिखित स्रोत सम्मिलित हैं —

(१) वृषि भूमि को छोड कर भाय सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी वर (२) बैंक, बिल प्रादि पर मूद्राक वर (३) मुसाफिरा तथा भाव पर सीमा कर (४) भाडे तथा महसूल पर लगाने हुए वर ।

उपर्युक्त वर सभ द्वारा जमाये तथा एकत्र किए जाते थे परन्तु प्रांतों को इन में से कुछ भाग मिलता था ।

इनके प्रतिरिक्त (१) भाय-कर (कृषि भाय-वर को छोड वर), (२) प्रांतीय सूची के अंतगत घाने वाली वस्तुओं को छडकर अन्य वस्तुओं पर उत्पत्ति वर, (३) निर्यात कर, जड का निर्यात-वर प्रादि से होने वाली भाय का सभ तथा प्रांतों में विभाजन हो जाता था किन्तु सभ-सरकार को यह अधिकार था कि वह यदि उस की अधिक रिपति अच्छी न हो प्रांतों को कोई हिस्सा न द ।

(स) प्रांतीय—निम्नलिखित मह प्रांतीय सरकारों के हाथ में थे —

(१) छाति और न्याय, (२) पुलिस (३) प्रांतों का सार्वजनिक ऋण, (४) प्रांतीय पेशनों, (५) चिकित्सा, (६) शिक्षा (७) सबक पुल अथवा छोटी छोटी रेलें, (८) गिनार्ड, (९) कृषि, उसकी शिक्षा तथा अनुसंधान, (१०) वन, (११) खानों तथा तेल के क्षेत्र, (१२) प्रांतीय व्यापार (१३) उद्योगों की उत्पत्ति (१४) भाग, चरछ, गुलफा प्रादि भावक वस्तुएं (१५) जूरा, (१६) मालगुजारी-उत्तना लगाना तथा एकत्र करना, (१७) वृषि भाय पर कर, (१८) भूमि तथा इमारतों पर कर, (१९) कृषि-भूमि का उत्तराधिकारी वर (२०) सनिद्र पदायों के अधिकार पर कर, (२१) वस्तुओं तथा गावों पर कर, (२२) दिश्री तथा विशापन वर, (२३) बिलासिता, तथा मनोरजन वर, (२४) प्रांतीय स्टाम्प प्रादि ।

१९३५ ई० के विधान के द्वारा केन्द्र तथा प्रांतों को सार्वजनिक ऋण लेने का अधिकार पहल से भी अधिक दिया गया था परन्तु सघीम सरकार की आज्ञा बिना प्रांतीय सरकारें भारतवर्ष से बाहर सार्वजनिक ऋण नहीं ले सकती थी । भारत मन्त्री को अब भारत के प्रायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था । परन्तु कुछ ऐसी चीजें थीं जिन पर विधान सभा को अपनी राय देने का अधिकार न था जैसे गवर्नर-जनरल, उच्च न्यायालयों के न्यायधीशा प्रादि का वेतन । परंतु इस विधान में गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल को बहुत अधिक अधिकार दिए गए थे । इन अधिकारों के कारण वह भाय और ध्यय के कित्ती भी मद पर प्रापत्ति करके उद्योगों को नान्यूर वर सकता था ।

ओटो नीमियर रिपोर्ट (Otto Niemeyer Report)—१९३५ ई० के विधान की धाराओं १३८ (१) और (२), १४०, (२) तथा १४२ के अन्तर्गत सरकार ने लिए यह प्रायश्चर्य वा कि एव विचारद समिति (Expert Committee) नियुक्त की जाये जो कि यह सुझाव दे कि आय-कर (दृष्टि-कर के प्रतिरिक्त), जूट निर्यात-कर वा बटवारा केन्द्र और प्रान्तों में किस प्रकार किया जाये तथा प्रांतों की और विभ प्रकार की सहायता की जाये। भारत मन्त्री ने सर ओटो नीमियर को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। सर ओटो नीमियर भारत में १९३६ ई० की जनवरी में आये और तीन मास तक अच्छी प्रकार छान बीन करके एक रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट—अपनी रिपोर्ट में सर ओटो नीमियर ने दो बातों को अपने सामने रखा। पहली, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति और साथ पर कोई आघात न पहुँचे। दूसरी, प्रांतों को ऐसी वित्तीय सहायता दी जाये जिससे कि प्रान्तीय स्व शासन की स्थापना के समय उनके पास पर्याप्त साधन रहें। सर ओटो नीमियर ने सबसे पहले यह महसूस किया कि केन्द्रीय सरकार का व्यय कम होने की कोई आशा नहीं है। इस लिए केन्द्रीय सरकार प्रांतों को कोई बड़ी अर्थ-सहायता नहीं दे सकती और न ही हम प्रकार की अर्थ सहायता कुछ प्रान्तों के लिए आवश्यक ही है। हाँ कुछ प्रांतों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त ही खराब होने की आशा है, इस लिए उनको कुछ सहायता देनी आवश्यक है जिससे कि उनको अपना कार्य संचालन करने में कोई बाधा न पड़े। कुछ नए निर्माण किए हुए तथा कुछ पुराने निर्धन प्रान्तों को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रख कर उन्होंने ने दो प्रकार की सहायता देने का सुझाव दिया—(१) प्रारम्भिक तथा (२) अन्तिम। प्रारम्भिक सहायता मद्रास, बम्बई तथा पंजाब प्रान्तों को छोट कर दोष सभी प्रांतों को दी गई। फिर भी मद्रास को कुछ सहायता इसलिये दी गई क्योंकि उसमें से कुछ उद्विग्न-भाषा बोलने वाला भाग अलग कर दिया गया था और बम्बई को इसलिये सहायता दी गई थी क्योंकि उसमें से सिंध अलग कर दिया गया था। इस प्रकार बङ्गाल को ७५ लाख, बिहार को २५ लाख, मध्य प्रदेश को १५ लाख, घासाम को ४५ लाख, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त को ११० लाख, उड़ीसा को ५० लाख, सिंध को १०५ लाख तथा सदुक्त प्रांत को २५ लाख (पाच वर्षों तक) रुपये वार्षिक दिए गये। सिंध के अलग होने के कारण बम्बई को २० लाख रुपये वार्षिक तथा उड़ीसा के अलग हो जाने के कारण मद्रास को २० लाख और बिहार को ८ लाख रुपये वार्षिक दिए गए। इसके प्रतिरिक्त उड़ीसा तथा सिंध को क्रमशः १६ लाख तथा ५ लाख रुपये की अनावर्ती सहायता (Non-recurring grant) दी गई।

प्रांतों की सहायता करने के उन्हीं ने निम्नलिखित तीन उद्देश्य बताये—

(१) प्रांतों द्वारा केन्द्र से लिये गये ऋण को समाप्त करके—उन्हीं ने

सुभाव दिया कि बङ्गाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त का अगस्त १९३६ के पहले का सब ऋण समाप्त कर दिया जाये। मध्य प्रदेश का १९३६ ई० के पूरे का तथा १९२१ ई० के पूर्व का दो करोड़ रुपये का ऋण समाप्त कर दिया जाये। इस प्रकार ऋण को समाप्त करने पर प्रांतों को निम्नलिखित वार्षिक बचत होगी —

प्रान्त	वार्षिक बचत
बङ्गाल	३३ लाख
बिहार	२२ "
आसाम	१४½ "
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त	१२ "
उड़ीसा	६½ "
मध्य प्रदेश	१५ "

जूट निर्यात-कर को वांट कर—जूट पैदा करने वाले प्रान्तों को पहले ही जूट निर्यात कर का ५० प्रतिशत भाग मिल रहा था। छोटे नीमियर ने सुझाव दिया कि उनको ६२½ प्रतिशत दिया जाये। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि यह सहायता जूट उत्पन्न करने वाले प्रांतों को इसलिए नहीं दी जा रही है कि इस पर इन प्रांतों का कोई विनाश प्राकृतिक अधिभार है, बल्कि इस लिए दी जा रही है कि उनको सहायता की आवश्यकता है।

(३) अर्थ-सहायता दे कर—इन दोनों प्रकार की सहायता के अतिरिक्त उन्होंने कुछ वार्षिक सहायता देने का भी सुझाव दिया। इस प्रकार समस्त प्रांतों को (पाच वर्ष तक) २५ लाख, आसाम को ३० लाख, उड़ीसा को ४० लाख, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को १०० लाख तथा सिंध को १०५ लाख रुपये (जो १० वर्ष परवान् धीरे धीरे कम कर दिये जायेंगे) देने का सुझाव दिया गया।

अन्तिम सहायता—हर छोटे नीमियर का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आय-कर निरंतर सम्बन्धी था। उनके समाज के अनुसार आय-कर का ५० प्रतिशत भाग प्रांतों को मिलना था। परन्तु आय-कर में कारपोरेशन कर सम्मिलित न था। इस सुझाव के देने समय छोटे नीमियर ने केन्द्र को प्रांतों का आय कर वा सारा अथवा प्रांशिक भाग पांच वर्ष तक उस स्थिति में अपने पास रखने का अधिभार दिया जब तक कि केन्द्र वा आय-कर का भाग तथा रेलों द्वारा केन्द्र को दिया गया लाभ मिला कर १३ करोड़ रुपये न हो जाये। उससे अगले पांच वर्षों में केन्द्र प्रांतों का अपने पास रना द्वारा आय-कर का भाग धीरे धीरे लौटाये गा। इस प्रकार प्रांतीय स्व शासन के ११ वें वर्ष में प्रांतों को अपने आय-कर का पूरा भाग मिल सकेगा।

प्रांतों में आयकर बाँटने के लिए छोटे नीमियर ने इस बात को ध्यान में रखा कि किसी प्रांत से कितना आयकर एकत्र किया जाता है तथा किस प्रांत की वितनी जनसंख्या है। इस प्रकार उसने हर प्रांत को निम्नलिखित ढङ्ग से आयकर बाँटने का सुझाव दिया।

मद्रास १५ प्रतिशत, बम्बई २० प्रतिशत, बङ्गाल २० प्रतिशत, मनुक्त प्रांत १५ प्रतिशत, पंजाब ८ प्रतिशत, बिहार १० प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५ प्रतिशत, आसाम २ प्रतिशत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत १ प्रतिशत, उड़ीसा २ प्रतिशत तथा सिंध २ प्रतिशत।

इन सब सुझावों को सरकार ने मान लिया।

### छोटे नीमियर रिपोर्ट पर एक दृष्टि

छोटे नीमियर परिनिर्णय से कोई भी प्रांत सन्तुष्ट नहीं हुआ और अपने अपनी शिकायत भारत मन्त्री के पास लिख कर भेजी। बम्बई प्रांत का कहना था कि लगभग २५ प्रतिशत आयकर बम्बई से ही एकत्र किया जाता है। इसलिए उसको प्राय के रेशत के आधार पर आयकर में से भाग मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त बम्बई प्रांत का यह भी कहना था कि जब बङ्गाल को छूट निर्वात कर से नाम पटुनाया जाता है तो फिर उसको कमास-दर से वाम वरी नदी पटुनाया जाना। मद्रास प्रांत का कहना था कि आयकर के विभाजन का आधार जन-संख्या होना चाहिए और इस आधार पर उसको २४ प्रतिशत भाग मिलना चाहिए। बिहार का भी यही मत था कि आयकर का बटवारा जन-संख्या के आधार पर होना चाहिए। यह इसलिए अधिक आयकर का भाग चाहता था क्योंकि वह सबसे अधिक निर्जन था। मनुक्त प्रांत का कहना था कि बम्बई तथा बङ्गाल को आयकर का एक बराबर भाग दिया जाता है और उसको भी अधिक भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार प्राय हर प्रांत में किसी न किसी आधार पर अधिक भाग मिलने का प्रयत्न किया। और क्योंकि छोटे नीमियर परिनिर्णय से सब असन्तुष्ट थे इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सब के लिए ठीक था।

यह बात सत्य है कि प्रांतों को राष्ट्र विकास सम्बन्धी मदों को सौंपने के कारण आयकर का अधिक भाग मिलना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह धर्म जमाना कि प्रांतों को उनके आयकर का भाग देलो की आर्थिक स्थिति सुधरने पर मिनया अनुविन है। यह बात भी सत्य है कि छोटे नीमियर ने आयकर का कम भाग प्रांतों में बाँटने की सलाह दी थी। परन्तु इन सब बातों के विपरीत यह



भी कहा जा सकता है कि पर्यटि केन्द्रिय सरकार का न्यय प्राय स्थायी रहता है तो भी उस को देश की रक्षा करने, देश में शान्ति स्थापित करने, भारत की विदेशों में साख बढ़ाने आदि के लिए अधिक धन की आवश्यकता है।

अर्थ-साहाय्य के कारण प्रान्तों का ढूँँप बहुत बढ़ गया। यह सहायता प्रान्तों की आवश्यकता के आधार पर दी गई थी। इसके फल स्वरूप जो प्रान्त धनी, मितव्ययी तथा स्वतंत्र थे उनको कम सहायता मिली और जो प्रान्त पिछूत स्वयं में उनको अधिक सहायता मिली। अर्थ-साहाय्य प्रान्तों को कुछ वर्षों तक मिलने वाली थी। परन्तु उस समय तक प्रान्तों की स्थायी रूप से उन्नति करने की कोई धारा नहीं थी। इस परि-निर्णय में यह नहीं बताया गया था कि अर्थ-साहाय्य के न मिलने पर प्रान्तों की आर्थिक स्थिति सुधारने का कौन सा ढङ्ग है।

एक घातक बात यह भी कहता था कि प्रान्तों को आर्थिक-कार का भाग मिलने की धारा एक अकादमिक (Academic) धारा है। यह भाग उनको दस वर्ष के अवकाश मिलेगा। उस समय तक प्रान्त अपनी आर्थिक स्थिति का परिस्थिति के अनुसार समाधान करतीं।

परन्तु इन सब आलोचनाओं के होते हुए भी यह कहना उचित ही होगा कि श्रोत्रो नीमियर का कार्य बड़ा बटिन था। यह सब प्रान्तों को अपने निर्णय से कंठे अनुष्ठ कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उन वा प्रान्तों को अर्थ-साहाय्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार देना उचित ही था क्योंकि उस समय यह बात देखने की नहीं थी कि किस प्रांत ने भूतकाल में किस प्रकार की नीति से काम लिया धरन् यह बात देखने की थी कि भविष्य में यह प्रांत किस प्रकार गुनारूप रूप से कार्य कर सके है और यह कहना उचित ही है कि उनके निर्णय के फल स्वरूप प्रान्त और केन्द्र अपने संतुलित बजट बना सके।

महा पर यह बात बतानी अनुचित न होगी कि जब प्रांतों में स्व शासन चालू होने के पहले वर्ष (१९३७-३८) में ही केन्द्र और राज्यों की आर्थिक स्थिति इतनी सुधर गई तब प्रांतों को आर्थिक-कार का भाग भी मिलने लगा। इस प्रकार प्रांतों को उस वर्ष निम्नलिखित प्रकार में धन मिला :—

अक्टूबर २५ लाख ००, अक्टूबर २५ लाख ००, मद्रास १८७५ लाख ००, संयुक्त प्रांत १८७५ लाख ००, बिहार-१२५० लाख रुपये, पंजाब १० लाख ००, मध्य प्रदेश १२५ लाख रुपये, मिस २५० लाख ००, उड़ीसा २५० लाख ००, आंध्र २५० लाख ००, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत १२५ लाख ००—इस प्रकार कुल १२५ लाख रुपये मिले।

श्रोत्रो नीमियर परिनिर्णय में पहला संशोधन (१९३६-४१)—द्वितीय विद्यय पट्ट के छिड़ जाने पर केन्द्रीय सरकार का रक्षा-अर्थ बहुत अधिक बढ़ गया। जिसके

फलस्वरूप प्रातो और केप्रो में आय-कर का बटवारा करने के लिये रेलों की भाय से कोई सम्मत्य नहीं रखा गया। इसके प्रतिरिक्त केन्द्र को यह प्रतिकार दिया गया कि प्रातीय आय-कर के भाग में से १९३६-४० से ले कर १९४१-४२ तक प्रति वर्ष ४१ करोड़ रुपये अपने पास रख ले। अगले तीन वर्षों के लिए भी इसी प्रबन्ध को बामम रखा गया। परन्तु १९४६-४७ में केन्द्र ने प्रातीय आय-कर के भाग में से केवल ३०५ करोड़ रुपये अपने पास रखे।

दूसरा मशीयन (१९४८)— १५ अगस्त १९४७ ई० को देश का विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त हमारे देश में से निकल गए तथा बङ्गाल तथा पंजाब प्रातो का विभाजन हो गया। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि प्रातो में आय-कर का भाग बांटने के लिए एक नई योजना बनाई जाए। यह योजना १७ मार्च १९४८ ई० को घोषित की गई। यह १५ अगस्त १९४७ ई० से लागू होने वाली थी और केवल १९४७-४८ तथा १९४८-४९ के लिए थी। इसके अनुसार विम्नलिखित परिवर्तन किये गए।

(१) मध्यिम में प्रातीय आय-कर का भाग विम्नलिखित ढङ्ग के बांटने का निश्चय किया गया —

बम्बई २१ प्रतिशत, पश्चिमी बङ्गाल १२ प्रतिशत, मद्रास १८ प्रतिशत, संयुक्त प्रात १९ प्रतिशत, बिहार १३ प्रतिशत, पूर्वी पंजाब ५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश तथा बरार ६ प्रतिशत, आसाम ३ प्रतिशत, उड़ीसा ३ प्रतिशत।

(२) ओटो नोमिगर परिनिर्णय के अनुसार जूट उगाने वाली प्रातो को जूट निर्यात कर का ६२½ प्रतिशत भाग मिल रहा था। इस को घटा कर २० प्रतिशत कर दिया गया।

(३) केवल आसाम और उड़ीसा को अर्ध साहाय्य दिया जाये गा। यह इस प्रकार होगा —

	आसाम	उड़ीसा
१९४७-४८	१८ ७५ लाख	२५ लाख
१९४८-४९	३० " "	४० " "

(४) आय-कर की विभूद भाय का १ प्रतिशत चीफ कमिश्नर के प्रातो की देने का निश्चय किया गया।

प्रातो में आय-कर का भाग बांटने का आघार जन-सहया रखा गया। इसका प्रातो ने बड़ा विरोध किया। बम्बई और बङ्गाल ने इसलिए अधिक भाग माया क्योंकि उनमें आय कर का अधिक भाग एकत्र किया जाता है। मद्रास का कहना था कि जब कि उसकी ओटोनोमिगर परिनिर्णय के अनुसार संयुक्त प्रात के बराबर

मिलता था परन्तु नई योजना के अनुसार उसको कम मिलता है। पंजाब का कहना था कि विभाजन का सबसे अधिक भार उसके ऊपर पड़ा है परन्तु फिर भी बङ्गाल का उससे अधिक भाग दिया गया है। इस प्रकार नई योजना के कारण प्रान्तों की प्राप्यी ईर्ष्या फिर पैदा हो गई।

**सरकार समिति (The Sarkar Committee)**—संघीय मार्च १९४८ की योजना केवल सा वर्षों के लिए थी और विधान सभा तक तक इस निर्णय पर न पहुँची थी कि प्रांतीय प्राय-कर के भाग को किस प्रकार विभाजित किया जाये इसलिए सरकार ने भी एन० धार० सरकार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कि वह इस सम्बन्ध में अपना सुझाव रखा सने। यह समिति प्रांतों की और अधिक भुकी हुई थी। इस कारण उसने सुझाव रखा कि प्रांतों को प्राय-कर में से ६० प्रतिशत विभाजित किया जाये और प्राय-कर में कारपोरेशन कर तथा केन्द्र को हाने वाले कुछ और साम भी सम्मिलित किये जायें। परन्तु सरकार ने सरकार समिति के इन सुझावों को नहीं माला।

**तीसरा संशोधन (देश मुख परिनिर्णय)**—मार्च १९४८ की योजना से प्रांतीय सरकारों में बड़ा असन्तोष था। इसको कम करने के लिए सरकार ने श्री देश मुख (जो आज कल हमारे बिना नहीं है) की अपने सुझाव इस सम्बन्ध में देने के लिए नियुक्त किया। देश मुख परिनिर्णय केवल १९५०-५१ और १९५१-५२ के लिए ही था और पूर्ण रूप में लागू होने वाला था।

देश मुख परिनिर्णय निम्नलिखित ढङ्ग पर था —

**प्राय कर का विभाजन**—प्राय-कर के विभाजन में देश मुख ने उम्मीद की अपनाया जो कि सर छोटी नीमियर ने अपनाई थी। इस प्रकार उसने प्रांतों को निम्नलिखित ढङ्ग पर प्राय-कर बांटने का सुझाव दिया —

बम्बई २१ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) १८ प्रतिशत, मद्रास १७ ½ प्रतिशत, पश्चिमी बङ्गाल १३ ½ प्रतिशत, बिहार १२ ½ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ९ प्रतिशत, पूर्वी पंजाब ५ ½ प्रतिशत, आसाम ३ प्रतिशत, उड़ीसा ३ प्रतिशत।

**जूट निर्यात कर**—ए विधान के अनुसार जूट निर्यात-कर पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के प्राधीन है। परन्तु जूट उगाने वाले प्रांतों को कुछ समय के लिए प्राथिक सहायता दी जा सकती है। इसीलिए देश मुख साहब ने जूट उगाने वाले प्रांतों को निम्नलिखित महामत्ता देने का सुझाव दिया —

पश्चिमी बङ्गाल १०५ लाख रुपये, आसाम ४८ लाख रुपये, बिहार ३५ लाख रुपये तथा उड़ीसा ५ लाख रुपये।

**देश मुख परिनिर्णय की आलोचना**—इस परिनिर्णय का देश में कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ। कोई भी प्रांत इससे सन्तुष्ट न था। बम्बई, पश्चिमी बङ्गाल

मद्रास, बिहार आदि ने इसकी बड़ी आलोचना की। यह बात बतानी आवश्यक है कि श्री देश मुख का कार्य वितरण सम्बन्धी किसी विशेष सिद्धान्त का निश्चय करना नहीं था। उनका उद्देश्य विभाजन के पश्चात् होने वाली गड़बड़ी के कारण बच हुए प्रतिरिक्त कोष का उचित वितरण करना था। इसके प्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में यदि विशेष परिवर्तन किये जाते तो देश के आर्थिक सन्तुलन के विगटने का काफी भय था। इसलिए इस निर्णय को विशेष दाप पूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।

**वित्तीय आयोग (The Finance Commission)**—भारतीय अधिवेशन की धारा २८० के अनुसार राष्ट्रपति ने १९५२ में एक वित्तीय आयोग की नियुक्ति की जिसने अपने मुझाव फरवरी १९५२ में दिये। यह मुझाव निम्नलिखित है —

**आय कर**—इस आयोग के मुझावों के अनुसार भविष्य में राज्यों को आय कर का ५५ प्रतिशत भाग बाटा जायेगा। इसमें से २० प्रतिशत इस आधार पर बांटा जायेगा कि वित्तीय आय किस राज्य में हुई है और ८० प्रतिशत जन-भरपा के आधार पर बाटा जायेगा। इस प्रकार शान्तों को निम्नलिखित ढङ्ग से आय कर का भाग मिलेगा —

राज्य	आय-भर का प्रतिशत	राज्य	आय-भर का प्रतिशत
बम्बई	१७.५०	राजस्थान	३.५०
उत्तर प्रदेश	१५.७५	पंजाब	३.२५
मद्रास	१५.२५	द्रावणकोर-कोचीन	२.५०
पश्चिमी बङ्गाल	११.२५	आसाम	२.२५
बिहार	६.७५	मैसूर	२.२५
मध्य प्रदेश	५.२५	मध्य भारत	१.७५
हैदराबाद	४.५०	सौराष्ट्र	१.००
उड़ीसा	३.५०	पेप्सू	०.७५
		तृतीय खण्ड के राज्य	२.७५

**सूचीय उत्पादक कर**—तम्बाकू, दियासलाई तथा बनस्पति पर प्राप्त किए हुए उत्पादन कर का ४० प्रतिशत राज्यों में उनकी जन-संख्या के आधार पर विभाजित किया जायेगा।

**जूट निर्यात-कर**—जूट निर्यात कर में से जूट उगाने वाले राज्यों को धन-निहित सहायता दी जायेगी —

पश्चिमी बङ्गाल १५० लाख रुपये, आसाम ७५ रुपये उड़ीसा १५ लाख रुपये ।

गये, बिहार ७५ लाख

सहायक अनुदान—वित्तीय आयोग ने कई प्रकार के देने का भी मुझाव रखा है । यह अनुदान साधनों की कमी की एक अनुदानों के यात्राया में गहायना देने तथा टमी प्रकार के दूमरे कामों के लिए करने, विकास वित्तीय आयोग के विचार में मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य भारत तथा पम्पू की सहायक अनुदान की कोई आवश्यकता है । पश्चिमी बङ्गाल, उड़ीसा तथा छोराल्ट की सीमान्त स्थिति है और उनको प्रति ८० लाख रुपये, ७५ लाख रुपये तथा ४० लाख रुपये दिए जाने चाहिये । पञ्जाब भी आसाम को प्रवण ही सहायता की आवश्यकता है और उनको प्रमश १२५ करोड रुपये तथा १ करोड रुपये दिये जाने चाहिये । मंगूर तथा कोचीन-ड्रामनकोर को प्रमश ४० लाख रुपये तथा ४५ लाख रुपये की सहायता अपनी उन्नति काम करने के लिए दी जानी चाहिए ।

शिक्षा अनुदान—कुछ राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी अनुदान दिये जायेंगे । यह चार वर्षों के लिए होंगे । १९५३-५४ के अनुदान इस प्रकार होंगे—

बिहार	४१ लाख रुपये	उड़ीसा	१६ लाख रुपये
मध्य प्रदेश	२५ " "	पञ्जाब	१४ " "
हैदराबाद	२० " "	मध्य भारत	६ " "
राजस्थान	२० " "	पेम्पू	५ " "

इस प्रकार वित्तीय आयोग के मुझावों के कलरूप राज्यों की भाय इस प्रकार बढ़ जायगी ।

पश्चिमी बङ्गाल	२०६ करोड रुपये	मद्रास	२५४ करोड रुपये
आसाम	१३४ " "	उत्तरप्रदेश	२८२ " "
बिहार	२०० " "		

परन्तु बम्बई की ३५ लाख रुपये का घाटा होगा ।

आलोचनायें—वित्तीय आयोग के मुझावों के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनायें की गई हैं—

(१) भाय-कर को भाय के स्रोत के अनुसार बाटना चाहिए । इस प्रकार बङ्गाल और बम्बई को भाय-कर का अधिक भाग मिलना चाहिए ।

मद्रास, बिहार आदि ने इसकी उपयोग के अनुसार प्रत्येक राज्य में भिन्न है। इसलिए कि श्री बेरा मुक्त का कर्षण प्राय के अनुसार बाटना चाहिए।

नहीं था। उनका उद्देश्य अनुदानों के कारण राज्यों को केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ेगा अतिरिक्त कोष का संचालनीय सिद्धांत के विरुद्ध है।

विद्यमान परिस्थिति, अस्तित्विक संचालनीय शासन में प्राय के ऐसे मद्दतिका केन्द्र तथा इसलिए इस प्रकार होता है कम से कम होने चाहियें। परन्तु नई गति के अनुसार जा रहे हैं।

की नये विधान के अनुसार प्राय के स्रोतों का बटवारा—नये विधान में नये के स्रोतों का बटवारा उसी ढङ्ग से किया गया है जिस ढङ्ग पर कि १९३१ ई० के एक्ट में था। अब भी तीन प्रलग प्रलग तालिकाएँ हैं—संघीय, राज्य तथा मजदारी। कानून बनाने का अग्रिम अधिकार लोक सभा को है। नये विधान में कठोर बटवारे के सम्बन्ध में कुछ बदल हो गई है। राज्यों को बित्री कर लगाने का ता अधिकार है परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति है कि वह प्रत्येक राज्य में बित्री-कर का समान ढांचा बनाने के लिए आवश्यक प्रादेश दे सकती है। राज्य सरकार उन चीजों पर बित्री-कर नहीं लगा सकती जो उस राज्य के बाहर बिचती है अथवा जो भारत के विदेशी व्यापार से सम्बन्धित है अथवा जो लोक सभा ने आवश्यक अनुदान घोषित कर दी है। संघीय शासन अब पत्रों के भ्रम तथा विक्रय पर कर लगा सकता है परन्तु इस प्रकार एकत्र किया गया धन वह राज्यों का बांट देता है। मद्रास राज्या का प्राय-कर का एक भाग देना। लोक सभा यदि चाहे तो वह यह नियम बना सकती है कि किसी भी उत्पादन-कर का धन संघीय शासन एकत्र करेगा परन्तु इस में प्राप्त धन राज्य को दिया जायेगा। लोकसभा को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह अपने लाभ के लिए करा पर अधिभार (Surcharge) लगा दे। अधिव्यय में जूट उगाने वाले प्रान्तों का जूट निर्यात कर में स कोई भाग नहीं मिलेगा पर उनको दस वर्ष तक अथवा जब तक कि जूट निर्यात कर लगेगा (इन दोनों में जो भी पहले हो) अनुदान मिलेगा। यदि लोक सभा यह देखती है कि किसी राज्य को अनुदान की आवश्यकता है तो उसको अनुदान दिया जायेगा। राज्यों को उन स्वीकृत विधायन योजनाओं के लिए भी अनुदान दिये जायेंगे जिससे कि सामाजिक हितों की वृद्धि होती है।

ऋण लेने की शक्ति पहले के समान ही। केन्द्र भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) की धरोहर पर ऋण ले सकती है। राज्य अपनी संचित निधि की धरोहर पर भारतवर्ष से ऋण ले सकते हैं। भारत सरकार किसी राज्य को या तो ऋण दे सकती है या उसके ऋण की गारन्टी दे सकती है।

विधान में दो वर्ष के भीतर ही एक वित्तीय प्रायोग नियुक्त करने का आयोजन है। इसके पश्चात् यह हर पाँचवें वर्ष भ्रष्टाचार विधि राष्ट्रपति चाहें तो उससे पहले ही बैठायी जायेगी। यह प्रायोग निम्नलिखित बातों पर अपना मत प्रगट करेगा।

(१) सभ और राज्यों में आय-कर के बटवारे की विधि तथा वह ढङ्ग जिस से राज्यों को अपना भाग प्राप्त हो सके।

(२) भारत की सचित विधि में से राज्यों को अनुदान देने के सिद्धांत।

(३) भारत सरकार तथा 'ब' श्रेणी के राज्यों में हुए समझौते को बालू रखा जाये भ्रष्टाचार उसमें कोई बदल की जाये। जैसा ऊपर बताया जा चुका है यह प्रायोग नियुक्त किया गया था और उसकी रिपोर्ट भी सरकार के सामने पेश हो चुकी है और उस पर कार्य होना भी प्रारम्भ हो गया है।

इस प्रकार नये विधान के अन्तर्गत राज्यों की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। उनको आय कर वा ६० प्रतिशत भाग जो कि यह मांगा करते थे नहीं मिला बल्कि केवल ५५ प्रतिशत मिला है। इसके अतिरिक्त जूट उगाने वाले राज्यों को जूट निर्यात कर का कोई भी भाग न मिल कर केवल थोड़ा अनुदान ही मिलेगा और वह भी दस वर्षों से अधिक नहीं मिलेगा। वित्री कर पर कुछ पाबन्धियाँ लग जाने के कारण कुछ राज्यों को बड़ी हानि हुई है। उनमें बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार आदि हैं। कुछ कर जैसे उत्तराधिकारी कर, माल तथा यात्रियों आदि के रेल हवाई जहाज, पानी के जहाज आदि में यात्रा करने पर लगा हुआ सीमा-कर (Terminal tax), घसघारों के क्रय विक्रय पर कर आदि को सभ सरकार लगायेगी तथा उससे प्राप्त आय को राज्यों में बाटा जा सकता है। परन्तु इस आय के मिलने की कम आशा है। इस प्रकार राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो गई है। उनमें हाथ से आय के जो मद्द है उनसे प्राप्त आय प्राय निश्चित रहूँगी है परन्तु व्यय के मद्द ऐसे हैं जिन पर व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जाता है। इस कारण राज्यों की कठिनाई नये विधान में घटने के बरतने बढ़ गई है।

### सभ सरकार आय के कुछ मुख्य स्रोत

आय-कर (Income Tax)—भारतवर्ष में आय-कर का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह कर सब से पहले १८६० ई० में लगाया गया था। उस समय यह कर-कृषि तथा गैर-कृषि दोनों प्रकार की आय पर लगाया गया था। परन्तु यह कर थोड़े ही समय रहा और १८६५ ई० में इस को हटा दिया गया। १८६७ ई० में सब पेशों तथा व्यापारों (कृषि सहित) पर एक अनुज्ञा-पत्र-कर (Licence Tax) लगाया गया। परन्तु इसको १८७३ ई० में फिट समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात् १८७३ ई० में इसको फिर से लागू किया गया। १८८६ ई० में पुराना अनुज्ञा-पत्र-कर सामान्य आय कर में बदल दिया

गया। इस प्रकार उस समय से भारतीय कर-पद्धति में आय-कर एक स्थायी आय का साधन बन गया है।

१९१४ ई० से पूर्व आय-कर की दरें नीची थी और कर से प्राप्त आय भी कम थी। परन्तु १९१६ में कर की दर बढ़ा कर आय बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और १९१७ ई० में ५०,००० रु० से अधिक आय पर अधि कर (Super tax) भी लगाया गया और १९१८ में प्रतिरिक्त लाभ कर (Excess Profits Tax) लगा दिया गया।

१९२२ ई० में एक भारतीय आय-कर एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में समय समय पर दृष्ट से संशोधन किये गये। १९३९ ई० में आय-कर (संशोधन) एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अनुसार भारत में 'स्टैप सिस्टम' के स्थान पर 'स्लैब सिस्टम' चालू कर दिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार एक प्रकार की सब आय पर कर की एक ही दर लगती थी परन्तु अब उगी आय के विभिन्न विभाग किये जाते हैं और उन विभागों की जो कर-दर निश्चित है उसके अनुसार हर विभाग पर कर लगा कर सारी आय या कर भार निश्चित किया जाता है।

द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के कारण कर की दरों में बहुत से परिवर्तन किये गए। मार्च १९४० में प्रतिरिक्त आयकर लगाया गया। इसके अनुसार, ३०,००० रुपये से अधिक असमान्य युद्ध-लाभ पर ५० प्रतिशत कर लगाया गया। १९४१ में इनको बढ़ा कर ६६ $\frac{2}{3}$  प्रतिशत कर दिया गया। १९४० के एक अनुपूर्वक वित्तीय एक्ट के अनुसार सब आय-करों (जिन में अधि कर तथा कारपोरेशन कर भी सम्मिलित थे) पर २५ प्रतिशत के हिसाब से एक पचिमाह (Surcharge) केवल केन्द्रीय सरकार के लिए लगाया गया। १९४१ ई० में इस को बढ़ा कर ३३ $\frac{1}{3}$  प्रतिशत कर दिया गया। १९४३ के एक एक्ट के अनुसार प्रतिरिक्त-लाभ कर का  $\frac{1}{3}$  भाग सरकार के पास रखना पड़ना था। १९४४ ई० में इस को १९।६४ से बढ़ा दिया गया। १९४६ में इस कर को समाप्त कर दिया गया। १९४५ ई० से अर्जित आय (Earned income) तथा अनाजित आय में भेद कर दिया गया है। यदि कोई मनुष्य किसी आय को अपने प्रतिरिक्त परिश्रम के द्वारा प्राप्त करता है तो उस को आय के १/५ पर कोई कर नहीं देना पड़ता। कर की मह-छूट ४००० रुपये में अधिक नहीं हो सकती।

भारतीय आय-कर-पद्धति की विशेषतायें—भारतीय आय-कर पद्धति के तीन भाग हैं—व्यक्तिगत आय पर कर, अधि कर तथा कारपोरेशन-कर। व्यक्तिगत आय में कर लगाये जाने वाले वर्ष से पहले के वर्ष की प्राप्त आय सम्मिलित की जाती है चाहे वह व्यक्तिगत परिश्रम से प्राप्त की गई हो अथवा व्यापार से अथवा और किसी श्रोत से। एक न्यूनतम सीमा से नीचे (जो १९५३ में ४२०० रुपये थी) कोई



कर नहीं लगाया जाता। सामूहिक परिवार पर उसी ढङ्ग से कर लगाया जाता है जिस प्रकार कि व्यक्ति पर, सामूहिक परिवार की छूट की न्यूनतम सीमा कुछ अधिक होती है। आजकल वह ८५०० रुपए थी। जिन लोगों पर कर लगने वाला है उन की अपनी आय का एक विवरण अपने हल्के के आय-कर अधिकारी के पास भेजना पड़ता है। कर लगाते समय व्यक्ति की स्त्री तथा छोटे बच्चों की आय को व्यक्ति की आय में सम्मिलित कर लिया जाता है। आय पर कर सर्व सिस्टम पर लगाया जाता है। जीवन बीमे तथा भविष्य निधि (Provident Fund) के रूप में दिये गए रुपए पर कोई कर नहीं लगाया जाता। परन्तु इस प्रकार की छूट आय के १/६ अथवा ६००० रुपए (इन दोनों में से जो भी कम हो) में अधिक नहीं दी जा सकती। अर्जित आय पर भी १/५ अथवा ४००० रुपए (इन दोनों में जो भी कम हो) की छूट दी जाती है। कम्पनियाँ के ऊपर धनितयों से अधिक दर पर कर लगाया जाता है और उनको सारी आय पर कर देना पड़ता है। उनको अभिभार भी देना पड़ता है।

१९४७ ई० में एक बात से अधिक के व्यापारिक लाभ पर १६% प्रतिशत व्यापारिक लाभ कर (Business Profits Tax) लगाया गया। इसका बड़ा विरोध किया गया। १९४७ में इस कर की दर को कम कर दिया गया और १९५० में इसको समाप्त कर दिया गया।

१९४७ ई० में १५००० रुपए से अधिक लाभ पर जो कि पूंजी सम्पत्ति को बेच कर प्राप्त किया गया हो एक पूंजी-लाभ-कर (Capital Gains Tax) लगाया गया। परन्तु इस कर का विनियोजन (Investments) पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिये इस कर की १९८६ ई० में समाप्ति कर दिया गया।

भारतीय आय-कर पद्धति के दोष— इस पद्धति में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं—

- (१) छूट देने की न्यूनतम सीमा अभी तक कम है।
- (२) कर लगाते समय यह नहीं देखा जाता कि कर-दाता के परिवार में कितने व्यक्ति हैं। सब लोगों पर चाहे उनका परिवार छोटा हो अथवा बड़ा एक ही दर पर कर लगाया जाता है।
- (३) अभी कुछ ही वर्ष पूर्व तक श्रमिक आय पर कोई कर नहीं लगाया जाता था और अब भी क्योंकि इस कर को राज्य सरकारें लगाती हैं इसलिये इस कर की सब राज्यों में समान दर नहीं है।
- (४) बड़ी बड़ी आयों पर विदेशों की अपेक्षा कर-भार अधिक है जितके कारण बचत कम होती है तथा विनियोजन भी कम होते हैं।
- (५) हमारे देश में बहुत से लोग कर से बच जाते हैं। आय-कर-जाच-

भाषा १९४६ (Income-Tax Investigation Commission 1949) के अनुसार भारत में छुपी हुई आय जिम पर कर लगाया जा सकता है १००० करोड़ रुपये है।

**कारपोरेशन कर (Corporation Tax)**—यह कर सम्युक्त स्क्व प्रमण्डल (Joint Stock Companies) पर इसलिये लगता है क्योंकि उनको राज्य की ओर से कुछ ऐसी सुविधाएँ मिली हुई होती हैं जिनके कारण वह अपना कार्य सुचारु रूप में चला सकते हैं जैसे यह प्रमण्डल का नाम रख कर उस नाम से व्यापार कर सकते हैं इस नाम से वह न्यायालय में अपने अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं, वह जनता से रुपया एकत्र कर सकते हैं, वह सार्वजनिक सड़कें, गाधिया आदि अपने प्रयोग में ला सकते हैं आदि। कारपोरेशन कर में कोई म्यूनिसिपल छूट नहीं दी जाती वरन् वह साठी आय पर एक ही दर पर लगाम जाता है।

१९३६ ई० से पूर्व कारपोरेशन कर के स्थान पर अधिभार (Super Tax) धार्य का प्रयोग किया जाता था और यह व्यक्तियों के समान ५०,००० रुपये से अधिक आय पर लिया जाता था। इसके प्रतिरिक्त प्रमण्डलों को व्यक्तियों के समान कर भी देना पड़ता था। परन्तु भारतीय कर जाच समिति के अनुसार "अधिभार जो प्रमण्डलों की आय पर लगाया जाता है वास्तव में अधिभार नहीं है, वरन् एक कारपोरेशन लाभ कर है।" इस कारण यह आवश्यक हो गया कि प्रमण्डलों की आय पर बढ़ा मान रीति से कर न लगाया जाए तथा उनको कोई म्यूनिसिपल छूट न दी जाये। १९३६ ई० की भारतीय आय-कर जाच समिति ने इन दोनों बातों के सम्बन्ध में सुझाव दिये थे। इसलिए १९३६ ई० के पश्चात् भारतीय कर (संशोधन) एक्ट में इन दोनों दोषों को दूर कर दिया गया। इस प्रकार आजकल प्रमण्डलों के लाभ पर कोई छूट नहीं दी जाती और १९५३-५४ की आय करों की दर में प्रत्येक प्रमण्डल पर २१ आने प्रति रुपया कारपोरेशन कर लगाया जाता है।

**उत्तराधिकारी अथवा मृत्यु अथवा सम्पदा कर (Inheritance Tax or Death Duties or Property Tax)**—उत्तराधिकारी अथवा मृत्यु अथवा सम्पदा कर आय पर न लगा कर सम्पत्ति पर लगाया जाता है। वह एक पुराना कर है। कहते हैं कि ईसा मे ७०० वर्ष पूर्व मिस्र में यह कर लगाया गया था। उसके पश्चात् यह कर यूनान में भी लगाया गया। उसके पश्चात् भी यह किसी न किसी रूप में लगाया जाता रहा। १४वीं शताब्दी के अन्त में इसको इटली और जर्मनी में लागू किया गया। १७वीं शताब्दी में इसको इङ्ग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, आदि देशों ने मामूली ढङ्ग से लगाया। सम्युक्त राष्ट्र में यह १६वीं शताब्दी में लगना आरम्भ हुआ।

भारतवर्ष में मुगल काल में जब किसी सूबे का गवर्नर मर जाता था तो उस

समय उसकी सम्पत्ति को बादशाह ले लेता था। इस प्रकार सरकार को बड़ी आय हो जाती थी। परन्तु प्रप्रेजी शासन में इस कर को नहीं लगाया गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जब सरकार को रुपये की आवश्यकता पड़ी तब उसको मृत्यु कर लगाने का सुझाव दिया गया परन्तु सरकार ने उसको न माना। परन्तु १९०६ ई० में सरकार ने रिक्त पत्र-प्रमाण-कर (Probate duty) लगाया जो कि उक्त समय लिया जाता था जबकि किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती थी। द्वितीय महायुद्ध में भी इस कर को लगाने की बात छिड़ी परन्तु कुछ लोगों ने विरोध के कारण यह न लगाया जा सका। अन्त में श्री लियाकत अली ने १९४७-४८ में इस कर को लगाने की बात कही और उस समय इस पर विचार करने के लिये एक प्रवर समिति (Select Committee) बँटाई गई। इस समिति की रिपोर्ट अगस्त १९८७ में प्राप्त हुई परन्तु देश के विभाजन के कारण इस पर कोई विचार न किया गया। इनके पश्चात् १९४८-४९ में इस सम्बन्ध में एक बिल पेश किया गया और यह फिर एक प्रवर समिति को सोप किया गया जिसकी रिपोर्ट मार्च १९४९ ई० में प्राप्त हुई। परन्तु फिर भी कुछ समय तक इस बिल को वातून का रूप न दिया जा सका। अन्त में नवम्बर १९५० में श्री देशमुख ने फिर एक सम्पदा बिल पेश किया जिसको एक प्रवर समिति को सोप दिया गया। इस समिति की रिपोर्टें प्राप्त होने पर अन्त में यह बिल पास हो गया और १५ अक्टूबर १९५३ ई० में यह लागू कर दिया गया।

इससे पहले कि हम भारतीय सम्पदा कर की मुख्य बातें बतायें हम यह आवश्यक समझते हैं कि इसके गुण व श्रवणों पर विचार कर लें।

सम्पदा कर के श्रवण—दोनों निम्नलिखित श्रवण बनाये जाते हैं—

(१) रिक्त परिवार में थोड़े २ समय पश्चात् मृत्यु के कारण सम्पत्ति शीघ्र से हाथों को बदलती रहती है उस परिवार पर इसका भार दूसरे उन परिवार से पतित पड़ता है जिसमें मृत्यु देर में होती है। यह तर्क आदम समय द्वारा दिया गया है और इसका प्रो० धीराज ने समर्थन किया है। इस अन्याय के दूर करने के लिये वातून में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है जिससे कि उक्त परिवार को जिसमें कि मृत्यु शीघ्र होती रहती है कम कर देना पड़े।

(२) मृत्यु श्रवण सम्पदा कर लगाने समय यह बात नहीं देखी जाती कि कोई सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई है। कुछ सम्पत्तियाँ तो ऐसी होती हैं जो आसानी से खरीद ली जाती हैं परन्तु कुछ को प्राप्त करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। पर सम्पदा कर दोनों पर एकरा लगाया जाता है।

(३) सम्पत्ति का मूल्य उक्त समय लगाया जाता है जबकि मृत्यु होती है। यह अनुचित है क्योंकि मर्दा के समय सम्पत्ति का मूल्य कम होता है परन्तु तेजा के

समय उसी सम्पत्ति का मूल्य अधिक होता है। इसलिये मदी के समय कम सम्पदा कर देना पड़ता है और तेजी के समय अधिक। परन्तु यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस कर का भार देखते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितने रुपये कर के रूप में दिये हैं बरन् यह देखना चाहिए कि उन रुपये का वास्तविक मूल्य क्या है? और यदि कर का इस प्रकार विचार किया जायेगा तो उपर्युक्त आपत्ति समाप्त हो जायेगी।

(५) इस कर की दर समय समय पर बदलती रहती है। इसलिये एक से मूल्य वाली सम्पत्तियों पर विभिन्न समयों पर विभिन्न कर भार पड़ता है, यह अनुचित है। परन्तु यह तर्क मृत्यु कर के विरुद्ध नहीं बरन् उमर कर की दर में समय समय पर होने वाले परिवर्तन के विरुद्ध है। सब करों की दरों में इसी प्रकार परिवर्तन होते रहते हैं।

(६) इस कर के विरुद्ध यह भी तर्क दिया जाता है कि इनके लगाने के कारण पूँजी के संचय करने में बाधा उत्पन्न होती है। इस लिए देश के उद्योग धंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु यह तर्क भी गलत है क्योंकि उत्तराधिकारी जो सम्पत्ति प्राप्त करता है उसके बचाने की इच्छा पर इस कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसको वह स्वयं नहीं बचाता बरन् उसके लिये दूसरा व्यक्ति बचाता है और यह दूसरा व्यक्ति बचाते समय यह नहीं देखता कि बचाई हुई सम्पत्ति का कितना भाग उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा बरन् अपने से सम्बन्धित बहुत सी वानों के कारण बचाता है। और यदि वह यह भी देखे कि उत्तराधिकारी को कितनी सम्पत्ति मिलती है तो वह इसका बीमा कर इसके कर-भार को बहुत से वर्षों पर फैला सकता है। इसके प्रतिरिक्त सम्पदा कर में जो धन सरकार को प्राप्त होता है उसको सरकार बहुत से उद्योगों पर खर्च करती है। इस प्रकार इस कर से देश की पूँजी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। भी देशमुख ने सम्पदा विल को पेश करते समय यह बताया था कि लगभग ५० देशों का यह अनुभव है कि इस कर के कारण पूँजी का संचय कम नहीं होता।

गुण—इस कर के निम्नलिखित गुण बताए जाते हैं—

(१) आय-कर लगाने समय यह नहीं देखा जाता कि कोई आय सुरक्षित स्रोत से प्राप्त की गई है अथवा असुरक्षित स्रोत से। यह अन्याय सम्पदा कर में दूर हो जाता है क्योंकि सुरक्षित स्रोत से आय प्राप्त करने वालों की सम्पत्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक होगी और उनकी अधिक कर देना पड़ेगा।

(२) आय कर न तो इस बात की ओर ध्यान देता है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति में कितनी वृद्धि हुई है और न इस बात का कि किसी व्यक्ति को किसी

सम्पत्ति में कितनी उपयोगिता ब्रह्मवा सतोष प्राप्त होता है। परन्तु सम्पदा कर से कुछ भीमा नव यह भी डोप दूर जाता है।

(३) सम्पदा विन का समर्थन करते हुए श्री गाडगिल ने कहा, 'इस्य शक्ति और पद का मार्ग है। टम द्वार को नष्ट कर देना चाहिये और विषमता को मध्यमे बड़ी जिम्मेदारी उन्मरगधिकार की प्रभा गर है।' भाग्ये वस वर उन्होंने कहा कि आय-कर और सम्पदा कर एक दूसरे के सहायक हैं। आय कर से लोग वल करने हैं परन्तु टमको उचित रूप से लगाने पर वचना कठिन है। इनके पश्चात उन्होंने कहा कि यद कर पूंजी पर एक थोट है और हम पूंजी तथा व्यक्तिगत साहम को समाप्त करना चाहत हैं। इसका कारण यह है कि जित व्यक्तिवो के हाथ में पूंजी होती है अतः से उन्ही का सरकार पर नियन्त्रण होता है। उन्हीने प्रागे कहा कि टमका "यक्तिगत प्रमण्डलो पर ही प्रभाव पड़ेगा सार्वजनिक प्रमण्डलो पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। टम हानि के कारण व्यक्तिगत प्रमण्डल सार्वजनिक प्रमण्डलो में वदन दावेगे। उनके पश्चात उन्होंने बताया कि टम कर से नीगेो की कार्य करने की योग्यता तथा उनकी वचाने भी इच्छा पर कोई प्रभाव न पड़ेगा क्योंकि जब उन्मरगधिकारी को यह पता लगेगा कि उयको अधिक सम्पत्ति नहीं मिलेगी तो वह और पश्चिम में कार्य करेगा।

### भारतीय सम्पदा कर की मुख्य बातें

सम्पत्ति शब्द की परिभाषा— (क) जन या अजल सम्पत्तिमें कोई भाग, (ख) 'क' में वरिणत भाग की विधी से प्राप्त रकम, (ग) 'ख' में वरिणत रकम या उगमे में विलहान लगी हुई रकम, (घ) किसी भी तरह से एक सम्पत्ति में दूसरी में बदली गई कोई सम्पत्ति (च) ग्यासानुकूल हिस्सा, (छ) किसी व्यक्ति वा श्मरग या उसकी भर्णों में उसके द्वारा थोटो हुआ श्मरग, (ज) कोई और ऐसा अधिकार जिसका लए में मूल्य लगाया जा सकता हो।

कुछ ऐसी सम्पत्ति भी है जो वास्तव में मृत्यु के पश्चात हस्तान्तर नहीं होती किन्तु उमको मृत्यु के पश्चात हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति मान कर उमने लिए व्याख्या कर दी गई है

(क) ऐसी सम्पत्ति जिसे मृतक कालूमन देव सकता था (ख) ऐसी सम्पत्ति जिसमें मृतक या किसी व्यक्ति वा हिस्सा हो और मृतक की मृत्यु होने पर वह हिस्सा समाप्त हो जाता हो, (ग) मृतक की जो सम्पत्ति किसी व्यक्ति को दान में उसकी मृत्यु के बाद में मिले, (घ) मृतक की मृत्यु के छ महीने पश्चे से दो साल तक की

प्रबंध में जा सम्पत्ति वास्तव्य या अन्य कार्यों के लिये उपहार स्वरूप दी गई है उधर पर शुल्क लगेगा। विवाह के लिये पांच हजार रुपये तक की व्यवस्था पर शुल्क नहीं लगेगा। (ड) मृत्यु के छ महीने पहले तक वास्तव्य कार्यों के लिए तथा दो वर्ष पहले तक अन्य कार्यों के लिए वी या निर्धारित की गई सम्पत्ति पर शुल्क लिया जायेगा, (घ) एसी सम्पत्ति जिसका मृतक द्वारा निषेधारा किया गया हो और उसमें उसने किसी प्रकार का भोग अपने जीवन भर के लिये रख लिया हो, (ङ) ऐसी सम्पत्ति जो मृतक और किसी व्यक्ति के साझे में हो और उस व्यक्ति को यह सम्पत्ति उत्तर-जीवी के रूप में मिली हो (ज) किसी मनोनीत या प्रतिभाजन भागी के नियम मृतक व्यक्ति द्वारा चालू रखी गई बीमा पालिसी, (झ) मृतक की मृत्यु के समय तक जमा वार्षिक वृत्ति (ञ) ऐसी कंपनी की लेनदारों जिसका निवृत्तगणान से अधिक व्यक्तियों के हाथ में न हो, जिसमें मृतक की सम्पत्ति लगी हो और वहाँ से उस उसकी मृत्यु से पहले के तीन सालों में लाभ मिला हो या प्राप्त करने का उसका अधिकार रहा हो।

शुल्क से छूट— कुछ ऐसी भी सम्पत्ति हानी है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात किसी को हस्तान्तर नहीं होती। ऐसी सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लिया जायेगा। इन प्रकार की सम्पत्तियाँ निम्नलिखित होंगी हैं—

(क) सम्पत्ति, जिसमें मृतक का हित किसी पद पर रहने के कारण है। (ख) निर्धारित परिस्थितियों में ट्रस्टी के रूप में मृतक के अधीन रहने वाली सम्पत्ति। (ग) ऐसी सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा मृतक को केवल अपने जीवन के लिए मिली हो और उसकी मृत्यु के पश्चात वह फिर देने वाले को मिलती हो।

मूल्योन्नत— सम्पदा शुल्क की दर निर्धारित करने के लिए मृतक की हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति एक सम्पदा के रूप में जोड़नी जाएगी। अनूमित कृषि भूमि जैसी कुछ ऐसी भी सम्पत्ति है, जिस पर यद्यपि छूट दी जाती है, किन्तु सम्पदा का पूरा मूल्य निकालने के लिए उसको भी जोड़ना पड़ता है। सम्पत्ति का मूल्य खुले बाजार की दर पर धारा जाता है। मूल्यांकन करने में सम्पत्ति के मूल्य द्वारा धारि बातों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

सम्पत्ति के मूल्य में से कुछ कटौतियाँ—सम्पदा-शुल्क के लिए सम्पदा का मुख्य मूल्य धाँकते समय कई प्रकार के ऋणों एवं खर्चों की रकमें छोड़ दी जायेंगी, जैसे— (१) किया गम का खर्च, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए (२) वास्तविक ऋण तथा दूसरी रकमें जो देनी है, (३) पति की सम्पत्ति में पत्नी का भाग (जीवन काल के लिए), और (४) विदेशी सम्पत्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में होने वाला खर्च, जो सम्पत्ति के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक न होने चाहिये।

शुल्क की दरें— यह सबों के हिसाब से निश्चित की गई है। मिनाधारा,

परम्पराकालीन या अधिनियमतान विधी द्वारा शासित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में अधिकार मिलने पर पचास हजार रुपये तक के पहले खर्च पर कोई शुल्क नहीं होगा। दूसरी सम्पत्तियों के लिए छूट की यह सीमा एक लाख रुपए रखी गई है।

शुल्क से छूट— निम्नलिखित सम्पत्तियों को शुल्क से छूट दी जायेगी, पर शुल्क की दर निश्चित करने के लिए मुख्य मूल्यांकन में उन्हें सम्मिलित रखा जायेगा—

(क) सार्वजनिक धार्मिक कार्यों के लिए, मृत्यु से छ महीने के भीतर दिए गये दान, जो २५०० रुपये तक हो सकते हैं।

(ख) धन्य कार्यों के लिये मृत्यु से दस वर्षों के भीतर दिये गये दान, जो १५०० रुपये तक हो सकते हैं।

(ग) सम्पदा शुल्क के भुगतान के लिए बीमे की पॉलिसी से मिली रकमों, वे रकमों, भुगतान किये जाने वाले शुल्क के बराबर की मात्रा में सरकार के नाम की हुई हों, पर पचास हजार रुपये से अधिक न हों।

(घ) सम्पदा शुल्क भुगतान के लिए सरकार के पास जमा किया गया रकम, भुगतान किये जाने वाले शुल्क की मात्रा तक जो पचास हजार रुपये से अधिक न हो।

(ङ) मृत व्यक्ति के बीमे का रकम—पाँच हजार तक।

(च) बीमे या ट्रस्ट की घोषणा या समझौते के जरिये किसी उस रिश्तेदार लड़की के विवाह के लिये भत्ता निकाला गया रकम जिम्को कि मृतक ने पाला है। परन्तु इस प्रकार का धन पाँच हजार रुपये से अधिक न होगा।

यह सब रकमों कुल सम्पदा के मूल्य में सम्मिलित की जायेंगी परन्तु उन पर भोसल दर के हिसाब 'रिवेट' दिया जायेगा।

यदि एक मृत्यु के बाद के तीन महीनों के भीतर उसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भोर मृत्युए होनी, तो ऐसी घना में पहली वाली ही मृत्यु के लिये सम्पदा कर चुकाया जायेगा।

प्रशासन— इस अधिनियम (Act) के प्रशासन का काम धाय-कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा होगा। इनकम टैक्स कमिश्नर सम्पदा-शुल्क के नियंत्रक होंगे, पर्यवेक्षक सहायक आयुक्त जन-नियंत्रक होंगे और धाय-कर ऑफिसर सहायक नियंत्रक होंगे। मृतक व्यक्ति को धाय पर पहला भार सम्पदा कर का होगा।

### सीमा-कर (CUSTOM DUTIES)

सीमा कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है— १ निर्यात-कर के रूप में, २ आयात कर के रूप में।

[१] निर्यात कर (Export duties)—अब से कुछ समय पूर्व यह कर बहुत अधिक लगाया जाता था क्योंकि लोगों का विश्वास था कि इसका कर-भार विदेशियों पर पड़ता है। परन्तु यह बात सदा ही सत्य नहीं होती। वास्तव में इस कर का भार आयात और निर्यात करने वाले देशों की आपेक्षित माँग और पूर्ति की लचक पर निर्भर है।

[२] आयात कर (Import duties)—विदेशों से आने वाले माल पर जो कर लगाया जाता है उसको आयात कर कहते हैं। यह कर दो दृष्टिकोण सामने रख कर लगाया जाता है—१. प्रायः वस्तुओं के लिये २. देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिये। जहाँ पहला दृष्टिकोण सामने होता है तब आयात खूब किए जाते हैं परन्तु जब दूसरा दृष्टिकोण सामने होता है तब आयात बहुत कम किये जाते हैं।

सीमा-कर लगाने के ढङ्ग—सीमा-कर दो प्रकार से लगाया जा सकता है—१. मूल्यानुसार (Ad valorem) तथा २. परिमाणानुसार (Specific)। मूल्यानुसार कर वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। इस कर को बगूल करने के लिये सीमा कर अधिकारियों को आयात संपत्ति निर्यात वस्तु के वीजक अथवा ड्रॉय-रसीद पर निर्भर रहना पड़ता है और हो सकता है कि यह चीजें जाली बनाई गई हो। इस प्रकार की शक्यता होने पर सीमा-कर-अधिकारी माल की खतबा कर भी देख सकते हैं। इन सब कठिनाई के कारण बहुत से देशों में परिमाणानुसार कर लगाया जाता है जो कि बस्तु के भार अथवा उसकी संख्या के अनुसार लगाया जाता है। इस कर को लगाने में कोई कठिनाई पैदा नहीं आती। परन्तु प्रायः सभी देशों में साधारणतया यह दोनों प्रकार के ही कर लगाये जाते हैं। जो चीजें मूल्यवान् होती हैं जैसे सोना, चांदी, मोटा, पट्टी आदि उन पर मूल्यानुसार कर लगाया जाता है और शेष पर परिमाणानुसार।

भारत में सीमा-कर का इतिहास (History of Custom duties in India)—भारत में सीमा-कर इतिहास को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) १८६१ तक, (२) १८६१ से १९१५ तक, (३) १९१६ से १९२१ तक, (४) १९२२ के पश्चात्।

(१) १८६१ तक का समय—मुगल-शासन काल में बहुत मामूली सीमा-कर लगाया जाता था, जैसे १६०६ ई० में यह कर खाद्य-सामग्री पर ३ प्रतिशत, सोने, चांदी पर २ प्रतिशत तथा शेष वस्तुओं पर ढाई प्रतिशत था। इनके अनिश्चित पारनयन-कर (Transit duties) भी थे जो बच्चे माल पर ३ प्रतिशत से और पक्के माल पर २ प्रतिशत से ३ प्रतिशत तक थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ये सब बातें में कोई बदल नहीं की। उन्होंने केवल बंदों की दर में परिवर्तन किया। वह अंग्रेजी तथा गैर-अंग्रेजी माल पर विवेचन कर (Discriminating duties) लगाते थे। अन्त



में १८५७ ई० के उपरान्त के परचात कर की दर ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक कर दी गई और कुछ चीजों पर तो २० प्रतिशत तक कर लगा दिया गया। परन्तु यह कर केवल प्राय को बढ़ाने के लिए लगाए गए थे।

(२) १८६२-१८१५ का समय (धवाध व्यापार)—१८३१ से ले कर १८८२ ई० तक धीरे धीरे प्राय सभी चीजों पर से सीमा कर हटा दिया गया। १८८८ से ले कर १८९४ तक केवल हथियारों, वास्तु, शराब, अफीम तथा नमक पर प्रायः कर था और केवल चावल पर निर्यात कर। परन्तु १८९४ ई० के परचात इस धवाध व्यापार की नीति में बदल करनी पड़ी और ५ प्रतिशत का सामान्य-कर लगा दिया गया। सूती माल और धागे के आयात पर भी कर लगाया गया। पर भारतीय धागे के ऊपर उतना ही प्रति-प्रभाती कर (Counter vailing duty) लगाया गया। लोह और फौलाद के आयात पर भी १ प्रतिशत कर लगाया गया। १८९७ से १९१० तक इन नवों की यही दर रही। १९१०-११ में शराब, तम्बाकू, चादी तथा गैटोल पर आयात-कर बढ़ा दिया गया।

(३) १९१६ से १९२१ तक का समय (महा युद्ध और उसके परचात)—युद्ध का अन्त बड़ जाने के कारण १९१६-१७ में सामान्य आयात कर को ५ प्रतिशत से बढ़ा कर ७½ प्रतिशत कर दिया गया और १९२१-२२ में इसको बढ़ा कर ११ प्रतिशत कर दिया गया परन्तु सूती माल पर ११ प्रतिशत ही कर रहा। रेश के आयात पर १९१६ में २½ प्रतिशत और १९२२-२३ में १० प्रतिशत कर लगा दिया गया। इस वर्ष लोहे और फौलाद के माल पर भी यही कर था। १९२२-२३ में चीनी के ऊपर भी २५ प्रतिशत कर लगा दिया गया। विवाह-शुल्क वस्तुओं जैसे मोटर, सिनेमा, फिल्म, एडियो आदि पर १९२२-२३ में ३० प्रतिशत कर लगा दिया गया। १९२२-२३ में तम्बाकू के ऊपर ७५ प्रतिशत मूल्यानुसार कर लगा दिया गया। १९१६ में जूट तथा जूट के माल तथा धाग पर निर्यात-कर लगा दिया गया और उससे पहले ही वर्ष उसको दुगुना कर दिया गया। यह सब कर धाग बढ़ाने के लिए ही लगाए गए थे।

(४) १९२२ ई० के परचात—१९२३ ई० से भारत सरकार ने सरकार की नीति को अपनाया और सबसे पहले १९२४ ई० में लोहे और फौलाद के उद्योग को सरक्षण दिलाया गया। १९२७ ई० के परचात लई तथा १९३१ ई० में चीनी के उद्योग को भी सरक्षण दिया गया। १९३३ ई० से भारतवर्ष ने साम्राज्य अधिमान की नीति (Imperial Preference Policy) को अपना लिया और उसके फल स्वरूप संयुक्त राज्य (United Kingdom) तथा अंग्रेजी उपनिवेशों से आने वाले माल पर कम कर लगाया जाने लगा। इस प्रकार के समझौते को १९३६ में फिर से किया गया। परन्तु द्वितीय महा युद्ध में सीमा-कर की दरों को बचना पड़ा १९३६-४०

में बपास के आयात-कर को दुगना कर दिया गया। १९४१-४२ में कृत्रिम रेसमी धाने पर २ आने से ५ आने प्रति पीठ कर लगा दिया गया और १९४२-४३ में कुछ चीजों को छोड़ कर दोष पर २० प्रतिशत अधिभार लगाया गया। परन्तु इस प्रकार कर बढ़ाए जाने पर भी सीमा-कर की आय जो १९३८-३९ में ५० ५१ करोड़ रुपये थी १९४३-४४ में २६ २० करोड़ रुपए रह गई। इसका कारण यह था कि बहुत से देशों में व्यापार होना बन्द हो गया और जहाजों में जगह मिलने में कठिनाई होने लगी। १९४६-४७ के पश्चात् हमारे देश के सीमा-कर में कई प्रकार के परिवर्तन हुए जैसे शराब के ऊपर ३ से ३ अधिभार कर दिया गया। मुगारी पर ५३ धाने प्रति पीठ का कर लगाया गया। परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशों से आने वाले माल पर ६ पाई प्रति पीठ कम कर लगता था। बपास पर २ आने प्रति पीठ का कर लगा दिया गया। सोने पर २५ ६० प्रति तोला तथा चांदी पर ८ आने प्रति तोला कर लगाया गया। १९४८-४९ में कई चीजों पर कर घटा दिया गया जैसे वनस्पति धी पर २०० २० प्रति टन में घटा कर १६० २० प्रति टन कर दिया गया। १९४९-५० में बहुत सी विलासिता की वस्तुओं जैसे शराब, रेसम, ऊन, कागज, पत्रियों आदि पर आयात-कर बड़ा दिया गया। इनके प्रतिरिक्त सिगरेट, निवार आदि पर १५ प्रतिशत मूल्यानुसार निर्वात-कर लगाया गया। मरमो के तेल तथा कागज पर भी निर्यात-कर लगाया गया और जूट पर कर बढ़ाया गया। परन्तु १९५२-५३ तक जूट कर को १५०० २० प्रति टन में घटा कर २७५ ६० प्रति टन कर दिया गया।

हमारे देश में सीमा-कर आय का एक अच्छा साधन रहा है। १९३७-३८ में इस से ४३ ११ करोड़ रुपये की आय थी (उस समय इस में केन्द्रीय उत्पादक कर भी सम्मिलित था)। १९४६-४७ में यह बड़ पर ८९ २२ करोड़ हो गई और १९५२-५३ में इस स्रोत की आय बड़ कर १७० करोड़ रुपये हो गई। १९५३-५४ में इस से लगभग १७० करोड़ रुपये की आय होने की आशा है।

### केन्द्रीय उत्पादन-कर (Central Excise)—

उत्पादन-कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश में उत्पन्न होती हैं। यह कर या तो वस्तु के बनते समय लगाया जाता है या उसके बन चुकने पर लगाया जाता है। इस कर का भार माघारस्तया गरीबों पर गड़ना है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी वस्तुएं कर लगाने के लिए छाटनी चाहियें जो अमीर लोगों के उपभोग में आती हैं। हमारे देश में साधारणतया बिलासिता तथा रुढ़ आवश्यकताओं पर यह कर लगाया जाता है। भारत में केन्द्रीय सरकार कपड़े, चीनी, दियारलार्ड, सम्बाकू तथा जूट पर यह कर लगानी है।

हमारे देश में मुगल काल में शराब बनाने पर उत्पादन कर लगाया जाता था। अंग्रेजों ने उत्पादन-कर नीति में म्बानीय गुविधा के अनुसार बहुत से परिवर्तन किये। १६०६ के मुघारों के अन्तर्गत इन शेत को प्राप्ति को दिया गया था परन्तु १६१६ के मुघारों के अनुसार इनके दो भाग कर दिये गए हैं। यह विभाजन वैज्ञानिक रीति से न हो कर गुविधा की दृष्टि से किया गया था। उस प्रकार देसी शराब भाग चरम, गौज खादि पर प्रांतीय सरकार कर लगानी थी और बाफीम विदेशी शराब दिया भलाई चीनी पर केन्द्रीय सरकार लगानी है। १६३५ के विधान तथा भारत के नये विधान के अनुसार भी तम्बाकू, जूट अफीम दिमासलाई चीनी कपड़े पर केन्द्रीय सरकार उत्पादन कर लयाती है।

चीनी पर उत्पादन-कर—१६३८ ई० में खाड पर १० घाने तथा चीनी पर १ ६० ५ घा० प्रति हन्ड्रे टवेट की दर से उत्पादन कर लगाया गया। इसका कडा विरोध हुआ परन्तु सरकार ने कुछ ध्यान न दिया। १६३०ई० में छाट पर १ ६० ५ घाने तथा चीनी पर २ ६० प्रति हन्ड्रे टवेट की दर से लगाया गया। १६४०-४१ में चीनी पर कर की दर बडा कर ३ ६० प्रति हन्ड्रे टवेट कर दी गई और १६४६-५० में दस को बडा कर ३ ६० १२ घा० प्रति हन्ड्रे टवेट कर दिया गया।

दियासलाई पर उत्पादन कर—१६३८ ई० के दियासलाई (उत्पादन-कर) एकट के अनुसार दिया सलाई के उत्पादन पर उत्पादन कर लगाया गया। यह कर उन डिब्बियों पर जिनमें ४० से ६० तक मीम शोती थी १ ६० प्रति घोम की दर से और जिनमें ६० से अधिक सीका होती थी २ ०० प्रति घोस की दर से लगाया गया। १६४१ ई० में इस कर को दुगना कर दिया गया। १६४८-४९ में यह कर २ ६० ८ घा० प्रति घोस कर दिया गया। १६५०-५१ में यह कर उत्पादन की दृष्टि से बढा मान कर दिया गया। जो उत्पादन प्रति दिन १०० घोम से कम उत्पादन करते हैं उनको ६० सीको वाले बक्स पर २ ६० १४ घा० प्रति घोस तथा ८० सीका वाले बक्स पर १ ६० १४ घाने प्रति घोस देना पडता है। इनके विपरीत जिन पर उत्पादन १०० घोम से ५ लाख घोम तक है उनको ६० और ४० मीको वाले बक्सों पर क्रमशः २ ६० १४ घा० ६ पा० तथा १ ६० १५ घा० प्रति घोस देना पडता है। इनके अतिरिक्त दूसरे सभी उत्पादकों को २ ६० १५ घा० तथा १ ६० १५ घाने प्रति घोस की दर से यह कर देना पडता है।

मिट्टी के तेल पर उत्पादन-कर—मिट्टी के तेल पर सबसे पहले उत्पादन-कर १६३८-३९ में लगाया गया था। उस समय कर की दर २ घाने ६ ३/४ पाई प्रति गैलन था। १६४२ में यह कर बडा कर ३ घाने ६ पाई प्रति गैलन और १६४४ में ४ घाने ६ पाई प्रति गैलन कर दिया गया। १६४९-५० में यह कर घटाने ३ घाने प्रति गैलन कर दिया गया और तब से अब तक कर की यही दर है।

यनस्पति धी पर उत्पादन-कर—हमारे देश में धी पर उत्पादन-कर १९६३-४४ में लगाया गया था। उस समय दर ५ रु० प्रति हज़े टवेट थी। परन्तु १९४८-४९ में इस को बढ़ा कर ३½ रुपये कर दिया गया और आजकल यह ८ रु० प्रति हज़े टवेट है।

चाय, कहूँ तथा सुपारी पर कर—यह कर अपने पहले १९४४ में लगाया गया था और कर की दर २ आने प्रति पौंड थी। १९४६-४७ में सुपारी पर कर की दर घटा कर १ आना कर दी गई परन्तु चाय और कहूँ पर वही दर रही। १९६८-४९ में सुपारी पर से कर पूर्ण रूप में हटा दिया गया, परन्तु चाय और कहूँ पर कर की दर २ आने न तीन आने प्रति पौंड कर दी गई। १९५३-५४ के बजट में सुपारी पर २ आने प्रति पौंड की दर से कर बढ़ा दिया गया।

मोटर के तेल पर कर—यह कर १९२९ में सड़का को स्थिति सुधारने के लिए लगाया गया था। १९३७ ई० से इस कर का १५ प्रतिशत खोज तथा व्यवस्था आदि कार्यों में लगाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसलिए इस कर को प्रायः राज्या में सड़कों की उपरति करने के लिए इनके पेट्रोल के उपभोग के अनुसार ही जाने लगी। इस कर की दर द्वितीय महा युद्ध में कई बार बढ़ाई गई और भूल में १९४९-५० में यह १५ आने प्रति गैलन हो गई।

तम्बाकू पर कर—केंद्रीय सरकार ने इसको सबसे पहले १९४३-४४ में लगाया था। १९४८-४९ में यह कर किता बने तम्बाकू पर बढ़ा कर १२ आने प्रति पौंड कर दिया गया। इसके पश्चात् इस कर में कुछ और भी परिवर्तन हुए। आजकल यह कर ३१ रु० ८ आने प्रति पौण्ड है।

इस प्रकार तम्बाकू से केंद्रीय सरकार को बहुत सी आय प्राप्त होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की बहुत सी आय उत्पादन कर से प्राप्त होती है। पर यह कर अधिकतर या तो सड़क आयोजनाओं पर या आवश्यक आवश्यकताओं पर लगाया जाता है। इस लिए यह प्रतियामी है।

नमक कर (Salt Duty)—हमारे देश में नमक पर एक बहुत पुराना कर था। कहते हैं कि इस को हिन्दु राजा भी लगाया करते थे। मुगल काल में यह कर पारनयन कर (Transit Duty) के रूप में रहा। परन्तु अकबर ने दूसरे पारनयन करों के साथ इस कर को भी समाप्त कर दिया। लेकिन प्रान्तीय शासन इसको अपने लाभ के लिए लगाते रहे। जब ईस्ट इन्डिया कम्पनी को हमारे देश में राज्य सत्ता मिली तब उसने भी इस कर को लगाया। परन्तु उस समय सब प्रान्तों में कर की दर समान नहीं थी। जब कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली तब लार्ड क्लाइव ने इस को एकाधिकारी के रूप में वैधाना प्रारंभ किया। परन्तु इससे कम्पनी को घाटा हुआ। इसलिए १७८० ई० में वारन हेस्टिंग ने इस को एक निश्चित मूल्य पर विक्राना शुरू किया। परन्तु जब हमसे भी सरकार को आय में वित्तोप वृद्धि न

हईं नव लाखें कार्तवालिम ने १७८८ में मावंजनिव नीलाम की पद्धति लिखानी । यह पद्धति १८३६ ई० तक चलती रही । इसमें सरकार को तो बहुत लाभ हुआ परन्तु टमकी वही आलोचना हुई । इस लिये दस पद्धति को समाप्त करके निश्चित मूल्य पर बेचने वाली पद्धति को फिर म चालू किया गया । इसी समय विदेशी नमक पर ३ र० प्रति मन का कर लगाया गया । इन कर की दर कुछ समय परवान घटा कर २१।८० प्रति मन कर दी गई । परन्तु कथक कर सत्र स्थानों पर समाप्त न था । १८५७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के परवान नमक पर कर की दर बढ़ा दी गई । १८६१ में यह दर और भी बढ़ा दी गई । १८६६—७० में इन बात का प्रयत्न किया गया कि शारे भारत वर्ष में कर की दर समाप्त कर दी जाये और १८८२ ई० में अगान, पञ्जाब तथा बङ्गा को छोड़ कर मारे भारत वर्ष में कर की दर २ र० ६ आ० प्रति मन थी । कुछ समय परवान बङ्गा को छोड़ कर सत्र स्थानों पर २ र० ८ आ० प्रति मन कर था । यह १६०३ तक चलता रहा । परन्तु १६०३ में कर की दर घटा कर २ र० प्रति मन कर दी गई । १६०५ में यह दर घटा कर १।। र० कर दी गई परन्तु इसको १६०७ में १ र० प्रति मन कर दिया गया । यह दर बङ्गा गहिन शार भारत वर्ष में लागू की गई । कुछ काम में सरकार ने इन कर की दर को बढ़ा कर १ र० ४ आ० कर दिया । १६२२ ई० में सरकार इसको २ र० ८ आ० करना चाहती थी परन्तु भारतीय सदस्यों ने इसका बड़ा विरोध किया । इन लिये यह कर न बढ़ाया जा सका । १६२३—२४ में सरकार फिर इन कर की बढ़ा कर २ र० ८ आ० करना चाहती थी परन्तु भारतीय सदस्यों ने इसका बड़ा विरोध किया । अन्त में गवर्नर जनरल ने इसको अपने विशेष अधिकारों में लगा दिया । विरोध के कारण अगले वर्ष वित्त मन्त्री ने इसको घटा कर २ र० प्रति मन कर दिया । परन्तु मदन के भारतीय सदस्यों ने इसको १ १/२ र० तक घटाने की माँग की जो वित्त मन्त्री ने स्वीकार करली । यह दर मितम्बर १६३१ तक चली जब कि यह १ र० ६ आ० कर दी गई । अन्त में १६४७—४८ में जब दस में मध्यवर्ती सरकार (Interim Government) बनी तब इन कर की समाप्त कर दिया गया ।

नमक कर के विरुद्ध आलोचनाएं—यद्यपि नमक कर हमारे देश में इतने पुराने समय से लड़ता आ रहा है परन्तु यहाँ मन्त्र ही हमारा बड़ा विरोध किया गया । सरकार इन कर की समाप्त समय यह तब केही थी कि यह कर पुराना होने के कारण लोया को महसूस नहीं हुआ । उसे प्रतिरिक्त समस्त जनता तब पढ़ने के लिये और कोई दूसरा कर नहीं है । सरकार का यह भी कहना था कि वह इन कर को समाप्त करके प्रति वर्ष ८ करोड़ र० की आय नहीं छोड़ सकती । परन्तु जनता इन तर्कों में मन्तुष्ट न होनी थी । अन्त में महारत्ना मन्त्री ने अपना १८३१ ई० का पध्दयाग आदेशन नमक का कानून तोड़ कर ही प्रारम्भ किया ।

इस करके विरुद्ध लोगों का कहना था कि नमक जीवन की आवश्यक आवश्यकता है। इस लिये कर सभा कर इसके उपयोग को कम नहीं करना चाहिये। भारतीय कर जांच समिति ने खान बोन के पदनात यह बात बताई थी कि यदि नमक का कर कम कर दिया जाये तो इससे उसका उपयोग बढ़ता है।

ग्रालोकको का यह भी कहना था कि यह प्रतिगामी है क्योंकि इसका भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि उनको नमक पर अपनी भाय का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ता है परन्तु अमीर लोग इस पर अपनी भाय का एक बहुत ही छोटा-भाय खर्च करते हैं।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब इस कर के सम्बन्ध में फिर वाद विवाद हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि जब तक देशकी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी तब तब नमक कर गुलामी की निदानी थी। परन्तु स्वतन्त्र होने पर इस पर से यह गाला घन्ना धुल गया है। इसके अतिरिक्त उनका कहना था कि नमक कर का विरोध प्रायिक कारणों की अपेक्षा भावनाओं से अधिक सम्बन्धित था। इस लिये यदि इस कर को घब सना दिया जाये तो कोई विशेष हानि न होगी। उनका यह भी कहना था कि प्रायिक सीमा-कर और उत्पादन कर भी तो अप्रत्यक्ष और प्रतिगामी कर हैं तो फिर इस कर का विरोध क्यों किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि नमक-कर हटाने से गरीबों को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि नमक का मूल्य बहुत बढ़ गया है। उनका यह भी कहना है कि किसी कर के प्रतिगामी होने के कारण सदा ही उसको समाप्त नहीं कर देना चाहिये। देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगाने पड़ते हैं और यदि हमको यह देखना हो कि कर लगाना चाहिये प्रथम गरीबों तो हमको देश की सारी कर-गण्डति पर विचार करना होगा। यह यह भी कहते हैं कि सरकार की वर्तमान प्रायिक स्थिति को देखते हुए इस कर का लगाना उचित है। यहाँ यह बात बतानी उचित है कि भारतीय सविधान इस कर को लगाने की आज्ञा देता है।

बिना वाद विवाद में पड़े इन सब तर्कों के विरुद्ध यह कहना अनुचित न होगा कि हमको सब स्थानों पर आर्थिक दृष्टि को ही सामने नहीं रखना चाहिये, लोगों की भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिये। यदि यह बात न की गई तो जनता उसके विरोध में खड़ी हो जायेगी और उसका देश की आत्मन व्यवस्था पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जनता कभी भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं होगी कि स्वतन्त्र होने पर इस कर पर से दासता का काला घन्ना धुल गया है और इस लिये इस कर को सगा दिया जाये। और यदि हम विचार करें तो हम कह सकते हैं कि जो कर एक शासन काल में बुरा था वह दूसरे में कैसे अच्छा होगा। इसके बदले सरकार कोई दूसरा कर लगा सकती है जिससे प्राय तो इतनी ही प्राप्त हो जाये और लोगों

को बट्ट कर महसूस भी न हों। इस कर को लगाने से देश की गरीब जनता कभी भी इस बात को मानने को तैयार न होगी कि उसको धाजादी मिल गई है क्योंकि जनता धाजादी मिली हुई तभी समझेगी जब कि उसको पहले से अधिक मुविधा मिलनी और जीवन की आवश्यकताएँ सम मूल्य पर प्राप्त होंगी। इन सब बातों के कारण इस कर का लगाना उचित नहीं जान पड़ता।

**अफीम कर (Opium Duty)**—बहने है कि अफीम को कोई मुसलमान व्यापकगकारी फारम न भारतवर्ष में लाया था। उस समय में भारतवर्ष में अफीम की कमी पूरा होने लगी। मुसलमान शाहों को इस में बड़ी प्राय होती थी। जब भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य हुआ तब उसका नौकर उससे बहुत लाभ उठाने ल। इनके पदचात १७७३ ई० में बारन हेस्टिंग्स ने इसकी व्यवस्था ही अपने हाथ में ले लिया। परन्तु इसमें भी स्थिति में कोई सुधार न हुआ। इससे पदचात १७९६ ई० में बम्बई के नौकरों को इसकी एजेन्सी दी जाने लगी। इससे प्राय में बड़ी वृद्धि हुई। १८१६ ई० में चीन के साथ होने वाले अफीम के व्यापार में बड़ा गकड़ प्राया जिससे फलस्वरूप लाड इन्डोनीजी को इसमें नियंत्रण तथा इसकी व्यवस्था में बहुत सी बदल करनी पड़ी। जब भारत का शासन फ्राउड के अधीन नया गया तब इस खेत में ५० लाख पींड की प्राय होती थी। इसके पदचात जो दिन अफीम नियुक्त किये गये उनमें इस बात पर बड़ा मत भेद था कि इस खेत से चीन को अफीम भेज कर प्राय प्राप्त की जाये प्रयत्न नहीं। १८८३ ई० में एक प्रायोग की नियुक्ति हुई जिसका सबसे महत्वपूर्ण गुभाव यह था कि भारत सरकार को अफीम की खेती विगतो पर न छोड़कर स्वयं करानी चाहिये। १८९३ ई० में इंग्लैंड की सरकार ने एक प्रायोग की नियुक्ति की जिसका गुभाव था कि चीन जाने वाली अफीम का निर्यात उस समय तक न रोका जाये जब तक कि चीनी सरकार इस बात की इच्छा प्रकट न करे।

१९०६ ई० में चीन की सरकारने अपने देश में यह आज्ञा दी कि अफीम की पैदावार तथा उसका उपयोग १० वर्षों में बन्द कर दिया जाये और उसने इस मामले में भारत सरकार से सहायता करने की प्रार्थना की। परन्तु भारत सरकार इसकी मासखानी में नही मानने वाली थी क्योंकि उसको इससे बहुत हानि होने वाली थी। अन्त में १९०७ ई० में भारत सरकार ने १० वर्षों के अन्दर अफीम की निर्यात रोकने का वचन दिया।

१९१५ ई० में भारत सरकार इसको दूसरे देशों के व्यापारियों को न देकर सीधे विदेशी मरवारों को देने लगी।

सीमा आफ नेशन्स के विमर्श के अनुसार भारत सरकार ने आयात अनुज्ञापत्र पद्धति (Import certificate system) चालू की जिसके अनुसार अफीम

किसी देश को तभी भेजी जा सकती थी जब कि वह उस बात का मूल्य दे कि उनको जायज कामों के लिये ही अफीम चाहिये। इसके पश्चात् १९२६ ई० में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि ३१ दिसम्बर १९३५ ई० तक अफीम का निर्यात सिवाय इराक़ के शेष सब नामों के लिये बन्द कर दिया जायेगा। १९३५ में अफीम का निर्यात सिवाय भारत की फ़ारसी तथा पुर्तगाली वस्तियों के, ब्रह्मा, अदन तथा मद्रास राज्य (U. K.) के और दूसरे देशों को नहीं होना और इन सबमें भी भारत सरकार के इस सम्बन्ध में संपत्ती है। भारतवर्ष में भी अफीम उन्हीं दुकानों पर विक्रि सकती है जिनके पास अनुज्ञा पत्र (Licence) होता है और कोई भी आदमी उनको अफीम की दुकान पर नहीं ख़ा सकता।

१९१०-११ के लगभग भारत को अफीम से ८ करोड़ रुपये में अधिक वार्षिक आय होती थी परन्तु १९२०-२१ में यह घट कर १ करोड़ ८३ लाख रुपये रह गई। उमने पश्चात् भी यह आय कम ही होती रही। १९५३-५४ में अफीम से प्राप्त आय २०७ लाख रुपये थी।

**रेल्वे (Railways)**—भारतवर्ष में १८५३ ई० में रेलों बननी प्रारम्भ हुई। १८५६ में प्रायः कम्पनियों को ५००० मील लम्बी रेलें बनाने का ठेका दिया गया। इन ठेकों की शर्तों के अनुसार सरकार ने कम्पनियों को बहुत सी सुविधायें दी और विशेषतः उनको ५ प्रतिशत लाभ की गारंटी दी जिसके फलस्वरूप कम्पनियाँ ने नापरवाही से काम किया और इससे भारत सरकार को १८६६ तक १६६३ लाख रुपये की हानि हुई। इनके पश्चात् १८६६ में से कर १८७६ ई० तक भारत सरकार ने स्वयं रेलें बनाने का कार्य किया परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण सरकार को फिर से कुछ नई शर्तों पर कम्पनियों को ठेके देने पड़े। इन शर्तों में ३३ प्रतिशत के लाभ की गारंटी दी गई थी। १८७६ से १९०० ई० तक भारत में बहुत सी महत्वपूर्ण रेलें बनीं। परन्तु १८६६ तक रेलों में भारत सरकार को कोई लाभ प्राप्त न हुआ। इस बीच में भारत सरकार को ५८ करोड़ रुपये की हानि हुई। १९०० ई० में सबसे पहले भारत सरकार को रेलों से लाभ हुआ। कई वर्षों तक रेलों से लाभ होता रहा परन्तु फसलों के खराब होने तथा दूसरे मुजबारणों से रेलों को कई वर्षों तक हानि होती रही। प्रथम महायुद्ध में रेलों को बहुत लाभ हुआ। परन्तु युद्ध समाप्त होने पर रेलों को फिर हानि होने लगी। इसलिये रेलों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एकवर्षी समिति (Acworth Committee) को नियुक्त किया गया। इस समिति के सुझावों के अनुसार रेलवे बजट को साधारण बजट से अलग कर दिया गया। ऐसा करते समय रेलों में एक समझौता किया गया जिसके अनुसार बड़े निश्चित विद्या तथा कि रेलवे, सरकार को प्रति वर्ष की लगी हुई कुछ धुआँ का १ प्रतिशत तथा उन वर्ष में होने वाले लाभ का १ भाग देगी। इसके प्रतिनिधित्व रेलवे



को किसी अनिश्चित बचत क तीन करोड़ रुपये क ऊपर की रकम पर एक निहाई केन्द्रीय सरकार को धीर देने की व्यवस्था की गई । इस सबके पश्चात जो भोग बने वह रेलवे के मुश्किल कोष में जमा किया जाये ।

१९२४ में १९३०-३१ तक रेलवे को लाभ होता रहा और उन बीच में रेलवे ने ४,१६५ लाख रुपये साधारण बजट को दिये । परन्तु उसने पश्चात् रेलवे को हानि होने लगी । १९३०-३१ में यह हानि ५ ११ करोड़ रुपये १९३१-३२ में ९२० करोड़ १९३२-३३ में १० ०३ करोड़ १९३३-३४ में ७ ९६ करोड़ १९३४-३५ में ५ ०६ करोड़ रुपये थी । उन हानियों के कारण रेलवे का मुश्किल कोष समाप्त हो गया । परन्तु फिर भी साधारण बजट को दी जाने वाली रकम मरदा न की जा सकी । १९३७ ई० में सरकार ने इस ऋण को चुकाने की अवधि तीन वर्ष रखी । फिर यह अवधि १९४२ तक और इसके पश्चात् १९४३ तक बढ़ा दी गई । १९४३ में नव ऋण चुका दिया गया ।

युद्धकाल में रेलवे को बहुत लाभ हुआ । कुल यातायात प्राय (Gross traffic receipts) जो १९३९-४० में १०२ ७३ करोड़ रुपये थी बढ़कर १९४५-४६ में २२५ करोड़ रुपये हो गई । रेलवे की बचत भी जो १९३९-४० में ४ ३३ करोड़ रुपये थी बढ़कर १९४३-४४ में १० ८४ करोड़ रुपये हो गई । इस सबके कारण रेलवे ने साधारण बजट का ३५ ६१ करोड़ रुपये तथा अवमूल्यन रक्षित कोष (Depreciation Reserve Fund) का ३० करोड़ रुपये चुका दिया । इसके अनिश्चित साधारण बजट को १५८ ४३ करोड़ रुपये और भी दिये ।

१९४३ में रेलवे के साथ एक दूसरा समझौता किया गया जिसके अनुसार यह तय हुआ कि रेलवे और साधारण बजट की आवश्यकताओं का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाये और उसी के अनुसार यह तय हो कि रेलवे और साधारण बजट रेलवे के लाभ का कितना भाग लेये । १९४३ ई० के लिये यह ३ १ के अनुपात में तय हुआ । उससे पहले वर्ष यह तय हुआ कि रेलवे १९४४-४५ और १९४५-४६ में प्रति वर्ष ३२ करोड़ रुपये देंगी ।

१९४६ ई० में रेलवे से एक और नया समझौता हुआ जिसके अनुसार यह तय हुआ कि रेलवे धार्मिक हार्ड पूजा पर १ प्रतिशत ग्याज देंगी । मुद्रा कार्य के लिये बनाई गई रेलवे पर होने वाली हानि को घटा दिया जायेगा । इसके पश्चात् तीन करोड़ रुपये रेलवे उन्नति कोष में हस्तांतर करके जो बचे उसका अर्धा साधारण बजट को दिया जाये । इस योजना के अनुसार १९४६-४७ में साधारण बजट को ५ ६१ करोड़ रुपये मिले । इससे पहले वर्ष रेलवे को हानि होने के कारण वह साधारण बजट में कुछ न दे सकी ।

१९६५ में श्री जी बी मावलकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसने सिफारिश की कि रेलों को ४५० करोड़ रुपये साधारण बजट को, ०.८४ करोड़ रुपये उन्नति कोष को, तथा ४५० करोड़ रुपये रेलवे रक्षित कोष को हस्तान्तर करने चाहिए। सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया। इसके होते हुए भी रेलों के साधारण बजट को ७३४ करोड़ रुपये दिये। १९४६-५० में उन्होंने ७ करोड़ रुपये दिए।

१९४६ में एक समिति को नियुक्त किया गया जिसमें निम्नलिखित वालों की सिफारिश की —

(१) रेलों और साधारण बजट के सम्बन्धों को इस प्रकार बढ़ाया जाये जिसमें कि वह साधारण बजट को ५ वर्षों तक ८ प्रतिशत लाभदायक गारंटी करें। इस समझौते पर पाच वर्ष पर्यन्त विचार किया जाये।

(२) ५ वर्षों तक वह अवमूल्यन कोष में १५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष हस्तान्तर करें।

(३) एक उन्नति कोष कायम किया जाये जिसमें रेलों की बचत हस्तान्तर की जाये।

इसके अनुसार ही आजकल रेलों साधारण बजट को अपना नाम हस्तान्तर करती है।

**डाक और तार (Post and Telegraph)**—१९१२ ई० तक डाक और तार विभाग अलग अलग थे। परन्तु उनके पर्यन्त १९१४ में भारत मन्त्री के भादेशानुसार वह मिला दिए गए। पहले डाक और तार विभाग भारत सरकार के व्यापार तथा उद्योग विभाग के आधीन था पर अब उसका एक अलग मंत्री होना है।

डाक और तार विभाग द्वारा सरकार को कई प्रकार से आय प्राप्त होती है जैसे सत्र व सिफारिशें भेजने, डाक द्वारा हल्का सामान इधर उधर भेजने, छपे हुए विषय को डाक द्वारा भेजने, अन्धा के पाभार्स सामान को डाक द्वारा भेजने, रुपये को डाक द्वारा भेजने, तार आदि देने आदि से आय प्राप्त होती है। परन्तु यह आय बहुत कम होती है और धना आदि के भेजने से तो सरकार को हानि रहती है। १९५३-५४ का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने बताया कि गाबा में १६,००० में भी अधिक डाकखाने खोलने तथा वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार छोटी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के कारण एक मेवालों को चलाने में मार्च १९५२ से पूर्व के चार वर्षों में सरकार को ३६१ करोड़ की हानि हुई। इस वर्ष और अगले वर्ष की हानि का अनुमान अंश २२३ करोड़ तथा ०.६८ करोड़ रुपये से अधिक है। इस विभाग से सरकार को १९३८-३९ में लगभग १६ लाख रुपये की वास्तविक आय प्राप्त हुई थी। यह आय १९४८-४९

तथा १९८५-८६ में १०.२५ करोड़ रुपये तथा १९३१ करोड़ रुपये हो गई। परन्तु उगरे पश्चात् यह आय कम होती चली गई, जैसे १९५१-५२ में ३.०७ करोड़ रुपये थी तथा ५०-५३ में १.८० करोड़ थी। परन्तु १९५३-५६ में इसमें २.०२ लाख रुपये की प्राय हुई। इंग्लिश वीमा और रजिस्ट्री आदि की दरों में वृद्धि भी गई।

**सिक्के और नोट (Coinage and Currency)**—भारत सरकार को सिक्के बनाने से १८६८ ई० में त्याग लेना पड़ा था। १९३५ ई० में रिजर्व बैंक की स्थापना पर यह काम बहुत बढ़ गया क्योंकि बैंक पर यह पाबन्दी थी कि वह अपने हिस्सेदारा का ३२ प्रतिशत में अधिक (१९६२-५३ में ४ प्रतिशत) लाभांश न देता। इसके प्रतिबन्धन तम पर यह भी पाबन्दी थी कि जब तक उसका रजिज फण्ड (Reserve Fund) ६ करोड़ न हो जाये तब तक यह लाभांश न दे। लाभांश देने के पश्चात् जो उक्तता या बड़ा साधारण बजट में चर्चा जाता था। १ जनवरी १९४६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसलिए सरकार की इस त्याग में प्राय बड़ने की आशा है। १९३८-३९ में इस श्रोत से कुल आय लगभग ७८ लाख रुपये थी। परन्तु १९५१-५२ में यह बढ़कर १९३१ करोड़ रुपये, १९५२-५३ में १०.७७ करोड़ रुपये, १९५३-५४ में १५.४१ करोड़ रुपये थी।

### सम सरकार का व्यय

**रक्षा व्यय (Defence Expenditure)**—भारतवर्ष में रक्षा व्यय सदा ही अधिक रहता आया है। १८९१ ई० में यह कुल व्यय का ६३.२६ प्रतिशत था। १९२१ में पञ्जर यह ८२.३१ प्रतिशत हो गया। उसके पश्चात् यह १९३६-६० में घट कर ५२.२ प्रतिशत रह गया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध में यह फिर बढ़ने लगा, यहाँ तक कि १९४३-४४ में यह ८१.१ प्रतिशत हो गया। आजकल भी यह ६५ प्रतिशत के लगभग है।

अंग्रेजी शासन काल में रक्षा व्यय कई धानों के कारण अधिक था। पहली बात यह थी कि भारत सरकार को वेचन भारत की रक्षा के लिए ही खर्च नहीं करना पड़ता था वरन् अपने खाल पास के देशों में शांति रखने के लिए भी खर्च करना पड़ता था। भारत को बहुत बार अपनी पौन विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए भेजनी पड़ी थीर सेना का साधारण खर्च भारत सरकार को करना पड़ा। दूसरी बात यह थी कि अंग्रेज सरकार इसलिए भी अधिन सेना रखनी थी जिससे भारतवर्ष में खड़े होने वाले किसी भी विद्रोह को घासानी में दबा सके। तीसरी बात यह थी कि भारतीय सेना में भारतवासियों के प्रतिरिक्त गोरे सिपाही तथा बड़े २ अफसर बहुत थे जिनको भारतवासियों से कई गुना वेतन दिया जाता था। चौथी बात यह थी कि भारतवर्ष को अंग्रेजी युद्ध दफ्तर (British War Office) को भारत की

की सेना के लिए सिपाही रखने तथा उन्हें शिक्षा देने के लिए एक भारी रकम देनी पड़ती थी। परन्तु इनके रखने अथवा शिक्षा देने के सम्बन्ध में भारत सरकार कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस भरती और शिक्षा पर भारत सरकार को १९१३ ई० में १८८४ हजार पौंड और १९१० में ३०४१ हजार पौंड खर्च करना पड़ा। इनके अनिश्चित १९०१-२२ से भारत सरकार को १ लाख पौंड वायु सेना के कर्मचारियों को जो भारतवर्ष में काम करते थे देना पड़ता था। भारत सरकार को अंग्रेजी अफसरों की बदला बदली का आधा व्यय भी सहन करना पड़ता था।

इन सब बातों के कारण भारत के रक्षा व्यय के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती थी—

(१) भारतीय सेना में अंग्रेजी सिपाहिया तथा अफसरों की अधिकता थी जिनको भारतीय सिपाहियों तथा अफसरों से ४-६ गुना वेतन तथा भत्ते देने पड़ते थे।

(२) भारतीय सेना भारत की रक्षा के हेतु इतनी नहीं रखी जाती जितनी कि वह अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए रखा जाती थी।

(३) बहुत सा ऐसा खर्च था जो भारतवर्ष से नहीं लिया जाना चाहिए था।

(४) भारतीय सेना तथा उसमें सम्बन्धित नीति भारत सरकार के हाथ में नहीं थी वरन् अंग्रेजी युद्ध दफ्तर के हाथ में थी।

देश के स्वतन्त्र होने पर यह प्राप्ता की जाती थी कि भारत का रक्षा व्यय कई बातों के कारण कम हो जायेगा जैसा (१) युद्ध समाप्त हो चुका है और इसलिए अब रक्षा पर पहले जितना खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। (२) देश के विभाजन के कारण अब देश के ऊपर कम खर्च की रक्षा का भार रह गया है। (३) अंग्रेजी शासनकाल में जो अनुचित खर्च भारतवर्ष में लिया जाता था वह समाप्त हो जायगा। परन्तु यह प्राप्ता पूरी नहीं हुई और हमारे देश का रक्षा व्यय बढ़ता जा रहा है।

इस व्यय के बढ़ने के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) स्वतन्त्र होने पर भारतवर्ष को प्रावश्यकता के समय पहले के समान अंग्रेजी फौज से सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए भारतवर्ष को अपने पान हर प्रकार की पूरी पूँज रखनी पड़ती है।

(२) स्वतन्त्र होने पर भारत में इतनी उच्च पुचल हो गई थी कि उच्चों को ठीक करने के लिए एक बड़ी सेना रखनी आवश्यक थी।

(३) भारतवर्ष को काश्मीर के ऊपर भी लगभग ३० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद के दण्डों को समाप्त करने में सरकार को कुछ खर्च करना पड़ा था।

(४) विभाजन के कारण भारतवर्ष की रक्षा भीमा बहुत बढ़ गई है। यह भीमा पाकिस्तान से मिली हुई है। इस पर पाकिस्तान के विपक्षी समय समय पर भागड़े करने रहते हैं। इन सब झगडा का शान्त करने के लिए तथा पाकिस्तान के महासत्र हमले की रोकने के लिए भारतवर्ष का बहुत मना रखनी पड़ी है। आजकल ऐसी चर्चा चल रही है (और यह सत्य है) क्योंकि पाकिस्तान ने हमला मान लिया है कि पाकिस्तान अमरीका को अपना देश के हवाई सत्रों दंगा तथा बदले में उससे सए प्रकार के सत्र आदि लगा जिससे कि वह भारत से वास्तविक का लीन सके। इस कारण हमारा रक्षा व्यय बढ़ना आवश्यक ही है।

(५) भारतवर्ष में ऊँची सैनिक शिक्षा देना के लिए कुछ केन्द्र खोले गए हैं जिन पर काफी खर्च हुआ है।

(६) भारतवर्ष में युद्ध का साधन बनाना के लिए भी कुछ कारखाने खोले गए हैं जिनमें बहुत सा धन खर्च हुआ है।

(७) सना के रहने के लिए बरक आदि के प्रयत्न करने में भी सरकार का बहुत सा धन खर्च हुआ। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि सेना के सत्र के बहुत से स्थान पाकिस्तान में खन गए।

भारत का रक्षा व्यय पहले के समान आजकल भी चर्चा का विषय है। लोग का कहना है कि जब कि संयुक्त राष्ट्र (U.S.A.) अपने कुल व्यय का २५ प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र (U.K.) १३ प्रतिशत और रूस १७ प्रतिशत खर्च करता है तो फिर भारतवर्ष रक्षा व्यय पर ४५ प्रतिशत के लगभग खर्च करता है। रक्षा पर इतना अधिक व्यय होना के कारण राष्ट्रीय उत्पादन कार्यों में बहुत कम धन खर्च हो जाता है। परन्तु हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में रक्षा का भार केवल केन्द्र के ऊपर है और यदि हम केन्द्र और राज्यों के कुल व्यय के हिसाब से रक्षा पर हुए व्यय का अनुमान लगायें तो वह केवल २५ प्रतिशत के लगभग होगा। इसके अनिश्चित भारत का स्वतन्त्रता मिले घभी थोड़ा ही समय हुआ है और उसके पास अभी तक युद्ध के नये प्रकार के साधन नहीं हैं जिनको वह प्राप्त कर रहा है। इनका प्राप्त करना इसलिए तो मुश्किल है कि हम किसी देश की आजादी को हटाने में परन्तु इस युग में जब कि हर देश में दृष्टिकोण की दौड़ हो रही है यदि हम उनको प्राप्त न करेंगे तो हम अपनी आजादी का भी खो देंगे। इनके अनिश्चित जब तक पाकिस्तान भारत की तरफ से अपना खर्चा न बदलेगा तब तक भारतवर्ष के लिए एक बड़ी मेना रखना आवश्यक हो जायेगा। हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम अपने देश के नौजवानों को सैनिक शिक्षा दें। इन सब बातों के कारण निरन्तर भविष्य में हमारा युद्ध-व्यय घटता दिखाई नहीं पड़ना, वह बढ़ सकता है।

### जन व्यय (Civil Expenditure)

इसमें कई प्रकार का व्यय सम्मिलित है।

**सामान्य प्रशासन (General Administration)**—१९०६ ई० तक गवर्नर-जनरल तथा उनके कर्मचारीवर्ग का वेतन तथा भत्ते, प्रान्ता के गवर्नर तथा उनके कर्मचारीवर्ग का वेतन तथा भत्ते, बृहत् से विभागों के सचिव, विधान सभाओं के सचिव, इन्टरलैण्ड में स्थित इण्डिया आफिस का व्यय, भारत मन्त्री का वेतन तथा उनके भत्ते आदि सम्मिलित थे। परन्तु १९१६ के सुधारों के पश्चात् १९२१ ई० में प्रान्तीय सरकारों का शिवाय अलग कर दिया गया और इनके पश्चात् केवल केन्द्रीय सरकार का व्यय ही इस मद्द के अन्तर्गत दिलाया जाने लगा। १९३५ के सुधारों के पश्चात् इस मद्द के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय सम्मिलित थे—

- (१) सरकारी विभागों का वेतन, भत्ते तथा दूसरे व्यय।
- (२) इण्डिया हाउस जो लन्दन में बना है उसमें सम्प्रस्थित सब व्यय।
- (३) मन्त्री मण्डल का व्यय।
- (४) केन्द्रीय विधान सभा का व्यय। इसमें गवर्नर जनरल का व्यय सम्मिलित नहीं था। इस पर कोई राय नहीं ली जाती थी। स्वतन्त्र होने के पश्चात् इस मद्द के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है—

(अ) मन्त्री मण्डल का व्यय, (ब) लोक सभा का व्यय, (स) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रियों के दफ्तरो का व्यय।

इन सब खर्चों में से १५ अगस्त १९४७ से इण्डिया हाउस के समाप्त कर देने पर उसका व्यय कम हो गया है।

देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् यह धारा की जाती थी कि सामान्य प्रशासन पर व्यय कम हो जायेगा परन्तु कम होने के स्थान पर यह खर्च बढ़ गया है। १९३८-३९ में यह लगभग १८७ लाख रुपये था। विभाजन से पूर्व १९४६-४७ में यह बढ़ कर ६१६ लाख रुपये हो गया। विभाजन के पश्चात् यह धारा की जाती थी कि इस मद्द पर व्यय बहुत माथा तक घट जायेगा। परन्तु घटने के स्थान पर यह बहुत अधिक बढ़ गया है और निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। १९५१-५२ में यह व्यय बढ़कर ५,६६६ लाख रुपये, १९५२-५३ में ५,६२३ लाख रुपये, १९५३-५४ में ६८,५७ लाख रुपये थी। इस प्रकार व्यय बढ़ने के कई कारण हैं—

- (१) बहुत से नये नये मन्त्रालयों का स्थापित होना। पहले के दस मन्त्रालयों के स्थान पर आजकल लगभग १९ मन्त्रालय हैं। (२) बहुत से नये मन्त्री बढा दिये गये हैं। (३) लोक सभा का खर्च पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है। (४) केन्द्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) के सुझावों के

अनुसार बहुत में अफसरों तथा कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है। (५) हर मंत्री के अन्तर्गत कार्य करने वाले अफसरों तथा कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसका अनुमान निम्नलिखित आंकड़ों से लगाया जा सकता है—

मंत्री-वृद्ध का नाम	अफसरों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या	
	१९४६-४७	१९५०-५१	१९४६-४७	१९५०-५१
गृह-कार्य	७७	१४१	४४२	१९८३
सूचना तथा आडकारिण्य	१७	१०८	२५६	६५५
शिक्षा	२६	६०	१०८	११००
कृषि	३६	६७	२१३	५६०
विदेशी कार्य आदि	१६	७७	१२७	७१५
प्रशासन	२८	६५	३०८	४३२
द्विज	१६४	२७५	१४३५	२२५६

उपरोक्त तालिका में कुछ ही मंत्रियों के अफसरों तथा कर्मचारियों की संख्या दिखाई गई है। शेष में भी अफसरों और कर्मचारियों की संख्या इसी प्रकार बढ़ गई है। (६) दूतावासों की स्थापना तथा उनकी संख्या में वृद्धि। अब हमारे देश में दूतावास प्रायः सभी देशों में हैं। इन दूतावासों का खर्च भी बहुत अधिक है।

**हिसाब की जांच (Audit of Accounts)**—१९२१ ई० तक इस मद्र का व्यय सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत दिखाया जाता था परन्तु उसके पश्चात् यह प्रणाली दिखाया जाने लगी। इसमें भारत के महानिरीक्षक का वेतन, भत्ते तथा दफ्तर का व्यय, सेवा तथा जाय विभागों के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते, साध, उद्योग तथा प्रदाय के महासूचना पाल का वेतन, भत्ते तथा दफ्तर का व्यय आदि सम्मिलित है। इस मद्र पर भी परने की अपेक्षा बहुत खर्च बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं—(१) अफसरों की संख्या जो १९४६-४७ में १६४ थी वह बढ़ कर १९४८-४९ में २७५ हो गई, (२) दफ्तर का व्यय भी बढ़ गया है, (३) भत्ते जाने के खर्चों तथा भत्तों में वृद्धि हो गई।

**न्याय व्यवस्था (Administration of Justice)**—१९२० ई० तक इस मद्र में दीवानी और फौजदारी के दफ्तरों का व्यय सम्मिलित किया जाता था। इनके अतिरिक्त इसमें जेजो का खर्च भी सम्मिलित किया जाता था। परन्तु १९२१ ई० में जेजो का खर्च इसमें से निकाल दिया गया है। प्रांतीय स्वशासन की स्थापना पर

पुलिस व न्याय का भार प्रान्ता पर पड़ने तथा परन्तु भारत के मध्यानीय न्यायालय का खर्च भारत सरकार पर ही रहा। इस प्रकार इस मद्द के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है—

(१) सधीय न्यायालय के न्यायाधीश तथा दूसरे अफसरों का वेतन, (२) दफतरा का खर्च (३) भारत के महाधिवर, (Advocate-General) का वेतन, (४) सधर खर्च तथा दूसरे भत्ते, (५) विशेष न्यायालयों की स्थापना का खर्च। भारत के नये विधान से मधीय न्यायालय की मवाच्च न्यायालय के नाम से पुकारा जाने लगा है।

**पुलिस (Police)**—१९२१ में पहले पुलिम केन्द्रीय सामन के आधीन थी। परन्तु १९१६ ई० के सुधारा के क़ारण यह एक प्रान्तीय मद्द कर दिया गया। इस लिये केन्द्रीय सरकार को आजकल बहुत कम खर्च करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार केवल उन्ही क्षेत्रों के लिये पुलिम रखती है जो उसके द्वारा शासित हैं।

**राजनीतिक (Political)**—१९३७-३८ तक इसमें कई मद्द सम्मिलित थे, जैसे, [१] नानिजो तथा वाणिज्य दूतावागों का खर्च, [२] देशी रियासतों में रखे गये रेजिडेन्टा तथा राजनीतिक एजेन्टा का खर्च, [३] नाउन प्रतिनिधि का खर्च, [४] गणजाति क्षेत्रों का खर्च, [५] सीमा पर दख़्क़ भाल करने के लिये रखी गई सेना। प्रान्तीय स्वशासन के स्थापित होने पर इस मद्द के अन्तर्गत लिये गये खर्च को तीन भागों में बाटा गया— [१] नाउन प्रतिनिधि का खर्च, [२] गणजाति क्षेत्रों का खर्च तथा [३] विदेशी कार्य। इस खर्च में ऊपर विधान सभा में कोई राय नहीं ली जाती थी। भारत के स्वतन्त्र होने पर इनमें से पहले मद्द का खर्च समाप्त हो गया है। आजकल भारत के राष्ट्रपति का खर्च अलग दिव्याया जाता है और यह भारत की मन्धित निधि में से निकाला जाता है। दूसरे, क्षेत्रों के ऊपर अब लोक सभा को राय देने का अधिकार है। १९४७ ई० में गणजाति क्षेत्रों का खर्च कम हो गया है क्योंकि वह पाकिस्तान में चले गये हैं। परन्तु भारत के दूतावागों का खर्च अब बहुत बढ़ गया है। शिक्षा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य (Education, Medical and Health) इन तीनों के अलग अलग विभाग हैं। १९१६ के सुधारा में पहले यह तीनों मद्द केन्द्रीय सरकार के आधीन थे परन्तु उसके पश्चात् यह प्रान्तों के हाथ में चले गये। फिर भी कुछ विद्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको केन्द्रीय सरकार महानता देती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर भी सरकार सहायता रूप में तथा दूसरे ढंगों से खर्च करती है। परन्तु इन मद्दों पर जो खर्च होता है वह आवश्यकता से बहुत कम है। प्रान्तीय सरकार भी धन की कमी के कारण इन मद्दों पर कम खर्च करती है। इस लिये केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन मद्दों पर अपना व्यय बढ़ावे।



इन माने प्रतिरिक्त सरकार कुछ धन उत्राया थापुनानो प्राङ्गान्दिग प्रदान पादि पर भी खर्च करती है ।

**शरणार्थियों के फिर से पसाने का खर्च (Rehabilitation of Refugees)**—देश व विभाजन से शरणार्थियों की समस्या भी भारत सरकार के सामने आकर उपस्थित हो गई । पानिन्दान से स्थित हिन्दुओं को भारत में आना पडा । आने वालो में अधिकतर मन से जिनका नाम न लान के लिए अन्न था और न पहनने के लिये कपडा और न रहने के लिय घर । इन प्रगत मांगो की महायता भारत के लोका प्राणीय सरकारो नवा कन्द्रीय सरकार ने बहुत मा धन मन करके ली । १९४७ के मध्यवर्ती प्रजट से शरणार्थियों पर २० करोड रुपय का प्रत्ये किया गया था । १९४८-४९ में बहुत से लोका व कम जान पर डम मद् पर कुछ कम धन खर्च होने की प्राणा की पर एमा न हुआ और इस मद् पर १९४५ करोड रुपये खर्च हुए । १९५१-५२ में यह मन पर कर १३८३ करोड रुपय रह गया । १९५२-५३ में यह खर्च कर कम ११३२ करोड रुपय हो रहा गया । परन्तु १९५३-५४ में यह खर्च कर १२६७ करोड रुपये हो गया ।

**खाद्य सामग्री पर अर्थ महायता (Subsidy on Food Grains)**—भारतवर्ष में अन्न का अभाव बहुत दिनों से प्रतीत किया जा रहा था । देश के विभाजन से पश्चात अन्न का अभाव और भी अधिक बढ गया । इस कारण भारतवर्ष को विदेशो से अन्न मगवाना पडा । पर विदेशो से मगवाया हुआ अन्न बहुत महायता पडता था । उसको मन्ना प्रवन के लिए भारत सरकार अर्थ महायता दिया करती थी । इस महायता का धन १९५१-५२ में ३८६६ करोड रुपये था और १९५२-५३ में २१११ करोड रुपये था । परन्तु इन पर के पश्चात सरकार ने इस मद् पर खर्च करना वित्कुल बन्द कर दिया है ।

भारत में नागरिक प्रशामन पर किया गया खर्च भी रक्षा व्यय के समान सदा ही आलोचना का विषय रहा है । मगजा के शासन काल में इस मद् पर बहुत धन खर्च हुना था । देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात यह प्राणा की जाती थी कि इस मद् पर व्यय बहुत माना में घट जायेगा । परन्तु एमा होने के बदले वह कई गुना बढ गया है । प्रत्येक मडन में मंत्रियों की मस्या पहल से लयभग दुपनी हो गई है । इन मन्त्रियों के नीचे काम करन वाले प्रपगरो तथा कमचारियों का मस्या भी बढ कर कई गुनी हो गई है । इससे प्रतिरिक्त विदेशो से हुतावामा पर भी बहुत सा खर्च बढ गया है । इस प्रकार आरो और खर्च बढ गया है और बढता ही जा रहा है । इनमें से बहुत सा खर्च प्राणागी से कम हो सकता है । कमचारियों और प्रपगरो की मस्या कम ली जा सकती है । हुतावामो का व्यय भी घटाया जा सकता है ।

भले और सफर खर्च कम किया जा सकता है। इस प्रकार इस मद का खर्च बहुत कम किया जा सकता है।

**आय केंद्र करने पर खर्च (Cost of Collection of Revenue)—**  
 राष्ट्रीय सरकार को आय कर सीमा कर, अफीम कर, जुट-कर, आदि क एकत्र करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को रखना पड़ता है। इन सब को सरकार बेतन देती है। यह व्यय भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है। १९३८-३९ में इस मद पर ४०५ १३ लाख रुपये खर्च होने थे। १९४७-४८ में देश के विभाजन पर यह खर्च ५४५ १० लाख रुपये था। उसके पश्चात् इस खर्च के घटने की आशा की क्योंकि बहुत सा क्षेत्र भारत में निरन्तर कर पाकिस्तान में चला गया। पर ऐसा न हुआ। विभाजन के अगले ही वर्ष में यह खर्च बढ़ कर ८६२ १४ लाख रुपये हो गया। उसके पश्चात् भी यह खर्च बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि १९५१-५२ में यह १६६५ लाख और १९५२-५३ में ३१०५ लाख हो गया। १९५३-५४ में यह खर्च ३०,६२ लाख रुपये हो गया। दूसरे मही के समान इस मद पर भी अफसरों तथा कर्मचारियों की मर्यादा तथा उनका वेतन तथा भत्ते बढ़ने के कारण खर्च बढ़ गया है। यह खर्च भी कम किया जा सकता है। सरकार अफसरों तथा कर्मचारियों की संख्या घटाई जा सकती है। उनके भत्ते तथा वेतन आदि कम कर सकते हैं। परन्तु अभी सरकार का इस ओर प्रयत्न नहीं हुआ है।

**भारतीय कर पद्धति की कुछ विशेषतायें—**भारतवर्ष की कर पद्धति की निम्नलिखित विशेषतायें हैं—

(१) भारतवर्ष में करों के एकत्र करने का उद्देश्य आय प्राप्त करना है। करों के द्वारा धन की असमानता को कम करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यह बात माल्य है कि भारतवर्ष में बड़ी बड़ी आयों पर बढमान कर लगाया जाता है परन्तु फिर भी गांव और शहरों को करों का समान भार सहन नहीं करना पड़ता। गांव वाले लोगों पर बहुत कम कर लगाया जाता है। परन्तु शहर में रहने वाला पर कर का एक बड़ा भार होता है। मही नहीं, यदि दो व्यक्ति एक ही आय प्राप्त कर रहे हों तो उनको समान कर देना पड़ेगा चाहे एक का परिवार छोटा हो और दूसरे का बड़ा। हमारे देश में इंग्लैण्ड के समान परिवारिक सहायता नहीं दी जाती।

(२) भारतवर्ष में मिश्रित कर पद्धति है। यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ही कर लगाए जाते हैं। मालगुजारी तथा आय-कर प्रत्यक्ष कर हैं तथा सीमा-कर, उत्पादन कर आदि अप्रत्यक्ष कर हैं।

(३) भारतवर्ष में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण थे। १९२४ ई० की कर जाच समिति ने भी यह बात

मानी थी कि भारतवर्ष में नग्न का भार गरीबों पर अधिक और भ्रमीरों पर कम है। १९३८-३९ तक भारत सरकार की कुल आय का २२.६ प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष करों के रूप में आता था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध में प्रत्यक्ष करों का महत्त्व बढ़ने लगा है। इसका अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है। यह तालिका यह बताती है कि भारत सरकार की कुल आय का कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष करों में प्राप्त होगा था—

वर्ष	१९४१-४२	१९४२-४३	१९४३-४४	१९४४-४५	१९४५-४६	१९४६-४७
प्रत्यक्ष कर का प्रतिशत	२६.३	४२	४६.३	४८.३	४०.८	३७.५

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष करों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। परन्तु द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर अप्रत्यक्ष कर फिर प्रत्यक्ष करों की श्रेष्ठा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। परन्तु इस बात के होने हुए भी यह बताया आवश्यक है कि भारतवर्ष में लोगों पर कर लगाने की गुञ्जायश नहीं रही है। यदि सरकार कर लगाना चाहती है तो वह गाव के लोगों पर लगा सकती है। यदि सरकार ने नगर के लोगों पर और कर लगाए तो उनमें पूर्णतः एक न हो सकेगी और उनके पत्न-स्वरूप उद्योग-धर्मों के चलाने में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी।

(४) द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से अब तक भारतवर्ष में साधारण-रुमा हीन बजट ही बनते हैं। यह बात केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों के लिए लागू होती है। इसका कारण यह है कि आय की श्रेष्ठा व्यय अधिक बढ़ गया है। केन्द्र में रक्षा तथा जातपद व्यय पहले से कम न होकर बढ़ गया है। इसी प्रकार अन्य मदों पर भी व्यय बढ़ गया है। परन्तु आय, व्यय के अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार राज्य सरकारों को शिक्षा, सड़कों, मद्य निषेध, जमींदारी उन्मूलन आदि योजनाओं पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है परन्तु उनके आय के साधन साधारणतया बेमोच हैं। इसलिए उन्होंने नए नए कर लगाए हैं। उनमें विधी-नर धामोद-नर, कृषि आय-नर मुख्य हैं। परन्तु इन करों से भी राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार आय प्राप्त नहीं होती।

(५) भारतवर्ष में दूसरे देशों की श्रेष्ठा प्रति व्यक्ति नर भार बहुत कम है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ नर कर बढ़ाने का गुञ्जायश है। परन्तु यह बात सोचनी चलन है क्योंकि भारतवर्ष में अधिकतर लोगों के रहन सहन का दर्जा इतना कम है कि उन पर कोई नर नहीं लगाया जा सकता। इसके विपरीत भ्रमीरों तथा आदि देशों में सबसे निम्न जीवन-स्तर रखने वाले लोग भी नर दे सकते हैं।

(६) कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भारतवर्ष में करो द्वारा प्राप्त माय कुल राष्ट्रीय माय की केवल ७ प्रतिशत है जब कि यह समुक्त राज्य (U K) में ३५ प्रतिशत, ब्रिटेन में २२ प्रतिशत, समुक्त राष्ट्र (U. S. A) तथा जापान में २३ प्रतिशत, फ्रांस में १६ प्रतिशत, श्री लंका में २० प्रतिशत, मियू में १६ प्रतिशत, क्यूबा में १५५ प्रतिशत, चिली में १४४ प्रतिशत तथा ब्राजील में १४४ प्रतिशत है। इसलिये यहाँ पर करो द्वारा माय बर्बाद जा सकती है। परन्तु यह बात सोचनी भी पहले के समान ही गलत मान्यता पड़ती है क्योंकि भारतवर्ष में अधिकतर लोग जो दो समय भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, यहाँ पर ३६ करोड़ लोगों में से केवल ८ लाख आदमी कर देते हैं, यहाँ की राष्ट्रीय बजट कुल बजट की ५ प्रतिशत है, इसलिये यहाँ पर कर द्वारा अधिक माय प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर पहले ही उसने कर लगे हुए हैं कि और कर बढ़ाने की कोई गुंजायश नहीं है।

कर पद्धति में उन्नति करने के सुझाव—

(१) भारतवर्ष में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि करा को कर-दाताओं की कर क्षमता के अनुसार लगाया जाये। जिन लोगों को एक बड़े परिवार को पालना है उनको इंग्लैंड के समान पारिवारिक सहायता दी जाये।

(२) भारतवर्ष में कृषि से कुल राष्ट्रीय माय का ५४ प्रतिशत प्राप्त होना है परन्तु कृषि से सरकारी सजाने को केवल १२ प्रतिशत भाग प्राप्त होना है। इन लिये हम देश में कृषि-माय पर कर लगाया जा सकता है।

(३) कुछ लोगों का यह भी सुझाव है कि नमक कर फिर से लगा दिया जाये। इसका भार प्रति व्यक्ति पर कोई अधिक नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक पर व्यक्ति की माय का एक छोटा सा भाग खर्च होता है परन्तु उससे सरकार को माय बहुत प्राप्त हो जायेगा।

(४) भारतवर्ष में आजकल कुल कर-माय का केवल ८ प्रतिशत ही मान-गुजारी के रूप में प्राप्त होता है जब कि १९३६ में २५ प्रतिशत प्राप्त होना था। इसलिये हम और कर बढ़ाने की गुंजायश है।

(५) भारतवर्ष में इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि रक्षा, जनपद तथा उन्नति-योजनाओं में किये गये व्यय में मिश्रणिता की जाये क्योंकि बहुत सी सदितियों की खोज तथा भारत के महानिष्ठा विरोधकों की रिपोर्टों से यह बात साफ पता चलती है कि भारतवर्ष में इन सब और बहुत सा बेकार भन खर्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि कर दे करने वाले कर से न बच सकें।

(६) भविष्य में सरकार अपनी माय सिधरी के समान बहुत से ऐसे कारखाने खोल कर भी बढा सकती है वहाँ पर कि व्यक्तिगत पूंजी नहीं लगाई जाती।

## अध्याय ८

### राज्य सरकारों की आय और व्यय

(Income and Expenditure of the State Governments)

#### आय के स्रोत (Sources of Revenue)

**मालगुजारी (Land Revenue)**—यह एक बहुत पुराना कर है। हिन्दू राजाओं के काल में यह वस्तुओं के रूप में एकत्र किया जाता था। उस समय इसकी दर कुल पैदावार की १/६ से लेकर १/१२ तक थी। युद्ध काल में इसको बढ़ा कर १/४ तक कर देने थे। मुसलमानों के काल में भी कुछ समय तक यह कृषि वस्तुओं के रूप में ही वसूल किया गया। परन्तु जब उनके राज्य का विस्तार होने लगा तो इसको द्रव्य के रूप में वसूल किया जाने लगा। अंग्रेजों ने भी द्रव्य में ही इसको वसूल किया। आरम्भ में वारन हेस्टिंग्स ने पंच साला बन्दोबस्त किया। परन्तु १७६३ ई० में नाई बार्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त की नींव डाली जो बंगाल, बिहार, आसाम, मद्रास के उत्तरी सरकार के क्षेत्र तथा बनारस के आस पास पाया जाता है। इसके अनुसार जमींदारों को जमीन का स्वामी मान लिया गया और उन पर सदा के लिये मालगुजारी निश्चित कर दी गई। यह बढ़ाई नहीं जा सकती। परन्तु किसानों का नया स्वामी रूप से निश्चित नहीं किया गया। इमनिबे किसानों के ऊपर तो लगान बढ़ता रहा परन्तु जमींदारों की मालगुजारी वही रही। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि में अस्थायी बन्दोबस्त है। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में यह ४० वर्ष में तथा मध्य प्रदेश में २० वर्ष में बढ़ता जाता है। बम्बई में यह ३० वर्ष में बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त मालगुजारी निश्चित करने का ढङ्ग तथा उसकी दरें भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार भारत में मालगुजारी की निम्नलिखित विवेचनाएं हैं —

(१) पहले मालगुजारी कुल उत्पादन पर ली जाती थी, परन्तु आजकल वह धारोप सम्पत्ति (Net assets) पर ली जाती है। धारोप सम्पत्ति निकालते समय कुल उत्पत्ति में से लागत खर्च घटा देते हैं। इस प्रकार मालगुजारी लेने का ढङ्ग पहले से अच्छा है परन्तु आजकल भी उसमें यह दोष है कि वह व्यक्ति पर कर न होकर वस्तु पर है और इसलिए प्रतिवामी है। भारतीय कर जांच समिति १९२४ ने इस सम्बन्ध में कहा है, “इससे आगे यह बात प्रत्यक्ष है कि मालगुजारी का कर की योजना के रूप में विचार करने पर यह बर्दाश्तमान तो नहीं है, परन्तु वास्तव में उसके विपरीत है”।

(२) भारत में मालगुजारी निश्चित करने का ढङ्ग सन्तोषजनक नहीं है। वास्तविक सम्पत्ति का भारत के सभी भागों में समान प्रथं नहीं है। इसका निश्चित करना मालगुजारी निश्चित करने वाले की इच्छा पर निर्भर होना है। साधारणतया मालगुजारी निश्चित करते समय वह भूमि, जलवायु, कृषि स्थिति, मिट्टाईं सुविधाओं आदि को ध्यान में रखता है। परन्तु फिर भी मालगुजारी लगाने का ढङ्ग बहुत अर्थों में अनुचित तथा स्वेच्छाचारी है।

(३) अस्थायी बन्दोबस्त वाले भागों में सरकार अग्रोय सम्पत्ति का जो भाग मालगुजारी के रूप में लेती है उसको निरन्तर घटाती जा रही है। संयुक्त प्रान्त में १८१२ में यह भाग ६० प्रतिशत था १८५५ में ५० प्रतिशत तथा १९२५ में केवल ४० प्रतिशत था।

(४) परन्तु जहाँ जमींदारों की मालगुजारी घटती जा रही है किसानों पर लगान बढ़ता जा रहा है। इस कारण किसान भूमि पर किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता और उसके फलस्वरूप भूमि की उर्वर शक्ति निरन्तर घटती जा रही है।

(५) उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक मालगुजारी भारत सरकार की आय का साधन था और उसकी कुल आय का एक बड़ा भाग इससे प्राप्त होता था जैसे १७६३-६४ में ६६ प्रतिशत, १८५०-५१ में १६६१ ५ प्रतिशत, ८६-९२ में ४१ ३ प्रतिशत, परन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इसका महत्व घटता जा रहा है, जैसे १९०१-२ में भारत सरकार की कुल आय का ४१ ८ प्रतिशत, १९१६-२० में २७ ८ प्रतिशत इस स्रोत से प्राप्त होना था। १९१६ ई० के सुधारों के पश्चात् मालगुजारी प्रान्तीय आय-स्रोत हो गया है और प्रान्तों की आय का एक बड़ा भाग इस स्रोत से प्राप्त होता है परन्तु अभी हाल ही में उसका महत्व घटता जा रहा है। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सभी प्रान्तों के लिए इस आय के स्रोत का समान महत्व नहीं है इसका पता नीचे की तालिका से चल सकता है—

प्रान्तों का नाम	प्रान्त की कुल आय से मालगुजारी की आय का प्रतिशत (१९४०-४१ में)
मद्रास	२७.६६
बंगाल	२६.४६
बम्बई	२३.८५
उत्तर प्रदेश (U. P.)	५५.२८
पंजाब	२२.९२

मध्य प्रदेश	४७ ५५
बिहार	३१ ३८
धामाम	२७ ४८
उड़ीसा	२६ ५०
सिंध	६ २२
उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त	१० ५३

(६) भूमि की आय का एक बड़ा भाग जमींदारों की जेबों में जाता है जैसे केवल बंगाल में १२ करोड़ रुपय के लगभग जमींदार लोग अपने पाम रख लेते हैं। प्रस्थापित बन्दोबस्त वाले प्रान्तों का अनुमान राहो आकड़े न होने के कारण नहीं लगाया जा सकता परन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन प्रान्तों में भी जमींदारों के पास भूमि की आय का एक पर्याप्त भाग रह जाता है। जमींदारों की इस आय पर कोई कर नहीं किया जाता। अभी कुछ ही वर्षों से कुछ प्रान्तों ने इस आय पर कर लगाना आरम्भ किया है।

**मालगुजारी कर है अथवा लगान (Land Revenue a tax or rent)**—इस सम्बन्ध में बड़ा वाद रहा है कि मालगुजारी कर है अथवा लगान। जो लोग इसको लगान बताते हैं उनका कहना कि यह लगान इसलिए है कि सरकार इसकी दर को आवश्यकतानुसार नहीं बदल सकती। इसके प्रतिरिक्त किसानों को मकान बनाने के लिए मुफ्त भूमि दी जाती है तथा उनको सम्मिलित भूमि में पशु चराने का भी अधिकार है। इन सब बातों के कारण इसको लगान कहना ही उचित है। परन्तु यहाँ यह बात बताने योग्य है कि सरकार के ऊपर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं है कि वह मालगुजारी को नहीं बढ़ा सकती। वह उसको इसलिए नहीं बढ़ाती क्योंकि ऐसा करने में उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और नहीं कहीं से जमीन के पट्टे हर वर्ष बदलते जाते हैं। रही मकान की भूमि यदि मुफ्त देने की बात, वह भी कोई विशेष महत्व की नहीं है क्योंकि सरकार भूमि में अपना महत्व स्थापित किए बिना भी ऐसी सुविधायें किसानों को दे सकती है। मालगुजारी को लगान बताने वाले यह भी तर्क देते हैं कि चाहे आरम्भ में जो स्थिति हो परन्तु धातकाल से मालगुजारी लगान ही है क्योंकि भूमि के बार बार बेचे खरीदे जाने के कारण मालगुजारी के रूप में की गई सरकारी माय का पूँजीकरण (Amortisation) हो गया है। इसलिए, जिन लोगों के पास आवश्यक भूमि है उनके रुपय, मालगुजारी, को कर नहीं माना जा सकता बरन् लगान ही माना जायेगा। परन्तु कर के पूँजीकरण का कभी भी यह अभिप्राय नहीं होना कि कर कभी नहीं बढ़ाया जा सकता बरन् उसका केवल यह अभिप्राय है कि कर सम्पत्ति के बेचने वाले पर पड़ता है क्योंकि उसको खरीदने वाला कर का धन कम करके उसका खर्चा चुकाता है।

यदि इस प्रकार खरीदी गई सम्पत्ति के ऊपर कर लगाया जाता है तो उसको कर ही कहा जायेगा और कोई दूसरी चीज नहीं। इसके प्रतिरिक्त पूरे कर का पूजीकरण बड़ा कठिन है क्योंकि सरकार को मांग का पहले से ही अनुमान लगाना कठिन है।

इसके विपरीत भारतीय कर जांच समिति ने इसको कर माना है और अपने तब के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही हैं—

(१) भारत में सरकार ने अपने आपको भूमि का स्वामि घोषित नहीं किया है।

(२) सरकार ने स्वामी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में जमींदार को भूमि का स्वामी माना है और रयतवारी क्षेत्रों में भी उसने भूमि की बेच पर कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी है।

(३) भारत में लगान आर्थिक लगान से अधिक है तथा उसको कर के समान प्रावश्यक रूप से देना पड़ता है।

(४) लगान राष्ट्रीय धन का एक स्रोत है।

वास्तव में देखा जाए तो यह कहना बड़ा कठिन है कि यह कर है अथवा लगान। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह भूमि पर व्यक्तिगत अधिकारों को मान कर इस वाद विवाद को समाप्त कर दे।

**मालगुजारी तथा कर सिद्धान्त (Land Revenue and Canons of Taxation)**—मालगुजारी पर कर के निम्नलिखित सिद्धान्त मानूँ होने हैं—

(१) निश्चितता—जब बन्दोबस्त के समय मालगुजारी निर्दिष्ट कर दी जाती है तो वह दूसरे बन्दोबस्त तक ली जाती है। उसमें बीच में कोई बदल नहीं की जाती। इस प्रकार किसान को यह पता रहता है कि उसको क्या लगान देना है।

(२) सुविधा—किसान से लगान तब वसूल किया जाता है जब कि उसकी फसल पक कर तैयार हो जाती है। इस प्रकार उसको लगान देने में कोई कठिनाई नहीं होती।

परन्तु जो लगान एक बार निर्दिष्ट हो जाता है उसको उस समय भी नहीं धटायी जाता जब कि फसल सराब हो जाती है। इस प्रकार लगान में किसान की कर देने की योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

(३) मितव्ययिता—भारत में मालगुजारी वसूल करने के लिए एक बहुत बड़ा कर्मचारीबर्ग रखा जाता है जिसके कारण मालगुजारी वसूल करने में मितव्ययिता नहीं होती। इसके वसूल करने के खर्च का अनुमान ३ से १० प्रतिशत तक लगाया गया है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारियों को कर वसूल करने के प्रतिरिक्त और बहुत से कार्य



करने पड़ते हैं जिनके कारण यह कहना कठिन है कि मानगुजारी बसूल करने का वास्तविक व्यय क्या है ?

(४) कर देने की योग्यता—भारत में लगान कितान की भूमि से भाय पर नहीं लगाया जाता और न ही यह देखा जाता है वह भाय किस प्रकार प्राप्त की गई है इसलिए यह कर वास्तविक की योग्यता के अनुसार नहीं होता और बहुधा प्रतिगामी होता है।

मालगुजारी में उन्नति करने के सुझाव—हमारे देश में मालगुजारी का बोझ प्रान्त, प्रान्त में भिन्न है। इसको सब स्थानों पर समान करने के लिए इसमें काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इस पद्धति को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं —

(१) सब स्थानों पर मालगुजारी निश्चित करने का एकसा ही दग होना चाहिये। नर जाच समिति का सुझाव था कि मालगुजारी का आधार वार्षिक मूल्य (Annual value) होना चाहिये। वार्षिक मूल्य से समिति का अभिप्राय था किमी खेत पर पैदा होने वाली कुल फसल का पूरा नर न-श्रय काटकर, (जिसमें कितान तथा उसके परिवार के भ्रम का मूल्य भी सम्मिलित हो)। इस प्रकार प्राप्त किये गये वार्षिक मूल्य का २५ प्रतिशत मालगुजारी के रूप में लेना चाहिये।

(२) भूमि में प्राप्त भाय पर भाय-कर लगाना चाहिये। यह स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में लगाना चाहिये।

(३) सरकार को चाहिये कि वह किसानों के जमींदार द्वारा किये गये चापलु बने रोके। कांग्रेस सरकार इस ओर पूरा प्रयत्न कर रही है। उसने बहुत से प्रांतों में जमींदार उन्मूलन एक्ट पास करके किसानों की बड़ी सहायता की है।

कृषि आय-कर (Agricultural Income-Tax)—भारतवर्ष में कृषि आय नर एक राज्य आय-स्रोत है। आजकल यह बिहार, आसाम, अगाल, उड़ीसा, तथा उत्तर प्रदेश द्वारा लगाया जाता है। सब से पहले इसको बिहार ने १९३८-३९ में लगाया था। इसके एक वर्ष पश्चात इसको आसाम ने लगाया। बंगाल में यह १ अप्रैल १९४४ से लगाया जाता है तथा उड़ीसा द्वारा यह १९४७ ई० से लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने इस नर को १९४८-४९ से लगाया। यद्यपि कृषि आय कर प्रांतों ने अभी कुछ ही वर्षों से लगाया है तो भी हमारे देश के लिये यह नया नर नहीं है। यह नर १८८०-८५ तथा १८९९-७३ के बीच लगाया जाता था। परन्तु कुछ राजनैतिक कारणों से इसको १८८६ ई० से लगाना बन्द कर दिया गया। उससे पश्चात १९३५ ई० में एक्ट ने प्रांतों को इस नर के लगाने का अधिकार दिया।

इस कर से सम्बन्धित कुछ बातें —

(१) यह कर केवल उन्हीं प्राय पर लगाया चाहिए जो नून में प्राय हो । मकान आदि की प्राय इसमें सम्मिलित नहीं करनी चाहिए ।

(२) कर की नीति सब राज्यों में समान होनी चाहिए । जहाँ तक हो कर प्राय के स्रोत के अनुसार लगाया जाय ।

(३) भारतवर्ष के जिन राज्यों में यह कर लगाया जाता है उन सब में प्राय-कर के समान यह 'स्वैव दर' पर लगाया जाता है और छूट की सीमा को छोड़ कर करकी दर भी सभी राज्यों में प्रायः समान ही है ।

उत्तर प्रदेश कृषि-प्राय-कर की कुछ विशेषतायें—यह कर १ जोनाई १६४८ में लगाया गया है । इसमें छूट की सीमा ३००० रुपये रसी गई है । महत्वाती समितियाँ के लिए छूट की सीमा इसमें भी ऊँची रखी जा सकती है । यह कर स्वैय पद्धति पर लगाया जाता है । इसमें, मानगुजारी लगान, स्थानीय कर अथवा अन्नदात, आवपाशी, गुए आदि की मरम्मत का व्यय, कृषि प्राय की बढ़ाने के लिए, लिए गये श्रद्धे पर व्याज, प्राय एकत्र करने का व्यय, आदि को कृषि प्राय में मँधटाकर जो धीप बचता है उस पर कर लगाया जाता है । यह कर उन्हीं वास्तुकारों पर लगाया जाता है जिनके पास ५० एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि होनी है । उगमे कम भूमि रखने वालों की प्राय खाह जो भी हो उन पर कर नहीं लगाया जाता । किसानों की सुविधा के लिए यह भी अवग्य किया गया है कि वह करको चार किन्तों में दे सकते हैं ।

इस स्रोत से सभी राज्यों को कोई विशेष प्राय नहीं होनी जैसे १९४६-४७ में इससे उत्तर प्रदेश को लगभग १ करोड़ रुपये तथा पश्चिमी बंगाल को लगभग ६० लाख रुपये की प्राय प्राप्त हुई । यह प्राय प्राय की कुल प्राय का एक छोटा सा भाग ही है । भविष्य में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् इस स्रोत से और भी कम प्राय होने की धाशा है क्योंकि उस समय कृषि प्राय और भी कम हो जावेगी ।

प्रांतीय उत्पादन-कर (Provincial Excise)—भारतवर्ष में राज्य सरकारों को भी उत्पादन कर लगाने का अधिकार है । यह कर देशी शराब, ताड़ी, चरस, गाजा, सुतपा आदि मादक वस्तुओं पर लगाया जाता है । इस कर का उद्देश्य प्राय प्राप्त करना नहीं बल्कि मादक वस्तुओं के उपभोग को कम करना है । परन्तु अंग्रेजी शासन में प्रांतीय सरकारों का यह प्रयत्न रहता था कि वह इस स्रोत से अधिक से अधिक प्राय प्राप्त करें । इस लिए इस नीति की सदा ही आलोचना होता थी ।

१९२१ ई० के महारामा गांधी के अग्रहयोग आन्दोलन के पश्चात् प्रांतीय सरकारों की इन स्रोतों में आय में यही कमी हो गई। उसके पश्चात् ही बहुत से प्रांतों ने यह निश्चय किया कि वे अपने प्रांतों में मद्य-निषेध की नीति को अपनायेंगे। इसके पल्लवरूप बहुत से प्रांतों में नशीली चीजों की दुकानों की सख्या घटा दी गई तथा उन पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगा दी गईं।

१९३७ ई० में प्रांतों का सामन कई स्थानों पर कांग्रेस के हाथों में आ गया। कांग्रेस सरकारों ने कई प्रांतों जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि में मद्य-निषेध सम्बन्धी कानून पास किये। इसके कारण उनकी उस स्रोत से आय बहुत कम हो गई जैसे मद्रास की आय १९३६—३७ ३६६ लाख रुपये थी तथा बम्बई की ३२५ लाख रुपये थी। यह आय १९३९—४० में घट कर ३५५ लाख रुपये तथा १७७ लाख रुपये रह गई।

युद्ध में भाग लेने की नीति में मतभेद होने के कारण कांग्रेस प्रांतीय सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा। उनके चले जाने पर मद्य-निषेध की नीति को फिर से डीला कर दिया गया। इसके कारण प्रांतों की आय फिर से बढ़ने लगी और १९४५—४६ में सब प्रांतों की आय ४३१३ लाख रुपये से भी बढ़ गई।

१९४६ ई० में कांग्रेस सरकार फिर से सत्तालुब्ध हो गई और उसने फिर मद्य-निषेध की नीति को अपनाया। इस प्रकार मद्रास में १९४८ में तथा बम्बई में १९५० में पूर्ण रूप से मद्य-निषेध हो गया है। उत्तर प्रदेश में १९४७ में मद्य-निषेध केवल एटा, मैनपुरी, फतेहाबाद, बदायूँ, प्रतापगढ़, मुल्तानपुर तथा जौनपुर जिलों में ही लागू किया गया। १९४८ में यह कानपुर तथा उन्नाव में भी लागू किया गया। १९४९ में यह फतेहपुर तथा रायबरेली में किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मद्य-निषेध के कार्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरे प्रांतों में भी मद्य-निषेध का कार्य धीरे धीरे चल रहा है। यही कारण है कि राज्यों की इस स्रोत से आय निरन्तर घटती जा रही है।

मद्य-निषेध की नीति—राज्यों द्वारा अपनाई गई मद्य-निषेध की नीति की आर्थिक दृष्टिकोण से कड़ी आलोचना की गई है। इस प्रकार सोचने वाले लोगों का कहना है कि इससे प्रांतीय सरकारों की आय बहुत घट जायेगी जैसे मद्रास को इस नीति के अपनाने से १४ करोड़ रुपये तथा बम्बई को ८ करोड़ रुपये हानि होने का अनुमान है। इस प्रकार आय के कम होने पर राज्य सरकारों की उन्नति की योजनाओं को कार्यान्वित करने में बड़ी बाधा उपस्थित होगी। इधर तो राज्यों की आय कम होगी उधर इस कार्य में जोई बिरोध लाभ न होगा क्योंकि लोग छुपे छुपे ताडी आदि बनाने लगेंगे। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए राज्यों की अधिक पुलिस रस्तनों पड़ेगी जिसके कारण उनका व्यय और भी अधिक बढ़ जायेगा।

परन्तु इन तर्कों के विरुद्ध हम कह सकते हैं कि हमको हर चीज को धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजों को नैतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना है और मनुष्य को इसी दृष्टिकोण से देखा चाहिए। यह कुछ उचित नहीं जान पड़ता कि मनुष्य के उपभाग को बढ़ाकर हमको जो धर्म प्राप्त है उसका हम उन्नति के कार्यों में लगायें। क्योंकि ऐसा करनेमें हम एक और तो धार्मिक उन्नति करेंगे और दूसरी धार (यह अधिक महत्वपूर्ण है) लोगों को चरित्रहीन बनायेंगे। जहाँ जहाँ भी मनुष्य की नीति को अपनाना गया है वहाँ पर मनुष्यों का जीवन उतर ऊँचा हुआ है क्या कि भ्रष्ट लोग हम पर अपनी धार का लगभग २०३ प्रतिशत पर्व करतें। यहाँ यह बात भी बनाने योग्य है कि लोग छोटे हुए भगवत्पत्नी बनाते हैं जहाँ वह कुछ जिनो म दों बनती है और कुछ में नहीं। हम समझते हैं कि राज्य सरकारों को इस नीति को अवश्य अपनाना चाहिए और इन मनुष्यों से होने वाली हानि को दूसरे दया से पूरित करनी चाहिए।

**बिक्री-कर (Sales Tax)**—यह कोई नया कर नहीं है। कबने ? कि हमको बहुत पुनर्गणना समय में मिस्र तथा रोम में लगाया गया था। हमारे देश में भी हमको अष्टमशताब्दी के काल में लगाया जाता था। रोम के बहुत से देशों में प्राप्त वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठता, इस धार में मनुष्य मनुष्य के बीच लगाया गया। इसमें से इसको हम लिए पसन्द नहीं किया गया क्योंकि यह एक अच्छी तरह पद्धति की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा नहीं करता और वह है 'कर देने की आवश्यकता'। भारतवर्ष में इसको प्राचीन स्वशासन के पदचान ही लगाया गया। इसको सब से पहले मध्य प्रदेश तथा बंगाल ने १९१८ ई० में लगाया था तथा १९३६ में यह मद्रास द्वारा लगाया गया। अरबम में भारत सरकार ने प्राचीन के हम कर को लगाने के अधिकार को सुनीची की परन्तु संसद कोर्ट ने प्राचीन के हम अधिकार को स्वीकार कर लिया। १९४८ ई० के पदचान भारत के सभी प्रांतों में हम कर को लगा दिया गया। भारत के नए विधान में यह प्रवृत्ति किया गया है कि कोई राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले माल पर तथा विदेशों की निर्यात लिए जाने वाले माल पर विधि कर न लगाएगा। यह प्रवृत्ति इस लिए किया गया है जिससे कि व्यापार में बाधा न पड़े। भारत में बेवक्त बन्धुधारा की विधि पर ही विधि कर लगाया जा सकता है क्योंकि की विधि पर यह कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह कर उन लोगों पर नहीं लगाया जा सकता जो मनुष्य करते हैं।

**बिक्री कर्य होती है**—यह एक व्यक्ति दूसरे में किसी प्रतिफल के बदले कोई वस्तु लेता है तो उसको विधि कहते हैं। विधि के लिए वस्तु का भौतिक हस्तान्तरण आवश्यक नहीं है। केवल बेच और खरीद का मोड़ तय हो जाना ही पर्याप्त है।

### बिक्री कर के प्रकार (Kinds of Sales Tax)

यह कर कई प्रकार का होता है --

(१) बिक्री अथवा समस्त क्रय विक्रय कर (Sales or Turnover Tax)—जब कर वेणु वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है तो उसको बिक्री कर कहते हैं परन्तु जब वह वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है तो उसको समस्त क्रय विक्रय कर कहते हैं ।

(२) विशिष्ट वस्तु बिक्री कर अथवा सामान्य बिक्री कर (Selected commodity Tax or General Sales Tax)—जब कर कुछ ही वस्तुओं पर लगाया जाता है तो उसको विशिष्ट वस्तु बिक्री कर कहते हैं परन्तु जब यह प्रायः सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है तो उसको सामान्य बिक्री कर कहते हैं । हमारे देश के मद्रास उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में सामान्य बिक्री कर ही है ।

(३) फुटकर अथवा थोक बिक्री कर (Retail or Wholesale Sales Tax)—जब कर उस समय लगाया जाता है जबकि फुटकर व्यापारी द्वारा कोई वस्तु बेची जाती है तो उसको फुटकर बिक्री कर कहते हैं परन्तु यदि यह कर थोक व्यापारियों द्वारा बिक्री के समय उठाया जाय तो इसको थोक बिक्री कर कहते हैं ।

एक बिन्दु अथवा बहु बिन्दु बिक्री कर (Single point or Multiple point Sales Tax)—जब कर या तो फुटकर बिक्री के समय या थोक बिक्री के समय लगाया जाता है तब उसको एक बिन्दु कर कहते हैं परन्तु जब वह किसी वस्तु की बिक्री के हर बिन्दु पर लगाया जाता है अर्थात् यदि कोई वस्तु दस बार बिक्री जाए और कर दस बार ही लगाया जाए तब उसको बहु बिन्दु बिक्री कर कहते हैं ।

बिक्री कर की प्रकृति (Nature of Sales Tax)—बिक्री कर सरकार द्वारा दुकानदारों से वसूल करती है परन्तु दुकानदारों को यह अधिकार है कि वह कर का धन खरीदारों से वसूल करे । इस प्रकार यद्यपि वहन में तो यह बिक्री कर है परन्तु व्यवहार में यह खरीद कर है । यह एक अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि दुकानदार कर का भार खरीदारों पर डकेल सकता है । यदि यह कर जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर लगा दिया जाता है तो यह प्रतिगामी हो जाता है ।

बिक्री कर वर्तमान कर नहीं होता (Sales Tax is not a progressive tax)—बिक्री अप्रत्यक्ष कर है इस लिए यह वर्तमान नहीं हो सकता । यह हर उस व्यक्ति को जो वस्तु खरीदता है देना पड़ता है । कर वसूल करने समय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति या कोई विचार नहीं किया जाता ।

पर में छूट (Exemptions from the tax)—छोटे छोटे दुकानदारों को जिन की विक्री एक निश्चित सीमा तक कम होती है कोई कर नहीं देना पड़ता जैसे उत्तर प्रदेश में उन दुकानदारों को जिन की विक्री १५००० रुपये वार्षिक से कम है कोई कर नहीं देना पड़ता। इसके प्रतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जैसे जीवन सम्बंधी आवश्यक वस्तुएँ जिन पर यह कर नहीं लगाया जाता। यह कर सरकारी प्रतिभूतियों (securities) पर भी नहीं लगाया जाता।

**कर की दर (Rate of Tax)—**

कर की दर वस्तु का इन बातों पर निर्भर होनी है कि कर कितनी वस्तु पर लगाया जाता है। यदि वस्तुएँ कम होती हैं तो कर की दर अधिक होती है परन्तु यदि वस्तुएँ अधिक होती हैं तो कर की दर कम होती है। इसके प्रतिरिक्त साधारणतया जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर कम होती है और वित्तार्थिता की वस्तुओं पर अधिक। जहाँ तक हो कर की दर कम हो होनी चाहिये।

**विक्री कर का भार (Incidence of Sales Tax)—**

इस का विचार हम दो प्रकार करेंगे। (१) एक विनिश्चित वस्तु पर विक्री कर का भार, (२) सामान्य विक्री कर का भार।

**विनिश्चित वस्तु पर विक्री कर का भार—**

यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर है—

(१) वस्तु की माँग की लचक—जिन वस्तुओं की माँग लोचदार होती है उनके कर का भार दुकानदारों पर पड़ता है। परन्तु खेतीय माँग वाली वस्तुओं का कर भार खरीदारों पर पड़ता है।

(२) पूर्ति की लचक—यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार है तो कर का भार खरीदारों पर पड़ेगा परन्तु यदि वह खेतीय है तो कर का भार दुकानदारों पर पड़ेगा।

(३) उत्पत्ति के नियम—जो वस्तु क्रमगत उत्पत्ति हाम नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती है उस पर लगाये गए कर का भार खरीदार पर पड़ता है। इसके विपरीत क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्तु पर लगाए गए कर का भार दुकानदार पर पड़ता है। क्रमगत उत्पत्ति समानता नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्तु का भार खरीदार और दुकानदार दोनों पर पड़ता है।

(४) प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार—यदि कोई वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बेची जाती है तो उस वस्तु का कर भार प्रमाणी से पता चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर भार दुकानदार के ऊपर होता है। परन्तु एकाधिकार की स्थिति में दुकानदार उसको खरीदार पर भी टिकेल सकता है और स्वयं भी उसको महन कर सकता है।

(५) कम मूल्य वाली वस्तु का कर भार सरीदार पर बड़ी कठिनाई से ढकेला जा सकता है। परन्तु अधिक मूल्य वाली वस्तु का कर भार आसानी से ढकेला जा सकता है। ऐसी वस्तुएँ जिनका मूल्य निश्चित होता है उनका मूल्य सरीदारों पर ढकेलने में बड़ी कठिनाई होती है। खरीदारों पर कर भार तेजी के समय तो ढकेला जा सकता है परन्तु मन्दी के समय ऐसा करना बड़ा कठिन है।

उपर्युक्त कठिनाइयाँ कुछ ही समय तक रहती हैं। दीर्घकाल में विभी कर खरीदारों पर ही पड़ता है।

### सामान्य बिक्री कर (General Sales Tax)—

(१) यदि किसी वस्तु का एक बड़ा भाग उन छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है जो कर नहीं देते तो यह कर बड़े दुकानदारों पर ही पड़ेगा। परन्तु यदि छोटे दुकानदार वस्तु का एक छोटा सा भाग ही बेचते हैं तो यह कर खरीदारों पर पड़ेगा।

(२) यदि गृहकारी बिक्री समितियाँ बिक्री कर में बरी हैं। और वह केवल अपने सदस्यों को ही बेचती हैं तो कर भार दूसरे खरीदारों पर ढकेला जा सकेगा परन्तु यदि यह समितियाँ सब को सामान बेचनी हैं तो कर भार दुकानदारों पर पड़ेगा।

(३) यदि बिक्री कर पड़मान है तो उसका भार साधारणतया दुकानदारों पर ही पड़ता है।

(४) यदि छोटे छोटे दुकानदारों को एव निश्चित मात्रा में कर देना पड़े तो कर को खरीदारों पर ढकेलना बड़ा कठिन हो जाता है।

(५) यदि कर बिक्री के हर बिन्दु पर लगाया जाता है तो इससे बचने के लिए उद्यम गूट (vertical combination) बन जाते हैं और इसके कारण छोटे दुकानदारों की हानि होती है।

(६) यदि कोई व्यक्ति कई चीजें बेच रहा है तो वह कर का भार उन वस्तुओं के खरीदारों पर भी ढकेल सकता है जिन पर कर नहीं लगा हुआ है। यह बात थोक व्यापार में भले ही सम्भव न हो परन्तु फुटकर व्यापार में तो ऐसा होता ही है।

### बिक्री कर के दोष (Defects of Sales Tax)—

बिक्री कर के निम्नलिखित दोष हैं —

(१) यह एक प्रतिगामी कर है और इस का भार छोटी प्राय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है।

(२) इस कर में मनुष्य की कर देने की योग्यता का विचार नहीं किया जाता। जिस लोगो को बड़े परिवार का पाना पोषण करना पड़ता है उनकी कर देने की योग्यता कम होती है वस्तु उनको अधिक कर देना पड़ता है क्योंकि उनके परिवार में उपभोग अधिक होता है।

(३) इस कर में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि आय मनुष्य के आर्गेरिज परिश्रम द्वारा कमाई गई है अथवा नहीं। सब को समान कर देना पड़ता है।

(४) यह कर सेवाशा गया गौशोपयोगी सेवाका पर नहीं लगाया जाता। यदि यह उन पर भी लगाया जाता तो उनका अधिक भाग अभीर आदिमिया पर पड़ता क्योंकि इन चीजो का उपभोग अधिकतर वही करते हैं।

(५) बहुत सी दशाया में दोहरा कर लग सकता है। जैसे ईंधन पर लगाया गया कर एक बार तो ईंधन के खरीदन समय दया पड़ता है और दूसरे उस समय देना पड़ता है जब कि कोई यह वस्तु जियके तैयार करते में वह ईंधन काम में आता है। यदि समस्त बिनी पर कर लगाया जाता है तो एक ही वस्तु पर कई बार कर लग सकता है।

(६) इस कर की व्यवस्था करने बड़ी कठिन है क्योंकि यह हर खरीदार में वसूल किया जाता है। दुकानदार को हर खरीदार का हिसाब रखना पड़ता है। इस सब हिसाब की सही जाच होनी बनी कठिन है।

(७) इस कर को एकत्र करने का खर्च भी बहुत अधिक होता है।

(८) इस कर से बचने में भी दुकानदार बड़का राफन हो जाते हैं।

(९) कभी कभी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे यदि यह कर मोटर के तेल पर लगाया जाता है तो टयमे मोटर यातायात में बड़ी बाधा होती है।

इन सब दोष के होते हुए भी यह कर कई बातों के कारण लगाया जाता है—  
 १—उस कर से पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती है। २—इसकी व्यवस्था करने में सरकार की कोई बिशेष कठिनाई नहीं होती। ३—इस कर का भार खरीदार को अधिक महसूस नहीं होता। ४—सरकार के बचने हुए खर्च के कारण बहुत से देश में इसको लगाया गया है।

**भारत में विनी कर (Sales Tax in India)—**

भाग्यवर्ष में दो प्रकार का कर लगा हुआ है—

१—विशिष्ट वस्तुओं पर विनी कर, २—बहुत सी वस्तुओं पर सामान्य विनी कर। विशिष्ट वस्तु विनी कर माधारणतया मोटर के तेल, बिना साफ किए



टूट तेल, तम्बाकू (बना हुआ) आदि पर लगया जाता है। दूसरा कर बहुत सी वस्तुओं पर लगया जाता है और उगने लिए सब राज्या में विम्पानपूर्वक कानून बने हुए हैं। इन कानूनों में विशेषी की परिभाषा, न्यूनतम छुट तोमा कर की दर, वह वस्तुएँ जिन पर कर लगया गया है आदि चीजें दी हुई हैं। इन कानूनों में कुछ वस्तुएँ ऐसी भी छोड़ दी गई हैं जिन पर कर नहीं लगया जाता। ऐसी वस्तुओं में जीवन की आवश्यक वस्तुएँ जैसे खाद्य पदार्थ, नमक, पानी, दूध आदि तथा और दूसरी आवश्यक वस्तुएँ जैसे बितायें, इन्धन की लकड़ी, छान, पेनी के योजार आदि सम्मिलित हैं।

विशेषी कर राज्य सरकारों की आय का एक मुख्य साधन हो गया है। इस का पता नीचे की तालिका में चलता है—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	भारत	बम्बई	पश्चिमी-बङ्गाल	उत्तरप्रदेश	पंजाब	विहार	मध्यप्रदेश	मद्रास	उड़ीसा
१९२६-२७	६६०	१००	३६०		१२	७५			
१९२७-२८	८३१	४६६	४११		४१	१०६	६०		६
१९२८-२९	१३०३	६७५	४२२	६२७	२७	२३३	१४२	२४	३०
१९२९-३०	१७५२	१३२६	६३०	६००	१००	३७६	१८७	३८	७५
१९३०-३१	१२८३	१४५८	५२०	६६२	१८	६६०	२३५	५५	८०
१९३१-३२	१५५६	११८८	५६२	५८०	१६८	१०६	२३०	७६	१११
१९३२-३३	१६००	१०६०	५५८	६७५	१६७	३२१	२२५	८१	१००
१९३३-३४	१४००	१६००	५५८	३२६	१३८	३७०	२१२	७१	१००
(वर्ष)									

इस तालिका के देखने से पता चलता है कि विशेषी कर से आय निरन्तर बढ़ती जाती है। १९३०-३१ में आय घटने का कारण यह था कि नये विधान में कुछ ऐसी वस्तुएँ बनाई गई थीं जिन पर कर नहीं लगया जा सकता था। इस काल से आय प्राप्त होने के कारण राज्य सरकारों की उन्नति की योजनाओं पर धन खर्च करने में सहायता मिल जायेगी। इसके प्रतिरिक्त मद्रास तथा बम्बई प्रांतों को जो हानि भय निरोध की नीति अपनाते से हो गई है वह इस तालिका से प्रायः स्पष्ट हो जाती है।

## मनोरजन तथा वाजी कर

(Amusement and Betting Taxes)

मनोरजन तथा वाजी करों का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस कर को एक अच्छा कर माना जाता है क्योंकि यह विलासिता कर है और इस का भार श्रीमंती लोगों पर पड़ता है। यह कर सत्र से पहले बंगाल में १९२२ ई० में लगाया गया था। उसके पश्चात् बम्बई और मिथ ने इस कर को १९२३ ई० में लगाया। पंजाब में यह कर १९२६-२७ में लगाया गया तथा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश विहार आदि राज्यों में १९३०-३१ में, मद्रास न डम कर को १९३६-४० में लगाया और छत्तामन ने भी लगभग उसी समय इस कर को लगाया।

यह कर उम समय लगाया जाता है जब कि मिनमा, ध्येटर मक्रम, पुडदोड आदि का टिकट खरीदा जाता है। परन्तु यदि कोई मनोरजन शिक्षा प्रसार अथवा दान एव स्वती के प्रसार आदि के निम्ने होना है तो उस पर कोई कर नहीं लिया जाता।

कर की दर-दम कर की दर प्रारम्भ में १२ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत थी। परन्तु धीरे धीरे यह दर बढ़ा दी गई है। अब यह दर कहीं २५ प्रतिशत कहीं ३२ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत और कहीं ५० प्रतिशत तक है। उत्तर प्रदेश और मद्रास में कर की दर एक ही है परन्तु कुछ राज्यों में यह दर विभिन्न चीजों के लिये विभिन्न है।

मनोरजन कर यद्यपि एक अल्पमूल्य कर है तो भी यह प्रतिगामी नहीं है। यह मत्य है कि जब गरीब आदमी मिनमा आदि का टिकट खरीदता है तो उसके ऊपर कर का भार पड़ता है। इस भार से गरीबों को बचाने के लिए कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश तथा बङ्गाल में अलग से और तीन धर्म के टिकटों पर कोई मनोरजन कर नहीं लगाया जाता। और यदि इस प्रकार की छूट न भी की जायें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मिनमा आदि विलासिता की वस्तुएँ हैं और जो कोई भी उनका उपभोग करे उनको कर देना ही चाहिये। मनोरजन कर अब प्रायः सभी राज्यों में एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और इससे आय निरन्तर बढ़ती जा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में इस स्रोत से १९४०-४१ में लगभग ६० लाख रुपये की प्राय हुई और १९५०-५१ में यह बढ़कर ६८ लाख रुपये होगी। इसी बीच बम्बई में यह आय १३४ लाखसे बढ़कर १५५ लाख होगी तथा मद्रास में १०२६६ लाख से बढ़कर १०८१५ लाख रुपये होगी।

वाजी कर (Betting Tax) —

भारतवर्ष में आजकल केवल पुडदोड के ऊपर ही जुआ खेलने की आज्ञा है। पुडदोड के ऊपर कर बङ्गाल में १९२१ में, बम्बई में १९२५ में, उत्तर प्रदेश में

१९३७ में, सिंध में १९३८ में तथा घामास में १९३९ में लगाया गया।

भारतवर्ष में यह कर जीतने वाले से तथा घुडदौड़ के लिए लगाए गए कुल धन में से लिया जाता है। इस कर की दर विभिन्न राज्यों में विभिन्न है जैसे बङ्गाल में यह १५ प्रतिशत है तथा मद्रास में १२½ प्रतिशत।

यह कर उचित है क्योंकि इस से जुआ कम खेला जाता है। जुए में प्राप्त धन के लिए जीतने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता इसलिए सरकार उम धन में से यदि कुछ धन कर के रूप में ले ले तो कोई अनुचित बात नहीं है। यह कर सरल तथा मितव्ययी निश्चित तथा सुविधाजनक है। इस कारण यह अच्छा कर कहा जा सकता है।

१९५०-५१ में इस कर में मद्रास में २८ लाख, उत्तर प्रदेश में ११ लाख, पश्चिमी बङ्गाल में ६० लाख तथा बम्बई में १३० लाख रुपये की प्राय हुई।

### मुद्रांक-कर (Stamp Duty)

मुद्रांक कर दो प्रकार का होता है—(१) न्यायिक (Judicial) तथा (२) व्यापारिक। न्यायिक कर दीवानी, मान्य तथा फौजदारी के मुकदमों की लड़ाने के विलेखों में लिया जाता है तथा व्यापारिक कर सम्पत्ति को हस्तान्तर करने वाले विलेखों (Instruments) जैसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति के विलेखों पर, व्यापारिक सौदों से सम्बन्धित विलेखों जैसे बिल ऑफ एक्सेचेंज प्रतिज्ञापत्र पर तथा दूसरे प्रकार के विलेखों जैसे प्रमविदा-पत्र (Contract Note) पर, लगाया जाता है।

१९१९ ई० के सुधारों के द्वारा उपर्युक्त दोनों प्रकार के कर प्राप्ति के आधीन थे। परन्तु १९३५ के सुधारों के द्वारा मुद्रांक-कर सघीय तथा सगामी दोनों तालिकाओं में सम्मिलित कर दिया गया। सघीय तालिका में बिल ऑफ एक्सेचेंज, प्रतिज्ञापत्र, चैक, सात पत्र, बीमा पालिसियों आदि का कर सम्मिलित है। परन्तु सघीय सरकार इस कर को निश्चित ही करती है। इसकी प्रायः राज्य सरकारों को ही प्राप्त होनी है।

इस कर के विरुद्ध आलोचनाएं (Criticisms against this tax)—

(१) इस कर के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं—यह कर व्यापार में बाधक है। परन्तु यदि विचार किया जाये तो ऐसा नहीं है। बहुत से व्यापारिक सौदों के बिना मुद्रांक-कर के सध हो जाते हैं। केवल उन्हीं सौदों पर मुद्रांक-कर लगाया जाता है जिनको हम अत्यान्त द्वारा गजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए इस कर को व्यापार पर कर नहीं रहना चाहिए।

(२) आदम स्मिथ के विचार में यह कर इसलिए अनुचित है क्योंकि इसका भार सब पर समान नहीं पड़ता। जो सम्पत्ति कई बार हस्तान्तर की जाती है उस

पर इसका भार अधिक पड़ता है और जो एक, दो बार हस्तांतर की जाती है उस पर बस भार पड़ना है।

(३) बेनहम का मत है कि सम्पत्ति को दुर्दिनों के कारण बेचना पड़ता है। ऐसे समय में सम्पत्ति पर कर लगा कर सरकार मनुष्य के दुर्भाग्य पर कर लगाती है।

परन्तु भारतवर्ष में विमनसिखित बातों के कारण इस कर का बड़ा प्रचार है—

(१) यह बहुत पुराने काल से लगाया जाता है। (२) इसको एकत्र करना तथा इसकी देन भाल करना सरल है। (३) इस कर का भार भी देने वाले को अधिक भालूम नहीं होता। (४) इसको सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार लगाया जा सकता है।

**मुद्रांक-कर और कर-सिद्धान्त (Stamp duty and canons of taxation)**—यह कर भित्तमयी है क्योंकि मुद्रांक के छापने का खर्च तथा इस कर के एकत्र करने का खर्च बहुत कम होता है। इस कर में निश्चितता का गुण भी पाया जाता है क्योंकि कर देने वाला यह जानता है कि उसको कितना कर और कैसे कर देना है। परन्तु यह कर 'कर देने की योग्यता' के अनुसार नहीं लगाया जाता।

राज्य सरकारों को इस कर से बहुत धन प्राप्त होती है जैसे १९४६-४९ में पश्चिमी बंगाल को २३६ ७१ लाख। उत्तर प्रदेश को २३३ ७५ लाख, बम्बई को ३४२ ६२ लाख तथा मद्रास को ३३५ ६७ लाख रुपये प्राप्त हुए। १९५३-५४ में इन राज्यों को क्रमशः २९७ लाख, २३५ लाख, ४२० लाख तथा ५४८ लाख रुपये की धन प्राप्त होने की आशा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्रोत में धन बढ़ रही है।

**रजिस्ट्री फीस (Registration Fee)**—भारत में कुछ ऐसे प्रलेख हैं जिनकी रजिस्ट्री करानी आवश्यक होती है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि वानूज किसी को प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के लिए बाध्य करता है वरन् इसलिए आवश्यक है कि यदि उनकी रजिस्ट्री न कराई जाए तो अदालत उनको मजूर नहीं करती। इसलिए प्रलेखों को सब रजिस्ट्री करा लेते हैं।

रजिस्ट्री फीस सरकार द्वारा की गई सेवा के अनुसार नहीं ली जाती वरन् प्रलेखों के मूल्य के अनुसार ली जाती है। इस प्रकार यह कर योग्यतानुसार होता है।

भारतवर्ष में रजिस्ट्री फीस समय समय पर इतनी बढ़ाई जा चुकी है कि इसको और अधिक बढ़ाना उचित न होगा।

भारत के कुछ राज्यों को १९४९-५० में इस कर से इस प्रकार धन मिला— मध्य प्रदेश १८ ४८ लाख, पश्चिमी बंगाल ३८ २४, उत्तर प्रदेश २१ ७२, बम्बई २६ ८० लाख तथा मद्रास ८६ ३६ लाख रुपये।

परन्तु हम कर के धन का सरकार निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकती । इसलिए वह इस आय पर अधिक निर्भर नहीं रह सकती ।

**मोटर गाड़ियों पर कर (Tax on Motor Vehicles)**—भारतवर्ष में प्रायः सभी राज्यों में मोटर गाड़ियों पर कई प्रकार के कर लगे हुए हैं । यह कर मोटर गाड़ियों पर, उनकी रजिस्ट्री कराने, उनसे धनाने का अनुज्ञा पत्र जारी करने, उनके सवाहकों के लिए विलेन देना, उनका निरीक्षण करने आदि पर लिया जाता है । मोटर गाड़ियों में मोटर कारों, मोटर साइकिल, टैक्सी, व्यक्तिगत कार आदि सम्मिलित की जाती हैं ।

**कर का आधार**—टैक्सी और वतों का निराया उनकी बैठने की गुंजायश पर निर्भर होता है । मोटर कारों का निराया उनके बिना लदे वजन पर होता है । मोटर साइकिलों पर भी इस आधार पर कर लगाया जाता है । व्यक्तिगत कारों पर कई प्रकार से कर लिया जाता है । कहीं तो यह उनकी बैठने की गुंजायश पर लिया जाता है जैसे पंजाब में, कहीं उनके बिना लदे वजन पर जैसे मद्रास और बम्बई में । उत्तर प्रदेश में घ, ब, म तीन प्रकार के मार्ग निश्चित किए गये हैं । इनमें से 'घ' मार्ग का कर सबसे अधिक है और 'म' मार्ग का सबसे कम । इसके अतिरिक्त हर इस बात पर भी निर्भर होता है कि गाड़ी में किस प्रकार के पहियों का प्रयोग किया गया है । जिन गाड़ियों के पहिये सड़क को अधिक खराब करते हैं उनमें अधिक कर लिया जाता है और दूसरों गाड़ियों से कम ।

**कर की दर**—कर की दर प्रत्येक राज्य में प्रायः भिन्न है । पर सार्वजनिक गाड़ी को वही भी ५०० रुपये से अधिक कर नहीं देना पड़ता । व्यक्तिगत कारों पर कर प्रायः कम होता है ।

**कर की न्याय संगतता**—यह कर विलुप्त न्याय संगत है क्योंकि जब मोटर गाड़ियाँ सड़कों का प्रयोग करती हैं जिनके काममें रखने तथा बनाने में राज्य सरकारों को इतना धन खर्च करना पड़ता है तब फिर उनको उन सड़कों के काममें रखने का खर्च भी सहन करना चाहिये । परन्तु हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि भारतवर्ष में यह कर बहुत अधिक है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि समुक्त राष्ट्र-संघों में एक मोटर गाड़ी पर कर २४० रुपये के लगभग है परन्तु भारतवर्ष में यह लगभग १६०० रुपये है । इतने अधिक कर के कारण मोटर यातायात की उन्नति में बड़ी बाधा होती है ।

**कर-भार**—व्यक्तिगत गाड़ियों का कर भार उनके मालिकों पर पड़ता है ; परन्तु सार्वजनिक गाड़ियों के कर भार के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । यह यात्रियों की मोटर यातायात की मांग की सचक तथा मालिकों की पूर्ति की सचक पर निर्भर होता है ।

मोटर गाड़ी कर में कुछ राज्या को काफी प्राय होनी है जैसे १९५०-५१ में महाराष्ट्र में ०.६५ लाख रुपये तथा बम्बई में १५० लाख रुपये की प्राय का अनुमान था। इनके विपरीत कुछ राज्या में इसमें प्राप्त प्राय बहुत कम है जैसे १९५०-५१ में ही पंजाब में १३.३२ लाख, पश्चिमी बंगाल में ४७.०३ लाख तथा उत्तर प्रदेश में ५२.०३ लाख रुपये का अनुमान था।

मोटर गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न—भारत सरकार ने रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ जाने के पश्चात् राज्य सरकारों ने सब्क मानायात का राष्ट्रीयकरण आरम्भ कर दिया है। सड़क मानायात के राष्ट्रीयकरण की बात विन्नी व विन्नी रूप में प्राय सभी राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश में ही सरकार का यह निश्चय है कि वह सारे राज्य की सड़क यातायात का अपने अधिकार में लेगी। इस दृष्टि में उभने बहुत से प्रमुख भागों पर अपनी बर्सें चालू की है और प्रति वर्ष नए नए भागों को अपने अधिकार में लेनी जा रही है। इसी प्रकार मद्रास, बम्बई, बंगाल आदि राज्या में इस ओर प्रयत्न किया जा रहा है।

सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण में जनता को बहुत लाभ हुआ है जैसा कि मोटरों समय पर चलनी है, उनमें पहले जितनी भीड़ नहीं रहती, उनमें आगम देने वाली मोटों है। परन्तु उत्तर प्रदेश के अनुभव के आधार पर हम यह समझते हैं कि इन सरकारी बसों में किराया व्यक्तिगत बना सा कम ता है ही नहीं कही कही अधिक है। इस प्रकार जनता के यातायात का सर्व कम नहीं हुआ। हमारे देश की जनता के सामने मुख्य प्रश्न सुविधा का नहीं है बल्कि पैसा का है। यदि सरकारी बसें अपना किराया नहीं घटाती तो गरीब जनता को कोई विशेष मुझ अनुभव नहीं होगा। इतना किराया हाते हुए भी राज्या को इनसे कोई विशेष प्राय नहीं है। जंग १९५०-५१ में पश्चिमी बङ्गाल की केवल ३.६६ लाख, उड़ीसा को १.१ लाख रुपये की प्राय होने का अनुमान था। इसका कारण यह है कि इन बसों के ऊपर बहुत अधिक खर्च हो जाना है। इसलिए आवश्यकता हम बात की है कि इनके ऊपर का खर्च कम किया जाए तथा इनका किराया घटाया जाए। यदि यह बातों की गई ता इनके राष्ट्रीयकरण में कोई लाभ न होगा।

### रोजगार, पेशे तथा व्यापार पर कर

#### (Tax on Employment, Profession and Trade)

प्रान्तों में स्वयंसेवकों की स्थापना के पश्चात् हम कर को सर्वसे पहले मध्य प्रदेश में लगाया था। इनके पश्चात् बङ्गाल में यह कर १९३६ ई० में लगाया गया। मध्य प्रदेश में हम कर की दर २० रुपये प्रति वर्ष तथा बङ्गाल में ३० रुपये प्रति वर्ष थी। उत्तर प्रदेश में भी हम कर की लगाने की एक बड़ी योजना नवंबर की गई परन्तु उसको भारत सरकार ने न माना और १९३५

के एकट्ठ में किए गए एक सशोधन के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया कोई भी प्रान्त ५० रुपये वार्षिक से अधिक कर न लगा सकेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में यह कर न लग सका।

यह कर केवल उन्ही व्यक्तियों पर लगता है जो अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा आय प्राप्त करने हैं इसलिए यह अनुचित है। इनके प्रतिरिक्त इस में अनुप्य की जाधिक स्थिति का कोई स्थान नहीं रखा जाता इसलिए यह प्रतिगामी है। फिर इस बात में भेद का ना कि अमुक आय शारीरिक परिश्रम द्वारा प्राप्त की गई है और अमुक ऐम नही की गई, गलत है। इसलिए यह कर अनुचित मालूम पटना है।

**सिंचाई (Irrigation)**—१९१६ ई० के सुधारों के पश्चात सिंचाई प्रान्तीय आय का स्रोत बन गया है। प्रान्तीय सरकार कृषकों को नहर तथा विजली के पत्रों से पानी देती है। इस पानी का मूल्य किसानों से लिया जाता है। यह इतने भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है। यह भूमि के क्षत्र फसल के प्रकार आदि के आधार पर लिया जाता है। परन्तु यह मूल्य किसान की आर्थिक स्थिति की ध्यान में रख कर नहीं लिया जाता। इसलिए इसका बोझ गरीब किसानों पर बहुत पड़ता है। राज्य सरकारों को इस स्रोत से बहुत कम आय प्राप्त होती है।

**जङ्गल (Forests)**—१९१६ के सुधारों के पश्चात जङ्गलों को प्रान्तीय सरकारों ने हाथ में ले दिया गया है। प्रान्तीय (जिनको अब राज्य कहते हैं) सरकारों को जङ्गलों से इमारती तथा जलाने की लकड़ी की विनी, चर्राई की फीस तथा अन्य कुछ छोटी छोटी वस्तुओं की विनी द्वारा आय प्राप्त होती है। राज्य सरकारों को जङ्गलों से लगभग ३ करोड़ रुपये सालाना की आय होती है। यह बहुत कम है। यदि जङ्गलों में अच्छी पूंजी लगाई जाए तथा उनकी अच्छी व्यवस्था की जाये तो उनसे अच्छी आय प्राप्त हो सकती है।

### राज्य सरकारों का व्यय

#### (Expenditure of State Governments)

प्रान्तों में स्वशासन की स्थापना के पूर्व सरकार की नीति संतुलित बजट बनाने की थी। उस समय सरकार अधिकतर धन पुस्तक, जेल, न्याय आदि पर खर्च करती थी और राष्ट्र निर्माण कार्यों पर बहुत कम खर्च करती थी। परन्तु स्वशासन की स्थापना के पश्चात प्रान्तीय सरकारों की व्यय करने की नीति में काफी परिवर्तन होगा या रहा है। इसके फलस्वरूप बहुत से प्रान्तों में हीन बजट बनने लगे हैं।

राज्यों के व्यय को हम तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) प्रजातन्त्र को चलाने का व्यय, (२) देश में शान्ति व व्यवस्था रखने का व्यय, (३) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय।

(१) प्रजातंत्र को चलाने का व्यय—इस व्यय में राज्यपालों तथा उनके कर्मचारियों का वेतन, मंत्रियों तथा मसद सचिवों का वेतन तथा राज्यों की विधान सभाओं का व्यय सम्मिलित है। इन सब मदों में से राज्यपालों का वेतन कुछ राज्यों में घट गया है। अब सब राज्यपालों को ५५०० रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के प्रतिरिक्त उनको कई प्रकार के भत्तों भी मिलते हैं। इन सब को मिलाकर राज्यपालों का व्यय ब्रिटिश काल की अपेक्षा कुछ कम हो गया है। परन्तु मंत्रियों तथा मसद सचिवों तथा विधान सभाओं का खर्च निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसका पता नीचे की तालिका से चलता है—

(हजार रुपये में)

मद	पंजाब		बम्बई		मद्रास		उत्तर प्रदेश					
	१९२१-२२	१९२२-२३	१९२१-२२	१९२२-२३	१९२१-२२	१९२२-२३	१९२१-२२	१९२२-२३	१९२३-२४			
मन्त्री	५५५	५५०	५५२	५६६	७१६	६१३	७०७	५४६	४७८	५०२	४६१	
विधान सभा	५०२	५०३	५७८	५२६	६६७	७४२	६६१	७०५	६८६	१०७४	११८४	१२०८

मंत्रियों तथा विधान सभाओं के व्यय में इस प्रकार की वृद्धि चिन्ता का विषय है। यह आवश्यक है कि इस व्यय को कम किया जाये। यह व्यय मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों में कमी करने से कम हो सकता है। इस समय जब कि देश इतनी बुरी आर्थिक परिस्थिति से होकर गुजर रहा है और देश में इतनी आर्थिक समस्याएँ गूँह बाये खड़ी हैं ऐसे समय हमारे मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह त्याग का आदर्श रख कर हमरो का मार्ग दर्शन करें। इसी प्रकार विधान सभाओं का व्यय भी सदस्यों के भत्तों आदि में कमी करने से कम हो सकता है।

(२) देश में शान्ति और व्यवस्था रखने का व्यय—इस व्यय के अन्तर्गत न्याय, पुलिस तथा जेल आदि आते हैं। इन सब मदों पर भी व्यय निरन्तर बढ़ता जाता रहा है। विभाजन के पश्चात् देश में इतनी अशांति हो गई तथा इस प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का जन्म हो गया कि उसके लिए एक बड़ी सेना रखनी आवश्यक हो गई। इसलिए शान्ति और व्यवस्था व्यय बहुत अधिक बढ़ गया। उदाहरण के लिए १९४५-४६ में मद्रास अपने कुल व्यय का ६ प्रतिशत, बम्बई ८.९ प्रतिशत पुलिस पर खर्च करता था परन्तु १९४८-४९ में यह खर्च बढ़ कर मद्रास में १८.६ प्रतिशत, बम्बई में १३.५ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में १४.९ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १३.२ प्रतिशत तथा पश्चिमी बङ्गाल में १३.१ प्रतिशत हो गया।



यदि पश्चान्ति काल में पुनित्त पर खर्च बढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अब जब कि प्रायः सभी राज्यों में शान्ति है और कोई गड़बड़ होने की सम्भावना भी नहीं है तो राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि यह इस खर्च को घटावें। पुनित्त के प्रतिरिक्त राज्य सरकारों को न्याय आदि की व्यवस्था पर भी बहुत खर्च करना पड़ता है। इस खर्च को भी कम करना आवश्यक है।

(१) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय—हमारे देश में निर्माण कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, ग्राम सुधार, सड़कें, उद्योग-धन्धे, सहकारी आन्दोलन आदि सम्मिलित हैं। भारतवर्ष में इन सब बातों में उन्नति करने की बड़ी आवश्यकता है। ब्रिटिश शासन काल में इन सब मन्तों पर बहुत कम खर्च होता था परन्तु जब से देश स्वतन्त्र हुआ है तब से इन सब मन्तों पर बहुत खर्च बढ़ गया है। शिक्षा के प्रसार के लिए स्थान पर प्रारम्भिक पाठशालाएँ खोली गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया गया है। कहीं कहीं नैतिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके फलस्वरूप प्रायः सभी राज्यों में शिक्षा व्यय दो, तीन गुना हो गया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा पर किया गया व्यय भी पहले से डेढ़ दो गुना हो गया है। इसका कारण यह है कि बहुत से नए स्थानों पर चिकित्सालय खोलें गए हैं। बहुत से राज्यों में चिकित्सकों को ग्रामों में बचने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त शहरों में भी नई-नई बीमारियों के लिए हस्पताल खोले जा रहे हैं।

कृषि की उन्नति के लिए भी राज्य सरकारें बहुत प्रयत्नशील हैं। बहुत से स्थानों पर उन्होंने नई भूमि प्राप्त की है। सिंचाई के लिए नहरों तथा नल-कुओं का प्रबन्ध किया है। पशुओं की उन्नति के लिए प्रयत्न किया है। इसी प्रकार खेती को उन्नत करने का प्रयत्न किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें बहुत सा धन सड़कों, सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा ग्राम सुधार के ऊपर भी खर्च कर रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों का राष्ट्र निर्माण कार्य पर व्यय बढ़ता जा रहा है।

राज्य सरकारों की धाय और व्यय को देखने में हम कई परिणाम निकाल सकते हैं—

(१) राज्यों की धाय निरन्तर बढ़ती जा रही है और देश के विभाजन के हो जाने पर भी यह धाय पहले लगभग तीन गुनी बढ़ गई है। १९५३-५४ के बजट अनुमान के अनुसार 'अ' और 'ब' भागों के सब राज्यों की धाय ४५८४२ करोड़ रुपये थी।

(२) राज्या में करा द्वारा प्राप्त आय का प्रतिशत पहले में कम होना जा रहा है। उदाहरण के लिये १९३५-३६ में कुल आय का ७४.५ प्रतिशत करा द्वारा प्राप्त होता था। परन्तु १९५२-५३ में करा की आय का प्रतिशत घट कर ६६.५ रह गया। उसका अभिप्राय यह हुआ कि अब राज्या को केन्द्र में बहुत सी आय अनुदान तथा सहायता के रूप में प्राप्त हानी है।

(३) राज्यों के लिए पुराने कर के अलावा और जैसे मालगुजारी, मुद्राक-कर, रजिस्ट्री फीस आदि का महत्व कम होना जा रहा है और नए कर-स्रोतों जैसे बिजली कर, वृषि आय-कर, मनोरंजन कर आदि का महत्व बढ़ता जा रहा है।

(४) यद्यपि राज्यों का स्वर्चं पुंक्ति, जल, न्याय आदि मदों पर काफी बढ़ गया है परन्तु इन सब मदों पर व्यय में उनकी वृद्धि नहीं हुई है जिनकी की राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में हुई है।

(५) राज्य सरकारों अब बहुत सा धन उन्नति योजनाओं पर खर्च कर रही हैं। वह बहुत सा धन 'प्रबिक अन्न उपजाओ योजना', मिचार्ड, उद्योग धर्मों की उत्पत्ति आदि पर खर्च कर रही हैं। १९५०-५१ में 'अ' भाग के सब राज्या का इस मद पर खर्च ११०.७३ लाख रुपये था। १९५३-५४ का अनुमान १४१.७५ लाख रुपये है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि राज्या की आय निरन्तर बढ़ रही है परन्तु उनका व्यय और भी तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने नये नये कर लगाये हैं परन्तु इन करा की आय भी व्यय को पूरा नहीं कर सकती। इस कारण उनको निरन्तर हीन वजत बनाने पड़ रहे हैं। 'अ' और 'ब' भाग के सब राज्या का वजत का घाटा १९५२-५३ में १६.६५ करोड़ था तथा १९५३-५४ के वजत अनुमान के अनुसार यह घाटा २३.१३ करोड़ रुपये था। यह घाटा आगे आने वाले कुछ वर्षों में बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि राज्या को भविष्य में बहुत सा धन शिक्षा स्वास्थ्य निरक्षरता मटकों, मत्त निषेध, जमींदारी उन्मूलन, आदि पर खर्च करना है। पर इस प्रकार की स्थिति बहुत समय तक चलनी उचित नहीं जान पड़ती। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों की आय बढ़े। अभी कुछ वर्षों में उनका केन्द्र में बहुत सी उन्नति योजनाओं के लिये सहायता मिलने लगी और इन आय-कर में से उनको ५० प्रतिशत के स्थान पर ५५ प्रतिशत मिलने लगा है परन्तु इनकी आय की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करें। यह निम्नलिखित ढङ्ग में हो सकता है—

(१) राज्या को आय कर में से कम से कम ६० प्रतिशत दिया जाये।

(२) राज्यों को इस बात का अधिकार दिया जाये कि वे आय कर पर १० या १५ प्रतिशत अधिभार लगायें। इस अधिभार का धन उनको खर्च करने दिया जाये।

(३) उन राज्यों को जहाँ से उत्पादन कर प्राप्त किया जाता है उत्पादन कर में से कुछ भाग दिया जाये क्योंकि उनको उद्योगों की उन्नति पर खर्च करना पड़ता है।

(४) बित्री कर की उचित व्यवस्था करके उससे आय बढ़ाई जा सकती है।

(५) राज्यों को कृषि आय कर से भी आय बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(६) राज्यों को चाहिये कि वे व्यापारिक उद्योगों तथा सेवाओं को अपने हाथ में लेकर उनसे आय बढ़ाने का प्रयत्न करें।



## अध्याय ६

### स्थानीय राजस्व (Local Finance)

भारत में बहुत पुराने काल में स्थानीय स्वशासन चला आ रहा है। हिन्दू राजाओं के काल में गांवों में पंचायतें पाई जाती थी जो गांव की सफाई, मंडकों, रियास आदि का प्रबन्ध करती थी तथा दीवानी व फौजदारी के छोटे मोटे केस भी निबटा देती थी। इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेजों के आने तक रही। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके एक केन्द्रीय शासन की नींव डाली। परन्तु कुछ समय पश्चात् उनको अपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने फिर से स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। इससे फलस्वरूप हमारे देश में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई। इनकी स्थापना के इतिहास को हम तीन भागों में बाट सकते हैं—(१) १८८२ तक, (२) १८८२ से १९१६ तक, (३) १९१६ ई० के पश्चात।

(१) १८८२ तक का काल—इस काल में स्थानीय मस्याओं की कोई विशेष प्राधिकार प्राप्त न थे। आर्थिक मामलों में जैसे कर लगाने, बजट बनाने, ऋण लेना तथा धन खर्च के विभिन्न भदों पर बटवारा करने में उनके ऊपर इतना सरकारी नियन्त्रण था कि उनकी स्थानीय स्वतन्त्रता केवल कहने मात्र की थी। ग्रामों में स्थानीय समितियों के अतिरिक्त कोई स्थानीय शासन न था। स्थानीय समितियों का केवल यह कार्य था कि वे जिलाधीश को प्रान्तीय बजट को सन्तुलन करने के लिये धन एकत्र करने में सहायता करती थी।

(२) १८८२ से १९१६ तक—इस काल में स्थानीय स्वशासन को कोई विशेष प्रगति तो नहीं हुई परन्तु इस काल में स्थानीय लोग यह जान गये कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। इस काल में कुछ महत्व पूर्ण बातें हुईं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है जैसे पुलिस प्रबन्ध या स्थानीय स्वशासन के हाथ में से निवल कर प्रान्तों के हाथों में चला गया। इस काल में स्थानीय अर्थ व्यवस्था में अनुदान का महत्व बहुत बढ़ गया। इस काल में उत्तर प्रदेश में इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि चुंगी के स्थान पर कोई दूसरी प्रकार का आय का साधन तलाश लिया जाये। इस काल में स्थानीय मस्याओं की आय और व्यय पहले से और भी अधिक बढ़ गए। परन्तु आय और व्यय के अंतर प्रायः पहले के समान ही रहे।

(३) १९१६ के पश्चात्—इस काल में इस बात का प्रयत्न किया गया कि लोगों को यह बताया जाए कि स्थानीय स्वशासन वास्तव में क्या चीज होती है। इस

में आय और व्यय के राशियों को पहले जैसे ही रहे परन्तु सहायक अनुदानों का महत्त्व पहले से और भी अधिक बढ़ गया। इस काल में स्थानीय सत्स्थाओं के सांख्यिक स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा गृहों आदि पर बहुत सा धन खर्च किया परन्तु अभी बहुत कुछ करना शेष है।

परन्तु हमारे देश में स्थानीय सत्स्थाओं के पास साधनों की तो कमी है पर उनको कार्य धट्टा करना पड़ता है। यहाँ पर स्थानीय सत्थायें दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम चल करती हैं। इसका पता निम्नलिखित तालिका से चलता है—

विभिन्न सरकारों द्वारा किये गये व्यय का प्रतिशत

देश	केन्द्र	प्रान्त सहायता राज्य	स्थानीय
संयुक्त राष्ट्र	३०	१५	५५
जापान	५१	१२	३७
जर्मनी	५०	२०	५०
भारतवर्ष (१९३७-३८)	५६	३२	१९

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्थानीय सत्थाओं को उतना उच्च स्थान प्राप्त नहीं है जितना कि उनको दूसरे देशों में है। खेद का विषय है कि भारत के नये विधान में भी उनको वही स्थान दिया गया है जो उनको पहले था।

हमारे देश में आजकल दो प्रकार की स्थानीय सत्थायें कार्य कर रही हैं—(१) वह जो नगरों का कार्य देखती हैं। (२) वह जो ग्रामों का कार्य देखती हैं। नगरों का कार्य देखने वाली सत्थाओं में कॉर्पोरेशन, नगर-पालिकाएँ, टाऊन एरिया तथा मेट्रोपॉलिटन एरिया सम्मिलित हैं। ग्रामों का कार्य देखने वाली सत्थाओं में जिला बोर्डें अथवा स्थानीय तालुका बोर्डें, म्यूनिसिपल बोर्डें तथा पंचायतें सम्मिलित हैं। भारतवर्ष में ७८६ नगर पालिकाएँ, २७० जिला बोर्डें, ५८४ तालुका बोर्डें तथा ४५५ म्यूनिसिपल बोर्डें हैं।

### नगर पालिकाओं की आय और व्यय

#### (Income and Expenditure of Municipalities)

आय (Income)—नगर पालिकाओं की आय के स्रोतों को हम चार भागों में बांट सकते हैं—(१) प्रत्यक्ष कर, (२) अप्रत्यक्ष कर, (३) व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय, (४) राज्य सरकारों से प्राप्त सहायक अनुदान।

### प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

मकानों तथा भूमि पर कर अथवा सम्पत्ति कर (Taxes on houses lands or property tax)—यह चार प्रकार से लिए जाते हैं। (१) मकानों तथा मकानों की स्थिति पर कर, (२) भूमिपर उपकर (cess), (३) अनर्जित आय (unearned income) पर कर (४) सम्पत्ति का हस्तान्तरण करते समय लगाया गया मुद्रांक-कर।

हमारे देश में मकानों तथा उनकी स्थिति पर कर नगरपालिकाओं की आय का एक मुख्य साधन है। उन राज्यों में जैसे मद्रास बम्बई, बङ्गाल, आसाम तथा बिहार में जहाँ चुङ्गी प्रायः का एक अच्छा साधन नहीं है उनमें यही प्रायः का एक मुख्य साधन है। उदाहरण के लिए बंगाल में इस साधन से कुल कर आय का २२ में प्रतिशत, बम्बई ४६ प्रतिशत, मद्रास में ४७ प्रतिशत, आसाम में ७२ प्रतिशत तथा बिहार उड़ीसा में ७७ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। हमारे देश की प्रायः सब नगरपालिकायें इस कर को लगाती हैं। यह कर मकान अथवा जमीन की वार्षिक किराए की प्रायः पर लगाया जाता है जो मकान अथवा भूमि किराये पर नहीं दी जाती उस पर भी यह कर लगाया जाता है। इस कर की दर स्थान स्थान पर भिन्न है जैसे मद्रास में ६ प्रतिशत, बंगाल में ५ प्रतिशत, और बम्बई में ४ प्रतिशत।

इंग्लैंड में इस कर को किरायेदार से लिया जाता है परन्तु हमारे देश में मालिक मकान इसको देता है। यदि किसी कारण मालिक मकान का पता न चल सके तो इसको किरायेदार से भी वसूल किया जा सकता है। यदि कोई मकान ६० दिनों से अधिक खाली रहता है और उसकी सूचना नगरपालिका को कर दी जाती है तो उस मकान के कर में ब्याप्ती रहने के समय की छूट दे दी जाती है।

सम्पत्ति पर कर निश्चित करने में कार्य के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। हमारे देश में यह कार्य विरोधियों द्वारा नहीं किया जाता। परन्तु इस कार्य को स्थानीय शासन के कर्मचारी किया करने थे परन्तु राजबल चेयरमैन तथा नगरपालिका के कुछ सदस्यों की समिति इस कार्य को करती है। यह समिति साधारणतया बड़े पक्षपात से काम लेती है क्योंकि उसको दूसरे चुनाव में मत न मिलने का भय रहता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस कर को ऐसे व्यक्ति निश्चित करें जिनका मतदाताओं से कोई सम्बन्ध न हो।

प्रत्यक्ष कर होने के कारण मकान अथवा सम्पत्ति कर बहुत अच्छा है। इसको लगाने तथा एकत्र करने में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। यह इस दृष्टि से लोचसार भी कहा जा सकता है कि जब मकानों की किराये की प्रायः बढ़ती है तब यह बढ़ जाता है। इसको बड़ी २ सम्पत्तियों पर अधिक कर लगाकर बढ़ाया भी बनाया जा सकता है।

परन्तु इस कर से भाव बहुत कम प्राप्त होती है क्योंकि नगर पालिकाओं के राजस्व दूसरे चुनाव में मत न मिलने के डर के कारण कर न देने वालों पर मोर्चे विशेष सख्ती नहीं करते। कर लगाने समय यह पक्षपात से काम लेते हैं। वह बहुत से लोगों का कर भाफ भी कर देते हैं। बहुत से लोगों पर वह कर लगाते ही नहीं। कर एकत्र करने का भी उचित प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण बहुत सा कर एकत्र हुए बिना ही रह जाता है। उत्तर प्रदेश में यह अनुमान किया जाता है कि लगामे गए कर का केवल ७२ प्रतिशत ही एकत्र हो पाता है।

इन बातों के प्रतिरिक्त सम्पत्ति कर के विरुद्ध दो मापतिया और की जाती हैं — (१) यह इन लिए अनुचित है क्योंकि सम्पत्ति कर दाता की कर देने की योग्यता की उचित कमीती नहीं है। (२) यह कर इन लिए भी अनुचित है क्योंकि इसके कारण पूँजी की गतिशीलता में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है तथा मनुष्य की वास्तविक सम्पत्ति का पता लगाना बड़ा कठिन है। प्रो० मॅन्निगमैन ने तो सामान्य सम्पत्ति कर को ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टियों से अनुचित बताया है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जब तक यह कर कृषि सम्पत्ति पर लगाया जाता रहा तब तक तो कोई कठिनाई उत्पन्न न हुई। परन्तु व्यापार तथा उद्योग धर्मों की उन्नति होने पर इनको न्याय-मगत रखना कठिन हो गया। सैद्धान्तिक दृष्टि से उनका कहना है कि एक प्रकार की सम्पत्ति को दूसरी से भिन्न करना कठिन है। इसलिए यह निश्चित करना बड़ा कठिन है कि कर कौनसी सम्पत्ति पर लगाया जाए। इनके प्रतिरिक्त सम्पत्ति से मनुष्य को कर देने की योग्यता का पता लगाना कठिन हो जाता है। व्यवहार में यह कर इस लिए अनुचित है कि यह केवल उन्हीं लोगों पर लगता है जिनके पास मकान आदि की सम्पत्ति होती है और जिनके पास ऐसी सम्पत्ति नहीं होती उन पर कोई कर नहीं लगता। इस लिए कई बार यह प्रतिगामी भी हो जाता है।

### व्यापार, पेशे, कार्यों आदि पर कर (Taxes on trades, professions, callings etc.)

यह कर भारत को प्रायः सभी नगर पालिकाओं में लगाया जाता है परन्तु मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बंगाल के अतिरिक्त इसका कहीं भी विशेष महत्व नहीं है। इस कर को लगाने समय सब व्यापारों को श्रेणियों में बांट दिया जाता है। हर श्रेणी के व्यापारियों की प्रायः समान भाव होती है। एक श्रेणी के सब व्यापारियों पर एकसा कर होता है। यह कर व्यक्तियों के अतिरिक्त कम्पनियों पर भी लगाया जाता है। कम्पनियों पर कर उनकी प्राप्त हुई पूँजी के अनुसार लगाया जाता है परन्तु दूसरे व्यापारों पर उनके द्वारा दिए गए दुकान के किराये के अनुसार लगाया

जाना है। यह कर नामूनी रूप में बर्हमान कहा जा सकता है। परन्तु कुछ श्याओ में यह अनुपातिक भी होता है।

इस कर को लगान समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण व्यापार पर बुरा प्रभाव न पड़े। साथही साथ कथन उन ही उद्योगों पर महत्तर लगाना चाहिए जिनको नगर पालिकाया में लाभ होता है।

### व्यक्तियों पर कर अथवा हैसियत कर

(Taxes on persons or Haisyat tax)--

यह कर व्यक्तिगत की आर्थिक स्थिति तथा सम्पत्ति अथवा हैसियत पर लगाया जाता है। कर लगाने समय व्यक्ति की आय ही नहीं देखी जाती बल्कि यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर कैसा है तथा उसके परिवार में कितने व्यक्ति हैं।

हैसियत कर पञ्जाब में जिला बोर्डों द्वारा तथा मध्य प्रदेश की कुछ नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जाता है। व्यक्तिओं पर कर बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र, बिहार और उड़ीसा राज्या की नगर पालिकाओं द्वारा लगाया जाता है तथा उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों द्वारा भी यह कर लगाया जाता है। जिला बोर्डों का इस कर को लगान का उद्देश्य यह है कि खेती न करने वाले व्यक्तियों से कर वसूल किया जा सके।

यह कर साधारणतया छोटी छोटी नगर पालिकाओं में लगाया जाता है और मकान कर का विकल्प (alternative) है। नगर पालिका का विस्तार बढ़ने पर इसको हटाकर मकान कर लगा दिया जाता है।

इस कर के विरुद्ध कर दाताओं की बड़ी शिकायत रहती है क्योंकि यह उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता। इसको लगाने में बड़े पक्षपात से काम लिया जाता है और यदि पक्षपात से भी काम न लिया जाए तो भी व्यापार करने वालों की हैसियत या ठीक अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इस कर का भार अप्रिवृत्त शौकरी करने वाले लोगों पर पड़ता है क्योंकि वह अपनी आय को छुपा नहीं सकते। इसी कारण इन लोगों को इस कर से बड़ी शिकायत रहती है। जैसे ही नगर पालिका का विस्तार बढ़ जाए वैसे ही मकान कर लगा देना चाहिए क्योंकि हैसियत कर का विषय व्यक्ति होगा है जो कभी भी नगर पालिका को छोड़कर जा सकता है परन्तु मकान कर का विषय अचल सम्पत्ति होती है जिसमें कभी भी कर वसूल किया जा सकता है। इसी लिए बड़ी बड़ी नगर पालिकाओं में मकान कर को लगाया जाता है क्योंकि उनमें छोटी नगर पालिकाया की अपेक्षा व्यक्तियों की हैसियत ज्ञानता बड़ा कठिन होता है।



## मल बाहन, राशनी तथा अग्नि कर (Conservancy, lighting and fire taxes)

वास्तव में इनको कर न बहकर दर कहना चाहिए क्योंकि इनको व्यक्ति को कर देने की योग्यता के अनुसार नहीं लिया जाता बल्कि उसकी नगर पालिका जा सेवा करती है उसके अनुसार लिया जाता है। वहीं नहीं तो इस कर का इनका धन व्यक्तियों से लिया जाता है कि नगर पालिका का इन सेवाओं पर किया गया खर्च पूरा हो जाए।

क्योंकि यह निश्चित करना बड़ा कठिन होता है कि नगर पालिका ने किसी व्यक्ति की कितनी सेवा की है इसलिए इस कर का साधारणतया व्यक्ति की सम्पत्ति के वाणिज्य मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। परन्तु इस प्रकार कर लगाना अनुचित है क्योंकि किसी व्यक्ति की सेवा उसके मकान के मूल्य के अनुसार नहीं की जाती। इसलिए उम साधारण पर कर लेना भी उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारकी सेवा करना तो प्रत्येक नगर पालिका का कर्तव्य है। यदि नगर पालिका की श्राय कम हो और उसको श्रायता खर्च पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हो तो वह अपने स्थान पर मकान कर पर थोड़ा सा अधिभार लगा सकती है।

### दूसरे छोटे कर (Other minor taxes)—

इन करों के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे कर भी नगर पालिकाया द्वारा लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सम्पत्ति के हस्तांतरण करने का कर मद्रास सिटी कॉर्पोरेशन तथा बम्बई डेवलपमेंट ट्रस्ट लगाते हैं। मध्य प्रदेश में बाजार दर लगाया जाता है। यह कर बिजली कर के समान होता है; क्योंकि बिजली कर राज्य सरकारें लगाती हैं इसलिए नगर पालिकाएँ इस कर को नहीं लगा सकती। मध्य प्रदेश में पशुओं की रजिस्ट्री करने पर भी कर लगाया जाता है; बहुत से राज्यों में नौकरों तथा कुत्तों पर भी कर लगाया जाता है। यद्यपि यह विनाशिता पर कर है परन्तु इस कर से इतनी कम श्राय होती है कि साधारणतया इस कर को नहीं लगाया जाता। उत्तर प्रदेश में मकान के भील के सामने होने, नाव तथा मिल क्रियायें पर भी कर लगाया जाता है, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में धोड़ियों पर भी कर लगाया जाता है। यह कर इसलिए उचित है कि धोड़ी पानी को गन्दा करते हैं और उसके साफ करने में धन खर्च होता है। बहुत से राज्यों में इन्फो, तागों, साइकिलों, रिज्ञाओं, बैल गाड़ियों आदि पर भी कर लगाया जाता है। यह कर सवारी के प्रकार पर निर्भर होता है। तागों आदि पर यह सब से अधिक होता है और साइकिल पर सब से कम। इस कर को इस लिए लगाया जाता है क्योंकि गाड़ियाँ नगर पालिका की सड़कों को तोड़ती हैं और उनकी मरम्मत में नगर पालिका को धन खर्च करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ दो प्रकार का कर

लेती है। एक तो नगर पालिका की सड़कों को काम में लाने की आज्ञा देने का कर और दूसरा हाकने वालों पर कर। गाड़ियों आदि से मद्रास और बम्बई में अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। इसके प्रतिरिक्त कुछ नगर पालिकाओं में यात्रियों के ऊपर भी कर लगाया जाता है परन्तु यह वही नगर पालिकाएँ हैं जो १९३५ के विधान से पहले इसको लगा रही थी क्योंकि १९३५ के विधान तथा नए विधान में यात्रियों पर कर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है। कुछ राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, बम्बई कलकत्ता तथा उत्तर प्रदेश में तीर्थ क्षेत्रों पर जाने वाले लोगों ने भी कर लिया जाता है। परन्तु इस मद से सब से अधिक आय उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त होती है। बनारस, बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा आदि में खानों पर भी कर लगाया जाता है।

### नये करों के सुझाव (Suggestion for new taxes)—

उपर्युक्त कर के अनिश्चित नगर पालिकाएँ कुछ ऐसे कर भी लगा सकती हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं। इनमें विशेष कर अधिकार (special assessments), अनर्जित आय कर (unearned increment tax), शादी पर कर (Marriage tax) आदि मुख्य हैं। विनाय कर-अधिकार इसलिए लगाना उचित है क्योंकि मकान या सम्पत्ति के मूल्य में जो वृद्धि नगर पालिका के किसी स्थान पर सड़क निकालने, सड़क को चौड़ा करने अथवा किसी म्यान पर बाजार लगाने के कारण हुई है वह उम समय न होती जब कि नगर पालिका इन कार्यों को न करती। इस लिए नगर पालिका को भूमि या मकान के मूल्य में जो वृद्धि हुई है उस पर कर लगाने का अधिकार है और नगर-पालिकाओं को उस अधिकार को काम में लाना चाहिए। अनर्जित आय भी सम्पत्ति के स्वामी के परिश्रम के कारण प्राप्त नहीं होती चरन् वह उस स्थान की सामान्य उन्नति अथवा मारे मजदूरी की उन्नति के कारण होती है। इसलिए उस व्यक्ति को इस आय पर कर लगाया जा सकता है। शादी कर का सुझाव उत्तर प्रदेश में स्थानीय सस्याओं को सहायक अनुदान देने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति (जो फरवरी १९४८ में नियुक्त हुई और जिसकी रिपोर्ट १९५० में छपी) ने दिया है। इस समिति का कहना है कि शादी में लड़के वाला लड़की वाले से लेकर बहुत सा धन खर्च कर देता है। इसलिए सड़के बाने से शादी कर लेना चाहिए। यह कर लड़की के रहने वाले मकान के वार्षिक निरायों का १० प्रतिशत होना चाहिए। लड़की का मकान कर का आधार इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत से विवाह बड़े बड़े मकानों में किए जाते हैं परन्तु यह मकान अस्थायी रूप से लिए जाते हैं। यदि लड़की का मकान नगर पालिका की सीमा से बाहर हो अथवा उस पर किसी दूसरे कारण से कर न लिया जा सकता हो तो समिति ने प्रति शादी २५ रुपये कर वसूल करने का सुझाव दिया है। इस

समिति का यह भी सुझाव है कि सड़की के पित्त को भी शादी की रजिस्ट्री कराने का एक रूप देना चाहिए। मकान कर के सम्बन्ध में इन समिति का विचार है कि यह ११२ नगर पालिकाओं में से केवल ३३ द्वारा लगाया जाता है और बहुत सी दगाबा में यह बहुत कम है। इस लिए सभी नगर पालिकाओं में इन कर को लगाना चाहिए तथा इसकी दर सब स्थानों पर समान होनी चाहिए। समिति का सुझाव है कि इस कर का आधार बिराया होना चाहिए। सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समिति का सुझाव है कि इसको बढेमान लगाया जाय जिससे कि यह कर-दाता की कर देने की योग्यता के अनुसार हो जाय। समिति का कहना है कि कर से छूट केवल स्वीकृत शिक्षा संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, धार्मिक स्थानों आदि को देनी चाहिए। समिति का यह भी सुझाव है कि व्यापार, पेरो आदि के कर से सभी तक बहुत कम लाभ उठाया गया है। इस कर से भाव बढ़ानी चाहिए और डाक्टरों तथा वकीलों पर भी इस कर को लगाना चाहिए। समिति का एक सुझाव यह भी है कि सड़क से यात्रा करने वाले लोगों पर रेल के तीसरे दर्जे के किराये की दर पर कर लगाना चाहिए। समिति ने एक यह भी सुझाव दिया है कि मकान के किराये पर २ प्रतिशत का शिक्षा उपकर लगाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित तालिका से भारतवर्ष की नगर पालिकाओं की प्रत्यक्ष करों की धारा का अनुमान लगाया जा सकता है —

(लाख रुपयों में)

भाय के मद	१९३५-३६	१९३६-३७	१९३७-३८
मकान तथा भूमि पर कर	५००	५८६	५०२
पेरो, व्यापार आदि पर कर	३२०	३२१	३३५
मलवाहन कर	६०	६३	६६
रोशनी कर	२६	३५	३६
गाड़ियों आदि पर कर	१६	१३५	१५१
सड़क तथा घाटों पर कर	२४१	२५७	२८६
भूमि की बिक्री पर उपकर	२६५	२६	२६.३

**अप्रत्यक्ष कर (Indirect taxes)—**

हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों द्वारा नगर पालिकाओं को बहुत अधिक भाय प्राप्त होती है। इस से कुछ वर्ष पूर्व यह कर बम्बई (निप सहित) में बहुत महत्वपूर्ण थे जहाँ इनके कुल भाय की ३६ प्रतिशत भाय प्राप्त होती थी। पंजाब में इन से ६२ प्रतिशत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में ६५ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ६२ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश में ५६ प्रतिशत भाय होती थी। इन करों में चुनी

(Octroi), सीमा-कर (Terminal Tax) तथा मार्ग शुल्क (Toll Tax) सम्मिलित हैं।

**चुङ्गी (Octroi)—**

यह भारतवर्ष की नगर पालिकाओं का सब से महत्वपूर्ण आय का साधन है। यह कर बहुत पुराना है और कहते हैं कि इसको बहुत पुराने समय में भी लगाया गया था। भारतवर्ष में अंग्रेजों ने इसको फिर से चालू किया क्योंकि यह एक पुराना वर था और पुरानी कहावत के अनुसार पुराना कर कोई कर नहीं होता।

जब नगर पालिका की सीमा में बाहर से कोई खाने पीने अथवा दूसरे उपयोग की वस्तु लाई जाती है, चाहे वह सड़क स, रेल से अथवा जल मार्ग से लाई जाती है, तो उस पर उसके मूल्यानुसार कर वसूल किया जाता है। जब किसी बाहर से लाई हुई वस्तु को फिर से बाहर भेजा जाता है तो उसकी चुङ्गी लौटा दी जाती है।

चुङ्गी साम्प्रदायिकता निम्नलिखित वस्तुओं पर ली जाती है —

मनुष्य अथवा पशुओं की खाने पीने की वस्तुओं पर, भारे जाने वाले वस्तुओं पर, रोशनी, लकड़ी तथा सफाई करने वाली वस्तुओं पर, मकान बनाने व सजाने वाले सामान पर, रसायनिक वस्तुओं, दवाइयाँ, मसाला, गोंद, गुच्छू, रण, चमड़ा रणों के सामान पर, तम्बाकू कपड़ा, धातु तथा धातुओं से बने सामान पर।

परन्तु कुछ चीजों पर चुङ्गी नहीं ली जाती, जैसे वह वस्तुएँ जिन पर सीमा कर (custom) अथवा उत्पादन-कर लग गया हो जैसे अफीम, धातुएँ, नमक आदि, बहुमूल्य पत्थर तथा धातुएँ जैसे सोना, चाँदी, हीरे आदि, सरकारी माल, गुट अथवा शीरा जो देशी सराब बनाने के काम में आता हो, यानी के घर में काम आने वाले सामान, जक के पासल, हथियार, मशीनें तथा पूजों, कापला, गाड़ियाँ, किताबें, अलवार आदि।

१९३६—६० में चुङ्गी से उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त का ६४ प्रतिशत, सिंध का ६६ प्रतिशत, पंजाब व उत्तर प्रदेश को ६२ प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश का ४६ प्रतिशत आम प्राप्त हुई थी।

**कर की आलोचनाएँ—**

इस कर के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं —

(१) इसके व्यापार की उत्पत्ति में कमी आकर पड़ती है। इसलिए व्यापारी इसका खया विरोध करते हैं। इस कर के लगाने में नगर पालिका केवल अपनी प्राय का ही ध्यान रखती है परन्तु सारे देश का हित भूत जाती है।

(२) जिन स्थानों में चुङ्गी होती है वहाँ पर जो बाहर से आया हुआ माल नगर के बाहर फिर भेजा जाता है उस पर चुङ्गी लौटा दी जाती है। यह पद्धति बड़ी खराब है। इसने कारण नगर पालिका को बड़ी हानि होती है। इसका कारण यह है कि चुङ्गी के मुग्री लोग व्यापारियों से मिलकर एक रसीद पर कई बार बहती कर देते हैं।

(३) चुङ्गी एकत्र करने का व्यय बहुत अधिक होता है। इस प्रकार नगर के लोगों को चुङ्गी तो बहुत देनी पड़ती है परन्तु नगर पालिका को आम बहुत कम होती है। नगर पालिका कर समिति, उत्तर प्रदेश के अनुसार १६०७-८ में यह व्यय १८२ प्रतिशत था। अब यह और भी बढ़ गया होगा।

(४) इस कर को लगाने में वैज्ञानिक रीति से काम नहीं लिया जाता जिससे कारण वेईमानों, चोगी आदि होती रहती है। चुगी वसूल करने के लिए नगर पालिका को सब मंडकों पर रोक लगानी पड़ती है और वहाँ पर २४ घंटे आदमियों को रखना पड़ता है। क्योंकि इन आदमियों को कम वेतन मिलता है इस कारण वह बड़ी वेईमानों से काम लेते हैं। यदि कोई व्यापारी इनको घूस नहीं देता है तो वह उसको तंग करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका कर समिति ने १६०६ में कहा था, 'इस पद्धति से बहुत सी बुराइयों की जड़ पर कर्मचारियों का गुण (quality) है'। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना उचित होगा। मेरठ शहर नगर पालिका की प्रतिदिन की चुगी का प्रोसत ५०० रुपये से भी कम था। परन्तु जब से वहाँ पर नए चुनाव होकर मन्स्य तथा अध्यक्ष बदले हैं तब से उनकी बड़ी निगरानी के कारण यह दैनिक प्रोसत ३००० रुपये पर पहुँच गया है। इसमें पता चलता है कि यह २५०० रुपये रोज चुगी के मुदियों, नगर पालिका के मन्स्यों आदि की जेबों में जाता रहा होगा।

(५) जिन तालिकाओं के अनुसार चुगी ली जाती है वह तालिकायें वैज्ञानिक रीति में नहीं बनाई जाती। यह तालिकायें नगर पालिकाओं के सबरों की इच्छाओं पर निर्भर होती हैं। जैसे मेरठ नगर पालिका में खरबूजे पर जो चुगी ली जाती है, आम पर उससे कई गुनी ली जाती है।

(६) चुगी कर के प्रत्येक समी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यह अनिश्चित है। यह लोग के लिए मुक्तिपाजनक भी नहीं है। इसका कारण भारत निश्चित करना कठिन है। यह नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी जाग्रत नहीं करती। इसके एकत्र करने का खर्च बहुत है। इसने कारण चुगी के मुद्री आदि वेईमान हो जाते हैं।

इन सब बातों के कारण चुगी को एक घृणास्पद कर कहा गया है। सर जोसिया स्टाम्प ने चुगी के सम्बन्ध में कहा है, "मरे विचार में, गैद्वान्तिक दृष्टि से तथा अनुभव के आधार पर, कोई भी देश सम्पत्तिहीन नहीं हो सकता यदि किसी भी प्रकार चुगी पर निर्भर रहता है जिसमें रोका

भवगुण हैं"। इसी कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका कर समिति १९०६ में इस कर को एक दम समाप्त करने का सुझाव दिया था और इसके स्थान पर सीमा-कर (Terminal tax) लगाने का सुझाव दिया था। परन्तु इस सब विरोध के होने हुए भी चुगी अभी तक कायम है। इसके दो कारण हो सकते हैं—(१) यह नगर पालिकाओं की आय का एक अच्छा साधन है। (२) नगर पालिकाओं का प्रवन्ध घमीर लोगों के हाथों में होता है जिनको अप्रत्यक्ष कर कम और प्रत्यक्ष कर अधिक देने पड़ सकते हैं १९३५ ई० में इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि अब सीमा-कर राष्ट्रपति की आज्ञा बिना नहीं लगाया जा सकता।

**सीमा-कर (Terminal tax)—**

१९०८-९ की यू० पी० नगर पालिका कर समिति का सुझाव था कि चुगी के स्थान पर सीमा-कर लगाया जाए। भारत सरकार ने इस सुझाव को मान लिया और नगर पालिकाओं को आदेश दिया कि वह चुगी के स्थान पर सीमा कर लगाए। १९१७ ई० में कुछ नगर पालिकाओं ने इस कर को लगाया, पर कुछ समय पश्चात्, अर्थात् १९२६-३० ई० में उनको अपनी नीति में बदल करनी पड़ी और चुगी फिर से लगा दी गई इस प्रकार १९२६-३० में लगभग ५३ प्रतिशत नगर पालिकाएँ इस कर को लगाती थी, परन्तु १९३६-४० में उनकी संख्या केवल ६१७७ प्रतिशत रह गई।

१९३५ तथा नए विधान के अनुसार रेल तथा वायु से जाने वाले मान तथा यात्रियों पर सीमा कर लगाने का अधिकार सघीय सरकार को है। इस लिए नगर पालिकायें अब इस कर को नहीं लगा सकती। परन्तु विधान में यह भी दिया हुआ है कि जो नगर पालिकाएँ इस कर को प्राचीन स्वशासन के आरम्भ होने से पहले लगा रही थी उनको इस कर के चालू रखने का अधिकार हो। इस प्रकार नयी नगर पालिकाएँ इस कर को नहीं लगा सकती।

सीमा कर रेलों द्वारा एकत्र किया जाता है। इस कार्य के लिए रेलें, एकत्र किए गए कर का ३ से ५ प्रतिशत तक कमीशन के रूप में लेती हैं। चुगी के ममान यह भी उपभोग की वस्तुओं पर ही लगाया जाता है परन्तु इस चुगीके ममान कर का सीटाया नहीं जाता। यह कर मूल्यानुसार न लिया जा कर वजन के हिसाब से लिया जाता है। इस कर को लगाने के लिए जो तांतिकायें बनाई जाती हैं वह रेलवे तांतिकाओं से समान होती हैं।

सीमा कर सरल तथा सुविधा जनक है और इसके एकत्र करने का व्यय भी कम है। इस कर के एकत्र करने में नगर पालिकाओं को कोई कठिनाई नहीं होती। व्यापारी लोग भी सन्तुष्ट रहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी चुगी के मुरियों के ममान कोई तग नहीं करता। इस कर से बचना भी कठिन है क्योंकि पारसल क्लर्क इस कर

को उसी समय बमूल कर लेता है जब कि मास रेवें गोशम से छुड़ाया जाता है। यह कर मितव्ययी भी है क्योंकि इसके एकत्र करने का खर्च ३ से ५ प्रतिशत तक है।

परन्तु इस करके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष तो यह है कि राज्य की सब नगर पालिकाओं को कर की दर समान न होने के कारण व्यापार में बड़ी बाधा पड़ती है। दूसरे रेलों का व्यापार भी कुछ कम हो जाता है क्योंकि वर से बचने के लिए लोग माल सड़क से लाने लगते हैं। तीसरे इस कर में समता (equality) नहीं पाई जाती। इसका भार गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जिन वस्तुओं का उपयोग गरीब लोग करते हैं साधारणतया वही भारी होती है।

इस कर को लगाने समय यह देख लेना चाहिए कि इसका भार ग्रामवासियों पर न पड़े जो कच्चा माल उगाते हैं।

**सीमा मार्गशुल्क (Terminal tolls)**—जिन नगर पालिकाओं में सीमा कर लगाया जाता है उनमें सीमा मार्ग-शुल्क भी लगाया जाता है। यदि ऐसा न किया जायें तो माल सड़क श्रमका नाब से घाने लगे। परन्तु लखनऊ तथा नुर्जा की नगर पालिकायें केवल सीमा-कर ही लगाती हैं।

यह कर सवारी के प्रकार के ऊपर होती है। जिस सामान को व्यक्ति अपने घास से आ सकता है उस पर सबसे कम कर लगाता है। बैलगाड़ी, मोटर, साइकिल, सञ्चर, प्रादि की भ्रमण भ्रमण दर होती है। इस कर को साधारणतया इसलिए लिया जाता है क्योंकि नगर पालिका के बाहर में घाने वाली गाड़ियों को नगरपालिका की सीमा में चलने वाली गाड़ियों के समान कोई अनुज्ञा-पत्र-शुल्क (Licence fee) नहीं देना पड़ता, परन्तु वह नगर पालिका की सड़कों का उपयोग करके उनकी लोडगी फोड़ती रहती है। इसलिए उनसे सड़कों को प्रयोग में लाने का शुल्क लेना आवश्यक है। परन्तु साधारणतया हम यह कह सकते हैं कि यह व्यापार पर ही कर है।

इस कर का सबसे अधिक महत्व मद्रास में है जहाँ इसमें बहुत सी प्राय प्राप्त होती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से इसका महत्व घटता जा रहा है और मद्रास की नगर पालिकाओं तथा चम्बई के जिला बोर्डों को इस कर को छोड़ना पड़ा। उनके इस कर का घाटा मोटर गाड़ी कर से पूरा किया गया।

श्री सी बी कोट्टरेल (C. B. Cotterell) ने स्थानीय स्वशासन विभाग की धोर से कर जाँच समिति के समक्ष अपने बयान देते समय कहा था कि भारतवर्ष को सभ्यता के पैमाने पर पहुँचा हुआ माना जाने के लिए मार्ग शुल्क को हटाना पड़ेगा। परन्तु मार्ग शुल्क का सम्पत्ता से कोई सम्बन्ध हो या न हो परन्तु यह धवश्य कहना पड़ेगा कि मार्गशुल्क व्यापार में बड़ी बाधाएँ डालते हैं और उनको दूर करना चाहिए।

व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय (Income from Commercial Undertakings)—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के प्रतिरिक्त नगर पालिकाओं को कुछ आय व्यापारिक कार्यों से भी होती है। यह कार्य ऐसे होते हैं जो कि नगर के लाभा के लिए आवश्यक हैं। इन कार्यों में पानी बिजली, गैस, दवाशासन के साधनों का प्रबंध करना सम्मिलित है।

पानी—नगर पालिकाओं नगर में नया ड्राग पानी पट्टाबन्दी है। इस पानी पर नगर पालिका को बहुत सा खर्च करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह हम पानी का खर्च नगर के उन लोगों से लें जो पानी का उपयोग करते हैं। परन्तु उपभोग करने वाला मैं जबतक वह लोग ही सम्मिलित हैं जो पानी का नल अपने घरा में लगवाते हैं। इन नल का प्रतिरिक्त जन साधारण के लाभ के लिए सबको के बिनादे स्थान स्थान पर भी नल लगवा दिए जाते हैं। इन सब नलों को वह सब भोग जो अपने घरों में नल नहीं पचवा सकते मूल काम में लाते हैं। पानी के नला पर दो प्रकार से कर वसूल किया जाता है—(१) सबसे सामान्य कर लेना (Flat rate) (२) पानी के उपभोग के अनुसार कर लेना (Meter system)। पहली दशा में सब लोग से चाहे वह कितने ही पानी का उपभोग करें एक निश्चित कर लिया जाता है। जैसे मेरठ नगर पालिका में पहले एक टाडी पर ८ आने और सब २ रुपय कर लिया जाता है। इस प्रकार न कर लेने में क्योंकि पानी के उपभोग का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता इसलिए बहुत सा पानी बर्बाद किया जाता है। यही कारण है बड़े २ गहरों में नला पर मीटर लगा दिए जाते हैं जिनसे पानी का उपभोग नाप कर उसके अनुसार कर वसूल किया जाता है। पानी पद्धति की प्रपक्ष दूसरी हो उचित जान पड़ती है।

भारतवर्ष की नगर पालिकाओं का जालना में साधारणतया यह दिशा रहना है कि वह वाटर वर्क्स के बनाने कायम रखने तथा उनका बिम्भार करने में दिनना धन खच करें वही नगर के लोग न वसूल करें परन्तु व्यवहार में हमारे देश का नगर पालिकायें पानी में लाभ उठती हैं, जैसे १९३६-४० में कुछ प्रान्तों की नगर पालिकाओं का आय और व्यय इस प्रकार था—<sup>१</sup>

लाभ रकमों में		
प्रान्त	आय	व्यय
उत्तराखण्ड	१०.४५	१२.८०
५० पी०	३२.६०	२४.३५

१ Figures in the above table taken from Dr Gyan Chand's 'Local Finance in India'—P 168



पंजाब	११.३३	१६.८२
मध्य प्रदेश	७.४८	८.४६
भासाण	१.७१	१.७१
बम्बई प्रान्त	३७.६५	२०.१६
मद्रास प्रान्त	२३.२७	२०.५६

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ही प्रान्तों की नगर पालिकाओं को छोड़ कर प्रायः सभी को पानी में लाभ होता है। परन्तु नगरपालिका के बढ़ते हुए खर्च के कारण इस लाभ को कम नहीं करना चाहिए।

**बिजली**—कुछ नगरपालिकायें दिनमें बिजली एक ही अपनी बिजली बनाकर नगर में पहुँचाती हैं। इस मंत्र से भारत की नगरपालिकाओं को १९३५-३६ में लगभग २९ लाख १९३६-३७ में लगभग ३४ लाख तथा १९३७-३८ में लगभग ४० लाख रुपए की आय हुई।

**किराया**—नगरपालिकायें अपनी सराय, मकान, दुकान आदि भी बनवाकर नगर के लोगों को किराये पर उठा देती हैं। इसके अतिरिक्त वह अपनी जमीन को एक लम्बे पट्टे पर भी नगर के लोगों को दे देती हैं। १९३५-३६ में इस प्रकार की आय लगभग ४७ लाख, १९३६-३७ में लगभग ५० लाख तथा ७३ हजार तथा १९३७-३८ में लगभग ४६ लाख ८४ हजार थी।

**कसाई घर**—नगरपालिकायें अपने कसाई घर भी रखती हैं जेसल जिनमें पशुओं की बली हो सकती है। इन कसाई घरों के प्रयोग के लिये वह कुछ किराये लेती हैं।

**आवागमन के साधन**—बड़े बड़े नगरों जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि में स्थानीय मसवायें अपनी बसों अथवा ट्राम गाड़ियाँ भी चला देती हैं। इनसे नगर के लोगों को बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार की सेवाओं को मूल्य के आधार पर न देकर लाभ के आधार पर दिया जाता है।

**सहायक अनुदान (Grants-in aid)**—स्थानीय सस्थाओं को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं जिन पर उनका बहुत सा धन खर्च होता है। परन्तु उनको इतनी आय नहीं होती। इसलिए उनको राज्य सरकारें सहायक अनुदान देती हैं। यह कई ढङ्गों से दिया जाता है। इसका एक ढङ्ग तो यह है कि किसी सेवा पर नगरपालिका का जो व्यय होता है उसकी एक निश्चित प्रतिशत उनको अनुदान के रूप में दे दी जाती है। दूसरे ढङ्ग के अनुसार एक अमूल्य सेवा के लिये एक निश्चित धन राशि दे दी जाती है चाहे उस सेवा पर कुछ भी खर्च हो। तीसरे ढङ्ग के अनुसार इकाई के अनुसार सहायता दी जाती है जैसे शिक्षा के लिये सहायता प्रति शिक्षा सस्था अथवा विद्यार्थी के अनुसार दी जाती है। इन तीनों ढङ्गों में अपने अपने कुछ गुण

अथवा दाप है। वास्तव में महायक अनुदान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नगरपालिका की आय क्या है। वह कितना धन खर्च कर रही है, उसको किस मद पर कितना खर्च करना चाहिए आदि। परन्तु हमारे देश में इन सब बातों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। हमारे देश में अनुदान को प्राप्त करने में नगर पालिकाओं के सदस्यों अथवा अध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रभाव बहुत काम करते हैं। यह अनुचित है।

हमारे देश की राज्य सरकारें नगर पालिकाओं को दो प्रकार की सहायता देती हैं—(१) आवर्ती अनुदान (Recurring grant) तथा (२) समग्र अनुदान (Block grant)। पहले प्रकार का अनुदान प्रति वर्ष दिया जाता है। तथा दूसरे प्रकार एक बार ही दे दिया जाता है। उसको फिर नहीं दिया जाता। यह अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा तथा आवागमन के साधनों के लिये दिया जाता है। इनमें से शिक्षा का अनुदान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर पालिकाओं को शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक तथा निश्चिन्त करना पड़ता है।

१९३६-४० में हमारे देश के कुछ राज्यों की नगर पालिकाओं को अपनी कुल आय का निम्नलिखित प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होता था—

बंगाल ६, बम्बई ६, मद्रास १०, उत्तर प्रदेश ५, पंजाब ५, मध्य प्रदेश ४, आसाम १६, बिहार १६ तथा उड़ीसा १७।

### स्थानीय ऋण (Local Loans)

स्थानीय समस्याओं की आर्थिक व्यवस्था में ऋणों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। और न ही उनको ऋण लेने की अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए।

हमारे देश में स्थानीय समस्याएँ गढ़ा ही सरकारी नियंत्रण में रहीं हैं। उन पर १८७१, १८७६ तथा १९१४ के स्थानीय सस्था ऋण एक्ट (Local Authorities Loans Act) लागू रहे हैं। इस नियंत्रण के कारण स्थानीय समस्याएँ इतना ऋण नहीं ले पायी जितना कि वह दूसरे देशों में लेती हैं।

हमारे देश में स्थानीय समस्याएँ निम्नलिखित कार्यों के लिये ऋण ले सकती हैं—

(१) कर्मचारियों (Works) बनाने के लिए, (२) अक्षांश प्रशिक्षण के समय सहायता देने तथा सहायता केन्द्रों के चालू करने तथा उनको कायम रखने के लिए, (३) किसी भयंकर रोग को रोकने तथा उसके न फैलने देने के लिए, (४) भूमि प्राप्त करने के लिये, (५) पुराने ऋण को चुकाने के लिये।

हमारे देश में स्थानीय समस्याओं की स्थिति इतनी खराब है कि उनको सामंजसिक ऋण प्राप्त करने में सफलता मिलनी पड़ती है। थोड़ा बहुत ऋण इम्पूवमेंट ट्रस्टों में अवश्य लिया है। यह समस्याएँ साधारणतया पानी की कर्मशाखाओं

तथा नगर में गन्दा पानी बाहर निकालने के लिये व नालियों का प्रबंध करने के लिए ही ऋण लेती रही है। परन्तु अभी कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने बाजार, कमाई खाने बनाने तथा विजली की योजनाओं को पूरा करने के लिए भी ऋण लिए हैं। इनको कुछ ऋण दफ्तर की द्वाारा स्कूल तथा हस्पतालो के बनाने के लिए भी दिए गए हैं।

हमारे देश में स्थानीय सन्धायें ऋण को वार्षिक वृत्ति (Annuities) या सोधन कोष (Sinking Fund) द्वारा चुकाती हैं।

सरकार का स्थानीय सन्धायों को सार्वजनिक ऋण लेने की आज्ञा न देना कही आज्ञाचना का विषय रहा है। परन्तु यदि वास्तव में देखा जाए तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक ऋण लेकर उनको नगर पालिकाओं को दे देना अच्छा है क्योंकि ऐसा करने से राष्ट्रीय साधनों का पूरा उपयोग हो सकता है जो कि स्थानीय सन्धा न ऋण लेने पर नहीं हो सकता।

## नगरपालिकाओं का व्यय

### (Expenditure of the Municipalities)

नगरपालिकायें निम्नलिखित कामों पर धन का व्यय करती हैं—

(१) गलबहादन (Conservancy)—नगर की सड़कों की सफाई कराना, कूटा करकट नगर के बाहर फिकवाना नालियों की सफाई कराना, गाछाना नगर के बाहर पट्टवाना आदि कार्य नगर पालिकाओं के मुख्य कार्य हैं और इन पर ही उनका सबसे अधिक व्यय होता है। १९३७-३८ में इस मद पर २३८७५ लाख रुपए खर्च हुए।

(२) स्वास्थ्य सेवामें (Health Services)—इसके पश्चात् नगर पालिकाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवामें भी महत्वपूर्ण है। नगर पालिकायें नगर में हस्पतालों, सफाखानों आदि का प्रबंध करती हैं तथा बच्चों के चेचक के टीके लगवाती हैं। बरसात से पहले तथा उससे बीच में बच्चों में ताल दवाई डलवाकर उनको सफाई करती हैं। इससे प्रतिरिक्त वह एक स्वास्थ्य अफसर भी रखती हैं जो देखता है कि नगर में कोई ऐसी बस्तु न बिके जिससे रोग फैलने का भय रहता है। इस प्रकार वह गली, सड़की सड़की, मिठाई आदि को फिकवा देना है तथा गिलावट को चीजें आदि नहीं बेचने देता। इस प्रकार नगर पालिकायें यह ध्यान रखती हैं कि नगर में बीमारी

न फँसे। अभी हाल ही में हम्पताना को राज्य सरकारें अपने हाथ में ले रही है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि नगर पालिकाएँ अपने सीमित माध्यमों में हम्पताना को ठीक प्रकार से नहीं चला सकती। १९३७-३८ में इस मद पर लगभग १ करोड़ रुपए खर्च किये गये।

(३) शिक्षा (Education)—हमारे देश की नगर पालिकाओं के ऊपर यह भार है कि वह प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क दें। इस प्रकार से शिक्षा बहुत सी नगर पालिकाओं में दी जाती है। या लोग अपने छोटे बच्चों का स्कूल में नहीं भेजते उनको दण्ड दिया जाता है। परन्तु ऐसा देखने में आया है कि इस प्रकार से शिक्षा कम बच्चों का मिल पाती है क्योंकि नगर पालिकाओं के द्वारा मंचानित स्कूलों में शिक्षा का उचित प्रबन्ध न होने के कारण अमीर आदमी तो अपने बच्चों को भेजते नहीं और गरीब आदमी अपने बच्चा से काम चलाने के कारण नहीं भेजते।

प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नगर पालिकाएँ अपने माध्यम शिक्षा स्कूल भी चलाती हैं पर ऐसी नगरपालिकाएँ कम हैं। १९३७-३८ में शिक्षा व्यय २३५.१५ लाख रुपए था।

विविध व्यय (Miscellaneous Expenditure)—इन व्ययों के अतिरिक्त नगर पालिकाएँ अपने क्षेत्र में सड़कें, इमारतें, कमाई खाने, मलने के मैदान आदि भी बनवाती हैं। १९३७-३८ में सड़कों पर १५२.१३ लाख, इमारतों पर ३३.८६ लाख व्यय किया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर पालिकाओं को ऐसी मजबूत मोपी गई है जिन पर वी गाँव का जीवन निर्भर है। इन सेवाओं पर खर्च करने की बहुत अधिक आवश्यकता है परन्तु हमारे देश की नगर पालिकाओं के साधन सीमित हैं। ऐसा अनुमान है कि आजकल नगर पालिकाओं को अधिकसे अधिक ६ ह० १२ आ० ३ पाई प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर के रूप में प्राप्त होता है और औसत केवल ४ ह० का है। जिला बोर्डों की अधिकतम आय दो केवल १ ह० / आ० १ पाई तथा प्रौद्योगिक्य केवल ८ आ० ही है। १९२६-३० से उनकी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। भारत के कुछ बड़े बड़े राज्यों की औसत आय इस प्रकार है—

बंगाल ४ आ० १ पा०, उड़ीसा ५ आ० ३ पा०, उत्तर प्रदेश ६ आ० ११ पा० तथा आसाम ७ आ०। इनकी कम आय से हम बँस आना कर सकते हैं कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, मजदूरी आदि का उचित प्रबन्ध कर सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि या तो उनकी आय के कुछ और साधन दिए जायें या उनमें कुछ कार्य लिये जायें और उनका भार राज्य सरकारों पर डाला जाए।

जिला बोर्डों की आय और व्यय  
(Income and Expenditure of District Boards)

आय

भूमि पर उपकर (Land cess)—जिला बोर्डों की आय का मुख्य साधन भूमि पर उपकर है। इसके द्वारा उनवी आय का ६७ से ६६ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसका पता नीचे की तालिका में चल सकता है।—

राज्य	भूमि पर उपकर द्वारा प्राप्त आय का गुल आय में प्रतिशत	
	१९२९-३०	१९३६-४०
बंगाल	८६	६८
बम्बई	७७	६५
मद्रास	६५	६७
उत्तर प्रदेश	८१	६२
पंजाब	६३	८७
मध्य प्रदेश	६०	८०
आसाम	८८	६४
बिहार	६०	६७
उड़ीसा	—	६६

यह वर धरयायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में भूमि के वार्षिक मूल्य (Annual Value) पर तथा स्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में जोती हुई भूमि के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य का सब राज्यों में एक ही अभिप्राय नहीं है। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में इसका अभिप्राय जग सगान में है जो किमान जमींदार को देता है, परन्तु उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसका अभिप्राय भूमि की मालगुजारी के दुगने में है। बम्बई, मध्य प्रदेश आसाम तथा मद्रास के स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में वार्षिक मूल्य का अभिप्राय उस मालगुजारी में है जो भूमि पर ली जाती है। यही नहीं दस कर की दर भी रधान रधान पर भिन्न है। उत्तर प्रदेश में यह वर वार्षिक मूल्य पर ६३ प्रतिशत जबवा सरकार को दी जाने वाली मालगुजारी पर १३६ प्रतिशत लगाया जा सकता है। यदि कर क्षेत्रफल के अनुसार लगाया जाता है तो वर की दर २३ आने प्रति एकड़ हो सकती है। परन्तु १६०६ से यह वर वार्षिक मूल्य पर ५ प्रतिशत तथा क्षेत्र पर २ आने प्रति एकड़ की दर से लिया जाता है। पंजाब, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश में इस वर की दर वार्षिक मूल्य की ६३ प्रतिशत

1. Table taken from Mehta and Agarwala's 'Public Finance, P. 565

है। इन राज्यों में कर की दर समान होती हुए भी उसका भार भिन्न है क्योंकि कर का आधार सब स्थानों पर समान नहीं है।

इस कर को लगान के साथ वसूल किया जाता है। इनके एकत्र करने के लिए जिना बोरों से कुछ कमीशन नहीं लिया जाता। यह कर जमींदारों से लिया जाता है परन्तु कुछ राज्यों में जमींदार इसकी किसानों से भी वसूल कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में यदि कर की दर ५ प्रतिशत से बड़ा दी जाय तो अधिक कर के ३ तक को किसानों से वसूल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में  $\frac{1}{3}$  प्रतिशत से अधिक का  $\frac{1}{3}$  वसूल किया जा सकता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास के स्वामी बन्दोबस्त वाले भागों में आधा कर किसानों से तथा आधा जमींदारों से वसूल किया जाता है।

क्योंकि यह कर मानगुजारों के साथ वसूल किया जाता है इसलिए इसकी प्रायः साधारणतया कम घटती, बढ़ती है। इसमें प्राप्त प्रायः १९२६-३० में ४६४\*१८ लाख रुपए, १९३४-३५ में ५३८\*६४ लाख रुपए तथा १९३६-४० में ४७८\*३८ लाख रुपए थी।

सम्पत्ति तथा परिस्थिति पर कर (Tax on Circumstances and Property)—इस कर का दूसरा नाम हेसियन कर भी है। यह कर मनुष्य की कुल आय पर लगाया जाता है। इसलिए १९३५ के विधान में तत्प्रायः उन जिला बोर्डों के जो इस कर को प्रान्तीय स्वशासन से पहले ही लगा रहे थे कर लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह कर पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जिला बोर्डों द्वारा अब भी लगाया जाता है। यह कर उन लोगों से ही लिया जाता है जो ग्रामों में रहते हैं। जो लोग नगर पालिकाओं तथा नोटीफाइड एरिया की सीमा में रहते हैं उनसे नहीं लिया जाता। इस कर में एक न्यूनतम छूट भी दी जाती है। इस कर की दर ४ पाई प्रति रुपए से अधिक नहीं हो सकती।

यह कर प्रत्यक्ष कर है और वर्द्धमान रीति में लगाया जा सकता है। परन्तु इसमें छूट की न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश में २०० घण्टे तक है। इसलिए इसका भार गरीबों पर भी पड़ता है। इसके प्रतिरिक्त इसके लगाने का ढङ्ग भी संतोषजनक नहीं है। इसके प्रतिरिक्त इससे प्राप्त प्रायः भी बहुत है जैसे उत्तर प्रदेश में १९२६-३० में १९७\*१४ लाख रुपए में से केवल २६६ लाख रुपए इस कर की प्रायः थी। इन सब बातों के कारण बहुत से राज्यों में इसको छोड़ा जा रहा है।

### मार्ग शुल्क (Tolls)—

जिन्ना बोर्डें अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों के घाटों का ठेका देकर मार्ग शुल्क वसूल करते हैं। यह ठेका नीलाम किया जाता है। जिसकी बोली सबसे अधिक

होनी है उसको ठेका छोड़ दिया जाता है। उसके पदचान ठेकेदार घाट पर स उनगन वाले से कर वसूल करता रहता है। इस कर से मिवाय मद्रास राज्य के कहीं भी विशेष आय नहीं है। मद्रास में १९२६-२७ में इससे प्राप्त आय ८८ ७६ लाख रुपये थी परन्तु उत्तर प्रदेश में ६.४२ लाख, बंगाल में ६ ३६ लाख, बम्बई में ६ ३६ लाख तथा पंजाब में २ ६७ लाख थी। मद्रास में प्राय इसनिष्ठ अधिक थी क्योंकि वहाँ पर यह व्यापार पर कर के रूप में वसूल किया जाता है। पर इस प्रकार कर लगाने में बिमाना को बहुत हानि होती है। वह कर स बचन के लिए फसल को मड़ी में न लेजाकर गाव के महाजन को ही बेच देते हैं और बड़ी हानि उठाने हैं। घाटों के ठेके देने की पद्धति भी उचित नहीं जान पड़ती क्योंकि ठेकेदार गाँव वाला को बहुत तंग करते हैं।

**काजी होस (Cattle pounds)** इनके अनिश्चित जिला बोर्डों को काजी होस, में भी कुछ आय प्राप्त हो जाती है। काजी होस में आकारा फिरने वाले पशुओं को बन्द कर दिया जाता है और उनका मालिक पशुओं को कर देकर छुड़ा सकता है। वही नहीं इस प्रकार के कर वसूल करने का ठेका भी दे दिया जाता है।

**शुल्क (Fees)**—जिला बोर्डों गाव में प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए स्कूल भी खोलते हैं। इन स्कूलों में नगर पालिकाओं के समान निम्नतक शिक्षा नहीं दी जाती बरन् बच्चों से थोड़ी फीस ली जाती है।

**किराया (Rent)** जिला बोर्डों को कुछ आय सराय तथा दूसरी प्रकार का इमारतों के किराये से भी हो जाती है। पर यह आय बहुतकम होती है।

**मेले (Fairs)**—जिन जिला बोर्डों के क्षेत्र में मेले लगते हैं उनको उन मेलों से भी आय प्राप्त होती है। मेरठ जिले में गढ़मुक्तेश्वर पर गंगा स्नान का मेला तथा मेरठ नगर में चौचन्दी का मेला लगता है। इसी प्रकार जहाँ कहीं इस प्रकार के मेले लगते हैं वहाँ पर जिला बोर्डों को उनसे आय होती है।

**सहायक अनुदान (Grants-in-aid)**—यह जिला बोर्डों की आय का एक मुख्य साधन है और इसमें १९३९-४० में जिला बोर्डों की कुल आय का बंगाल में २८ प्रतिशत, बम्बई में २० प्रतिशत, मद्रास में १४ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ४२ प्रतिशत तथा पंजाब में ४५ प्रतिशत आय प्राप्त हुई।

यह अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, उडक, विदित्ता आदि के लिए दिया जाता है। जिला बोर्डों की क्षमता प्राय उदाहरण द्वारा प्राप्त होने के कारण राज्य सरकारों का उनके कार्य में बड़ा हस्तक्षेप रहता है।

### जिला बोर्डों का व्यय

#### Expenditure of the District Boards—

जिला बोर्ड साधारणतया निम्नलिखित कार्यों पर खर्च करते हैं —

शिक्षा (Education)— जिला बोर्ड का मद में अधिक खर्च शिक्षा पर होना है। यह केवल प्राथमिक शिक्षा ही होते हैं। शिक्षा के लिए इनकी बहुत सी सहायता राज्य सरकारों से मिलती है। १९२८-२९ में जिला बोर्डों का खर्च ५,९०,०८२ लाख रुपये १९३१-३२ में ६,२४,५३ लाख रुपये तथा १९३६-३७ में २,०६,६६ लाख रुपये था।

सड़कों तथा इमारतों पर खर्च (Expenditure on roads and buildings)—

राम मद पर इनका लगभग ३ प्रतिशत व्यय होता है। परन्तु इनके अधिकार में इतना वडा धन है और उनकी आय कम है इसलिए इनकी मदों प्रायः खराब ही मिलती हैं।

हस्पताल तथा सफाई (Hospitals and sanitation)—

जिला बोर्ड स्थान स्थान पर हस्पताल भी रखते हैं जिनमें गांव के लोगों का प्रायः निशुल्क इलाज दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह गांव में चिकित्सा के टीके भी लयबाने हैं। इन सब पर भी उनको बहुत खर्च करना पड़ता है।

इन सब के अतिरिक्त उनको नर्सवारियों, पशुओं के हस्पतालों, मेलों, नुमायशा आदि पर भी खर्च करना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला बोर्डों के हाथ में जो मद हैं उन पर बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है परन्तु उनकी आय बहुत ही कम है। सब जिला बोर्डों की प्रति धनित आय का औसत ८ ग्राने है। इतनी कम आय में यह कैसे शिक्षा, सड़क स्वास्थ्य आदि विषयों पर अधिक खर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के ग्रामों की स्थिति इन सब बातों में शोचनीय है। जब तक जिला बोर्डों की आय में वृद्धि न होगी तब तक वह इन सब कार्यों को कैसे कर सकते हैं।

### ग्राम पंचायत की आय और व्यय

Income and Expenditure of the Village Panchayats—

#### आय

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त होती है—

(१) कर—गांव मसा निम्नलिखित कर मगा सकते हैं—

(अ) जो मजदूर आसामी देने हो उस पर एक आना प्रति रुपा। यदि आसामी खोर या किसी ग्राम आसामी का शिकारी है तो इस कर में से १ निरभी आसामी देना और १ ग्राम आसामी या सीखदार देना।

(ब) जमींदारों पर २ पैसे प्रति रुपये की दर से उस मजदूर पर जो वे कसूत करते हैं।



(१) यदि जमींदार जमीन को खुद बोता है तो उगरी जमीन का लगान मान्यम करने उस पर एक धाना प्रति एकमा लगाया जा सकता है ।

(४) बारबार, व्यापार और या पेशा करने वाले पर भी वर उस दर पर लगाया जा सकता है जो राज्य सरकार निश्चित करेगी ।

(५) भवाना व ऐसे मातृको वर भी जिन पर उपयुक्त वर में कोई वर नहीं लगाया जा सकता ।

(२) राजीनामों के रूप में दी गई रकम ।

(३) गाव-पचायत के कमचारियों द्वारा एषत्र किया हुआ कृषा वनवट घर गोबर, या मरे हुए जानवरों की लाशा इत्यादि के बचने व जो धान्य हो ।

(४) राज्य सरकार द्वारा गाव-सभा को सौंपा हुआ धन ।

(५) ऐसा धन जो गाव कोष में लिए कोई जिला बोर्ड या दूसरा स्थानीय अधिकारी दे ।

(६) ऐसा धन जो राज्य सरकार की किसी साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा गाव-कोष में दी जाये ।

(७) जुमानों में प्राप्त धन ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम-पचायतों की आय का मुख्य स्रोत भूमि पर उगकर तथा हेमियत कर है । इन वरों से प्राप्त आय बहुत कम होती है । यही कारण है कि वे कोई विशेष कार्य नहीं कर सकती ।

### व्यय

प्रत्येक ग्राम पचायत, जहां तक उसका कोष आज्ञा दे, निम्नलिखित कार्य कर सकती है —

रास्ते बनवाना तथा उनको मरम्मत करना, सत्रामक रोगों को दूर करने तथा उमका फैलने से रोकने के लिए चिकित्सा सम्बन्धी और रोक ग्राम के उपायों को काम में लाना, गपाई तथा रोगनी वा प्रबन्ध करना गाव सभा के अधिनार में जो सम्पत्ति हो उगकी मरम्मत करना मनुष्यों और पशुओं की लाशा और दुगरे सुगन्ध वाले पदार्थों वा ठोस प्रदूषण करने के लिए स्वान की व्यवस्था करना प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध करना कुम्हो तालाबों, पोखरों को बनवाना, सुधारना तथा उनको मच्छी तरह बनाने रक्षना, खेती वाड़ी व्यापार और उद्योग धंधों की उन्नति में सहायता करना, आग बुझाने का प्रबन्ध करना पशु रखना जन रखना आदि के लिए धीकड़ा वा एषत्र करना, मूर्ति वा और शिशु वा हित करना ।

इनके प्रतिरित्त ग्राम-पचायतें कुछ कार्य अपनी दृच्छा से भी कर सकती है, जैसे खटको के दोना धीर पेड़ लगवाना, पशुओं की रखत सुधारना, उनको चिकित्सा धीर उनको रोगों की रोक ग्राम करना, गन्दे गड्डोंको भरवाना, गावकी रक्षा वा प्रबन्ध

घोर श्रौंजारा के गोदाभ म्यापिन करना, अकाल प्रादि में उहायता  
 न्य श्रौंग वाचनालय स्यापिन करना, सेना श्रौंग मनोरजन के लिए  
 प्राधि बनवाना त्याद और बूडा हटाने का प्रबन्ध करना, सार्वजनिक रेडियो  
 मठ श्रौर ग्रामोफोन का प्रबन्ध करना ।

उपर्युक्त सब कार्यों पर इतना धन व्यय करने की प्रावश्यकता है कि यह  
 करना श्राभ पचायता की शक्ति के बाहर है । यदि राज्य सरकार चाहती है कि श्राभ  
 पचायतों यह सब कार्य करें तो उनको श्राय के कुछ नए साधन मीपने पडेंगे, नहीं तो  
 पचायत कोई कार्य न कर सकेगी ।

स्थानीय सस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर एक दृष्टि—

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्थानीय सस्थाओं के जिम्मे ऐसे  
 कार्य रये गए हैं जिन् पर हमारे राष्ट्र का जीवन निर्भर है । इन सब कार्यों पर बहुत  
 सा धन खर्च करने की प्रावश्यकता है पर इन सस्थाओं की श्राय सीमित है ।  
 साईमन कमीशन ने इनकी श्राय के सम्बन्ध में कहा था, "सब प्रकार की स्थानीय  
 दशो नगर तथा ग्राम की, से १९२७-२८ में १२५ लाख (2½ million) पाँड  
 की श्राय हुई, जो कि उस वर्ष में केवल लन्दन काउन्टी काउंसिल की दरों की श्राय से  
 कुछ ही अधिक है" ।

इसके विपरीत उनका कार्य भार १९१९ के पश्चात से बढ़ता जा रहा है  
 और नए विधान में वह और भी बढ़ गया है । इन सब कार्यों को करने के लिए  
 उनको अधिकाधिक धन की प्रावश्यकता है ।

भारतीय कर नाख समिति ने उनको श्राय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित  
 सुझाव दिए —

(१) मालगुजारी का उन्धित कर दिया जाना जिसमे कि स्थानीय सस्थायें  
 ऊंची दर (rate) पर भूमि उपकर लगा सकें ।

(२) प्रान्तीय सरकारों द्वारा एकत्र किए गए भूमि के किराए तथा गैर-वृषि  
 भूमि की बढ़ी हुई श्राय में से स्थानीय सस्थाओं को एक अंश दिया जाए ।

(३) नगर पालिकाशा को शिक्षापया पर कर लगाने का अधिकार दिया  
 जाए ।

(४) मनोरजन तथा बाजी करों को बढ़ाया जाए तथा उनसे प्राप्त श्राय  
 का एक बड़ा भाग इन सस्थाओं को दिया जाए ।

(५) स्थानि, पेगो तथा सम्पत्ति करों की व्यवस्था को सुधारा जाए ।

(६) मोटर करों पर श्रायात कर को घटायया जाए जिसमे कि प्रान्तीय  
 सरकारें उन पर कर लगा सकें और उसको स्थानीय सस्थाओं में बांट सकें ।

(७) चुने हुए क्षेत्रों में स्थानीय सस्थाओं को शादी की रजिस्ट्री करने का अधिकार दिया जाए।

(८) प्रान्तीय सरकारों को स्थानीय सस्थाओं को आर्थिक सहायता दी जाए।

बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन जांच समिति ने इन सुझावों का अनुमोदन किया और उत्तर प्रदेश की समिति ने कुछ और सुझाव भी दिए जो निम्नलिखित हैं —

(१) नगर और ग्रामों में महाजनो पर कर लगाया जाए।

(२) प्रान्तीय कोर्टों फीस का कुछ भाग इनको दिया जाए।

(३) मुद्राक कर के १/६ के बराबर अधिकार लगाकर उससे प्राप्त भाग इनको बांटी जाए।

(४) पचायतों के लिए इस समिति के निम्नलिखित सुझाव थे —

(१) जमींदारी के लगान पर लाए गए कर का ५ से ७ प्रतिशत पचायतों को दिया जावे।

(२) प्रान्तीय सरकारों को मिलने वाली मालगुजारी का ५ प्रतिशत इनको दिया जाए।

(३) भूमि उपकर का २५ प्रतिशत जिला बोर्डों द्वारा इनको दिया जाए।

(४) यदि आवश्यक हो तो श्रम दर (Labour rates) के बदले श्रम कर (Labour tax) लगाया जाए।

इनके प्रतिरिक्त राज्य सरकारों को आवश्यकता पड़ने पर इन सस्थाओं को महायक अनुदान भी देने चाहियें।

स्थानीय सस्थायें अपनी आय बढ़ाने के लिए बिजली, पानी, सिनेमा आदि अपने हाथ में ले सकती हैं। वह बाजार, हाट, इमारतें आदि बनवा सकती हैं। इस प्रकार वह अपनी आय बढ़ा सकती हैं।

बिना आय बढे यह सस्थायें वास्तविक कार्य नहीं कर सकती। इस लिए उनको आय बढ़ाना आवश्यक है।

## अध्याय १०

### भारत का मार्बजनिा ऋण (Public Debt of India)

मार्बजनिा ऋण का रिवाज अभी लगभग डेढ़ सौ वर्षों में हुआ है। उसमें पहले राजा अथवा बादशाह एक खजाना रखने के जिम्मे में धन खर्च होता था। युद्ध वान में यह खजाना खाली हो जाता था। उस समय ग्रामक किसी बड़े मेठ में ऋण ले लिया करता था। परन्तु वह व्यक्तिगत ऋण था, मार्बजनिा नहीं।

हमारे देश में मार्बजनिा ऋण लेने का आरम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने किया जिसको बहुत से युद्ध लड़ने थे। इस प्रकार जब १७६५ ई० में कम्पनी के हाथ में बङ्गाल का सामन आया तो वह ऋण ले चुकी थी। १७६३ ई० में यह ७० लाख पौण्ड हो गया। १८१४ ई० में जब कम्पनी इङ्गलैण्ड के बादशाह के लिए भारत पर शासन करने लगी तो उसने दो प्रकार के खाने रखने आरम्भ किए। पहला राजनैतिक खाना तथा दूसरा व्यापारिक खाना। इन खानों के अलग होने पर भी बहुत सा व्यापारिक व्यय राजनैतिक खाने में लिखाया जाने लगा। इस प्रकार १८३४ तक जब कि कम्पनी का व्यापारिक कार्य विरुद्ध समाप्त हो गया तब कुल ऋण का अनुमान तीन करोड़ सत्तर लाख पौण्ड था। यह सब ऋण श्री लड्डा, ब्रह्मा, मलाया में युद्ध लड़ने में एकत्र हुआ था। उसके अतिरिक्त इस ऋण में बहुत सी ऐसी चीजें सम्मिलित थीं जिनका शास्त्र में भारतवर्ष में कोई सम्बन्ध न था।

१८३४ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट का कम्पनी में एक समझौता हुआ जिसमें कम्पनी की सब सम्पत्ति बादशाह ने भारत सरकार के नाम में लेली। इसके बदले कम्पनी का राजनैतिक तथा व्यापारिक ऋण सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। कम्पनी को उसके सामान के बदले १०६ प्रतिशत लाभान अथवा ६,३०,००० पौण्ड देने का वचन दिया गया। इसकी भारत में से लिया जाता था। १८७४ के पश्चात् इस लाभान के बदले सरकार ने कम्पनी के हर १०० पौण्ड के हिस्से के बदले २०० पौण्ड देने का वचन दिया। कम्पनी के अफसरों को भी उचित क्षति पूरि देने का वचन दिया गया। इस प्रकार भारतवर्ष के ऊपर कम्पनी का लगभग तीन करोड़ चालीस लाख पौण्ड का ऋण आ पडा।

इन समझौते के होने ही एक अलग निपटणण कोष (Debt Redemption Fund) कायम किया गया जिसके फलस्वरूप ऋण में कुछ थमी होने लगी। परन्तु

सरकार को ऋण भी लेना पड़ा। प्रान्तों का ऋण बढ़ने का कारण यह था कि उन को बहुत सा धन उत्पत्ति की योजनाओं पर खर्च करना पड़ा। इसके प्रतिरिक्त उन्होंने केन्द्रीय सरकार का भी ऋण चुकाया।

भारत के सार्वजनिक ऋण का अनुमान निम्नलिखित तालिका से हो सकता है—\*

( करोड़ रुपए में )

	१८४६-४९	१८४९-५०	१८५०-५१	१८५१-५२	१८५२-५३	१८५३-५४
रूपया ऋण	१४७८ ३९	१४५२ १५	१४३८ ४९	१४०२ १०	१४०५ ५८	१३८९ ५८
कोषागार-विपन्न						
तथा मार्गोपाय अधिम	३७३ ३३	३६१ ४८	३७३ २०	३३५ ०१	३१९ १९	४२९ ०४
मूल्य बचतें	२७१ ७३	२९३ ८०	३२६ २५	३७२ ५७	४१७ ६४	४६२ ५७
भवमूल्यन संचित						
कोष	११६ ७०	१२६ १५	१५५ ५६	१७१ ४७	१७० १८	१५९ ४०
धन्य	१७२ ७४	२२२ ७५	२०७ २६	१९३ ०२	१८९ १४	१९४ १३
स्टॉक ऋण	४२ ८४	३९ ८३	३६ १७	३३ ४८	३० २३	२८ ९९
बाह्य ऋण	—	१६ ७७	२४ ६०	११२ ०४	११३ ७४	१११ ७६
योग	२४५५ ५०	२५१२ ९३	२५६१ ५०	२६१९ ६९	२६४५ ७०	२७७६ ३७

इस ऋण को निम्नलिखित ढङ्ग में लगाया गया है—

( करोड़ रुपये में )

	१९४०-४१	१९४१-४२	१९४०-४१	१९४१-४२	१९४२-४३	१९४३-४४
१ नैर्ने	६२२ ४०	७२३ ८०	५१४ १३	५३३ ६३	५६४ २३	५८३ २०
• दूसरे व्यापारिक वभाग	४८ ८४	६८ १७	६० ११	११२ ६४	८१ २४	६० ३४
३ राज्या आदि को दिया गया ऋण	११० ४८	१४८ ६२	२१६ ६७	३४१ ३६	३७७ ४७	४७३ ७६
४ ब्रह्मा तथा पाकिस्तान पर ऋण	३४८ १४	३४८ १४	३४८ १४	३७८ १४	३४८ १४	३४८ १४
५ ब्रिटिश सरकार के पास रेभो की वापिसी चुकाने के लिए जमा विया धन	१४ ४३	१३ २६	१० ६६	८ ४३	५ ४४	४ ४३
६ ब्रिटिश पेंशनो के लिये खरीदी गई वापिसी	२१४ ६८	२०८ २६	२०० ८६	१६३ ४८	१८६ ३२	१७६ १६
योग	१४३१ १२	१४२१ ३६	१६८१ २१	१८३८ २३	१८६२ ८६	१९७८ ६७
७ द्रव्य तथा प्रति- भूति	२३४ ८१	१७२ ६६	१४१ ६७	१६८ ७०	१३६ १८	१०६ ४३
८ शेष उपर्युक्त ऋण में व्याज देने वाले ऋण वा प्रतिभूत	७८८ ८७	८१८ ४४	७३८ ३२	४८२ ७६	६४४ ६७	६८८ ८७
	४८२	६०४	६४६	७०२	७८४	७९३

द्वितीय महायुद्ध का भारत के सार्वजनिक ऋण पर प्रभाव—

१९३८-३९ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से पूर्व भारतवर्ष का कुल सार्वजनिक ऋण १२०४.७६ करोड़ रुपए था। इसमें से ७३६.६४ करोड़ रुपए का ऋण रुपए के तथा ४६६.१२ करोड़ रुपए का ऋण स्टिलिंग के रूप में था। इस

प्रकार दुसरे ऋण का ६१२ प्रतिशत भारतीय तथा बाप ३८८ प्रतिशत विदेशी था। इस ऋण के विषय में एक मुख्य बात यह था कि इसमें से अधिकतर उत्पादक या अर्थात् ऐसे म्बाना पर लमाया गया था जहां में सरकार को आय प्राप्त होती थी। इस कुल ऋण में से ७४ ३८ करोड़ रुपए अर्थात् ७८४ प्रतिशत उत्पादक या धीरे केवल २२६ ०८ करोड़ रुपए अर्थात् १८२ प्रतिशत अनुपादक था। गैर द्रव्य तथा प्रतिभूतिया के रूप में था।

युद्ध के कारण हमारा विदेशी ऋण प्रायः चुका दिया गया है और उसके म्बान पर भारत का प्राथमिक ऋण बढ़ गया है। युद्ध छिटा जाने पर भारतवर्ष में अंग्रेजी सरकार का बहुत ही युद्ध सामग्री दी। इसके प्रतिरिक्त भारतवर्ष का व्यापारिक आधिक्य भी बहुत ही अधिक अगक रहा। भारतवर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा बहुत ही चादी इल्लैण्ट की बनी। इन सब बातों के कारण रिजर्व बैंक के पास स्टर्लिंग का स्पाक बढ़ना चला गया। इसी बीच हमारा गृह व्यय (Home charges) का खर्च निरन्तर घटता जा रहा था। १९३८-३९ में भारत सरकार को ३ करोड़ ६० लाख पाँड की देनदारी थी परन्तु यह कम जाती चली गई यहा तक कि १९४१-४२ में भारतवर्ष को भारत नरी ने कुछ भिन्न की प्राया पी।

स्टर्लिंग ऋण का चुकाया जाना (Repatriation of Sterling Debt)—स्टर्लिंग ऋण के चुकाने का कार्य १९३७ में ही आरम्भ हो गया था जब कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का लदन में ३ तथा ३½ प्रतिशत की घमावधि स्टर्लिंग प्रतिभूतिया (Non terminable sterling securities) खरीदने की आज्ञा दे दी थी। इसके पश्चात् यह कार्य निरन्तर चलता रहा। ऐसा करने करने प्रायः सभी स्टर्लिंग ऋण चुका दिया। योडा बहुत जो रह गया वह कुछ विषय कठिनाइया के कारण न चुकाया जा सका। १९३६-३७ के अन्त में ३५ ६०५ करोड़ पाँड का स्टर्लिंग ऋण था। इसमें से १९४५ ४६ तक ३२ ३१० करोड़ पाँड चुका दिया गया। इसने बदले ०७३५७ करोड़ रुपए वा भारतीय ऋण उत्पन्न किया गया। इस प्रकार स्टर्लिंग ऋण जो मार्च १९३९ में ४६६ १० करोड़ रुपए था फरवरी माच १९४५ में ६७ ५६ करोड़ रुपए रह गया और १९५३-५४ के अन्त में अनुसार यह २८ ६६ करोड़ रुपए है। इसने विपरीत १९४५ में भारतीय ऋण ७०६ ६६ करोड़ रुपए में बढ़ कर १५७१ ४२ करोड़ रुपए हो गया और १९५३-५४ के अन्त में अनुसार यह २६३४७१ करोड़ था। इस प्रकार युद्ध के कारण भारतवर्ष कुछ ही वर्षों में ऋणी देश में ऋण दाता देश बन गया। इसके फलस्वरूप भारत की विदेशी में खर्च बढ़ गई। उसके ऊपर प्रतिवर्ष जो व्याज का भार था वह समाप्त हो गया। अपनी इस वचत में भारत विदेशों में बिपुल रूप मायात का भुगतान कर सका। इसके कारण अपना ऋण उत्पन्न हो गया